अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Tuesday, 18th March, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B....60
Date....5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 28 मार्च, 1989/7 चैत्र, 1911 (शक)

का

<u>शुद्धि-पत्र</u>

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
79	1	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
109	17	पंक्ति के आरम्भ में "(घ)" अंतःस्थापित करें।
166	8	"शहाबुद्दीन" के स्थान पर "शाहबुद्दीन" पढ़िये।
240	नीचे से 4	"जी नहीं" से पहले "(क)" अंतःस्थापित करें।
245	9	"तामलुक" के पश्चात् "में" अंतःस्थापित करें।
247	नीचे से 7	"(क) से (घ)" के स्थान पर "(क) से (च)" पढ़िये।
257	नीचे से 7	"कहोदय" के स्थान पर "महोदय" पढ़िये।
258	3	"बसुबेब" के स्थान पर "बसुदेव" पढ़िये।
269	नीचे से 7	"घाटियों के" के स्थान पर "घाटियों में" पढ़िये।
270	नीचे से 3	"उपाध्य" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये।
271	नीचे से 4	"अजीत" के स्थान पर अज़ीज" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 47, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 20, मंगलवार, 28 मार्च, 1989/7 चैत्र, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 371 से 375, 377, 378 और 383	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—263
तारांकित प्रश्न संख्या : 370, 376, 379 से 382 और 384 से 390	26—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3497 से 3659 और 3661 से 3729	34—263
उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा	263—264
ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	264—267
नियम 377 के अधीन मामले	268—276
(एक) "उद्योग विहीन जिलों" में उद्योग लगाए जाने के लिए दी गई केन्द्रीय राजसहायता वापस लिए जाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए निदेश पर पुनर्विचार किए जाने की मांग	
श्री भीष्म देव दुबे	268
(दो) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सी तथा स्कूटर-रिक्शा चालकों द्वारा जनता को परेशान किए जाने की रोकथाम किए जाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की मांग	
श्री गंगा राम	268
(तीन) राजस्थान के बीकानेर शहर को ख-2 श्रेणी का शहर घोषित किए जाने की मांग	
श्री मनफूल सिंह चौधरी	269

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) राजस्थान सरकार को राज्य के हाड़ोती क्षेत्र में भू-कटाव से प्रभावित तंग घाटियों में स्वदेशीय पौधों की हवाई बुआई कराए जाने के लिए निदेश दिए जाने की मांग	—
श्री जुझार सिंह	269
(पांच) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के लिए लाभ की सीमा निर्धारित किए जाने की मांग	
श्री पी० पेंचालैया	270
(छः) पूरे देश में एक समान और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली लागू किए जाने की मांग	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	271
(सात) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किए जाने तथा रिक्त पदों को भरे जाने की मांग	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	271
(आठ) अफगानिस्तान की जनता तथा पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के नेता, वली खां के साम्राज्यवादी और कट्टरपंथी ताकतों के विरुद्ध साहसपूर्ण संघर्ष में उनका समर्थन किए जाने की मांग	
श्री अजीज कुरेशी	271
आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	271—281
श्री सी० जंगा रेड्डी	277

लोक सभा

मंगलवार, 28 मार्च, 1989/7 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

(इस समय श्री पी० आर० कुमारमंगलम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप सब लोग जो कुछ कर रहे हैं........

[अनुवाद]

क्या यह सही है ? मुझे बताइए क्या यह सही है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताइए, क्या सभा में व्यवस्था है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आप इस सभा का दुरुपयोग कर रहे हैं तो मैं इसे कैसे कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा कोई नियम बताइए, जिसके अधीन आप कुछ कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

(इस समय श्री पी० आर० कुमारमंगलम तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई ऐसा कानून बताइए, जिसके अधीन मैं इसे कर सकता हूं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : तमिलनाडु विधान सभा में एक महिला सदस्य पर हमला किया गया।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : महोदय, मुख्यमन्त्री पर विधान सभा में जानबूझ कर प्रहार किया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक की बात सुन सकता हूं। यदि मुझे सुनना है तो, मैं एक बार में ही व्यक्ति की बात सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों कर रहे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बाहर जाकर लड़िए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई ऐसा नियम बताइए, जिसके अधीन मैं इसे कर सकता हूं:

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही चले, तो मैं सभा को स्थगित कर देता हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं अपने कक्ष में जा सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे वह नियम बता दें जिसके अधीन मुझे इसकी अनुमति देनी है, तो मैं अनुमति प्रदान कर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई ऐसा नियम बताइए, जिसके अन्तर्गत मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या उन्होंने प्रश्नकाल समाप्त करने की सूचना दी थी?

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी ने भी कोई सूचना नहीं दी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि "मुझे नियम दिखाइए।"

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : तमिलनाडु विधान सभा में एक महिला सदस्य पर हमला किया गया था। क्या यह नियमों के अनुसार है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि उनका नियमों में विश्वास नहीं है, तो मैं उनका अनुकरण क्यों करूं ? क्या ऐसा कोई नियम है कि मुझे उनका अनुकरण करना चाहिए ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि प्रश्नकाल समाप्त किया जाना चाहिए तो मुझे कोई सूचना दीजिए।

श्री एन० वी० एन० सोमू : मैं पहले ही सूचना दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। "क्या सभा चाहती है कि आज प्रश्नकाल समाप्त किया जाए ?"

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह रद्द कर दिया गया है। मैं क्या कर सकता हूं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : क्या आपका सुझाव है कि प्रश्न-काल समाप्त कर दिया जाए ? मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : हम यह मामला श्री साठे के लिए नहीं बल्कि तमिलनाडु की जनता के लिए उठा रहे हैं। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हम नहीं चाहते कि प्रश्नकाल समाप्त किया जाए। हम चाहते हैं कि यह सभा तमिलनाडु सरकार के रवैये की भर्त्सना करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा प्राधिकार प्राप्त नहीं है और न ही किसी नियम के अन्तर्गत मैं ऐसा कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : क्या मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि इस मामले को प्रश्नकाल के पश्चात तो उठाने की अनुमति दे दें ?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री के प्रधानी""""अनुपस्थित, श्री ई० अय्यपू रेड्डी।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बसों और ट्रकों के टायरों का उत्पादन

*371. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 की तुलना में वर्ष 1988 में बसों और ट्रकों के टायरों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या टायरों का उत्पादन बढ़ने से इनकी उपलब्धता सरल हो गई है और इनके मूल्य कम हो गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बस तथा ट्रक के टायरों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो वर्ष 1987 में 39.8 लाख टायरों से बढ़कर वर्ष 1988 में 48.7 लाख टायर हो गया है। घरेलू मांग तथा निर्यात बाजारों को पूरा करने के लिए टायर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। फिर भी, टायरों के मूल्यों में मुख्यतः कच्चे माल और निविष्टियों की लागत बढ़ जाने के कारण वृद्धि हुई है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, ट्रकों और बसों के टायरों के मूल्यों में वृद्धि का उपभोक्ता पर परोक्ष प्रभाव पड़ता है। दिन-प्रतिदिन परिवहन लागत बढ़ रही है। कुछ मामलों में तो माल की कीमत परिवहन लागत से कम है। किसी भी मामले में परिवहन लागत माल के मूल्य के 25 प्रतिशत से कम नहीं है। इसका उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ता है। ट्रांसपोर्टर यह शिकायत कर रहे हैं कि टायरों के मूल्यों में अकारण भारी वृद्धि हुई है। इससे उपभोक्ता उत्तेजित हैं। यह आश्वासन दिया गया था कि लागत सूचक मूल्य निश्चित किया जाएगा। परन्तु अब तक मूल्य निश्चित नहीं किए गए हैं। क्या सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मूल्य निश्चित करने के बारे में विचार करेगी, ताकि मूल्यों को विनियमित किया जाए और इन टायरों के मूल्य सही सीमा में रहें ?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, सरकार टायरों के मूल्यों और वितरण पर कोई सांविधिक नियन्त्रण लगाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन हमने खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत टायरों के आयात की अनुमति दे दी है। हमने कुछ संघों को टायर के आयात की अनुमति दे दी है। हम आशा करते हैं कि मूल्यों में स्थिरता और कमी आएगी।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, मेरे विचार में उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया है। क्या ऐसा उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है जो टायर विनिर्माता ले सकें ? क्या सचिवालय स्तर पर कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री एम० अरुणाचलम : जी हां; बी० आई० सी० पी० ने इस पर विचार किया है। उन्होंने बताया है कि निवेश लागत बढ़ा है। इसलिए मूल्यों में वृद्धि हुई है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, यह कहना सही नहीं है कि निवेश लागत बढ़ी है। वास्तव में, रबड़ उत्पादक शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। वास्तव में, एम० ओ० डी० वी० ए० टी० लागू किया गया है और निवेश पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है। उत्पादों को एम० ओ० डी० वी० ए० टी० का लाभ मिला है। इसलिए इस दावे में कोई दम नहीं है कि निवेश लागत बढ़ी है। निवेश लागत में वृद्धि का बसों और ट्रकों के अन्तिम मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या इसकी जांच की गई है?

मेरा अगला पूरक प्रश्न यह है कि कितना माल निर्यात किया जा रहा है और आप निर्यात की अनुमति क्यों दे रहे हैं जबकि स्वदेशी बाजार में टायरों के मूल्य उचित सीमा अन्दर के नहीं हैं।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : महोदय, इस वर्ष हमारा उत्पादन 39 लाख से बढ़कर 48.7 लाख हो गया है। चूंकि हमारा उत्पादन बढ़ा है इसलिए हम निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं। पिछले वर्ष, 70 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। परन्तु माननीय सदस्य के अनुसार, दरें बहुत अधिक हैं। इसलिए हमने सड़क परिवहन निगमों और कुछ अन्य संगठनों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत स्वदेशी मूल्यों को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से इन मदों के आयात की अनुमति दी। हम कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं। हम टायर उद्योग से सभी प्रकार के उत्पादन सम्बन्धी नियन्त्रण हटा रहे हैं। वे कितने भी टायर बना सकते हैं। वास्तव में दो घराने—मोदी और गोयनका—देश में 50 से 60% टायरों का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए हमने लगभग 13-14 नई कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किए। जब इन कम्पनियों में उत्पादन शुरू हो जाएगा, तब टायरों के मूल्य कम हो जाएंगे। इस दौरान, हमने खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति दे दी है।

डा० दत्ता सामन्त : टायर ऐशोआराम की वस्तु नहीं है बल्कि यह एक उपभोक्ता वस्तु है जिनकी इस देश की औसत जनता द्वारा प्रयुक्त बसों और टैक्सियों में आवश्यकता पड़ती है। मेरा एक मजदूर नेता होने के कारण इन बड़े घरानों से वास्ता पड़ता रहता है। ये बड़ी कम्पनियां—मोदी, गोयनका, एम० आर० एफ० देश में लगभग 75 प्रतिशत टायरों का उत्पादन करती हैं। मैं जानता हूं कि वे किसी न किसी बहाने एक कारखाने को बन्द करके मूल्यों में वृद्धि करते रहते हैं। इस सभा में कई बार इस बारे में चर्चा हुई है। माननीय मंत्री जी का कथन सच नहीं है क्योंकि निवेश लागत उतनी नहीं बढ़ी है जितने कि टायरों के मूल्य बढ़े हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस सभा को इसका ब्यौरा दे। हमें सैद्धान्तिक उत्तर नहीं चाहिए कि अमुक में वृद्धि हुई है आदि। सरकार ने मूल्य निश्चित करने और सरकार को सुझाव देने के लिए प्रधान समिति गठित की थी। सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया था कि डी० टी० सी० और दिल्ली प्रशासन की भांति उनके कारखानों में उनकी अपनी-अपनी टायर फैक्टरियां होनी चाहिएं क्योंकि उनकी मांग बहुत अधिक है। इस समिति ने सरकार को 7-8 सुझाव दिए हैं। क्या सरकार ने उन सुझावों को स्वीकार कर लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार तदनुसार कार्यवाही करेगी अथवा नहीं?

श्री एम० अरुणाचलम : नाइलॉन टायर कार्ड, कार्बन ब्लैक और रबड़ के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और स्वदेशी बाजार में बढ़े हैं। यदि आप इन मदों के मूल्य जानना चाहते हैं तो, मैं सभा-पटल पर एक विवरण प्रस्तुत कर दूंगा।

डा० दत्ता सामन्त : समिति की रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे?

दिल्ली में राज्य विद्युत बोर्डों की बैठक

***372. श्री राम प्यारे पनिका :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही राज्य विद्युत बोर्डों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में देश में विद्युत की कमी की समस्या पर विचार किया गया था और विद्युत स्थिति में सुधार करने तथा ऊर्जा की खपत में बचत सम्बन्धी उपाय करने के लिए कदम उठाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिए गए थे; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राज्य बिजली बोर्डों की एक सोसाइटी नेशनल काउन्सिल आफ पावर यूटिलिटीज ने 22 दिसम्बर, 1988 को नई दिल्ली में "आठवीं योजना में विद्युत का विकास नीतियां, विषय-वस्तु तथा विकल्प" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया था।

(ख) और (ग) सेमिनार में विद्युत की स्थिति में सुधार तथा मांग-प्रबन्ध के बारे में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों में से कुछ ये थे :—

1. जल विद्युत की अपेक्षा ताप विद्युत के विकास को उच्च प्राथमिकता दिए जाने सम्बन्धी वर्तमान प्रवृत्ति में परिवर्तन करना।
2. उपलब्ध विद्युत उत्पादन के इष्टतम समुपयोजन हेतु मजबूत अंतर्क्षेत्रीय पारेषण लाइनों की व्यवस्था किया जाना और प्रभावी भार प्रबन्ध सम्बन्धी उपायों को लागू करना।
3. उपलब्ध विद्युत उत्पादन के इष्टतम समुपयोजन हेतु प्रभावी भार प्रबन्ध सम्बन्धी उपायों की आवश्यकता।
4. भार प्रेषण तथा संचार सुविधाओं की पर्याप्त रूप से व्यवस्था किया जाना।
5. ताप विद्युत यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किए जाने, जल विद्युत यूनिटों की क्षमता में वृद्धि किए जाने और पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी किए जाने जैसी लागत की दृष्टि से प्रभावी स्कीमों के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था किया जाना।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, 22 दिसम्बर को देश के विभिन्न इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड्स है उनकी जो सोसाइटी है, नेशनल कौंसिल आफ पावर यूटिलिटी का सेमिनार हुआ। जिसमें हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री साठेजी और राज्य मंत्रीजी ने भाग लिया। वह इस उद्देश्य से हुआ था कि आठवीं पंच-वर्षीय योजना में उनकी क्या नीति हो, क्या साधन हों और सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं

उनको कैसे पूरा किया जाएगा। उस मीटिंग में उनके क्या सजेशंस थे और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री कल्पनाथ राय : 22 दिसम्बर, 1988 को नई दिल्ली में नेशनल कौंसिय आफ पावर यूटिलिटी की बैठक हुई उसमें तय किया गया कि हाइड्रो थर्मल मिक्स जो 40-60 का अनुपात है उसको हमें पूरा करना चाहिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना में हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और रीजनल ट्रांसमीटर सेन्टर को मजबूत करना चाहिए तथा ट्रांसमीशन डिस्ट्रीब्यूशन लासेज को कम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चौथी राय उसमें यह दी गयी कि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा इस्टैब्लिशमैंट आफ कम्प्यूटराइज्ड लोड सैन्टर्स को इफैक्टिव ढंग से चलाया जाना चाहिए। यह भी तय हुआ कि केन्द्रीय सरकार को मौडर्नाईजेशन और रैनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को उपलब्ध कराना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि सरकार को जितनी रिकमैण्डेशन्स प्राप्त हुई थीं, उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद मैं दूसरी सप्लीमैंटरी पूछूंगा।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय सदस्य ने पूछा है······(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा वह लिखित उत्तर का अंग है, महोदय (**व्यवधान**) श्री कल्पनाथ राय जी, कृपया उत्तर देना सीखिए।

श्री कल्पनाथ राय : कृपया मेरी बात सुनें······(**व्यवधान**)। उनका प्रश्न यह है कि क्या सुझाव दिए गए। क्या उन्होंने यह प्रश्न पूछा है या नहीं? जब उन्होंने सवाल पूछा है तो उसका जवाब देना मेरा कर्त्तव्य है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ राय जी, आपको केवल उन्हें जवाब देना है।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और हम इसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष जी, जहां तक मैं समझ पाया हूं आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 38 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज अवैलेबल हैं, बिजली बोर्डों की हालत यह है कि केन्द्रीय सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी स्थिति सुधर नहीं पा रही है। इस काम के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपया खर्च आने की सम्भावना है, यदि आप देश में 38 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं। सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी सदन को बताएंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप फाइनेंस की कैसे व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्री कल्पनाथ राय : यह ठीक है कि हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 38 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा हाइड्रो पावर जैनरेशन का लक्ष्य साढ़े चार हजार मेगावाट था, जिसे हमने पूरा किया है। इस वक्त हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर जैनरेशन

का लक्ष्य 9500 मेगावाट का है। इसके लिए हम अपने इन्टरनल रिसोर्सेज से योजनाएं बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ हमने दूसरे देशों के साथ बाइलेटरल एग्रीमैंट्स किए हैं और कुछ करने जा रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता चल रही हैं। उसके बाद टर्नकी बेसिस पर कान्ट्रैक्ट दिए जाएंगे और इस तरह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य 22 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का था, उसे हमने पूरा किया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो लक्ष्य रखा है, हम 38 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, नेशनल काउन्सिल की बैठक में जो अनुशंसाएं की गयी हैं, उन पर जब सरकार की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में पनिका जी ने पूछा तो उसका साधारण ढंग से उत्तर दे दिया गया, परन्तु मैं एक प्वाइन्ट पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि नेशनल काउन्सिल की बैठक में क्या हुआ, यदि उसको छोड़ भी दिया जाए तो गांवों में घूमकर हम जो स्थिति देखते हैं, सभी जगह ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति बहुत ही दयनीय है। गांवों में खम्भे गाड़ दिए गए हैं लेकिन बिजली की तारें नहीं हैं, कनेक्शन नहीं है। सरकार की योजना है कि गांवों की हरिजन बस्तियों में बिना किसी शुल्क के एक बल्ब जलाया जाएगा, गत वर्ष के बजट में इसके लिए प्रावधान भी किया गया था परन्तु आज तक मैं समझता हूं कि सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस वर्ष गांवों की हरिजन बस्तियों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य-वाही करेगी।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : अध्यक्ष जी, जहां तक रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के काम का ताल्लुक है, वह राज्य सरकारों के परव्यू में आता है, लेकिन हमने आर० ई० सी० के माध्यम से राज्य सरकारों को काफी पैसा उपलब्ध कराया है। एक भी ऐसा राज्य आपको नहीं मिलेगा जहां पर्याप्त मात्रा में पैसा न दिया गया हो। हुआ यह है कि बहुत से राज्यों ने आर० ई० सी० से जो पैसा मिला, उसका पूरा विनियोग नहीं किया, यह वस्तुस्थिति । इसलिए इस काम में केन्द्रीय सरकार की तरफ से जरा भी कोताही नहीं है। एक बात और है···माननीय सदस्य ने जो कुटीर ज्योति की बात कही, उसका सारा पैसा, खासकर हरिजन बस्ती और आदिवासी बस्तियों में प्रति कुटि के लिए एक बल्ब के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, भारत में पारेषण के दौरान होने वाली हानि अन्य विकास-शील देशों की तुलना में बहुत अधिक है। मैं, माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में पारेषण के दौरान होने वाली हानि का प्रतिशत क्या है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि सिंगरौली, आंध्र प्रदेश में उपलब्ध कोयले में से आंध्र प्रदेश को केवल 6 प्रतिशत कोयला दिया गया है? हाल ही में प्रधानमन्त्री के साथ हुई बैठक में बताया गया था कि आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, राष्ट्रीय ताप विद्युत आयोग को 50 करोड़ रुपए देना। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है और मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री वसन्त साठे : महोदय, इसके लिए मुझे एक विशेष नोटिस की आवश्यकता है। आप जो भी जानकारी चाहते हैं मैं वह आपको दूंगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मेरे पहले प्रश्न अर्थात् पारेषण से होने वाली हानि का क्या हुआ ?

श्री बसन्त साठे : देश में पारेषण के दौरान होने वाला नुकसान लगभग 21 प्रतिशत है जबकि इसकी तुलना में अन्य देशों में यह लगभग 8 से 10 प्रतिशत है।

श्री ए० चार्ल्स : मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इस सेमिनार की कुछ सिफारिशें अत्यन्त उपयोगी हैं और इन्हें कार्यान्वित करने पर उन राज्यों को बहुत लाभ पहुंचेगा जहां बिजली की भारी कमी है। महोदय, केरल एक ऐसा राज्य है जहां बिजली की भारी कमी है। किन्तु हमें यह जानकर खेद होता है कि केरल राज्य की 60 प्रतिशत पनबिजली उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया गया जहां कई पनबिजली परियोजनाएं मंजूरी के लिए पड़ी हैं विशेषकर सायलेन्ट वैली तथा अन्य परियोजनाएं जिन्हें पारिस्थितिकी संतुलन सम्बन्धी कारणों से मंजूर नहीं किया गया। हाल ही में एक समाचार था कि सायलेन्ट वैली की कुछ विशेष किस्में जंगल में लगी आग के कारण नष्ट हो गई। इसलिए परिस्थितिकी सन्तुलन तथा अन्य जरूरतें वहां पर नहीं हैं। यदि सायलेन्ट वैली परियोजना मंजूर कर दी जाती है तो केरल में विद्युत की कमी को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। ताप विद्युत उत्पादन महंगा है और केरल जैसे राज्य में जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है, इससे पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। राज्य की सहायता करने की एक ही संभावना है कि वहां के लिए पनबिजली परियोजना मंजूर की जाए। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि सिफारिशों के आधार पर, केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ?

श्री बसंत साठे : जहां तक केरल का सम्बन्ध है, यह सही है कि पनबिजली उनके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यही उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। किन्तु मेरे विचार से सदन इस बात को भी मानेगा कि हमें पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव का भी ध्यान रखना होगा, विशेषकर सायलेन्ट वैली जैसे वनों पर, अन्यथा पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। इसलिए, केरल की परियोजनाओं को स्वीकार करते समय, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, और देश के किसी भी हिस्से के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए, हमारा प्रयत्न यह होगा कि उचित संतुलन रखा जाए, और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना छोटी नदी परियोजनाओं द्वारा विद्युत उपलब्ध करायी जाए। इसीलिए हमने केरल के लिए दो ताप संयंत्र मंजूर किए हैं और जल्द ही आरम्भ हो जाएंगे। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा के सभी उपलब्ध साधनों द्वारा पर्याप्त विद्युत सप्लाई की जाए।

नई कारों के निर्माण सम्बन्धी परियोजनाएं

\+

*373. **श्री शांतिलाल पटेल :**
श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई कारों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदन-पत्र भेजे गए हैं;

(ख) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान नई कारों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि कोई भी परियोजना मंजूर नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष 1985 से, सरकार को नई कारों का विनिर्माण करने के वास्ते औद्योगिक लाइसेंस/विदेशी सहयोग के 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) इन प्रस्तावों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) मारुति उद्योग लि० को 1000 सी० सी० इंजन वाली 3-बॉक्स कार का विनिर्माण करने के वास्ते एक परियोजना शुरू करने की अनुमति दी गयी है । इस परियोजना में 97.90 करोड़ रु० के निवेश तथा प्रति वर्ष 30,000 कारों के उत्पादन की परिकल्पना की गयी है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री कांति लाल पटेल : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उनको 21 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनके बारे में कब तक तय हो जाएगा ? और उन्होंने यह भी बताया है कि 30,000 कारों के बनाने की परियोजना की मंजूरी दी गई है तो यह उत्पादन कब तक शुरू होगा ?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, मारुति उद्योग लिमिटेड, अक्तूबर, 1990 के अन्त तक नई कारों का उत्पादन आरम्भ कर देगा । हम इन कारों की बुकिंग अक्तूबर, 1989 से आरम्भ करेंगे । सरकार को दिए गए आवेदन के सम्बन्ध में पहले हमें नीति के बारे में निर्णय करना है तभी हम अन्य बातों पर विचार करेंगे ।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि आज तक तीन कम्पनियों द्वारा कुल कितनी कारों का उत्पादन किया गया है ? क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान मांग इन तीन कम्पनियों द्वारा पूरी की जा रही है और क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि आज कारें ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं ? मारुति उद्योग को कार बनाने का लाइसेंस देने का उद्देश्य यह था कि वह सस्ती दरों पर कारों का निर्माण करे ताकि आम आदमी बाजार में इसे खरीद सके । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उद्देश्य पूरा हो गया है । यदि नहीं, तो सरकार मोटर कार नीति को सरल क्यों नहीं बनाती ताकि जिन विदेशियों ने आवेदन दिए हैं उन्हें लाइसेंस दिए जाएं ताकि वे सस्ती दरों पर कारों का निर्माण करने का आश्वासन दे सकें ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : महोदय, 1988-89 में लगभग 1,62,000 कारों का निर्माण होगा । इनमें से मारुति उद्योग द्वारा एक लाख कारों का निर्माण किए जाने की आशा है । शेष 62,000 हिन्दुस्तान मोटर्स और प्रीमीयर द्वारा बनाए जाने की आशा है । अगले वर्ष का लक्ष्य 1,80,000 का है ।

माननीय सदस्य ने मारुति उद्योग की कारों के मूल्य में वृद्धि का जिक्र किया। यह बजट में वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

श्रीमती बसवराजेश्वरी : महोदय, लाइसेंसों का क्या हुआ ? सरकार की क्या नीति है ? ऑटोमोबाईल नीति का क्या हुआ ? मैंने मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर देने को कहा है। विचाराधीन आवेदन-पत्रों का क्या हुआ ?

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, आज की स्थिति के अनुसार हम किसी नए सहयोग समझौते की अनुमति नहीं दे रहे हैं, हम विदेशी मुद्रा की अनुमति नहीं दे रहे हैं और इस समय देश में नई कारों के निर्माण की अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : यह एक प्रश्न है—एक उपसाध्य है आपने सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया, जिस पर मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

महोदय, छठे दशक के आरम्भ में छोटी कारों की मांग थी। उस समय एक छोटी कार बनाने की नीति थी और मारुति उद्योग की मेहरबानी से, संजय गांधी की मेहरबानी से आज कई लोगों के पास कारें हैं। किन्तु दुर्भाग्य से आज हो रहा है कि मारुति उद्योग, जोकि भारत सरकार का एक, उपक्रम है, को और अधिक कारें बनाने से रोका जा रहा है। इसलिए, गैर-सरकारी कम्पनियों को उनकी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति देने की अपेक्षा मारुति कम्पनी को 1000 सी० सी० किस्म की कारों के निर्माण की अनुमति दी जाए। क्या सरकार इस बारे में सोच रही है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : क्या आप सरकारी उद्यमों के विरुद्ध हैं (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक ऐसे व्यक्ति को बदनाम कर रहे हैं, जिससे आपकी कोई शत्रुता नहीं है ? यह बहुत बुरी बात है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई बहस नहीं होगी। मुझे समझ नहीं आता कि माननीय सदस्य व्यर्थ में सदन का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)*

श्री प्रताप भानु शर्मा : महोदय, इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि मारुति उद्योग अब इस देश का एक प्रतिष्ठित सरकारी उपक्रम है और आज हर कोई इस कार का सफलतापूर्वक उपयोग कर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहा है। वे इसे निर्यात भी कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। श्री जयपाल रेड्डी सहित सभी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, भारत जैसे विकासशील देश में आटोमोबाईल उद्योग की अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह यात्री कार की निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए नए लाइसेंस देने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं। क्या यह विलम्ब देश की आटोमोबाईल नीति के बारे में निर्णय करने में विलम्ब के कारण है या इसके कोई और कारण हैं ?

श्री जे० वेंगल राव : जैसाकि पहले बताया है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हम किसी नए सहयोग करार को अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमरे मारुति उद्योग को 1000 सी० सी० कार बनाने की अनुमति दे दी है।

बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि

***374 श्री वाई० एस० महाजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ बल्क औषधों के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि आम जनता को आवश्यक औषधियां उचित मूल्य पर सुलभ हों ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों के मूल्य डी० पी० सी० ओ०, 1987 के उपबंधों के अन्तर्गत समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

(ख) अब तक औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के उपबंधों के अन्तर्गत जिन प्रपुंज औषधों एवं उनके व्युत्पादों के मूल्य संशोधित किए गए हैं उनके ब्यौरे अनुबन्ध में दिए जाते हैं। प्रपुंज औषधों के मूल्यों में संशोधन कच्चे माल की लागत, उपयोगिताओं एवं उत्पादन लागत आदि में परिवर्तन के कारण किए गए थे।

(ग) डी० पी० सी० ओ०, 1987 में यह परिकल्पना की गई है कि अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधें आम जनता को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध हों।

अनुबन्ध

औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1987 के अन्तर्गत नियत प्रपुंज औषधों के मूल्यों के ब्यौरे

क्रम सं०	औषध का नाम	इकाई	डी० पी० सी० ओ०, 87 के अन्तर्गत अधिसूचित अधिकतम बिक्री मूल्य	मूल्य में संशोधन की तारीख	संशोधन के पूर्व मूल्य
1	2	3	4	5	6
			रु० पै०		रु० पै०
1.	इफीड्रीन एच० सी० एल०	कि०ग्राम	1016.00	3-8-1987	847.00
2.	एसिटाजोलामाइड	"	746.00	16-9-1987	672.00
3.	सोडियम पी० ए० एस०	"	129.00	27-10-1987	116.00
4.	मे० आई० डी० पी० एल०	"	130.00	16-2-1988	129.00
	मे० बायोकेम सिन्थेटिक्स प्रो०	"	145.00	16-2-1988	129.00
	फारमूलेशन	"	138.00	16-2-1988	129.00
5.	बेन्जाथीन पेनिसिलिन जी	"	1639.80	16-10-1987	1271.00
6.	सल्फाडियाजीन	"	461.00	16-10-1987	219.72
7.	क्वीनीन सल्फेट				
	गवर्नमेंट क्वीनीन फैक्ट्री पं० बंगाल	"	2182.00	7-12-1987	—
	गवर्नमेंट क्वीनीन फैक्ट्री तमिलनाडु	"	1232.00	7-12-1987	—
8.	क्वीनीडीन सल्फेट				
	गवर्नमेंट क्वीनीन फैक्ट्री पं० बंगाल	"	4067.00	7-12-1987	1632.53
	गवर्नमेंट क्वीनीन फैक्ट्री तमिलनाडु	"	2892.00	7-12-1987	1632.53
9.	स्यूडो इफीड्रीन एच० सी० एल०	"	1621.00	7-12-1988	1400.00

1	2	3	4	5	6
10.	स्यूडो इफीड्रीन सल्फेट	कि॰ग्राम	1529.00	7-12-1987	1321.00
11.	सल्फाडीमीडीन	,,	258.40	1-12-1987	49.00
12.	थियोफाइलीन	,,	271.00	21-12-1988	258.40
		,,	224.36	11-2-1988	—
13.	प्रेडनीसीलोन	,,	22420.76	11-2-1988	17475.00
14.	प्रेडनीसोलोन एसिटेट	,,	26451.33	11-2-1988	17762.00
15.	हाइड्रोकोर्टिसोन	,,	19143.58	11-2-1988	15513.00
16.	हाइड्रोकोर्टिसोन एसिटेट	,,	17572:76	11-2-1988	14043.00
17.	केल॰ बी॰ पी॰ ए॰ एस॰	,,	129.00	16-2-1988	100.40
18.	क्लोरमफेनिकोल पाऊडर	,,			
	(मैड एक्स बैन्जैल्डीहाईड)	,,	1035.00	7-3-1988	849.00
19.	थियोसिटाजोन		216.00	5-4-1988	148.90
20.	डिमिथाइलक्लोरोटेट्रासाइ-क्लीन	,,	1951.00	6-4-1988	1361.26
21.	मैट्रोनिडाजोल	,,	453.30	11-4-1988	450.00
		,,	484.00	9-9-1988	453.30
22.	एर्सथरिन	,,	80.70	2-6-1988	62.00
23.	इथम्बुटोल एम॰ लुपिन	,,	699.00	17-8-1988	681.00
	मे॰ केडिला लेब्स	,,	984.00	17-8-1988	681.00
	मे॰ थेमिस लि॰	,,	861.00	17-8-1988	681.00
	मे॰ अतरी लि॰ फार्मू॰ के लिए	,,	752.00	17-8-1988	681.00
24.	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट	,,	2054.00	6-9-1988	1859.00
25.	एम्पीसिलिन एनहाइड्रस	,,	2790.00	6-9-1988	2368.00
26.	एमोक्सीसिलिन ट्राइहाइड्रेट	,,	2965.00	6-9-1988	2495.00
27.	डिहाइड्रालाजीन सल्फेट	,,	472.00	20-9-1988	433.22
28.	वराजगन कीटीन	,,	1926.00	25-10-1988	1810.20
29.	फिनिरेमाइन मेलिएट	,,	684.00	7-10-1988	582.74
30.	डिक्लोरो मेटाक्सीलीनोल (डी॰ सी॰ एम॰ एक्स)	,,	211.00	31-10-1988	—

1	2	3	4	5	6
31.	आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सी क्वीनोलाइन मे० अतुल प्रोडक्ट्स	कि०ग्राम	269.00	7-10-1988	201.50
	मे० ईस्ट इण्डिया फार्मा०	"	296.00	7-10-1988	201.50
	मे० एलबर्ट डेविड लि०	"	307.00	7-10-1988	201.50
	फार्मू० के लिए	"	281.00	7-10-1988	201.50
32.	रिफाम्पीसिन	"	2500.00	28-9-1988	3000.00
33.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट मे० लिनबायोटिक्स लि०	"	1049.00	31-10-1988	804.79
	अन्य	"	1147.00	31-10-1988	1147.00
	फार्मू० के लिए	"	1049.00	31-10-1988	2027.23
34.	सालबूटामोल सल्फेट	"	16.02	17-10-1988	24.57
35.	थेट्रीमाइड	"	137.23	31-10-1988	156.63
36.	इब्यूप्रोफिन	"	400.00	15-11-1988	845.60
37.	फ्रूसेमाइड	"	1911.00	22-11-1988	1426.13
38.	डेक्सामेथाजोन ट्राइमिथाइल एसिटेट	"	90557.00	14-12-1988	67370.00
39.	डेपसोन	"	252.00	14-12-1988	250.00
40.	क्लोरक्सीडीन डाइग्लूकोनेट	"	681.00	14-12-1988	611.04
41.	मिथाइल सेलीसाइलेट	"	58.00	14-12-1988	—
42.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	"	679.00	14-12-1988	544.00
43.			752.00	10-3-1988	679.00
44.	जाइलोकेन (लिडोकेन)	"	281.00	14-12-1988	176.65
45.	डेक्सामेथाजोन शुद्ध	ग्राम	66.51	14-12-1988	51.30
46.	डेक्सोमेथाजोन 21 फास्फेट	"	80.88	14-12-1988	50.10
47.	एनलजिन	कि०ग्राम	313.00	20-12-1988	214.00
48.	एरिथ्रोमाइसिन टिओक	क्षमता कि०ग्राम और बेस कि० ग्राम	2983.00	28-12-1988	—

1	2	3	4	5	6
49.	एरिथ्रोमाइसीन इस्टोलेट	कि०ग्राम	2489.00	28-12-1988	1992.50
50.	एरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट	"	2076.00	28-12-1988	1648.00
51.	एरिथ्रोमाइसीन इथाइल सक्सी०	"	3532.00	28-12-1988	—
52.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल०	"	822.00	28-12-1988	847.30
53.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन एमफोटिक	"	914.00	20-12-1988	920.44
54.	डिहाइड्रोमिटीन डिहाइड्रो-क्लोराइड	"	19309.00	21-1-1989	11867.64
55.	बेटामेथासोन एलकोहल	ग्राम	144.19	2-1-1989	113.24
56.	बेटामेथासोन वेलीरेट	"	136.58	2-1-1989	105.85
57.	बेटामेथासोल डिसोडियम फास०	"	144.58	2-1-1989	126.23
58.	जेन्थीनोल जीकोटिनिक	कि०ग्राम	336.00	2-1-1989	293.00
59.	सल्फासिटामाइड	"	335.00	2-1-1989	314.00
60.	सल्फासिटामाइड सोडियम	"	240.00	21-1-1989	231.00
61.	एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड (ड्राइड जेल)	"	22.00	20-1-1989	—
62.	आइसोनियाजिड	"	252.00	3-2-1989	209.00
63.	प्रोबेनीसिट	"	451.00	7-3-1989	154.29
64.	सल्फाफिनाजोल	"	294.00	7-3-1989	—
65.	इफीड्रीन रेसीमेट	"	579.00	9-3-1989	297.00
66.	हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलीन	"	354.00	9-3-1989	—
67.	क्लोरोक्वीन सल्फेट	"	967.00	10-3-1989	—
68.	पेरासिटामोल	"	115.42	17-3-1989	104.00
69.	एमोडियाक्वीन एच० सी० एल०	"	564.00	17-3-1989	525.00
70.	हाइड्राक्लोरथियाजाइड	"	489.00	17-3-1989	465.07
71.	सिफेलेक्सीन मोनोहाइड्रेट	"	5000.00	17-3-1988	—

श्री वाई० एस० महाजन : औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत 20% प्रपुंज औषधों और 30% विधि निरूपण के मूल्यों को संशोधित किया गया है। बहुत से खर्चों जैसे परिगणन मूल्य, पैकिंग खर्च और सामग्री की प्रक्रिया में हानि की संगणना के लिए सरकार ने संशोधित रूप में अधिसूचना जारी की है। यह परिवर्तन उन लोगों को जो एक अच्छी निर्माण-प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं निश्चित रूप से प्रोत्साहन देगा। लेकिन जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं की जायेगी औषधें उचित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।

मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि औषध उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री जे० वेंगल राव : जब हम औषधों के उत्पादन और उनकी कीमतों में वृद्धि पर विचार करते हैं तो हमें अवश्य ही उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि हमने वास्तविक मूल्य पर कर के बाद 14% प्रतिलाभ की वृद्धि अथवा लगायी गयी पूंजी पर 22% प्रतिलाभ की स्वीकृत दी है।

वर्तमान स्थिति यह है कि 57 प्रपुंज औषधों के सम्बन्ध में, मूल्य औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 अथवा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 के अन्तर्गत निश्चित नहीं किए गए हैं। औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत निश्चित की गयी 31 औषधों का मूल्य अब तक वही है और औषध मूल्य नियत्रण आदेश, 1987 के अन्तर्गत उनमें सुधार नहीं किया गया है। मैंने 71 औषधों की एक विस्तृत सूची दे दी जिनमें कुछ औषधों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और कुछ में गिरावट आयी है।

फिर हमने उन 5 महत्वपूर्ण औषधों के मूल्यों को कम किया है जो गरीब लोगों के लिए उपयोगी हैं। कुष्ठ और क्षय रोग की चिकित्सा के लिए ये औषधें बहुत ही आवश्यक हैं। यही कारण है कि हमने इनकी कीमतों में कमी की है।

श्री वाई० एस० महाजन : माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं। फिर भी मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं।

अनेक वर्षों बाद आज भी चिकित्सक और उपभोक्ता विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बनाये गये औषधों की मांग करती है। ऐसा समझा जाता है कि वे बेहतर किस्म की होती है और इसलिए अधिक कीमतों के बावजूद भी लोग उन औषधों की मांग करते हैं। हमारी कम्पनियों द्वारा उन्नत प्रकार के औषध तैयार किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं? इनके गुण-विशेष की जांच के लिए क्या व्यवस्थायें की गई हैं?

श्री जे० वेंगल राव—अन्य कम्पनियों की तुलना में हमारी औषधें अधिक बेहतर किस्म की हैं। हम अमरीकी और अन्य देशों में अपनी औषधों का निर्यात कर रहे हैं। हम औषधों का आयात नहीं कर रहे हैं। इस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं।

डॉ० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : जहां तक मैं समझता हूं, अधिकांश औषधें बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित की जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अनावश्यक महत्व दिया जा रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि कितनी भारतीय कम्पनियां प्रपुंज औषधों का निर्माण कर रहीं हैं

और कितनी मात्रा में उन्हें तैयार कर रही हैं। 216 करोड़ रुपए की भारी लागत से देश में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड की स्थापना की गयी थी।

इसका उद्देश्य यह था कि प्रपुंज औषधों का निर्माण किया जाये जिससे कि इस क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ले लेकिन इसके विपरीत वे सिर्फ सस्ते दामों पर औषधों का आयात कर रहे हैं और भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर उन्हें बेच रहे हैं। यदि हमारी कम्पनियों की यही प्रवृत्ति रही तो क्या मैं जान सकता हूं कि थोक में प्रपुंज औषधों के निर्माण के लिए भारतीय चिकित्सा उद्योग का उत्साह बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री महोदय क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री जे० वेंगल राव : हमारे सार्वजनिक उपक्रम अब बेहतर स्थिति में हैं। गत दो वर्षों से उन्होंने अपनी क्षमता का 75 प्रतिशत उपयोग किया है। हम अन्य सार्वजनिक निकायों को भी निर्यात कर रहे हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा उत्पादन

*375. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शताब्दी के अन्त तक देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा उत्पादन के बीच कितना अन्तर होने का अनुमान है;

(ख) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की मांग इनके उत्पादन से अधिक है तथा उत्पादन में वृद्धि इसकी खपत में होने वाली वृद्धि के अनुरूप नहीं है; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1999-2000 तक देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उत्पादन के बीच 36.5 मिलियन टन का अन्तर होने की सम्भावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर दिया गया है।

विवरण

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर अंकुश लगाने के लिए मौद्रिक उपायों के अतिरिक्त निर्दिष्ट/उठाए गए अन्य उपायों में ये शामिल थे :

(1) इंधन सक्षम वाहनों के निर्माण की प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाना और इंधन सक्षम मानदण्डों में संशोधन।

(2) बस चेसियों और बस के ढांचे के डिजाईन का मानकीकरण।

(3) तेल से चलने वाले अकुशल बायलरों को बदल कर उनके स्थान पर कुशल बायलर लगाना।

(4) औद्योगिक एककों और राज्य परिवहन संगठनों में और कुशल प्रक्रियायें अपनाने के लिए ईंधन तेल उपयोग अध्ययन।

(5) बड़े उपभोग वाले उद्योगों में एकीकृत ऊर्जा आडेट का क्रियान्वयन।

(6) ईंधन/ऊर्जा कुशल लुब्रिकेंटों का विकास।

(7) ईंधन कुशल उपकरणों और यन्त्रों अर्थात् मिट्टी के तेल/एल० पी० जी० स्टोवों आदि का विकास।

(8) डीजल से चलने वाले पम्प सेटों में संशोधन।

(9) पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रोत्साहन।

श्री सनत कुमार मण्डल : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत बाजार में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का विकल्प क्या हैं। कहां तक उनका उपयोग किया जाता है और क्या पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पर उनका कोई प्रभावकारी असर हो सकता है और यदि नहीं तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया है?

श्री ब्रह्म दत्त : मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि वह बताएं कि वह किस विशेष क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री सनत कुमार मंडल : विकल्पों की।

श्री ब्रह्म दत्त : द्रव्य पेट्रोलियम उत्पादों के विकल्प का सबसे अच्छा तरीका इसे प्राकृतिक गैसों के घटकों से बदल देना है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मट्टी तेल की जगह प्राकृतिक गैसप्रयोग की जा सकती है और उर्वरक प्लाटों में फीड स्टोक की जगह प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा सकता है तथा पेट्रोकेमिकल प्लाटों में फीडिंग स्टोक की जगह प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा सकता है। यह एक बड़ा कार्य है और इससे हमें मदद मिलेगी क्योंकि हमारे देश में नयी खोजें समान रूप से संतुलित हैं। हम अधिक से अधिक प्राकृतिक गैस का पता लगा रहे हैं। अधिक से अधिक प्राकृतिकगैसों का उपयोग हमारे लिए उचित रहेगा।

श्री सनत कुमार मंडल : मैं जानना चाहूंगा कि क्या तेल की खोज बड़े पैमाने पर की गयी है। इस संदर्भ में मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सुन्दरवन क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में तेल मिलने की कितनी सम्भावना है और क्या सरकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने और सार्वजनिक वाहनों के ईंधन की खपत को रोकने के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया है।

श्री ब्रह्म दत्त : हमें बताया गया है कि बंगाल में तेल की बहुतायत है और हमने सुन्दरवन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल की खोज करने के लिए अपने सोवियत मित्रों को कहा है। लेकिन इस समय अपतट में भी कोई संकेत नहीं है और हम लोगों ने एक रिग को नियोजित किया है। हम प्रकाश कर रहे हैं। हम वहां तेल पाने की आशा करते हैं लेकिन इस समय तक तेल या गैस का कोई आसार नहीं

है। लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है। मैंने सोवियत और अपने विशेषज्ञों से भी बात की है। तेल खोजने के अपने प्रयासों में हम तेजी ला रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या सबंग के मिदनापुर जिले में एक विशेष क्षेत्र चुन लिया गया है और कुछ बुनियादी ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। ऐसी अफवाह है कि वहां तेल पाया गया है। क्या आप मुझे वस्तुस्थिति से अवगत करा सकते हैं ? मैं यह जानकारी इसलिए हासिल करना चाहती हूं क्योंकि यह क्षेत्र मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ता है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री ब्रह्म दत्त : इस समय मैं माननीय सदस्य को एक विशेष क्षेत्र की जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन जैसाकि मैंने कहा कि हमें जानकारी दी गयी थी कि बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में तेल हो सकता है और इसलिए हम नये क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं और ड्रिलिंग आपरेशन तथा भूकम्प सर्वेक्षण में भी तेजी ला रहे हैं। यह तेल की अधिक उपलब्धता वाला क्षेत्र है। लेकिन अभी तक व्यावसायिक दृष्टिकोण से हमें तेल या गैस की उपस्थिति का आभास नहीं मिला है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या माननीय मंत्री मुझे सही जानकारी देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब उन्हें जानकारी प्राप्त होगी वह आपको बता देंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनऑगरेशन के लिए आपको ले जायेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : वह जानना चाहती हैं कि क्या यह सरसों का तेल है। **(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और खपत प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक हमारे देश में तेलशोधन क्षमता का सम्बन्ध है, यह क्षमता बहुत ही सीमित है क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना से ही कोई भी नया तेलशोधक कारखाना नहीं बना है। एकमात्र मथुरा तेलशोधक कारखाना जो निर्माणकाल में था पूरा हो गया और तत्पश्चात् मेरे समय में जब मैं वहां था, हम लोगों ने करनाल में एक छः मिलियन टन क्षमता वाले तेलशोधक कारखाने तथा मंगलौर में तट पर 6 मिलियन टन की क्षमता वाले तेलशोधक कारखाने को लगाने के बारे में सोचा। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि 1980 से अब 1989 तक सिर्फ कार्य विधिक देर हो रही है और ठोस रूप में कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग नित्य एक प्रकार का उत्तर सुन रहे हैं कि परियोजना सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये दो तेलशोधक कारखाने कब स्थापित किए जा रहे हैं ? किस समय इन तेलशोधक कारखानों को शुरू किया जाएगा ? अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि सारा मंत्रालय ही इन दोनों परियोजनाओं

को भूल गया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन तेलशोधक कारखानों की शोधन क्षमता करने के लिए मंत्रालय द्वारा यथा ठोस कदम उठाये गये हैं।

श्री ब्रह्म दत्त : सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दूंगा। तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री द्वारा अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। हम लोग तीन तेलशोधक कारखाने स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं—एक माननीय मंत्री के राज्य में अर्थात् कर्नाटक में। मुझे यह सूचना देते हुए खुशी होती है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कल प्राप्त हो गई है। एक दो माह के अन्दर हम अन्तिम निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच हम बुनियादी ढांचा भी तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण कर ली है। हम इसका ग्रेडिंग कर रहे हैं। हम विस्थापित किये जाने वाले लोगों के पुर्नवास की व्यवस्था कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा बिजली और पानी की व्यवस्था की जा रही है। हमने करनाल तेलशोधक कारखाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। सिद्धान्त के तौर पर हमने सोवियत संघ से एक तेलशोधक कारखाना स्थापित करने का समझौता किया और हम सोवियत संघ से अधिकतम सहायता और ऋण लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस सप्ताह के अन्दर ही बहुत शीघ्र हमारा दल कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए वहां जायेगा। हमें खुशी है कि कुछ महीनों के अन्दर ही यह काम शुरू हो जाएगा।

असम तेलशोधक कारखाने के सम्बन्ध में जो कि तीसरा तेलशोधक कारखाना है हमने एक निर्णय लिया है। असम समझौते के अन्तर्गत ऐसा किया गया था। गैर-सरकारी उपक्रम में ऐसा किया जाएगा। लेकिन बाद में हमने इसमें संशोधन किया है क्योंकि कोई भी आगे नहीं आ रहा था। एक हल अब ढूंढ लिया गया है। इस प्रकार कर्नाटक में तीन मिलियन टन का, असम से दो मिलियन टन का और करनाल में छः मिलियन टन का तेलशोधक कारखाना—कुल 11 मिलियन टन के तेलशोधक कारखाने लगाए जाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश में पनबिजली संयंत्र की स्थापना

*377. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में कोई नया पन बिजली संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) वर्तमान में, आन्ध्र प्रदेश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम,

उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता और उन्हें चालू किए जाने की संभावित तारीखें नीचे दिए अनुसार हैं :—

क्र०सं०	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०)	चालू होने की संभावित तारीख
1. बलिमेला में आंध्र प्रदेश विद्युत घर	2×30	1991-92
2. अपर सिलेरू चरण-दो	2×60	1991-92
3. श्रीसैलम बांया तट विद्युत घर	9×110	1994-95 (330 मेगा०) 8वीं योजना के बाद (660 मेगा-वाट)
4. पेल्ला अहोबिलम	2×10	1990-91
5. नागार्जुनसागर दांया तट नहर	2×30	1990-91
6. नागार्जुनसागर दांया तट नहर विस्तार	1×30	1989-90

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित दो परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है और इनके सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है :—

1. जालापुट बांध विद्युत घर* (3×6 मेगावाट)
2. गन्तूर ब्रांच नहर (2×2 मेगावाट)

श्री पी० पेंचालैया : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश को हाल के वर्षों में बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अपर्याप्त धन के आवंटन के कारण श्री सैलम जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूरा होने में काफी देरी हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष कदम उठा रहे हैं जिससे कि ये परियोजनाएं शीघ्र पूरी हो जाए और राज्य में बिजली की कमी को समाप्त किया जा सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : महोदय, श्री सैलम जैसी परियोजनाएं राज्य की परियोजनाएं हैं। और यदि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो वास्तव में हम उनकी सहायता नहीं कर सकते। ऐसी लगभग छः परियोजनाएं हैं जोकि चालू होने वाली हैं ये परियोजनाएं हैं, बलिमेला में आन्ध्र प्रदेश

*इस परियोजना पर आने वाली लागत और इससे प्राप्त होने वाले लाभ में आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा भागीदार है।

विद्युत घर जिनकी स्थापित क्षमता 2 × 30 मेगावाट है, अपर सिलेरू, चरण-द्रो, श्री सैलम, पेन्ना अहोविलम, नागार्जुनसागर और नागार्जुनसागर विस्तार। ये सभी परियोजनाएं जोकि राज्य की परियोजनाएं हैं, जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्हें ही धन का प्रबन्ध करके इन परियोजनाओं को पूरा करना है। वे इन परियोजनाओं को लटका रहे हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं हैं। वे देरी कर रहे हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं?

श्री पी० पेंचालैया : महोदय, आंध्र प्रदेश में नेलौर जिला विकसित हो रहा महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। लेकिन बिजली की कमी के कारण, बहुत से लघु और मध्यम उद्योग बन्द किए जा रहे हैं और उन्हें राज्य के अन्य भागों में ले जाया जा रहा है। अतः इस बात को देखते हुए, क्या सरकार यह देखने का प्रयास करेगी कि पेन्ना अहोबिलम परियोजना को जितना शीघ्र संभव हो सके पूरा किया जाए जिसमें नैल्लौर जिले को बिजली की भारी कमी से बचाया जा सके।

श्री वसंत साठे : उन जिले के लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है। मेरी शुभ कामनाएं उनके साथ हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैं माननीय मंत्री पोटावरम बहुद्देशीय परियोजना और पुलीचिन्ताला परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। सिंचाई घटकों के अलावा, पनबिल्ली घटक भी हैं। ये बहुत ही परियोजनाएं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आंध्र प्रदेश में पन-बिजली के उत्पादन के फायदे के लिए इन दोनों परियोजनाओं अर्थात् पोटावरम परियोजना और पुलीचिंताला परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने जा रही है?

श्री वसंत साठे : पोटावरम और पुलीचिंताला परियोजनाओं के लिए हमारे विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब हमें वह प्राप्त होगा तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : वे केन्द्रीय जल आयोग के पास लम्बित हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पहले एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, ऊर्जा मंत्री ने बताया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में, पन-बिजली पर अधिक बल दिया जाएगा। और मंत्री उस बात से भी सहमत थे कि राज्यों को इन परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में कठिनाई हो रही है और आंध्र प्रदेश ही अकेला ऐसा राज्य नहीं है। अतः क्या मंत्री कुछ पन-बिजली परियोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लेने और उनके लिए धन देने पर विचार करेंगे?

श्री वसंत साठे : निश्चित रूप से। हमारी यह इच्छा है। हमें मालूम है कि इन परियोजनाओं पर अब काफी लागत आती है। अतः कोई भी राज्य इस प्रकार की बड़ी परियोजनाओं के लिए सोच भी नहीं सकता और उनके लिए सम्भव भी नहीं है और हम उन्हें केन्द्रीय परियोजनाओं के रूप में अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यहां तक कि हम उनके लिए द्वि-पक्षीय स्रोतों से धनराशि क्यों न जुटानी पड़े, हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि अधिक से अधिक पन-बिजली परियोजनाएं पूरी हो सकें।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह उत्तर निश्चित रूप से समय-बद्ध है?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रामकृष्ण मोरे—अनुपस्थित। श्री बनवारी लाल पुरोहित।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : प्रश्न संख्या 378।

महाराष्ट्र में अनिवासी भारतीयों द्वारा ताप विद्युत परियोजनाओं का स्थापित किया जाना

+

*378. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार का अनिवासी भारतीयों को तीन ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य सौंपने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के उक्त प्रस्ताव को इस बीच मंजूरी दे दी है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) महाराष्ट्र सरकार से उनकी किसी ताप विद्युत परियोजना के कार्य को अप्रवासी भारतीयों को सौंपे जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र की परिस्थिति माननीय साठे साहब से छिपी हुई नहीं है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में बिजली का संकट बहुत बढ़ जाएगा अगर महाराष्ट्र के लिए उस योजना में कुछ नहीं किया गया तो। बिजली की वहां बहुत कमी हो जाएगी। क्योंकि न तो वहां गैस मिलने वाली है। गैस के कई प्रपोजल भी पेंडिंग पड़े हुए हैं क्योंकि गैस का कोई कमिटमेंट नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के सारे प्रपोजल फाइनेंस की अड़चन की वजह से केन्द्र में आकर के अटके हुए हैं। अभी महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री अमेरिका गये थे। वहां पर काफी एन० आर० आई० वगैरह: से मिले और तीन-चार प्रपोजल्स उनके पास में आये भी, तो इस विषय में सरकार की क्या भूमिका है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : अभी तक हमारे यहां प्राईवेट सेक्टर में एन० आर० आई० की मारफत या अपने देश के पावर सेक्टर को कहां तक इजाजत दी जाए और किन शर्तों पर दी जाए, कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। जैसे ही हम निर्णय ले लेते हैं उनके मुताबिक एन० आर० आई० के जो प्रपोजल्स आयेंगे उन पर भी विचार किया जाएगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : जहां तक फाइनेंस का सवाल आता है तो एटथ फाइव ईयर प्लान में क्या केन्द्रीय सरकार जितने भी महाराष्ट्र के प्रपोजल्स हैं जिनको कि क्लीयरेंस नहीं मिल पायी है फाइनेंस की वजह से, उनको स्वीकृति दिलाने में मदद करेगी? क्योंकि एटथ फाइव ईयर प्लान में वहां बिजली की काफी कमी होने वाली है जिसकी कि जानकारी आपको है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष जी, उपाय तो एक ही है। जितने हमारे पास रिसोर्सिज होंगे, देश में वे पूरे हम लगायेंगे। उसके बाद भी गेप रहने वाला है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता दिन-ब-दिन बढ़ने वाली है और गैप भी बढ़ने वाला है। इसके लिए जहां जहां से हम रिसोर्सिज प्राप्त कर सकें, वे सब रिसोर्सिज प्राप्त करने की चेष्टा और प्रयास हमको करना होगा।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : क्या यह सच है कि अनिवासी भारतीय गैर-सरकारी क्षेत्र में धन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें वितरण में नुकसान होने का भय है ? आज यह उत्तर दिया गया था कि बिजली की चोरी से नुकसान लगभग 21 प्रतिशत है मेरा विश्वास है कि कुछ राज्यों में यह 31 प्रतिशत तक है— यह 39 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक का है और न्यूनतम 21 प्रतिशत है। अत: क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अनिवासी भारतीयों को न केवल बिजली के उत्पादन में बल्कि बिजली के वितरण में भी धन लगाने में सम्मिलित कर सकते हैं क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि जब गैर-सरकारी क्षेत्र इसमें आगे आएगा तो राज्य बिजली बोर्डों में जो नुकसान हो रहे हैं वे शायद कम होंगे ?

श्री बसंत साठे : इसके दो विभिन्न पहलू हैं और ये दो मामले हैं। जहां तक अनिवासी भारतीयों का सम्बन्ध है, उन्हें केवल बिजली के उत्पादन में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उत्पादन एक साझे ग्रिड के माध्यम से किया जाएगा। हम इस विचार की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें किसी गैर-सरकारी क्षेत्र को अलग से बिजली वितरित करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि इसके लिए अलग से पारेषण प्रणाली शुरू करनी होगी। यह संभव नहीं होगा, लेकिन मैं माननीय सदस्य से इस बात के लिए सहमत हूं कि हमें पारेषण और वितरण में होने वाले नुकसान को कम करना होगा जिसमें अधिकतर नुकसान बिजली की चोरी के कारण होता है।

गोदावरी और कावेरी बेसिनों में तेल और गैस का उत्पादन

*383. **श्री पी० कुलनदईवेलू :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गोदावरी और कावेरी बेसिनों में तेल और गैस की खोज की हैं और उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों बेसिनों में तेल और गैस का प्रतिदिन कितना उत्पादन किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय तेल उत्पादन और गैस बिक्री की औसत दैनिक दर इस प्रकार है :—

बेसिन	औसत तेल उत्पादन (टन/प्रतिदिन)	गैस की औसत बिक्री (घनमीटर/प्रतिदिन)
कृष्णा-गोदावरी	6	45,000
कावेरी	137	12,700

श्री पी० कुलनदईवेलू : वास्तव में, कावेरी और गोदावरी बेसिनों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोज के बाद, वे और अधिक तेल और गैस का पता लगा सके हैं। यह बात समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुई है कि यदि हम सम्पूर्ण कावेरी बेसिन की ओर खोज करें तो हमें और अधिक गैस और तेल उतना प्राप्त हो सकते हैं जिनकी देश को बड़ी आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भारत सरकार के साथ परामर्श करके खोज कर रहा है अथवा वे स्वतन्त्र रूप से यह कार्य कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त : वे हमेशा हमें विश्वास में लेते हैं। कावेरी बेसिन में हम सोवियत संघ की भी सहायता ले रहे हैं। हम तट-दूर तथा तट पर, दोनों जगह खोज के कार्य को तेज कर रहे हैं। माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में हमने तेल की खोज के लिए बंटवारे के आधार पर कुछ विदेशी तेल कम्पनियों के साथ समझौता किया है और हमने स्वयं वियतनाम में ऐसा किया है। ये दोनों क्षेत्र बहुत ही अच्छे लक्षणों वाले क्षेत्र हैं और हमें आशा है कि तीन अथवा चार वर्षों के अन्दर उत्पादन बढ़ जाने की संभावना है और इसके साथ-साथ हम प्राकृतिक गैस का उपयोग करना भी शुरू कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोयले के मूल्य में वृद्धि का प्रभाव

[अनुवाद]

*370. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से 1989 की अवधि के दौरान कोयले के नियंत्रित मूल्य में हुई वृद्धि का राज्य बिजली बोर्डों पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या राज्य बिजली बोर्डों को इस कारण जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ा उसकी प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) 1985-89 के वर्षों के दौरान कोयले की कीमतों में संशोधन किए जाने के कारण राज्य बिजली बोर्डों, जिसमें राष्ट्रीय थर्मल पावर कारपोरेशन के विद्युत गृह शामिल हैं, पर वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमानित राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
1985-86	35
1986-87	145
1987-88	230
1988-89	450 (अनंतिम)

(ख) और (ग) इस समय राज्य बिजली बोर्डों को कोयले की कीमतों में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त व्यय की विनिर्दिष्ट रूप में प्रतिपूर्ति किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बिजली बोर्ड स्वायत्त संगठन हैं और इन बोर्डों से कोयले की बढ़ी लागत को, ईंधन परिचालन सम्बन्धी समायोजन प्रभारों द्वारा तथा उपयुक्त टैरिफ ढांचे के निष्पादन के माध्यम से पूरा किए जाने की आशा की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तथा टेलीफोन सेवाएं

*376. **श्री आर० एम० भोये** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, डाक तथा टेलीफोन सेवाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का डाक तथा टेलीफोन सेवाओं में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) से (ग) जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में दोष रहित एस० टी० डी० लाक व्यवस्था लागू करना

*379. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं के टेलीफोनों पर एस० टी० डी० और आई० एस० डी० सुविधाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए सभी डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में दोषरहित एस० टी० डी० लाक व्यवस्था लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रयोक्ता को कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी पड़ेगी;

(ग) क्या यह प्रणाली अन्य प्रकार के एक्सचेंजों में भी लागू की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) ई-10 बी टाइप के डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में "उपभोक्ता नियंत्रित एस० टी० डी०" नामक प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) इस प्रणाली के अन्तर्गत, उपभोक्ता द्वारा स्वयं ही उस कोड को डायल करके, जिसका चुनाव स्वयं उसने ही किया होता है तथा जिसकी जानकारी भी केवल उसे ही होती है, एस० टी० डी०/आई० एस० डी० काल सुविधा को एक्टिवेट/डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इस प्रणाली को

शुरू करना, इसके प्रयोग की सफलता पर निर्भर करेगा और प्रभारों का निर्धारण, इस प्रणाली को शुरू करने सम्बन्धी निर्णय ले लिए जाने के बाद ही किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी नहीं। फिलहाल, यह प्रणाली तकनीकी दृष्टि से केवल ई-10 बी एक्सचेंजों में ही व्यवहार्य है।

खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा उच्च-प्रौद्योगिकी वाले उद्यम

*380. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विचार उसके द्वारा घोषित उद्योगों की सूची में इलेक्ट्रानिक उद्योगों सहित अन्य उच्च-प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले उद्योगों को भी शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में कितने सहायक होंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) के० वी० आई० सी० ने 1988-89 के दौरान विकासार्थ अपनाए जाने के लिए 34 नये ग्रामोद्योगों का पता लगाया है। इनमें निम्नलिखित उद्योग शामिल हैं—

1. सौर तथा वायु ऊर्जा उपकरण।
2. रेडियो।
3. कैसेट प्लेयर।
4. कैसेट रिकार्डर।
5. वोल्टेज स्टैबिलाइजर।
6. इलेक्ट्रोनिक घड़िया।

(ग) के० वी० आई० सी० के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी वस्तुएं शामिल हो जाने से ग्रामीण जनता के लिए रोजगार के नये क्षेत्र उपलब्ध होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगारों का सृजन होगा।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के समक्ष प्रदर्शन

*381. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1989 के दौरान अनेक कलाकारों और लेखकों के संघों द्वारा बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) करीब 300 लोगों ने 19 फरवरी, 198. को दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर के सामने प्रदर्शन किया।

(ख) उनकी मांगें इन बातों से सम्बन्धित थीं—कन्नड़ कार्यक्रम को बढ़ाना, रविवार को कन्नड़ फीचर फिल्म टेलीकास्ट करना, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर से हिन्दी समाचार बुलेटिन के स्थान पर कन्नड़ समाचार बुलेटिन का प्रतिस्थापन और राज्य में दूरदर्शन में केवल कन्नडिगाज को नियुक्त करना।

(ग) और (घ) रविवार को कन्नड़ फिल्म टेलीकास्ट करने और हिन्दी समाचार बुलेटिन को कन्नड़ समाचार बुलेटिन से प्रतिस्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर से टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों में करीब नब्बे प्रतिशत कार्यक्रम कन्नड़ भाषा में होते हैं और कन्नड़ में 15 मिनट का एक समाचार बुलेटिन प्रतिदिन टेलीकास्ट किया जाता है।

2. दूरदर्शन के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्तियां, भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं जिनमें क्षेत्रीय अनुक्रम में भर्ती किए जाने की व्यवस्था नहीं है।

सलाल पनबिजली केन्द्र (चरण-एक) का राष्ट्रीय पनबिजली निगम को अन्तरण

*382. **श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर स्थित 345 मेगावाट वाले सलाल पनबिजली केन्द्र (चरण-एक) को राष्ट्रीय पनबिजली निगम को अन्तरित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक अन्तरित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, जोकि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यक्रम तथा मितव्ययी क्रियान्वयन हेतु 1975 में स्थापित किया गया था। जबकि केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही अन्य जल विद्युत परियोजनाएं स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को अंतरण कर दी गई थी तथापि कुछ वैधिक बाधाओं के कारण सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-एक) को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को अंतरण नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप परियोजना को प्रारम्भ में एजेंसी के आधार पर मई, 1978 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को अंतरण किया गया था। चूंकि वैधिक बाधाओं का अब राज्य सरकार के साथ समाधान कर लिया गया है और अब यह निर्णय लिया गया है कि 1-11-1987 से स्वामित्व के आधार पर परियोजना को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को अंतरण कर दिया जाए। इस प्रकार राष्ट्रीय जल विद्युत निगम परियोजना से विद्युत की बिक्री, ऊर्जा की बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण और राजस्व की वसूली के लिए लाभ प्राप्तकर्ताओं के साथ आवश्यक समझौता कर सकेगा। इस सम्बन्ध में वैधिक कागजात पूरे कर लिए जाने के पश्चात् अंतरण की वैधता प्रभावी हो जाएगी।

मध्य प्रदेश के नगरों में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करना

*384. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के गंजबसोड़ा, रायसेन, मांडीदीप और विदिशा नगरों में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये नये इलेक्ट्रॉनिक केन्द्र कब से काम करना शुरू कर देंगे ?

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	उपस्कर का प्रकार (टाइप) तथा क्षमता	चालू होने की सम्भावित तारीख
1.	गंजबसोड़ा	400 लाइन का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज	1990-91
2.	रायसेन	200 लाइन का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज	1989-90
3.	मांडीदीप	400 लाइन का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज	1990-91
4.	विदिशा	1800 लाइन का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज	आठवीं योजना

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

*385. श्री निर्मल खत्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किए जाने वाले आकाशवाणी केन्द्र के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस केन्द्र के कार्यक्रम कितने क्षेत्र में सुने जा सकेंगे; और

(घ) इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा और यह केन्द्र कब से कार्य आरम्भ कर देगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : क) जी, हां।

(ख) निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो गया है।

(ग) फैजाबाद का प्रस्तावित रेडियो स्टेशन अपने चारों ओर 63 किलोमीटर घेरे के भीतर लगभग 12470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को रेडियो कवरेज प्रदान करेगा।

(घ) फैजाबाद के प्रस्तावित रेडियो स्टेशन के वर्ष 1990 के मध्य तक चालू हो जाने के लिए तैयार हो जाने का कार्यक्रम है।

भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अध्यापकों को वेतन

[अनुवाद]

*386. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अधिकांश अध्यापकों को वेतन नियमित रूप से मिल रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० कोयला उत्पादक उपक्रम होने के कारण स्वयं स्कूल नहीं चलाती हैं। यह स्कूल सम्बद्ध राज्य सरकारों अथवा निजी स्वामित्वाधीन प्रबंधन समितियों द्वारा चलाए जाते हैं। अत: कोयला कम्पनियां ऐसे स्कूलों के सम्बन्ध में अपने पास कोई आंकड़े नहीं रखती है तथा न ही यह कम्पनियां इन स्कूलों की निगरानी रखने अथवा ऐसे स्कूलों द्वारा नियोजित अध्यापकों को नियमित रूप में वेतन की अदायगी किए जाने का सुनिश्चय करने के लिए जिम्मेदार हैं। किन्तु कोयला कम्पनियां अपने क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं के प्रसार को प्रोत्साहित किए जाने के एक उपाय के रूप में निजी स्वामित्वाधीन स्कूलों को अपनी बजटीय स्थितियों को देखते हुए सहायता अनुदान तथा अन्य सहायता प्रदान करती हैं।

ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

*387. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग कमीशन पिछले कुछ वर्षों से खादी के उत्पादन के मुकाबले ग्राम उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों में अपनायी गई आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर नये कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) ग्रामोद्योगों की तुलना में, खादी को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। खादी के प्रोत्साहनों में, ब्याज मुक्त ऋण, बिक्री कर और सीमा शुल्क से छूट, खादी की सभी किस्मों की बिक्री पर पूरे वर्ष स्थाई छूट देना और 90/120 दिनों के लिए विशेष छूट देना शामिल है। वर्षों से मात्रा और मूल्य दोनों में, खादी के उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

ग्रामोद्योगों को भी प्रोत्साहनों और वित्तीय आवंटनों के जरिये बढ़ावा दिया जा रहा है। परन्तु केवल उनको उत्पादन शुल्क से छूट जैसी राजकोषीय रियायतें चुनींदा तौर पर दी जाती है।

(ग) और (घ) खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन से, ग्रामोद्योग क्षेत्र का विस्तार हुआ है। संशोधित अधिनियम के अनुसरण में, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने (26 मौजूदा ग्रामोद्योगों के अतिरिक्त) 34 नये ग्रामोद्योगों का पता लगाया है जिनका 1988-89 से विकास किया जाएगा। नये उद्योगों में, सौर और वायु ऊर्जा उपकरण, रेडियो, केसेट प्लेयर, केसेट रिकार्डर, वोल्टेज स्टेबलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

इस्पात ट्यूब कारखानों का बन्द होना

[अनुवाद]

***388. श्री वी० तुलसीराम :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में कितनी इस्पात ट्यूब फैक्टरियां हैं तथा इनमें से कितनी फैक्टरियां अक्तूबर, 1988 के बाद बन्द हो गई हैं;

(ख) बन्द की गयी फैक्टरियों का ब्यौरा क्या है, ये कहां-कहां स्थित हैं तथा इन्हें बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) संगठित क्षेत्र में स्टेनलैस स्टील के पाइपों सहित इस्पात के पाइपों व ट्यूबों का निर्माण करने वाले 97 एकक हैं। सरकार को अक्तूबर, 1988 से इनमें से किसी भी एकक के बन्द हो जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ताप विद्युत केन्द्रों के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों से निकलने वाली राख का उपयोग

***389. डा० दिग्विजय सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर के ताप केन्द्रों के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों के आसपास कितनी राख जमा होती है;

(ख) क्या इसमें से अधिकांश राख बहकर निकटवर्ती नदियों और झीलों में चली जाती है जिसका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है;

(ग) इसमें से कितनी राख का उपयोग ईंटें बनाने के लिए किया जाता है;

(घ) क्या गैर-सरकारी उद्यम ईंटें बनाने के लिए इस पूरी राख का उपयोग करते हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसका पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) देश में ताप विद्युत केन्द्रों से प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली राख की कुल मात्रा 35-40 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका 80 प्रतिशत भाग इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटरों द्वारा उड़न राख के रूप में एकत्र किया जाता है और शेष 20 प्रतिशत भाग निचले तल में प्राप्त होता है। राख के निपटान हेतु क्षेत्र, सामान्यतया कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के लिए प्रदान किए जाते हैं जहां राख नीचे बैठ जाती है और निस्तारित पानी बह जाता है।

इस समय, निजी क्षेत्र के उद्यम ईंटों के निर्माण के लिए इस सामग्री का सार्थक रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं। ड्राई कलैक्शन सुविधाओं की कमी, राख की वाणिज्यिक रूप से ढुलाई के सम्बन्ध में दूरी सम्बन्धी सीमाओं और उपलब्ध राख की विषमता के कारण राख का बहुत कम मात्रा में समुपयोजन हो पा रहा है। ईंटों के निर्माण में राख का उपयोग किए जाने के बारे में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और एक प्रयोग के रूप में, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की राख का उपयोग करके दो मिलियन ईंटों के निर्माण के लिए मैसर्ज हिन्दुस्तान प्रि-फैब लिमिटेड, नई दिल्ली को आर्डर दिया गया है।

निर्माण उद्योग में उड़न राख के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन० बी० ओ०) द्वारा फील्ड निदर्शन कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है और नेवेली लिग्नाइट निगम को एक परियोजना प्रस्तुत की गई है। नेवेली टाउनशिप में प्रयोगात्मक आवासों के निर्माण में उड़न-राख तथा चूने से निर्मित ईंटों का उपयोग किया गया है। तमिलनाडु में एन्नोर में एक कोशिकीय कंक्रीट संयंत्र की स्थापना में भी एन० बी० ओ० का सहयोग प्राप्त किया गया है। तमिलनाडु हाऊसिंग बोर्ड द्वारा आरम्भ की गई गृह निर्माण परियोजनाओं में कोशिकीय कंक्रीट ब्लाकों तथा छत में लगने वाले पेनलों का काफी अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है।

राज्य बिजली बोर्डों का कार्य-निष्पादन

*390. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन में चालू वर्ष के दौरान सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन में आवश्यक सुधार लाने के लिए कोई अन्य कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल, 1988 से फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान, राज्य बिजली बोर्डों का विद्युत उत्पादन 124,818 मिलियन यूनिट था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 119,244 मिलियन यूनिट था। तथापि, पिछले वर्ष के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :—

(क) 33 ताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम को कार्यान्वित करना जिसके अन्तर्गत कुल 500 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की जानी है।

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए प्रोत्साहन स्कीमें लागू करना।

(ग) पारेषण और वितरण हानियों में कमी के लिए प्रोत्साहन लागू करना।

(घ) बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 में संशोधन करना।

(ङ) इन्जीनियरों और प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षित करना।

(च) बिजली (सप्लाई) अधिनियम की धारा-59 में संशोधन किया गया है इसके अनुसार, प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपने क्रियाकलापों और टैरिफ का इस प्रकार समायोजन किया जाना है कि इनके द्वारा कम से कम 3 प्रतिशत निवल का अधिशेष प्राप्त किया जा सके।

(छ) राज्य सरकारों को ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में बोर्डों को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए कहा गया है।

(ज) बिजली (सप्लाई) वार्षिक लेखे नियम, 1985 में दिए गए अनुसार, इक्विटी सम्बन्धी भागीदारी और निर्माण के दौरान ब्याज के पूंजीकरण की व्यवस्था करना।

भोपाल गैस पीड़ित

3497. **श्री मोहन भाई पटेल** :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस दुर्घटना से अब तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या भारी संख्या में इस दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति अभी तक अस्पतालों में पड़े हैं;

(ग) क्या दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को अब तक कोई मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि 31-1-1989 तक पुष्ट मौतों की कुल संख्या 3403 थी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि गैस पीड़ितों के लिए स्थापित किए गए विशेष चिकित्सा संस्थानों में उपचार के लिए भर्ती रोगियों की औसत संख्या जनवरी, 1989 में लगभग 600 व्यक्ति थी।

(ग) और (घ) भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के सम्बन्ध में दीर्घकालिक और जटिल मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ समाप्त हो गया है जिसमें यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन और यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि० की सभी दावों के पूरे निपटारे के लिए 470 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। यह राशि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमा कर दी गई हैं। इस मामले में 4 अप्रैल, 1989 को अनुपालन की रिपोर्ट दी जानी है।

भारतीय तेल निगम के पेट्रोल डिपो को रायगंज, पश्चिम बंगाल से अन्यत्र ले जाया जाना

3498. **डा० गुलाम यासदानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पश्चिम दीनापुर जिले में रायगंज स्थित भारतीय तेल निगम के पेट्रोल डिपो को मालदा स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब स्थानान्तरित किया गया था और इसके क्या कारण थे;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई;

(घ) क्या पेट्रोल डिपो के कार्यालय को भी बन्द कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस कार्यालय का किस प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) मिट्टी के तेल और स्नेहक तेलों की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए डिपो का प्रयोग किया जा रहा है।

डलहेस्टी पनबिजली परियोजना के लिए ठेका

3499. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या ऊर्जा मंत्री डलहेस्टी बिजली परियोजना के लिए ठेके के बारे में 6 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना के "टर्न-की" आधार पर कार्यान्वयन हेतु जिस कम्पनी के साथ बातचीत की, को अन्तिम रूप दिया गया था उसने कोई कारण बताये बिना कार्य को बीच में ही छोड़ दिया है;

(ख) क्या फ्रांस के कन्सोर्टियम के साथ नये सिरे से बातचीत आरम्भ की गई है;

(ग) क्या संचालन समिति ने भी उनके विदेशी सहयोगियों के साथ बातचीत की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा बोली लगाने वालों के नाम तथा ब्यौरा क्या है और उन्हें कितने मूल्य का कार्य दिया गया; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) फ्रांस की कन्सोर्टियम, जिनका नेतृत्व मैसर्स सी० जी० ई० ई० अल्सथाम द्वारा किया गया है और जिन्हें दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिसम्बर, 1986 में इस आशय का टेलेक्स भेजा गया था, के साथ ठेके को अन्तिम रूप देने के लिए हो रहे विचार-विमर्श के दौरान कंसोर्टियम ने कई नए मुद्दे उठाए और कई ऐसे मुद्दों को फिर से उद्‌घाटित किया जिन्हें सुलझाया जा चुका था। यही कारण था कि कन्सोर्टियम के साथ ठेके को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका फलस्वरूप दूसरे कन्सोर्टियम के साथ विचार-विमर्श शुरू किया गया। यह इण्डो-आस्ट्रियो-जर्मन कन्सोर्टियम थी जिनसे फ्रांस कन्सोर्टियम के साथ पहले बोली लगाई थी। अक्तूबर-नवम्बर, 1988 में दोनों कन्सोर्टियमों ने अपनी-अपनी संशोधित मूल्य की बोली प्रस्तुत की। दोनों कन्सोर्टियम से बातचीत करने के लिए और उनके आमंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई संचालन और सौदा करने वाली समिति ने इनके प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1988 में प्रस्तुत कर दी थी। । सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत का उत्पादन

3500. **श्री बिमेश गोस्वामी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के विभिन्न यूनिट अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक यूनिट द्वारा विद्युत का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन किया गया और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) क्या इस परियोजना के कुछ यूनिट अभी तक वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इन यूनिटों द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन कब तक आरम्भ किए जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में ग्रिड की आवश्यकताओं के अनुसार गैर व्यस्तमकालीन समय (अर्थात् प्रतिदिन लगभग 20 घण्टे) के दौरान फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र द्वारा इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता का 60 प्रतिशत तक विद्युत उत्पादन किया जाना अपेक्षित है। विगत के तीन वर्षों के दौरान यूनिट-वार हुआ विद्युत का उत्पादन निम्नानुसार रहा :—

यूनिट/प्रतिष्ठापित क्षमता	वाणिज्यिक रूप से प्रचालन की तिथि	(विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट में)		
		1986-87	1987-88	1988-89 (फरवरी 87 तक)
1. 200 मेगावाट	1-11-1986	553.0	625.4	609
2. 200 मेगावाट	1-10-1987	—	596.2	391
3. 200 मेगावाट	1-9-1988	—	0.1	533

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यदि पूर्वी क्षेत्र में मांग का स्वरूप तथा ग्रिड में परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं तो यूनिटें अपनी-अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप विद्युत उत्पादन कर सकते हैं।

आप्टीकल फाइबर सिस्टम आरम्भ करना

3501. **श्री आयनम अबेदिन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार प्रणाली विकसित करने के लिए आप्टीकल फाइबर सिस्टम आरम्भ करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली द्वारा किन-किन नगरों को जोड़ा जायेगा;

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जायेगी;

(घ) क्या इस सिस्टम को कलकत्ता अथवा पूर्वी क्षेत्र के किसी अन्य नगर में आरम्भ करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, बम्बई, पूना, थाने, नासिक, मालेगांव, धूलिया, इन्दौर, भोपाल, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, सुलतानपुर, वाराणसी, गाजीपुर, पटना, बिहार शरीफ, गिरधी, दूमका, सूरी, बहरामपुर, कृष्णनगर, कलकत्ता, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, मदुरई, पुड्डुकोटई, त्रिची, पालघाट, त्रिचूर, इरिंजलकुडा, अलवाई, एर्नाकुलम, कोट्टायम, चंघनचेररी, थिरूव ला, किलौन और त्रिवेन्द्रम ।

(ग) विश्व बैंक से रुपए 375 मिलियन के ऋण और ओ०ई०सी० एफ० से रु० 204 मिलियन के ऋण की विदेशी मुद्रा खर्च की गई ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में माइक्रो-वेव स्टेशनों की स्थापना

3502. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार व्यवस्था में सुधार करने हेतु पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन जैसे पिछड़े क्षेत्रों में माइक्रो-वेव स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है तथा 1989-90 के दौरान कितनी प्रगति होने की सम्भावना है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना में सुन्दरवन क्षेत्र के लिए, पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल द्वारा, कलकत्ता और कैनिंग के बीच (480 चैनल) क्षमता का एक 34 एम० बी०/एस० डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली का प्रस्ताव है ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार करने के बाद आवश्यक निधियां आबंटित कर दी जाएंगी ।

त्रिचूर जिले में किराये के भवनों में कार्यालय

3503. **श्री पी० ए० एन्थनी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिचूर जिले में कितने डाक और तार घर किराये के भवनों में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इस जिले में विभाग का अपने भवनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केरल के त्रिचूर जिले में 89 डाक व तार-घर किराए के भवनों में काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी हां।

त्रिचूर जिले में विभागीय भवनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

कार्यालय का नाम	अनुमानित लागत
1. कार्यालय प्रवर अधीक्षक डाकघर इरिन्जलकुडा	5.50
2. प्रधान डाकघर, कुन्ना मकुलम	25.00
3. प्रधान डाकघर, त्रिचूर	30.00
4. प्रधान डाकघर, चलाकुडी	20.00
5. केन्द्रीय तार-घर, त्रिचूर	37.00

उपर्युक्त पांच भवनों का निर्माण कार्य निधियों की उपलब्धता पर आरम्भ किया जाएगा।

दो कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण-कार्य चल रहा है।

कार्यालय का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)
1. डाक भंडार डिपो, त्रिचूर	26.68
2. उप डाकघर, पुण्णायुरकुलम	6.25

पश्चिम बंगाल में बहरामपुर टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण

3504. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुर टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आधुनिकीकरण सम्बन्धी सुधार कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) क्या इस टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज को 1990-91 के दौरान 2000 लाइनों के आटोमेटिक एक्सचेंज में बदल दिए जाने की सम्भावना है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बहादुरपुर ग्राम पंचायत, पश्चिम बंगाल में शाखा डाकघर खोलना

3505. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का ब्लाक के अन्तर्गत बहादुरपुर, ग्राम पंचायत में तथा इसके सन्निकट कोई शाखा डाकघर नहीं है;

(ख) क्या सरकार का बहादुरपुर ग्राम पंचायत में एक नया शाखा डाकघर खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। बहादुरपुर ग्राम पंचायत में बागडबरा के लिए एक शाखा डाकघर की मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सागरदीघी, पश्चिम बंगाल में ताप विद्युत केन्द्र

3506. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित सागरदीघी (मानिग्राम) में एक ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण के लिए एक संशोधित योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मुर्शिदाबाद जिले के सागरदीघी में एक ताप विद्युत केन्द्र (जिसमें 2078 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 210-210 मेगावाट के पांच यूनिट तथा 500-500 मेगावाट के दो यूनिट प्रतिष्ठापित करने की परि-कल्पना की गई है) के बारे में परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी लेकिन कोयला और शीतलन जल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने और पर्यावरण एवं नागर विमानन की दृष्टि से अपेक्षित स्वीकृतियां सहित इस प्रकार के आवश्यक निवेश उपलब्ध हो जाने के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा सकेगा। तदनुसार राज्य प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना

3507. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 में विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्रों में जिले-वार कितने डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए बागलकोट जिले के गांवों को भी चुना गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी हां। बीजापुर जिले के बागलकोट डिवीजन में गोराबल मंडल पंचायत में एक डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

वार्षिक योजना 1989-90

नए डाकघर खोलने के लिए राज्यवार लक्ष्य

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	खोले जाने वाले प्रस्तावित नए डाकघर	
		ग्रामीण शाखा डाकघर	परियोजना/विकासशील क्षेत्रों में विभागीय उप डाकघर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	80	6

1	2	3	4
2.	असम	140	5
3.	बिहार	175	6
4.	गुजरात	70	9
5.	हरियाणा	20	4
6.	हिमाचल प्रदेश	70	4
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	50	2
8.	कर्नाटक	80	6
9.	केरल	70	5
10.	मध्य प्रदेश	175	6
11.	महाराष्ट्र	150	7
12.	मणिपुर	20	2
13.	मेघालय	20	2
14.	नागालैण्ड	15	2
15.	उड़ीसा	120	7
16.	पंजाब	30	3
17.	राजस्थान	120	6
18.	सिक्किम	15	2
19.	तमिलनाडु	80	6
20.	त्रिपुरा	20	3
21.	उत्तर प्रदेश	275	5
22.	पश्चिम बंगाल	140	6
23.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	6	2
24.	अरूणाचल प्रदेश	15	1
25.	चंडीगढ़	—	2
26.	दादर नगर हवेली	5	2
27.	दिल्ली	5	4

1	2	3	4
28.	गोवा	20	3
29.	मिजोरम	10	1
30.	पांडिचेरी	4	1
	जोड़ :	2000	120

टिप्पणी—उपर्युक्त लक्ष्यों में चालू वर्ष के लक्ष्यों और अन्य तथ्यों में कमी, यदि कोई हो, के कारण संशोधन हो सकता है।

होशियारपुर (पंजाब) में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना

3508. श्री कमल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार होशियारपुर (पंजाब) में एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे वहां पर कब तक स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं। फिलहाल होशियारपुर में कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च प्रौद्योगिकी द्वारा बल्क औषधों का निर्माण

3509. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बल्क औषधों के नाम क्या हैं जिनका निर्माण उच्च प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है और जिसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों ने औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) इन बल्क औषधों के उत्पादन में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी का देश में विकास किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) अनेक औषधों का निर्माण उच्च प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है। फिर भी केवल 66 मदें फेरा कम्पनियों के लिए खुली हैं जैसा मैसर्स फार

रेशनेलाइजेशन, "क्वालिटी कन्ट्रोल एण्ड ग्रोथ ऑफ ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स इन्डस्ट्री इन इंडिया" में निहित है। फेरा कम्पनियों ने पिछले तीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित औषधों के निर्माण के लिए आवेदन दिया था :

1. विटामिन-बी-6
2. थियोफाइलिन
3. एमिनोफाइलिन
4. हाइड्रोक्सिइथाइल थियोफाइलिन
5. ऑक्सीक्लोजानाइड
6. टिनिडाजोल
7. इथाम्बुटोल
8. थियोराइडाजिन
9. पिन्डोलोल
10. एटनोलोल

(ग) से (ङ) इनमें से अधिकांश औषधों का उत्पादन स्वदेशी प्रौद्योगिकी से किया जाता है।

महाराष्ट्र में कम शक्ति वाले नये ट्रांसमिशन केन्द्र

3510. **श्री मुरलीधर माने :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 के दौरान महाराष्ट्र में कम शक्ति वाले कितने नये ट्रांसमिशन केन्द्र खोले जायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : उस्मानाबाद में पहले ही चालू किए गए अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के अलावा अनुमोदित सातवीं योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र के इच्छलकरेंजी में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर 1989 के दौरान चालू किए जाने की उम्मीद है।

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का आधुनिकीकरण

3511. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री शान्ति धारीवाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की प्रत्येक इकाई में वर्ष 1988 में किए गए कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के आधुनिकीकरण और विस्तार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें कब लागू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का वर्ष 1987-88 के दौरान यूनिट-वार उत्पादन निम्नानुसार है :—

		(करोड़ रुपयों में)
बेंगलूर		209.08
नैनी	—	70.86
रायबरेली	—	82.25
पालघाट	—	27.32
मनकापुर	—	110.06
श्रीनगर	—	8.91
		508.48

(ख) जी, हां ।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(1) **स्विचिंग लाइनें**

(i) आई० टी० आई० इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग एक्सचेंज उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए 1989-90 से बेंगलूर और रायबरेली में प्रोसेस ओरियन्टिड असेम्बली लाइन्स की स्थापना करने की योजना बना रहा है ।

(ii) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौद्योगिकी के अनुरूप अद्यतन किस्म के उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए पालघाट में डिजीटल ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज उपस्कर की वर्तमान विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने की योजना है ।

(2) **टेलीफोन उपकरण**

(i) आई० टी० आई० बेंगलूर और नैनी में इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोनों का विनिर्माण करना शुरू कर रहा है । ऐसी सम्भावना है कि उत्पादन 1989-90 में शुरू हो जाएगा ।

(ii) इलेक्ट्रानिक डिजीटल टेलीफोनों का विनिर्माण शुरू करने के लिए श्रीनगर यूनिट का विस्तार किया जा रहा है । उत्पादन 1989-90 से शुरू होने की सम्भावना है ।

(3) संचारण उपस्कर

विस्तार करने की निम्नलिखित स्कीमों की योजना बनाई गई :—

(i) नैनी में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स सिस्टम—उत्पादन के 1989-90 में शुरू होने की संभावना है।

(ii) नैनी में ऑप्टीकल फायबर प्रोजेक्ट—उत्पादन के 1989-90 में शुरू होने की सम्भावना है।

(iii) बेंगलूर में स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल टेलेक्स—उत्पादन 1988-89 में शुरू हो गया है।

(iv) बेंगलूर में डिजीटल माइक्रोवेव सिस्टम—उत्पादन के 1989-90 के दौरान शुरू होने की सम्भावना है।

(v) बेंगलूर में डिजीटल को एक्सियल सिस्टम-उत्पादन के 1989-90 के दौरान शुरू होने की संभावना है।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में डीजल/पेट्रोल की खुदरा दुकान

[हिन्दी]

3512. श्री मानकू राम सोडी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के बीजापुर में डीजल और पेट्रोल की खुदरा दुकान आबंटित करने का विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो खुदरा दुकान कब तक आबंटित कर दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बस्तर जिले में बीजापुर में खुदरा बिक्री केन्द्र के लिए आशय-पत्र 28 नवम्बर, 1987 को जारी किया गया था। चयनित डीलर खुदरा बिक्री केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का काम कर रहा है।

काम से हटाए गए विभागेतर कर्मचारी

[अनुवाद]

3513. डा० ए० के० पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार चार महीने से अधिक समय तक की सेवा करने के पश्चात् काम से हटाए गए विभागेतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार चार महीने से कम समय तक सेवा करने वाले कितने विभागेतर कर्मचारियों को काम से हटाया गया;

(ग) सर्किलों के प्रमुखों द्वारा पुनर्विचार के पश्चात् कितने विभागेतर कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाया गया;

(घ) क्या उन विभागेतर कर्मचारियों को जो दोषी नहीं पाए गए हैं और पुनर्विचार/अपील के पश्चात् पूर्णतः दोषमुक्त ठहराए गए हैं, पूरे वेतन का भुगतान किया जाएगा;

(ङ) क्या चार महीनों से अधिक समय तक सेवा करने वाले हटाए गए ऐसे सभी विभागेतर कर्मचारियों को भी पुनः काम पर लगाया जाएगा जिनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार सवूर समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार विभागेतर कर्मचारियों का छोटे अपराध के लिए छोटा दण्ड देने पर विचार करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी होने के कारण जिनके अन्य व्यवसाय भी होते हैं, वे उस अवधि के लिए जिस अवधि में उन्होंने वास्तव में कोई ड्यूटी नहीं दी होती है, किसी प्रकार के भत्ते लेने के हकदार नहीं होते हैं क्योंकि काम से हटाए जाने की अवधि में उन्हें अपनी आय के मुख्य स्रोत से सहायता मिलती है।

(ङ) और (च) जी नहीं। किसी शिकायत या दुर्व्यवहार के आरोप सम्बन्धी जांच के लम्बित पड़े होने की स्थिति में, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को सेवा से हटाया जा सकता है। चार महीने से अधिक समय तक काम से हटाए गए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को नौकरी में बहाल करने का नियमों के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, "काम से हटाने" की अवधि को कम करने तथा ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से "कार्य से हटाए गए" मामलों की आवधिक पुनरीक्षा की जाती है।

(छ) डाक-तार अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण एवं सेवा) नियमावली, 1964 के नियम 7 में छोटे-मोटे दण्डों को शामिल करने के सम्बन्ध में सवूर समिति की सिफारिश पर डाक सेवा बोर्ड द्वारा विचार किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि इसमें और दण्डों को शामिल न किया जाए और और नियम 7 में यथानिहित दण्ड की वर्तमान व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए।

पेट्रोल और डीजल में मिलावट

3514. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान राज्य-वार कितनी शिकायत प्राप्त हुई; और

(ग) मिलावट करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) वर्ष 1988 के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों द्वारा डीजल और पेट्रोल में मिलावट करने के बारे में तेल विपणन कम्पनियों को शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	शिकायतों की संख्या
आंध्र प्रदेश	4
बिहार	1
दिल्ली	1
गुजरात	6
हरियाणा	3
कर्नाटक	2
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	6
पंजाब	5
राजस्थान	5
तमिलनाडू	7
उत्तर प्रदेश	21
पश्चिम बंगाल	2
कुल :	73

(ग) इन सभी शिकायतों की जांच करवायी गई है किन्तु किसी भी डीलर के विरुद्ध मिलावट करने के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। जहां कहीं मिलावट का अन्देशा होता है वहां निम्नलिखित

के अनुसार विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अधीन कार्यवाही की गई है—

उन मामलों की संख्या जहां 15 दिनों के लिए सप्लाई बन्द की गई और मिलावट का आरोप न साबित होने पर इसके बाद सप्लाई आरम्भ की गई (चेतावनी/निगरानी पत्र भी जारी किए गए)	मिलावट के संभावित मामलों की संख्या जहां और आगे जांच किए जाने तक सप्लाई को लगातार बन्द रखा गया है।	उन मामलों की संख्या जहां मिलावट साबित नहीं हो पाई है किन्तु चेतावनी/निगरानी पत्र जारी किया गया है।
15	10	3

गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में रसोई गैस की कमी

3515. **श्री विजय एन० पाटिल :**
डा० फूलरेणु गुहा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनेक भागों में, विशेष रूप से गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में रसोई गैस की कमी के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार का इन राज्यों में रसोई गैस की कमी किस प्रकार दूर करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) आवागमन, औद्योगिक सम्बन्धों तथा परिचालन सम्बन्धी अन्य समस्याओं के अतिरिक्त एल० पी० जी० की बड़ी मात्रा में उपलब्धता में कमी आने के परिणामस्वरूप हाल में गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक भागों में अस्थायी रूप से एल० पी० जी० रिफिलों की सप्लाई में बैकलॉग उत्पन्न हुआ। पहले से ही उठाए गए कदमों के फलस्वरूप स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश में एल० पी० जी० के अधिकतम उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवहार्य सीमा तक आयात के द्वारा भी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तेल उद्योग स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल की गवेषणा

[हिन्दी]

3516. **श्री कमला प्रसाद रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कुछ देशों ने तेल की गवेषणा के क्षेत्र में भारत की सहायता करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं; और

(ग) भारत ने किन-किन देशों से सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) तेल की खोज के क्षेत्र में, भारत ने अनेक देशों से जिनमें सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, नार्वे, कनाडा शामिल हैं, सहायता प्राप्त की है और उनके साथ सहयोग किया है। यह अनुदानों, ऋणों, तकनीकी जानकारी, अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी का अन्तरण, विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति आदि के रूप में है। अभी हाल में कोई अतिरिक्त पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल की बकरेश्वर विद्युत परियोजना के लिए निविदायें

[अनुवाद]

3517. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकरेश्वर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड तथा अन्य कम्पनियों से निविदायें भेजी थीं;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके द्वारा निविदायें न भेजने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने सूचित किया है कि बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना के बारे में निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई, फिर भी उनसे 3 × 210 मे० वा० यूनिट के लिए टर्बाईन, जनरेटर और सम्बन्धित उपस्कर के लिए अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा कहा गया है। मैसर्स भेल ने अपना प्रस्ताव अप्रैल, 1989 में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव किया है।

केरल में इदुक्की परियोजना के लिए सहायता

3518. **श्री एन० डेनिस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का केरल की इदुक्की विद्युत परियोजना हेतु वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) क्या इस परियोजना हेतु दी जा रही विदेशी सहायता में भी वृद्धि की जाएगी; और

(ग) यदि, हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केरल स्थित 3 × 130 मे० वा० की प्रतिष्ठापित क्षमता की इदुक्की जल विद्युत परियोजना चरण-दो को

कनाडा की सहायता से कार्यरूप दिया गया है। इस प्रस्ताव के लिए कनाडियन इण्टरनेशनल डवलपमेंट एजेन्सी 52 मिलियन कनाडियन डालर का ऋण प्रदान करने एवं 7.3 मिलियन कनाडियन डालर की अनुदान राशि देने के लिए राजी हो गया है। आगे चलकर अनुदान राशि बढ़ाकर 8.3 मिलियन कनाडियन डालर कर दी गई। तथापि परियोजना को अगस्त, 1988 में 32 मिलियन कनाडियन डालर की ऋण राशि और 8.3 मिलियन कनाडियन डालर की अनुदान राशि का उपयोग करके पूरा कर लिया गया। शेष सहायता-राशि को पारेषण और वितरण नेटवर्क, टर्बाइन टेस्टिंग और बांध मानीटरिंग सुविधाओं आदि के लिए इदुक्की परियोजना कार्य के विस्तार के रूप में बार क्षतिपूर्ति उपस्कर स्थापित करने के लिए समुपयोजित करने का प्रस्ताव है। सी० आई० डी० ए० द्वारा अनुदान राशि बढ़ाकर 11.8 मिलियन कनाडियन डालर कर दिया गया है।

जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा

3519. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मल्टी सर्किट ट्रांसमीशन मिडियम वाले जिलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 जनवरी, 1989 को ऐसे जिलों की संख्या कितनी थी जहां से राज्यों की राजधानियों तथा देश के अन्य किसानों के लिए एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध थी; और

(ग) ट्रांसमीशन मीडियम के प्रावधान और एस० टी० डी० सुविधा में यदि कोई अन्तर हैं तो उसके क्या कारण हैं और इसे कब पूरा किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) देश में उन ज़िला मुख्यालयों की कुल संख्या 348 है, जिनमें मल्टी सर्किट संचारण माध्यम हैं। राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उन जिला मुख्यालयों की संख्या 295 है, जिनमें एस० टी० डी० उपलब्ध हैं।

(ग) आज तक एस० टी० डी० प्रदान न किए जाने के कारण निम्नानुसार हैं :—

(1) उपयुक्त किस्म के एक्सचेंजों द्वारा स्थानीय एक्सचेंजों का स्वचलीकरण न किया जाना;

(2) उपयुक्त संचारण उपस्करों का उपलब्ध न होना; और

(3) ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों की अनुपलब्धता।

सभी जिला मुख्यालयों को मार्च, 1990 तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध रहें।

विवरण

30-1-89 को जिला मुख्यालयों की स्थिति

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिला मुख्यालयों की कुल संख्या	राज्य की राजधानी के साथ जोड़े गए, जिला मुख्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	19	13
2.	आंध्र प्रदेश	23	23
3.	अरूणाचल प्रदेश	11	9
4.	बिहार	39	26
5.	गोवा	1	1
6.	गुजरात	19	19
7.	हरियाणा	12	9
8.	हिमाचल प्रदेश	12	9
9.	जम्मू व कश्मीर	14	12
10.	कर्नाटक	20	20
11.	केरल	14	14
12.	मध्य प्रदेश	45	28
13.	महाराष्ट्र	31	27
14.	मणिपुर	8	5
15.	मिजोरम	3	3
16.	मेघालय	5	3
17.	नागालैंड	7	7
18.	उड़ीसा	13	7
19.	पंजाब	12	10
20.	राजस्थान	27	13
21.	सिक्किम	4	1
22.	तमिलनाडु	20	20

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	3	3
24.	उत्तर प्रदेश	57	42
25.	पश्चिम बंगाल	17	14
26.	संघ शासित प्रदेश	12	10
	जोड़ :	448	338

दादरी ताप विद्युत परियोजना

3520. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरी ताप विद्युत परियोजना के लिए टैंकों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को प्राप्त हुई विभिन्न निविदाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सबसे अधिक दर उद्धृत करने वाले को यह ठेका देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दादरी के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना के लिए टैंकों के गढ़ाई-कार्य हेतु अलग से ठेका नहीं दिया गया था। यह निम्न दाब पाइपिंग, ईंधन तेल हैण्डलिंग संयंत्र, डिमिनरलाइजेशन संयंत्र आदि से सम्बन्धित ठेकों के अन्तर्गत कार्यों का एक हिस्सा है। इन सब कार्यों के सम्बन्ध में ठेका सबसे कम बोलीदाता को दिया गया था ।

गुजरात में कोयला गैसीकरण परियोजनाएं

3521. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर गुजरात में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई कोयला गैसीकरण परियोजना के क्या परिणाम निकले;

(ख) गुजरात में भूमिगत कोयले का वाणिज्यिक पैमाने पर गैसीकरण कब तक शुरू करने का विचार है; और

(ग) पैट्रोलियम गैस क्षेत्रों और भूमिगत कोयले के गैसीकरण से प्राप्त होने वाली 1000 क्यूबिक मीटर गैस पर कितनी उत्पादन लागत आएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) प्रौद्योगिक परियोजना के लिए अपेक्षित विभिन्न अध्ययन कर लिए गए हैं और आधारभूत ढांचा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए डिजाइन तथा इन्जीनियरी कार्य प्रगति पर है।

(ख) और (ग) उत्पादित किए जाने वाली गैस की संगत लागत तथा वाणिज्यिक स्तरीय क्रिया-कलापों से सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में निर्णय केवल गुजरात में भूमिगत कोयला को गैसीकृत किए जाने की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित किए जाने के बाद किया जा सकता है।

दिल्ली में बिजली के गलत बिल तैयार किया जाना

[हिन्दी]

3522. **श्री सरफराज अहमद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा नई दिल्ली नगर पालिका में बिजली के बिल तैयार करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली लागू करने के पश्चात् बिजली के बिलों में गलतियां होने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) प्रत्येक गलती को कितने समय में सुधारा गया;

(ग) इस प्रणाली को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) किन-किन कम्पनियों के साथ कम्प्यूटर द्वारा बिजली के बिल तैयार करने के लिए समझौते किए गए हैं और किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य के लिए सम्बन्धित कम्पनियों को अब तक कितनी धनराशि दी गई है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी उत्पादन एककों को कच्चे माल की सप्लाई

[अनुवाद]

3523. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्र में स्थित बीड़ी निर्माता एककों का उत्पादन उन्हें कच्चा माल न मिलने के कारण बहुत ही घट गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों को कच्चा माल सुलभ कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बीड़ी बनाने वाले एककों के लिए तेन्दु पत्तों की कमी हो जाने की संभावना के बारे में तमिलनाडु सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस मामले को मध्य प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया था जिसने तमिलनाडु में एक उच्चाधिकार प्राप्त दल भेजा था और इस दल ने तमिलनाडु के बीड़ी बनाने वाले एककों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते उपयुक्त उपायों के बारे में उक्त उद्योग तथा सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था।

तेल कम्पनियों को विश्व बैंक से सहायता

3524. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कम्पनियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ तेल कम्पनियों को कुछ और सहायता मिलने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो किन प्रयोजनों के लिए विश्व बैंक से सहायता की आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पिछले तीन वर्षों (1985-86 से 1987-88) के दौरान विभिन्न तेल कम्पनियों को सरकार के माध्यम से कुल मिलाकर लगभग 418 करोड़ रुपए का विश्व बैंक ऋण दिया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में खोज तथा विकास कार्यों के साथ-साथ शोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के क्षेत्रों के लिए भी सहायता की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक डाकघर द्वारा कवर किया गया औसत क्षेत्र

3525. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 और 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक डाकघर का राज्य-वार कितने किलोमीटर का औसत क्षेत्र था;

(ख) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार औसतन कितनी जनसंख्या के लिए एक डाकघर था और 1 जनवरी 1985 और 1 जनवरी, 1989 के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कुल कितने नए डाकघर, शाखा डाकघर, उपशाखा डाकघर खोले गए ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति डाकघर औसत क्षेत्र (वर्ग कि०मी०)		प्रति डाकघर औसत जनसंख्या	
		1-1-1985 की स्थिति	1-1-1989 की स्थिति	1-1-1985 की स्थिति	1-1-1989 की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.78	17.06	3267	3322
2.	असम	23.79	23.45	6988	5943
3.	अरुणाचल प्रदेश	350.38	348.91	2643	2632
4.	बिहार	15.99	15.85	6421	6366
5.	गोआ	15.60	16.90	4232	4580
6.	गुजरात	22.84	22.98	3961	3985
7.	हरियाणा	18.03	18.00	5272	5263
8.	हिमाचल प्रदेश	22.81	22.86	1754	1750
9.	जम्मू व कश्मीर	153.69	151.90	4106	4092
10.	कर्नाटक	20.09	20.18	3890	3907
11.	केरल	8.21	8.15	5385	5328
12.	मध्य प्रदेश	42.24	41.86	5004	4958
13.	महाराष्ट्र	26.10	26.60	5322	5417
14.	मणिपुर	41.94	41.24	2665	2621
15.	मेघालय	53.93	53.93	3184	3195
16.	मिजोरम	74.26	71.21	1728	1668
17.	नागालैंड	65.01	64.50	3038	3015
18.	उड़ीसा	20.65	20.64	3497	3495
19.	पंजाब	13.37	13.48	4457	4496
20.	राजस्थान	35.57	35.50	3562	3555
21.	सिक्किम	55.87	55.76	2486	2486

1	2	3	4	5	6
22.	तमिलनाडु	10.91	10.92	4109	4114
23.	त्रिपुरा	16.98	16.87	2327	3306
24.	उत्तर प्रदेश	16.25	16.22	6119	6108
25.	पश्चिम बंगाल	10.93	10.81	6708	6638
	संघराज्य क्षेत्र				
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	106.32	103.66	2414	2353
27.	चण्डीगढ़	2.59	2.53	10264	10036
28.	दिल्ली	2.51	2.81	10525	11803
29.	दादर और नगर हवेली	12.82	12.82	3886	3886
30.	लक्षद्वीप	2.86	2.86	4024	4024
31,	पाण्डिचेरी	4.82	4.82	6005	6005
32.	माहे	2.25	2.25	4606	4606

विवरण-2

सातवीं योजना

1985-86/1986-87/1987-88/1988-89 (27-3-1989 तक) खोले गए नए डाकघरों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-डाकघर	शाखा डाकघर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	123
2.	असम	3	256
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	7
4.	बिहार	1	337
5.	गोआ	—	12
6.	गुजरात	7	90

1	2	3	4
7.	हरियाणा	5	33
8.	हिमाचल प्रदेश	2	41
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3	71
10.	कर्नाटक	7	107
11.	केरल	—	114
12.	मध्य प्रदेश	8	336
13.	महाराष्ट्र	6	126
14.	मणिपुर	—	28
15.	मेघालय	—	30
16.	मिजोरम	—	41
17.	नागालैंड	—	6
18.	उड़ीसा	3	60
19.	पंजाब	3	3
20.	राजस्थान	—	127
21.	सिक्किम	—	18
22.	तमिलनाडु	9	74
23.	त्रिपुरा	—	25
24.	उत्तर प्रदेश	7	626
25.	पश्चिमी बंगाल	5	202
	संघराज्य क्षेत्र		
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	16
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दिल्ली	11	—
29.	दादर और नगर हवेली	—	—
30.	दमन और दीव	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पाण्डिचेरी	—	—
	जोड़ :	87	2911

टिप्पणी—उपर्युक्त आंकड़ों में फरवरी/मार्च, 1989 में मंजूर किए गए डाकघर शामिल हैं जिनमें से कुछ अभी तक खोले नहीं गए लेकिन इन्हें शीघ्र ही खोला जाना है।

भुवनेश्वर में टूल रूम परियोजना की स्थापना

3526. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में एक पूर्ण टूल रूम परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के समक्ष मार्च 1985 से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) भुवनेश्वर में टूल रूम (औजार कक्ष) स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ख) परियोजना के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु विदेशी सरकार के एक अभिकरण, जिसने परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन कर लिया है, से बातचीत की जा रही है।

(ग) प्रस्ताव पर किया जा रहा विचार उन्नत अवस्था में है।

कोल इण्डिया लि० और भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई मुआवजा राशि

3527. श्री रेणुपद दास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ताओं को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के कारण कोल इण्डिया लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० ने वर्ष 1985-86 से वर्ष-वार दंड अथवा मुआवजा के रूप में कितनी धनराशि की अदायगी की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी और खम्मम में एस० टी० डी० सुविधा

3528. श्री सोडे रमैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 अथवा 1990-91 में पश्चिम गोदावरी और खम्मम जिलों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) निम्नलिखित अन्य स्टेशनों के लिए 1991 तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दिए जाने की प्रस्ताव है;

पश्चिम गोदावरी जिला	—	अकीवीडु, नरसापुर, अट्टीली
खम्माम जिला	—	भद्राचलम

पश्चिम बंगाल में रघुनाथगंज में टेलीफोन कनेक्शन

3529. श्री जैनाल आबेदिन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल रघुनाथगंज टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन आवेदन पत्रों के कई वर्षों से लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने नए कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार का इस टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) रघुनाथगंज टेलीफोन एक्सचेंज में 31-1-89 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 12 आवेदक थे । 12 में तीन आवेदकों ने सितम्बर, 87 में और शेष ने 1988 में पंजीकरण कराया था । टेलीफोन उपलब्ध कराने के स्थान दूर-दूर होने के फलस्वरूप तकनीकी कठिनाइयों के कारण पांच कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे । निर्माण-कार्य चल रहा है । मौजूदा प्रतीक्षा-सूची को सातवीं योजना के अन्त तक निपटा देने का प्रस्ताव है ।

(घ) 8वीं योजना के दौरान मौजूदा मैनुअल एक्सचेंजों को 512 पोर्ट डिजीटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है ।

दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए संसद सदस्यों के साथ परामर्श

3530. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने तथा स्थानों के चयन के बारे में औपचारिक रूप से संसद सदस्यों (लोक सभा) से परामर्श करती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्थानीय संसद सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखने के लिए व्यवस्था की जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) टी० वी० ट्रांसमीटरों तथा रेडियो स्टेशन के स्थान/उनकी स्थापना का निर्णय पूर्णतया तकनीकी दृष्टिकोण आधार पर लिया जाता है । इस सम्बन्ध में मुख्य उद्देश्य अधिकतम कवरेज प्रदान करना होता है । योजना सम्बन्धी प्रस्तावों को निर्धारित करते समय स्थानीय संसद सदस्यों से प्राप्त विचारों तथा सुझावों पर समुचित ध्यान दिया जाता है ।

डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को आवास-सुविधाएं

[हिन्दी]

3531. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को आवास सुविधायें प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके आबंटन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) किस वर्ष तक की नियुक्ति वाले कर्मचारियों को आवास आबंटित किए गए हैं तथा जिन कर्मचारियों को इनका आबंटन किया जाना है उनकी नियुक्ति किस वर्ष में हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि बारी आने से पहले आबंटन भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो बारी आने से पहले आबंटन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान जिन कर्मचारियों को आबंटन किया गया है, उनकी सूची क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) क्वार्टरों का आबंटन वरिष्ठता के क्रम से किया जाता है। प्रतिवर्ष प्रतीक्षा सूची बनाने के लिए कर्मचारियों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन मंगाए जाते हैं।

(ग)

क्वार्टर का टाइप	कर्मचारियों का नियुक्ति वर्ष, जिस तक आबंटन कर दिया गया है	कर्मचारियों का नियुक्ति वर्ष जिन्हें आबंटन किया जा रहा है
	दूरसंचार पूल	
टाइप I	1972	1973
टाइप II	1961	1962
टाइप III (बी) (स्थानान्तरणीय)	1962	1963
टाइप III (सी) (गैर-स्थानान्तरणीय)	1955	1956
टाइप-IV	1961	1962
टाइप-V और उससे उच्च—नीचे टिप्पणी देखें।		

टिप्पणी—टाइप V और उससे ऊपर के टाइप के मकान 3600/-रु० या इससे अधिक के वेतनमान में वरिष्ठता के आधार पर दिए जाते हैं। जिन अधिकारियों को यह वेतनमान 1981 में मिला था, उन्हें वे क्वार्टर दिए जा चुके हैं।

महाप्रबन्धक अनुरक्षण/केन्द्रीय तारघर पूल

1	2	3
महाप्रबंधक अनुरक्षण		
टाइप "ए"	24-10-80	अक्तूबर, 81
टाइप "बी"	26-08-75	अगस्त, 76
टाइप "सी" (गैर-स्थानान्तरणीय)		
टाइप "सी" (स्थानान्तरणीय)	22-05-70	मई, 71
टाइप "डी"	14-09-70	सितम्बर, 71
केन्द्रीय तारघर		
टाइप "ए"	जनवरी, 68	जनवरी, 69
टाइप "बी"	दिसम्बर, 57	दिसम्बर, 58
टाइप "सी"	अप्रैल, 54	अप्रैल, 55
टाइप "सी" (स्थानान्तरणयी)	—	—
टाइप "डी"	—	—
पोस्टल पूल		
अराजपत्रित		
टाइप-I	1963	1964
टाइप-II	1962	1963
टाइप-III	1958	1959
राजपत्रित		
टाइप-IV	1985	प्रतीक्षा सूची नहीं है।
टाइप-V	—	प्रतीक्षा सूची नहीं है।
आर० एम० एस० (एमटी) पूल—गैर-स्थानान्तरणीय		
टाइप-I	1965	1966
टाइप-II	1968	1969
टाइप-III	1955	1956

1	2	3
आर० एम० एस० (टी) पूल स्थानान्तरणीय		
टाइप-I	शून्य	शून्य
टाइप-II	1957	1958
टाइप-III	1961	1962
पी० एम० जी० (सर्किल कार्यालय) पूल		
टाइप-I	1963	1964
टाइप-II	1972	1973
टाइप-III	शून्य	शून्य
डी० ए० (पी०) पूल		
टाइप-I	शून्य	शून्य
टाईप-II	1960	1961
टाइप-III	शून्य	शून्य

इसके अलावा क्वार्टरों का आबंटन खाली क्वार्टरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) जी हां।

(ङ) (1) बिना बारी के आबंटन आवास आबंटन समिति द्वारा विशेष चिकित्सा के आधार पर किया जाता है।

(2) संचार मंत्री/संचार राज्य मंत्री द्वारा अति प्राथमिकता के आधार पर।

नोट—गत तीन वर्ष के दौरान जिन कर्मचारियों को पूल-वार क्वार्टर आबंटित किए गए हैं उनकी सूचियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1-1-1986 से 20-2-1989 की अवधि के बीच प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किए गए क्वार्टरों की सूची

टाइप-1

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री संजय कुमार	आर/मजदूर
2.	श्री आनन्द मणि	चपरासी

1	2	3
3.	श्री दया किशन	चपरासी
4.	श्री पी० राजू	चपरासी
5.	श्री प्रमोद कुमार	चपरासी
6.	श्रीमती कस्ती देवी	चपरासी

टाइप-II

1.	श्री आर० पी० शर्मा	
2.	श्रीमती सुनीता गुप्ता	अवर श्रेणी लिपिक
3.	श्रीमती पुष्पा रानी	पी० ए०
4.	श्री पूर्ण सिंह	लॉरी ड्राइवर
5.	श्री वी० के० शर्मा	ए० ई० ए०
6.	श्रीमती भगवानी देवी	टी० ओ०
7.	श्री हरका सिंह	कार्यालय सहायक
8.	श्री पी० पी० घसमाना	जे० ई०
9.	श्री आर० एस० सोलंकी	अवर श्रेणी लिपिक
10.	श्रीमती [illegible]	टी० ओ०
11.	श्री जे० पी० सिंह	जे० ई०
12.	श्री अमीता राणा	एल० टी० ओ०
13.	श्री बी० डी० सिंह	टी० ओ०
14.	श्री एम० पी० शर्मा	टी० ओ०
15.	कु० मोहिनी	टी० ओ०
16.	श्री भवन सिंह	एल० एम०
17.	श्रीमती अमृत वीरदी	यू० डी० सी०
18.	श्रीमती के० आर० सिं०	एल० डी० सी०
19.	श्रीमती एम० एम० कौर	सुपरवाइजर (एस०/एस०)

1	2	3
20.	श्री ब्रिज किशोर	टी० ओ०
21.	श्रीमती शीला देवी	टी० ओ०
22.	श्री लल्लन सिंह	सी०/जे०
23.	श्री ए० पी० सिंह	यू० डी० सी०
24.	श्री चन्द्र प्रकाश	यू० डी० सी०
25.	श्री एम० एस० रावत	तकनीशियन
26.	श्री के० डी० वत्स	टी०/सुपरवाइजर
27.	श्री मनोहर लाल	एल० डी० सी०
28.	श्रीमती एस० के० अशोक	टी० ओ०
29.	श्री सी० पी० सिंह	टी० ओ०
30.	श्रीमती अय्यर महा	
31.	कु० अय्यर महालक्ष्मी	एल० डी० सी०
32.	श्रीमती ममता चौहान	एल० डी० सी०
33.	श्रीमती रीता वानी	यू० डी० सी०
34.	श्री ए० पी० लखानी	टी० ओ०
35.	श्री सुरेश कुमार	टी० ओ०
36.	श्रीमती ऊषा रानी	टी० ओ०
37.	कु० जसबीर कौर	टी० ओ०
38.	श्री पी० सी० सिंह	टी० ओ०
39.	श्री हेमन्तकुमार	टी० ओ०
40.	श्री जन्डू राम	एल० एम०
41.	श्री के० डी० उपाध्या	
42.	श्री आर० पी० पांडेय	तकनीशियन
43.	श्री राविन्द्र कुमार	ड्राइवर
44.	श्रीमती एच० के० मिश्रा	टी० ओ०
45.	श्री जे० एन० सिंह	टी० ओ०
46.	श्री एच० डी० शर्मा	यू० डी० सी०
47.	श्री सरूप सिंह	एल० डी० सी०

1	2	3
48.	श्रीमती शकुन्तला प्रधान	एल० डी० सी०
49.	श्री बी० के० कादिरवेल्लू	यू० डी० सी०
टाइप-III		
1.	श्री जी० पी० सिंह	जे० ई०
2.	श्रीमती विमल वधवा	प० सुपरवाइजर
3.	श्री कमल जीत सिंह	टी० सुपरवाइजर
4.	श्री ए० के० छिब्बर	जे० ई०
5.	श्री के० के० वर्मा	जे० ई०
6.	श्री के० के० मित्तल	टी० सुपरवाइजर
7.	श्री अनिल कुमार	जे० ई०
8.	श्रीमती उर्मिला शर्मा	टी० ओ०
टाइप-4		
1.	श्री ए० के० श्रीवास्तव	डी० ई०

1-3-86 से 28-2-89 की अवधि के बीच कार्पोरेट आफिस द्वारा अलाट किए गए क्वार्टरों की सूची

क्र० सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री यू० आर० राय	टेक्नी सुपरवाइजर

1-3-86 से 28-2-1989 की अवधि के बीच आवास आबंटन समिति द्वारा अलाट किए क्वार्टरों की सूची

1. टाइप एक

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री एल० एस० राय	आर०/एम०
2.	श्री गोपाल सिंह	वही
3.	श्री बच्चन सिंह	वही
टाइप-दो		
1.	कु० करुणा बाला	एल० डी० सी०
2.	श्री प्रीतम सिंह	यू० डी० सी०
3.	श्रीमती शशी देवी	वही

1	2	3
4.	श्री जोस के० पी०	एल० डी० सी०
5.	श्री मुरलीधर	वही
6.	श्री उमाशंकर	वही
7.	श्री वेदपाल सिंह	वही

1-1-1986 से 28-2-1989 की अवधि के बीच (जी० एम० एम० पूल प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किए गए क्वार्टरों की सूची

क्रम सं०	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री सरवेन्द्र कुमार	सदस्य (टी० ओ०) का पियन
2.	श्री मदन सिंह नेगी	पियन
3.	श्री मोहन सिंह-II	एस० एस०
4.	श्री महावीर सिंह	एल० डी० सी०
5.	श्री विक्रम सिंह	ए० ई० (क्यू० ए०)
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार रैना	टी० ए०
7.	श्री भागीरथ प्रसाद	पियन
8.	श्री जिले सिंह	पियन (संचार मंत्री का स्टाफ)
9.	श्री प्रहलाद भगत	स्टाफ कार ड्राइवर
10.	श्री महावीर सिंह	एल० डी० सी०
11.	श्री आर० के० मथुरिया	जे० ई० सी०
12.	श्रीमती प्रमिला सचदेवा	कार्यालय सहायक
13.	श्रीमती पूनम जुनेजा	ए० डी० जी० (एन० बी० टी०)
14.	श्री पी० राजू	पियन
15.	श्री उम्मेदसिंह	टी० एम० ओ०
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह	लिफ्ट आपरेटर
17.	श्रीमती प्रवीन शर्मा	महिला कर्मचारी
18.	श्री एस० राजेन्द्रम	ए० डी० जी० (एम० बी० टी०)
19.	श्री कन्हैयालाल साहा	पियन
20.	श्री त्रिलोचन प्रसाद	एस० एल०
21.	श्री एन० के० शर्मा	स्टाफ नं० 208 किदवई भवन
22.	श्री राम सिंह	पियन
23.	श्री विक्रम सिंह	वही
24.	श्री प्रमोद कुमार	वही

1	2	3
25.	श्री महेन्द्र पं० शर्मा	प्रभारी सी० एस०/टी० एल०
26.	श्री राजेन्द्र कुमार	स्वीपर
27.	श्री पूरन भगत	पियन
28.	श्री जी० पी० सामन्त	एल० डी० सी०
29.	श्री विजयकुमार	वही
30.	कु० हेलेन तमांग	टी०/महिला
31.	श्री राम दरस	टी०/पुरुष
32.	श्री तिलक राज	स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी"

ओ० एम० एम० पूल के लिए आवंटित क्वार्टरों की सूची

क्र०सं०	नाम व पदनाम	क्वार्टर का टाइप
1.	बी० बी० सिंह, टेक्नी०	एक
2.	एस० बी० बंसल, जे०ई०	दो
3.	डी० के० जैन, जे० ई०	दो
4.	साहीराम, ड्राइवर	एक
5.	धनराज जयपाल, ए० ई०	दो
6.	डी० के० अग्रवाल, डी० ई० टी०	तीन
7.	देवेन्द्र सिंह, डी० ई० टी०	तीन
8.	अमरनाथ, ड्राइवर	दो
9.	किशोर कुमार, ड्राइवर	एक

सी० टी० ओ० पूल से आवंटित क्वार्टरों की सूची

क्र०सं०	नाम व पदनाम	क्वार्टर का टाइप
1	2	3
1.	ओम प्रकाश, टी०/मैन (आई)	एक
2.	राजेन्द्र प्रसाद—वही—	एक

1	2	3
3.	तारासिंह, —वही—	एक
4.	बी० एम० चोनकर, टी०/सहायक	दो
5.	एम० वी० वर्गीज, सी०/एस० टी० एल०	दो
6.	श्रीमती पुष्पा गुप्ता, —वही—	दो
7.	मनमोहन पन्त, एस० टी० सहायक	दो

डाक विंग में जिन्हें क्वार्टर अलाट किया गया है उन कर्मचारियों की सूची

(क) आवास आवंटन समिति द्वारा :

1. श्री आत्माराम, पी० ए०, एन० डी० एच० ओ०
2. श्री अक्षय राम, पी० ए०, करोलबाग, पी० ओ०
3. श्री आर० एस० यादव, छटाई सहायक, एयरमेल स्टे० डिवीजन
4. श्री राम चन्द
5. श्री ओ० पी० गुप्ता
6. श्री भगवान सिंह रावत
7. श्री बलदेव सिंह, एस० ए०, एयरमेल स्टे० डिवीजन
8. श्री राधे श्याम
9. श्री बनवारी लाल शर्मा-II, पोस्टमैन, पी० ओ०
10. श्री सूरजपाल शर्मा, पोस्टमैन, जनकपुरी पी० ओ०
11. श्री देवसिंह, मेलमैन, एयरमेल स्टे० डिवीजन
12. श्री हरेन्द्र सिंह, पोस्टमेन, श्रीनिवासपुरी पी० ओ०
13. श्री जी० भट्ट, वारन्ट आफिसर, केयर आफ ए० पी० एस०

(ख) प्राथमिकता के आधार पर :

1. श्रीमती पुष्पा आनन्द
2. श्रीमती राजा लक्ष्मी, पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली सर्किल का कार्यालय
3. श्री शमशेर सिंह-I
4. श्री एन० के० गुप्ता, पी० ए०, दिल्ली जी० पी० ओ०
5. श्री सी० बी० सिवानी, पी० ए०, दरियागंज पी० ओ०

6. श्री राजकुमार, ड्राइवर, एम० एम० एस०
7. श्री राजमणि दुबे, पी० ए०, सेन्ट्रल डिवीजन
8. श्री डी० जीवराज, एल० डी० सी०, संचार मंत्री का निजी स्टाफ
9. श्री के० पी० सिंह, यू० डी० सी०, पोस्टल इलेक्ट्रिकल सर्किल
10. श्रीमती शान्ति देवी, फराश, नई दिल्ली एच० पी० ओ०
11. श्री दरबारा सिंह, पोस्टमैन, मुख्य भवन, पी० ओ०
12. श्री डालचन्द, जे० ए० ओ०, डी० ए० (पी०) का कार्यालय
13. श्री अशरफी साह, स्टाफ कार ड्राइवर, डाक विभाग
14. श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, हिन्दी स्टेनोग्राफी, राज्य मंत्री का निजी स्टाफ
15. श्री राम कुमार भैरिया, एल० डी० सी० —वही—
16. श्री हुई सिंह, पियन —वही—
17. श्रीमती मैना देवी, डाक सहायक, दिल्ली जी० पी० ओ०
18. श्री एल० एन० पी० यादव, एल० डी० सी०, संचार मंत्री का निजी स्टाफ
19. श्री रमेश प्रसाद, मेल मैन, एयरमेल स्टे० आफिस
20. श्री सुदर्शन राव, यू० डी० सी०, संचार मंत्री का निजी स्टाफ
21. श्री ए० बी० पन्त, संचार राज्य मंत्री का निजी स्टाफ पियन
22. श्रीमती अरविन्द कौर, डाक सहायक, नई दिल्ली एच० ओ०

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष अचल सम्पत्ति के मामले

[अनुवाद]

3532. **श्री केशव राव पारधी** : क्या **उद्योग मंत्री** एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष अचल सम्पत्ति के मामले के बारे में 2 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जांच और पंजीकरण महानिदेशक को मामलों की जांच करने के लिए दिए गए आदेश के अनुसार की जा रही जांच की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) जांच पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) जांच कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जैना प्रोपर्टीज प्रा० लिमिटेड के मामले में, महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण द्वारा दायर की गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने जांच का नोटिस भेजने के लिए निर्देश जारी किए हैं। अन्य सभी 11 मामलों में, महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण द्वारा की जा रही जांच अभी भी प्रगति पर है। शीघ्रता से जांच पूरी करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जांच पूरी करने में लगने वाला समय, मुद्दों के स्वरूप, पक्षकारों के आचरण आदि पर निर्भर करते हुए हर मामले में भिन्न-भिन्न होता है।

जमजोधपुर, गुजरात में कम शक्ति का टेलीविजन ट्रांसमीटर

3533. **श्री भरत कुमार ओडेदरा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर और राजकोट रिले केन्द्रों से प्रसारित दूरदर्शन कार्यक्रम जमजोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देते हैं और इन क्षेत्रों के लोगों को दूरदर्शन कार्यक्रमों से वंचित रहना पड़ता है;

(ख) क्या आठवीं योजना के आरम्भ में जमजोधपुर में एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर (एल० पी० टी०) स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) चूंकि जमजोधपुर, राजकोट में कार्यरत उच्चशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र के किनारे पर तथा पोरबन्दर के अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र के बाहर पड़ता है, अतः वहां इन ट्रांसमीटरों से संतोषजनक सेवा प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन के आठवीं योजना प्रस्तावों के बारे में इस समय ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

औषध सम्बन्धी विषय का हस्तान्तरण

3534. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक स्वयंसेवी एजेन्सियां विकसित देशों की भांति औषध सम्बन्धी विषय, इनसे सम्बद्ध नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय को हस्तांतरित करने की अपील कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, इस आशय का कोई विशिष्ट अभ्यावेदन हाल ही में इस मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

भोपाल गैस पीड़ितों को सहायता

[हिन्दी]

3535. श्री के० एन० प्रधान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(ख) उनके पुनर्वास एवं उन्हें चिकित्सीय सहायता प्रदान करने में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को क्या योगदान दिया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष कोई कार्ययोजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब प्रस्तुत किया गया, इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को व्यापक राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें विधवाओं और निराश्रितों सहित मृतकों के निकट सम्बन्धियों एवं प्रभावित परिवारों को अनुग्रह भुगतान और बच्चों एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं को पोषक भोजन देना जैसे राहत उपाय शामिल हैं। नये चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि पीड़ितों को कारगर चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सके। पीड़ितों को प्रशिक्षण एवं रोजगार सुविधाएँ प्रदान करके तथा स्वरोजगार हेतु ऋण/राज-सहायता प्रदान करके उनके पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए गए हैं। प्रभावित बस्तियों के निकट के पर्यावरण को सुधारने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने अब तक राज्य सरकार को 91.62 करोड़ रु० मध्यम अवधि ऋण के रूप में दिए हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जून, 1988 में एक दीर्घावधि कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। कार्ययोजना की जांच कर ली गई है और उस पर सरकार विचार कर रही है। तथापि वर्तमान सहायता एवं पुनर्वास कार्यक्रम जारी हैं।

इन्सुलिन की आवश्यकता उत्पादन और इसके मूल्य में कमी करना

[अनुवाद]

3536. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इन्सुलिन की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में कितनी कम्पनियां इन्सुलिन का उत्पादन कर रही हैं तथा इनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या इन्सुलिन की कीमत अधिक होने के कारण मधुमेह के निर्धन रोगियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन्सुलिन की कीमत कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए औषध और भेषज उद्योग से सम्बन्धित कार्यदल ने 1988-89 तक 4080 एम० यू० इन्सुलिन की मांग का अनुमान लगाया था।

(ख) मेसर्स बूट्स (इण्डिया) लि० देश में इन्सुलिन का निर्माण कर रहे हैं और 1987-83 के दौरान उन्होंने 3148 एम० यू० का उत्पादन किया।

(ग) और (घ) इन्सुलिन श्रेणी-II में आने वाली मूल्य नियन्त्रित औषध होने के कारण इसका मूल्य डी० पी० सी० ओ०, 1987 के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

विशाखापत्तनम में टी० वी० ट्रांसपोजर की स्थापना

3537. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री विशाखापत्तनम को लाभान्वित करने वाले सिंहाचलम स्थित उच्च शक्तिशाली ट्रांसमीटर में खराबी के बारे में 29 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंहाचलम स्थित उच्च शक्तिशाली ट्रांसमीटर की खराबी को दूर करने के लिए ट्रांसपोजर स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस उपकरण की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस समय यह मामला किस चरण में है तथा ट्रांसपोजर की शीघ्र स्थापना करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसके कब तक कार्य शुरू करने की आशा है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) विशाखापत्तनम में ट्रांसपोजर स्थापित करने में देरी, स्वदेशी निर्माता द्वारा समय पर उपकरण की आपूर्ति न कर पाने के कारण हुई थी। तथापि, अब उपकरण की आपूर्ति कर दी गई है और उम्मीद है कि इसे शीघ्र ही स्थापित और चालू कर दिया जाएगा।

येलाहांका डीजल विद्युत उत्पादन परियोजना, कर्नाटक

3538. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से येलाहांका डीजल से विद्युत उत्पादन परियोजना के वित्त पोषण के लिए ऋण देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) कर्नाटक बिजली बोर्ड ने विद्युत वित्त निगम को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें येलाहांका डीजल विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए खरीदे जाने वाले प्रस्तावित उपस्कर के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लागत को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

हाल्दिया स्थित पेट्रो रसायन परियोजना

3539. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हाल्दिया स्थित पेट्रो रसायन परियोजना के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जहां तक उद्योग मन्त्रालय का सम्बन्ध है आशय पत्र एवं विदेशी सहयोग करार की वैधता अवधि में वृद्धि सहित परियोजना के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुमोदन दिए गए हैं।

विद्युत वित्त निगम द्वारा राज्यों को ऋण देना

3540. **श्री जी० भूपति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम राज्य बिजली बोर्डों को उनकी वर्तमान विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु ऋण देता है;

(ख) यदि हां, तो ये ऋण किन शर्तों पर दिए जाते हैं; और

(ग) विद्युत वित्त निगम द्वारा राज्यों को उनकी विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या सहायता दी जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 15 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :—

ऋण की अवधि	ऋण स्थगित करने की अवधि	ब्याज+सेवाप्रभार % प्रतिवर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
वर्ष	वर्ष		
7	2	12.5%	486.65

3541. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय उनकी क्या शिकायतें हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों में असन्तोष का मुख्य कारण दीर्घकालीन मजूरी समझौतों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होता है। सरकार ने पहले ही मजूरी नीति निर्धारित कर दी है और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धकों और कामगारों द्वारा मजूरी नीति के प्राचलों के भीतर द्विपक्षीय रूप से मजूरी समझौतों को अन्तिम रूप दिया जाता है। फिर भी, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजूरी समझौतों को शीघ्र अन्तिम रूप देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ

[हिन्दी]

3542. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ को एक गैर-सरकारी कम्पनी को बेच दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बेची गई अथवा हस्तांतरित की गई परिसम्पत्ति का मूल्य क्या है;

(ग) कम्पनी के कब्जे में कितनी भूमि थी; किसानों से कितनी भूमि अर्जित की गई और किसानों को कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया था;

(घ) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ में कितने मूल्य की मशीनें लगी हैं और ये मशीनें कितने मूल्य में बेची गई हैं;

(ङ) क्या खरीददार द्वारा भुगतान किए जाने वाले धन का प्रबन्ध बैंकों के जरिए किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से पट्टे पर

147.499 एकड़ भूमि ली थी। कम्पनी ने किसानों से प्रत्यक्ष रूप में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया था।

(घ) फर्नीचर, फिटिंग्स आदि को छोड़कर संयंत्र और मशीनों का सकल और शुद्ध मूल्य क्रमश: 19.28 करोड़ और 4.50 करोड़ रुपए हैं। मशीनों को अभी बेचा नहीं गया है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्वतन्त्रता सेनानियों की जीवनी तैयार करवाने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

3543. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों की जीवनी तैयार करवाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों ही नियमित रूप से स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ साक्षात्कार रिकार्ड करते हैं और समय-समय पर उन्हें प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र स्वतन्त्रता सेनानियों को उनके क्षेत्र में ढूंढने तथा रिकार्ड करने के सभी प्रयास कर रहे हैं। अग्रगण्य स्वतन्त्रता सेनानियों के जीवन तथा योगदान पर भी कार्यक्रम, देश के स्वतन्त्रता संग्राम में उनके सार्थक योगदानों को ध्यान में रखकर, महत्वपूर्ण वर्षगांठों के अवसर पर प्रसारित किए जाते हैं। पिछले 1½ वर्षों के दौरान अक्तूबर, 1988 के अन्त तक विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा 1297 स्वतन्त्रता सेनानियों को रिकार्ड किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई हाई से गैस की सप्लाई

3544. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई से वितरण हेतु कितनी गैस उपलब्ध है;

(ख) उपलब्ध गैस से महाराष्ट्र को कितनी गैस आबंटित की गई है;

(ग) किन-किन राज्यों को बिछी पाइप लाइन से गैस की सप्लाई करने का आश्वासन दिया गया है और उन्हें कितनी गैस का आबंटन किया गया है; और

(घ) ये आबंटन किस आधार पर किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इस समय बम्बई हाई से वितरण के लिए उपलब्ध गैस की मात्रा लगभग 16-17 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 12.50 मिलियन घनमीटर गैस प्रतिदिन देने के वचन दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त फालबैक आधार पर भी 4.5 मिलियन घनमीटर प्रतिदिन गैस देने के बारे में वचन दिए गए हैं।

(ग) गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं के लिए गैस के वचन दिए गए हैं। उन परियोजनाओं के लिए गैस मुख्य रूप से बम्बई हाई क्षेत्र भिन्न स्थानों से सप्लाई करने का प्रस्ताव है। बम्बई से फालतू गैस को उस समय तक सप्लाई किया जा रहा है जब तक यह उपलब्ध है। इन चार राज्यों और दिल्ली में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 26.1 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन गैस देने के वचन दिए गए हैं।

(घ) विभिन्न राज्यों को गैस का आबंटन, गैस की उपलब्धता और गैस के प्रयोग के लिए इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए तकनीकी आर्थिक आधार पर किया जाता है।

विजयवाड़ा ताप-विद्युत केन्द्र—चरण-II

3545. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र-चरण-II को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र चरण-II पूरा होने के बाद कितनी बिजली पैदा करेगा; और

(ग) इस विद्युत केन्द्र से वितरित बिजली से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विजयवाड़ा विद्युत केन्द्र सोपान-दो के पूरा होने पर 420 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है। मार्च, 1988 तक 215.20 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं और वर्ष 1988-89 के दौरान 119 करोड़ रुपये व्यय होने की प्रत्याशा की गई है। वर्ष 1989-90 के लिए 90 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई है।

विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र सोपान-दो से विद्युत का उत्पादन पूर्ण रूप से प्राप्त करने और इसे आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ग्रिड को सप्लाई करने हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त 220 के० वी० लाइनें निर्माणाधीन हैं :

1. विजयवाड़ा	—	डबल सर्किट टावर पर कोण्डापल्ली 220 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन।
2. विजयवाड़ा ता० वि० केन्द्र	—	विजयवाड़ा 400 के० वी० उप-केन्द्र 220 के० वी० डबल सर्किट (द्वि "मूज" कण्डक्टर सहित)।

3. गंतूर में विजयवाड़ा के सर्किटों में से एक सर्किट का लूपिंग इन तथा लूपिंग आउट— नागार्जुनसागर 220 के० वी० डबल सर्किट लाइन।

संदेशों को बीच में रोकना

3546. **श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत संदेशों को बीच में रोका जाना वैध है, बशर्ते ऐसा करने के लिए कुछ आधार हों, यदि हां, तो वे आधार क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसा करने से सम्बन्धित प्रक्रिया तथा अन्य मामलों में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। भारतीय तार अधिनियम, 1985 के अनुच्छेद 5(2) के अनुसार, सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने, अथवा जन-सुरक्षा के हित में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी, यदि ऐसा महसूस करता है अथवा समझता है कि भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता बनाए रखने, देश में सुरक्षा बनाए रखने या अन्य देशों के साथ मैत्री बनाए रखने, या कानून व्यवस्था, या अपराध सम्बन्धी गतिविधियों, को उकसाने की स्थिति में लिखित रूप में केन्द्र अथवा राज्य सरकार से आदेश प्राप्त होने पर टेलीफोन पर होने वाली बातों के साथ-साथ किसी भी संदेश का सीधे अंतावरोधन किया जा सकता है।

(ख) और (ग) भारतीय तार अधिनियम, 1885 के प्रावधानों की पुनरीक्षा की जा रही है। वैसे, प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० द्वारा जोड़ना

[हिन्दी]

3547. **श्री हरीश रावत :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों तथा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को एस० टी० डी० के माध्यम से दिल्ली तथा राज्य की राजधानी के साथ जोड़ा गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने जिला मुख्यालयों एवं ऐसे शहरों के लिए अभी एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जानी है;

(ग) क्या जिला मुख्यालयों तथा इन शहरों को एस० टी० डी० द्वारा जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) 14 जिला मुख्यालयों (नए डी० एच० क्यू० को छोड़कर) तथा 2 अन्य नगरों में अभी एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जानी है।

(ग) जी, हां। सभी जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(घ) सभी 14 जिला मुख्यालयों के लिए मार्च, 1990 तक इस सुविधा को प्रदान किए जाने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

[अनुवाद]

3548. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करके ग्रामीण दूरसंचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) 1989-90 के दौरान लम्बी दूरी के 3000 सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाने की योजना है।

डाक तथा दूरसंचार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के संघ को मान्यता

[हिन्दी]

3549. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और दूरसंचार विभाग में एक से अधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ हैं, यदि हां, तो उनके नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) इन विभागों में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संघों के नाम क्या-क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। डाक/दूरसंचार विभाग में मान्यता प्राप्त यूनियनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सेवा एसोसिएशनों और यूनियनों को मान्यता देने सम्बन्धी नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की किसी यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है।

विवरण

डाक विभाग में मान्यता प्राप्त यूनियनों की सूची

1. डाक कर्मचारियों को राष्ट्रीय फेडरेशन, यू० डी०-7, पी० एण्ड टी० क्वार्टर, देवनगर, नई दिल्ली।

2. अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन श्रेणी-III, दादा घोष भवन, 2151/1, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

3. अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन-पोस्टमैन एवं श्रेणी-चार, 10, विट्ठल भाई पटेल भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।

4. अखिल भारतीय रेल डाक सेवा एवं डाक मोटर सेवा कर्मचारी यूनियन, श्रेणी-तीन, डी-2 टेलीग्राफ प्लेस, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली-110001

5. अखिल भारतीय रेल डाक सेवा एवं डाक मोटर सेवा कर्मचारी यूनियन—मेल गार्ड एवं श्रेणी-चार, सी-1/2, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली-110001

6. अखिल भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी यूनियन (ग्रुप-ग और घ), (केन्द्रीय मुख्यालय), सी०-1/2, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली-110001

7. राष्ट्रीय डाक संगठन संघ, टी-24, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-110001

8. अतिरिक्त विभागीय एजेंट राष्ट्रीय यूनियन, टी-24, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-110001

9. डाक कर्मचारी राष्ट्रीय यूनियन श्रेणी-III टी-24, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-110001

10. डाक कर्मचारी राष्ट्रीय यूनियन, पोस्टमैन एवं श्रेणी-चार, सी० एच० क्यू०, दालवी सदन, खुर्शीद स्क्वेयर, सिविल लाइन, दिल्ली-1100954

11. रेल डाक सेवा और डाक मोटर सेवा कर्मचारी राष्ट्रीय यूनियन श्रेणी-III, टी-24, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-110001

12. रेल डाक कर्मचारी राष्ट्रीय यूनियन, मेलगार्ड एवं श्रेणी-चार सी० एच० क्यू०

13. अखिल भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय एसोसिएशन

14. भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन, श्रेणी-III, सी० एच० क्यू०, 12, लम्सडेन स्क्वेयर, सिंधिया रोड, नई दिल्ली-110001

15. भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन श्रेणी-III,
सी० एच० क्यू०, 12 लम्सडेन स्क्वेयर, सिंधिया रोड, नई दिल्ली-110001

16. भारतीय डाक प्रशासनिक कार्यालय कर्मचारी यूनियन ग्रुप "ग" और "घ" (केन्द्रीय मुख्यालय), 21, कल्लूकरन स्ट्रीट, मैलापोर मद्रास-600004

17. भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन, पोस्टमैन एवं श्रेणी-चार, सी० एच० क्यू०, 12, लम्सडेन स्क्वेयर, सिंधिया रोड, नई दिल्ली-110001

18. भारतीय अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी यूनियन, केन्द्रीय मुख्यालय, 12, लम्सडेन स्क्वेयर, सिंधिया रोड, नई दिल्ली-110001

19. भारतीय रेल डाक सेवा और डाक मोटर सेवा कर्मचारी यूनियन, मेलगार्ड और श्रेणी-चार, केन्द्रीय मुख्यालय, 12, लम्सडेन स्क्वेयर, सिंधिया रोड, नई दिल्ली-110001

20. भारतीय रेल डाक सेवा और डाक मोटर सेवा कर्मचारी यूनियन श्रेणी-III, 30, धर्मपेठ सोसाइटी, जयप्रकाश नगर (खामला), नागपुर-440025 (महाराष्ट्र)

21. अखिल भारतीय डाक एवं रेल डाक सेवा लेखाकार एसोसिएशन, सी० एच० क्यू०, 52/60, बागमारी रोड, बी० आर० एस०-3, ब्लॉक-4 फ्लैट-17, कलकत्ता-700054

22. अखिल भारतीय निरीक्षक एवं ए० एस० पी० ओ० एसोसिएशन, ए-3/1, पी० एण्ड क्वार्टर के० बी० सान्द्रा, बेंगलूर-560032

23. अखिल भारतीय बचत बैंक नियन्त्रण कर्मचारी यूनियन, सी० एच० क्यू०, सी० एच०-12-2-19, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-110001

24. ऑल इण्डिया एसोसिएशन ऑफ पोस्टल सुपरवाइजर्स (जनरल लाइन) सी० एच० क्यू०, 20-ए, मेत्तू मक्कन स्ट्रीट, सेलम-636001

25. आल इण्डिया पोस्टल एकाउन्ट्स एम्पलाईज एसोसिएशन, सी० एच० क्यू० 4बी/6, गंगा राम हास्पिटल मार्ग, नई दिल्ली-110060

26. आल इण्डिया आर० एस० एस० एसिस्टेंड सुपि० एण्ड इन्स्पेक्टर्स एसोसिएशन, सी० एच० क्यू०, एम० पी० टी०-515, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023

27. पोस्टल ऑफिसर्स एसोसिएशन (इण्डिया) (सी० एच० क्यू०), 920, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

28. आल इण्डिया एसोसिएशन ऑफ पोस्टमास्टर्स (राजपत्रित एवं एच० एस० जी०), सी० एच० क्यू० (टेम्प०)—439-सेक्टर-9, पंचकूला-234109

29. इण्डिया पोस्टल सर्विस एसोसिएशन (सी० एच० क्यू०), कमरा नं० 342, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरसंचार विभाग में मान्यता प्राप्त यूनियनों की सूची

1. नेशनल फेडरेशन आव टेलीकाम. एम्पलाईज, सी०-1/2, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली

2. आल इण्डिया टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग एम्पलाईज, यूनियन क्लास-III, दादा घोष भवन, शादीपुर बस डिपो के सामने, 1 पटेल मोड, नई धिल्ली

3. आल इण्डिया टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग एम्पलाईज यूनियन, लाइन स्टाफ एण्ड क्यास-फोर (सी० एच० क्यू०), दादा घोष भवन, 1, पटेल रोड, नई दिल्ली-110008

4. आल इण्डिया टेलीग्राफ ट्रेफिक एम्पलाईज यूनियन क्लास-III, सी० एच० क्यू०, सी०-1/2, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली

5. आल इण्डिया टेलीग्राफ ट्रेफिक एम्पलाईज यूनियन क्लास-फोर, सी० एच० क्यू०, सी० 1/2, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली-110001

6. आल इण्डिया टेलीकॉम० एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एम्पलाईज यूनियन क्लास-III, सी०-1/2, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली-110001

7. फेडरेशन आव नेशनल टेलीकाम० आर्गेनिजेशन, टी-16, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली

8. आल इण्डिया टेलीग्राफ जूनियर एकाउन्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन, सी० एच० क्यू, 362, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023

9. आल इण्डिया टेलीग्राफ ट्रैफिक मिनिस्ट्रियल एम्पलाईज यूनियन, टी-14, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली

10. नेशनल यूनियन आव टेलीग्राफ ट्रेफिक एम्पलाईज क्लास-डी, नं० 47, तलयारी स्ट्रीट, मद्रास-600004

11. नेशनल यूनियन आव टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग एम्पलाईज, लाइन स्टाफ एण्ड क्लास-फोर, 32-ए, जमालुद्दीन हुसैन स्ट्रीट, पालाकराई, त्रिचिरापल्ली-1

12. आल इण्डिया पी० एण्ड टी० एडमिनिस्ट्रेशन आफिस एसोसिएशन, ब्लाक नं० 3, फ्लैट नं०-6, पी० एण्ड टी० स्टाफ क्वार्टर, 58/7-ए, बी० टी० रोड, कलकत्ता।

13. नेशनल यूनियन आव टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग एम्पलाईज क्लास-III, सी० एच० क्यू०, डी-9, टेलीग्राफ प्लेस, बंगला साहेब रोड, नई दिल्ली-110001

14. जूनियर इंजीनियरर्स टेलीकम्यूनिकेशन्स एसोसिएशन (इण्डिया), 7/55, रमेशनगर, नई दिल्ली-110015

15. नेशनल यूनियन आव टेलीग्राफ ट्रैफिक एम्पलाईज क्लास-III, 88, नेहारी का नामा, कुत्ते का चबूतेरा, जयपुर

16. आल इण्डिया टेलीग्राफ एसिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट्स एसोसिएशन, दूसरी मंजिल, डी० टी० ओ० क्वार्टर्स, चौक लखनऊ-225001

17. आल इण्डिया पी० एण्ड टी० सिविल विंग नॉन-गजेटिड एम्पलाईज यूनियन, टी-16, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-110001

18. आल इण्डिया टेलीफोन ट्रेफिक एम्पलाईज एसोसिएशन, साराभैया टेम्पिल स्ट्रीट, दुरगापुरम, विजयवाडा-520003

19. भारतीय टेलीकाम एम्पलाईज फैडरेशन, टी-15, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-110001

20. भारतीय टेलीकाम एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स एम्पलाईज यूनियन, क्लास-III, टी०-15, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली

21. भारतीय टेलीग्राफ ट्रेफिक एम्पलाईज यूनियन क्लास-फोर, टी०-15, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली

22. भारतीय टेलीफोन एम्पलाईज यूनियन क्लास-III, टी०-15, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-110001

23. भारतीय टेलीफोन एम्पलाईज यूनियन लाइन स्टाफ एण्ड क्लास-फोर टी०-15, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली-110001

24. पी० एण्ड टी० मजदूर यूनियन, नं० 177-बी, आचार्य जगदीश बोस रोड, श्रमिक भवन, कलकत्ता-700017

25. आल इंडिया पी० एण्ड टी० इन्डस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन, 7-गोखले रोड, कलकत्ता-700023

26. टेलीफोन वर्कर्स यूनियन (डिस्ट्रिक्ट एण्ड वर्कशाप), 82, कुकंद निवास, सेनाराम की रोड, माहिम, बम्बई-400016

27. इन्डियन टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस एसोसिएशन, 0/0 जीं एम० प्रोजेक्ट, 2-3, किलोकरी, महारानी बाग के सामने, नई दिल्ली-110014

28. टेलीकम्यूनिकेशन इन्जीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन (इण्डिया) सी० एच० क्यू०, पोस्ट बॉक्स नं० 285, नई दिल्ली-110001

29. टेलीग्राफ ट्रैफिक ऑफिसर्स एसोसिएशन, द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक तार परियात, कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश)।

30. आल इण्डिया, पी० एण्ड टी० एकाउन्ट्स एण्ड फाइनेंस सर्विस एसोसिएशन, ए-7, राजाह कालोनी, कोडम्बक्कम, मद्रास-600004

31. पी० एण्ड टी० एकाउन्ट्स एण्ड फाइनेन्स (ग्रे० ए०) डायरेक्ट रिक्रूट एसोसिएशन, सी० ए० ओ०, ए० एल० टी० टी० सी, गाजियाबाद

32. टी० आर० सी० साइंटिफिक ऑफिसर्स (क्लास-1) एसोसिएशन, टी० आर० सी०, खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली-110050

33. टेलीकाम० फैक्ट्रीज इन्जीनियर्स एसोसिएशन, कार्यालय महाप्रबन्धक दूरसंचार फैक्टरी, कलकत्ता।

34. आल इण्डिया जूनियर इन्जीनियर्स (सिविल) एसोसिएशन, पी० एण्ड० टी० सिविल विंग 36, सी० आर० एवेन्यू (तीसरी मंजिल), कलकत्ता-710012

35. पी० एण्ड टी० सिविल विंग डायरेक्ट रिक्रूट इन्जीनियर्स एसोसिएशन, 415-ए, डाक भवन, नई दिल्ली-110001

36. आल इण्डिया पी० एण्ड टी० इन्जीनियर्स एसोसिएशन क्लास-III, सिविल विंग, कार्यालय एस० एस० डब्ल्यू०, टेलीकाम. सिविल प्लानिंग सर्किल, 99, दूसरी मंजिल, ग्रोम्स रोड, मुरुगेसा नवकेर आफिस, मद्रास-600006

37. पी० एण्ड टी० डायरेक्ट रिक्रूट इलैक्ट्रिकल इन्जीनियर्स एसोसिएशन, पो० आ० बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023

38. इलेक्ट्रिकल इन्जीनियर्स एसोसिएशन, पी० एण्ड टी० सिविल विंग (इण्डिया) पोस्टल इलैक्ट्रिकल सर्किल, यशवन्त प्लेस, चाणक्यपुरीं, नई दिल्ली।

39. आल इण्डिया पी० एण्ड टी० ए० आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन, 176, मंदाकिनी, एंक्लेव, अलकनंदा कालकाजी, नई दिल्ली-110019

कृष्णा बेसिन में बन्टूमिल्ली में तेल और गैस का पाया जाना

[अनुवाद]

3550. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा बेसिन में बन्टूमिल्ली में दूसरे कुएं से अधिक मात्रा में तेल और गैस निकलने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो दूसरे कुएं से कुल कितनी मात्रा में तेल निकाला गया; और

(ग) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में अब तक कितने कुएं खोदे गए हैं तथा इस बेसिन में तेल तथा गैस का कितनी मात्रा में होने का अनुमान है और इसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) मछलीपट्टनम के उत्तर-पूर्व में बन्तुमिल्ली के दूसरे कुएं में तेल और गैस मिली है। कुएं से आरम्भिक परीक्षण के दौरान 16/64" के चोक से प्रतिदिन 100-150 बैरल तेल तथा 23,000 घनमीटर गैस का

उत्पादन हुआ। खोदे गये कुओं की आगे और ड्रिलिंग करने के बाद ही भंडारों की मात्रा का पता चल सकेगा।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन (तटपर और अपतट) में अभी तक 87 कुएं खोदे हैं। इस बेसिन में अभी भी खोज कार्य चल रहा है और बेसिन की निश्चित सम्भाव्यता का पता इसकी पूर्ण रूप से जांच होने के बाद ही चल सकेगा।

शीघ्र उत्पादन प्रणाली (ई० पी० एस०) के द्वारा कायकालूर क्षेत्र में पहले ही तेल का उत्पादन आरम्भ हो गया है और रावा नामक अपतटीय क्षेत्र में शीघ्र उत्पादन प्रणाली के द्वारा आठवीं योजना के आरम्भिक भाग में उत्पादन आरम्भ करने की योजना है।

उत्पादन के विभिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए गैस का प्रयोग किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के एक बिजलीघर के लिए गैस देने के सम्बन्ध में वचन दिए गए हैं। काकीनाडा में एक उर्वरक संयंत्र के लिए गैस देने के बारे में सिद्धान्त रूप से वचन दिए गए हैं।

ग्रामीण दूरसंचार निगम

3551. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अनुरूप ग्रामीण दूरसंचार निगम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा निगम कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। विभाग के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के जेल्लिगम एकक का विकास

3552. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के जेल्लिगम एकक के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने मूलरूप में बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के जेल्लिगम एकक को आफ-शोर प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए 1985 में 8.44 करोड़ रुपए की कुल लागत में मंजूरी दी थी। फिर भी, मार्च 1988 तक बी० एस० सी० एल० ने लगभग 24.66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जेल्लिगम एकक अभी भी पूरे प्लेटफार्म का निर्माण करने के लिए पूर्णरूप से सुसज्जित नहीं हो सका है। इन्जीनियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के परामर्श से परियोजना के संशोधित लागत अनुमान तैयार किए गए थे जिसमें अनुमान लगाया गया है कि तीन पूरे

प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए लगभग 38.99 करोड़ रुपये का कुल निवेश आवश्यक होगा। सरकार द्वारा प्रस्ताव के विभिन्न गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

3553. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जयपुर, जूनपुर, बाड़मेर ओर बालोतरा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक दर्ज हैं;

(ख) उपर्युक्त स्थानों पर प्रतीक्षा-सूची में दर्ज कितने आवेदकों को प्रतिमाह कनेक्शन दिए जा रहे हैं;

(ग) इन स्थानों पर प्रति माह औसतन कितने नये आवेदकों ने पंजीकरण कराया; और

(घ) उपर्युक्त स्थानों पर साधारण आवेदनकर्ता को भी दो वर्षों के भीतर टेलीफोन कनेक्शन मिल जाए, इस बात को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा में 28 फरवरी, 1989 को टेलीफोन कनेक्शन के लिए क्रमशः 30586, 8503, 271 और 871 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में थे।

(ख) उपर्युक्त स्थानों के सभी एक्सचेंज अपनी पूरी क्षमता तक भारित हैं। अतः फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं।

(ग) नये कनेक्शनों के लिए औसत पंजीकरण की संख्या प्रतिमाह इस प्रकार हैं—जयपुर : 677, जोधपुर : 156, बाड़मेर : 12 और बालोतरा : 11।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यानुसार सातवीं योजना अवधि के अंत तक प्रमुख टेलीफोन जिलों जैसे जयपुर 30-9-86 तक और अन्य बड़ी क्षमता के एक्सचेंज क्षेत्रों जैसे जोधपुर 1-4-87 तक और मध्यम साइज के एक्सचेंज क्षेत्रों की 1-4-88 तक की औसत दर्ज की गई मांग को पूरा करने का प्रस्ताव है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नये एक्सचेंजों की संस्थापना और मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना तैयार की जा रही है।

टेलीफोन उपकरणों की खरीद के लिए विश्व बैंक से ऋण

3554. **श्री कमल नाथ** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीं विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा दूर-संचार उपकरणों की खरीद के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि के ऋण की स्वीकृति दी है;

(ख) अब तक उक्त ऋण की कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) ऋण उपयोग में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुमोदित धनराशि 345 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ख) अब तक लगभग 150 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है ।

(ग) पूर्वानुमानित बचत का प्रयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऋण की प्रभावी तारीख को ध्यान में रखते हुए अब तक की वचन-बद्धताएं संतोषजनक हैं ।

देश के विकास सम्बन्धी जानकारी को आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रसारण

3555. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश के विकास सम्बन्धी जानकारी को आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों महिलाओं, कृषकों, युवाओं आदि जैसे जनता के विभिन्न वर्गों वृत्तचित्रों, फीचर्स, मैगजीन कार्यक्रमों, समाचार बुलेटिनों, राज्य समाचारपत्रों, जिला समाचारपत्रों, वार्ताओं और विचार-विमर्शों तथा विशिष्ट श्रोता कार्यक्रमों जैसे अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण/टेलीकास्ट करते हैं । जिनमें देश की प्रगति सम्बन्धी सूचना का प्रसार होता है। इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित/टेलीकास्ट किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में टायर फैक्टरी स्थापित करना

3556. **श्री सी० सम्बु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गुंटूर जिले में मंगलागिरि में एक टायर फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विच.र है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम तथा आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक संयुक्त उपक्रम, मै० आंध्र प्रदेश आटोमोबील टायर्स तथा ट्यूब्स लि०, को, मंगलागिरी में 10 लाख आटोमोबील टायर तथा ट्यूब प्रत्येक का वार्षिक उत्पादन करने के लिए 5-2-1985 को एक आशय-पत्र जारी किया था । आवेदकों के अनुरोध पर आशय-पत्र की वैधता अवधि को फरवरी, 1990 तक बढ़ा दिया गया है ।

औद्योगिक रुग्णता

3557. **श्री महेन्द्र सिंह** :
श्री अजय विश्वास :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रुग्णता देश में औद्योगिक विकास के लिए गम्भीर रुकावट बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो जून, 1987, जून, 1988 और दिसम्बर, 1988 के अन्त में रुग्ण लघु और अन्य उद्योगों की संख्या कितनी थी;

(ग) इन एककों में उपर्युक्त समयों पर संस्थानों के कितनी राशि के ऐसे ऋण हैं जिनका वापिस लौटाया जाना सम्भव नहीं है; और

(घ) इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) देश में रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं और जून, 1987 तक के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं जिससे निम्नलिखित का पता चलता है :—

लघु उद्योग एककों की संख्या	बकाया धनराशि (करोड़ रुपये)	रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या	बकाया धनराशि (करोड़ रु०)
1057	2680.44	158226	1542.25

भारत सरकार औद्योगिक रुग्णता की समस्या को पहले ही समझ चुकी है और देश में रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) सरकार ने "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985" नामक एक व्यापक कानून बनाया है । रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को प्रभावी तरीकों से निपटने के वास्ते इस अधिनियम के अधीन एक अर्धन्यायिक निकाय का गठन किया गया है जिसका नाम "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापन पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिए गए हैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापन पैकेज बनाते हैं ।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे भी, राहतें एवं रियायतें दे सकेंगे ।

भारत सरकार ने लघु क्षेत्र में रुग्णता की घटना को कम करने सम्बन्धी राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के उद्देश्य से एक सीमांत धन योजना आरम्भ की है । उदारीकृत योजना के अधीन

पुनःस्थापना के लिए रुग्ण छोटे एककों को मिल सकने वाली सहायता की अधिकतम धनराशि को प्रति एकक 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दिया गया है ।

जबलपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

3558. **श्री अजय मुशरान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जबलपुर मंडल में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान जबलपुर मंडल में कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जबलपुर मंडल में विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या निम्नानुसार है :—

वर्ष	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1985-86	460
1986-87	423
1987-88	592

(ख) योजना आयोग ने 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश में 2700 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है । क्षेत्रवार/मंडल-वार/जिला-वार लक्ष्य को राज्य स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाता है ।

(ग) योजना आयोग द्वारा ग्राम विद्युतीकरण के लिए निधि का आबंटन राज्य-वार किया जाता है । निधि का मंडल-वार आबंटन राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए दी जाने वाली रायल्टी

3559. **श्री श्रीहरि राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रसारित की जाने वाली हिन्दी फिल्मों तथा क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों पर दी जाने वाली रायल्टी में अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) रविवार अपराह्न को राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट होने वाले सभी क्षेत्रीय फिल्मों को रायल्टी के

भुगतान के प्रयोजन के लिए "ए" ग्रेड माना जाता है और प्रत्येक रंगीन फिल्म को उसी भांति 5.00 लाख रुपये दिए जाते हैं जिस प्रकार रविवार सांय को राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट "ए" ग्रेड रंगीन हिन्दी फीचर फिल्म के लिए दिए जाते हैं। तथापि, हिन्दी फीचर फिल्मों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया जाता है अर्थात् "ए", "बी+" तथा "बी" और रायल्टी भी इसी दर से क्रमश: 5 लाख रुपये, 4.00 लाख रुपये और 3.00 लाख रुपये दी जाती है। इसी प्रकार पुराने क्लासिक प्रीमियर और देर रात्रि में टेलीकास्ट होने वाली हिन्दी और क्षेत्रीय फीचर फिल्मों के लिए दी जाने वाली रायल्टी की राशि एक समान होती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3560. श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) इन लक्ष्यों को अब तक राज्य-वार, कितना पूरा किया गया है;

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में अभी कितने क्षेत्रों का विद्युतीकरण किया जाना बकाया है; और

(घ) देशों में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 1,18,101 गांवों के विद्युतीकृत का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) और (ग) 31-1-1989 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों एवं विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) आशा की जाती है कि यदि वित्तीय संसाधन एवं अन्य निवेश उपलब्ध रहे तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

विवरण

31-1-89 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों एवं विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-1-1989 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि	31-1-1989 की स्थिति के अनुसार उन गांवों की संख्या जिनका विद्युतीकरण किया जाना है
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	26661	718

1 2	3	4
2. अरुणाचल प्रदेश	1117	2140
3. असम	18516	3479
4. बिहार	42527(*)	25019
5. गोआ	377(†)	†
6. गुजरात	17891(††)	1
7. हरियाणा	6745	†
8. हिमाचल प्रदेश	16778(*)	†
9. जम्मू व कश्मीर	6039(*)	438
10. कर्नाटक	26429(क)	599
11. केरल	1219	†
12. मध्य प्रदेश	54039(*)	17313
13. महाराष्ट्र	38643	711
14. मणिपुर	1008(*)	1027
15. मेघालय	1822(*)	3080
16. मिजोरम	274	447
17. नागालैण्ड	1097	15
18. उड़ीसा	28648(*)	17905
19. पंजाब	12342	†
20. राजस्थान	23943	11025
21. सिक्किम	326	114
22. तमिलनाडु	15811	20
23. त्रिपुरा	2389(*)	2338
24. उत्तर प्रदेश	76840	35726
25. प० बंगाल	24153	13871
जोड़ (राज्य)	445634	135986
जोड़ (संघ राज्य)	1078	45
जोड़ (अखिल-भारत)	446712	136031

(क) 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार—1971 की जनगणना के अनुसार।

(†) शत-प्रतिशत विद्युतीकृत गांव।

(†) 8 गांव जलमग्न हो गए तथा एक गांव का व्यवहारिक नहीं।

(††) 222 गांवों का विद्युतीकरण करना अव्यवहारिक नहीं है।

प्रौढ़ शिक्षा पर दूरदर्शन धारावाहिक

3561. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कोई धारावाहिक प्रसारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के टी० वी० धारावाहिक कब से प्रसारित किए जाएंगे; और

(ग) निरक्षरता दूर करने तथा प्रौढ़ शिक्षा के प्रसारण में दूरदर्शन की भूमिका का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) धारावाहिकों सहित विभिन्न कार्यक्रम फार्मेटों के माध्यम से दूरदर्शन प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार-प्रसार में प्रौढ़ शिक्षा विभाग को पहले ही सहयोग कर रहा है, एक ऐसा ही धारावाहिक जिसका शीर्षक "खिलती कलियां" है पहले ही राष्ट्रीय नेटवर्क में 2-3-89 से दूरदर्शन के दोपहर बाद के प्रसारण में टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसके अलावा, देश के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्र भी अपनी सम्बन्धित प्रादेशिक भाषा में उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन पर उपयुक्त "स्पाटों" को भी टेलीकास्ट किया जा रहा है। दूरदर्शन की ऐसे वातावरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने की योजना है कि दर्शक "एक व्यक्ति एक व्यक्ति को शिक्षा दे" जैसी परियोजना का समर्थन करें। तथापि, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थानीय भाषाओं तथा हिन्दी में "क्षेत्र विशेष कार्यक्रम" के अन्तर्गत भी टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

औषधियों का उत्पादन

3562. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 जनवरी, 1989 के इकनोमिक टाइम्स में डी० पी० सी० ओ० इम्पेक्ट आन आउट पुट फेवरेबिल बी० आई० सी० पी० शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन औषधियों का उत्पादन बढ़ा है;

(ग) वर्ष 1986-87 और 1988 के दौरान प्रत्येक औषधि का कितना उत्पादन था;

(घ) किस चरण से प्रत्येक औषधि का उत्पादन होता है; और

(ङ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 से पहले प्रत्येक औषधि का कितना मूल्य था और वर्तमान मूल्य कितना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ब्यौरे संकलित किए जाएंगे और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

छोटे समाचार-पत्रों का प्रकाशन

3563. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने छोटे समाचारपत्रों का प्रकाशन किया जा रहा है और उनका वितरण सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) छोटे समाचारपत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 4,131 समाचारपत्रों, जिन्होंने कलेण्डर वर्ष 1987 में अपने वार्षिक विवरण पत्रों में प्रसार के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनमें से 3,452 समाचारपत्र छोटे समाचारपत्र की श्रेणी के हैं और उनका कुल प्रसार 1,61,83,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस है। राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) छोटे समाचारपत्रों को दी गई कुछेक सुविधायें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

छोटे और मझौले समाचारपत्रों के लिए सुविधाएं

(क) समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी जाने वाले सुविधायें इस समय छोटे और मझौले समाचारपत्रों को अखबारी कागज के आबंटन आदि के मामले में निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं—

(1) 2,000 प्रतियों तक प्रसार संख्या वाले छोटे समाचारपत्रों से अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन देते समय चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र देने की अपेक्षा नहीं है।

(2) 200 मीट्रिक टन वार्षिक से कम की हकदारी वाले समाचारपत्रों को आयातित अखबारी कागज, भागों में या एक ही बार में प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है।

(3) शीट फेड मशीन पर मुद्रित होने वाले समाचारपत्रों को रीलों के शीटों में अन्तरण के लिए उनकी हकदारी से 5 प्रतिशत अतिरिक्त सामग्री दी जाती है।

(4) 5000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले छोटे समाचारपत्रों को, अखबारी कागज की हकदारी की गणना करते समय निशुल्क वितरित, बिना बिक्री वापस या मुद्रित परन्तु न तो बिक्री और न ही निशुल्क वितरित की गई प्रतियों के लिए 10 से 20 प्रतिशत तक के बीच छूट दी जाती है तथा 5000 प्रतियों और 10,000 प्रतियों के बीच के प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों को 10 से 1 प्रतिशत तक छूट दी जाती है। अन्य के मामले में यह प्रतिशत 5 से 10 तक है।

(5) छोटे समाचारपत्रों को आयातित अखबारी कागज पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है जो 550 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से है। मझौले समाचारपत्रों के यह शुल्क 275 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से अदा करने की अपेक्षा होती है।

(6) उन समाचारपत्रों को तिमाही आबंटन की बजाय एक या दो किस्तों में पूरी मात्रा लेने की अनुमति दी जाती है जिनकी वार्षिक हकदारी 50 टन तक है।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं

भारत सरकार की मौजूदा विज्ञापन नीति के अन्तर्गत भाषायी समाचारपत्रों आदि को सामान्य

रूप से तथा "लघु" तथा मझौले समाचारपत्रों को विशेष रूप से निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं :—

(1) विक्रीत प्रसार संख्या की सामान्य पात्रता प्रति अंक 1000 प्रतियां हैं । तथापि, निम्न-लिखित के मामले में छूट अनुज्ञेय है :—

(क) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्रिकाएं, जिनकी विक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो;

(ख) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकायें और पिछड़े, सीमावर्ती या दूरवर्ती क्षेत्रों में अथवा आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्य रूप से आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत पत्रिकायें, जिनकी न्यूनतम विक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रतियां प्रति अंक हो ।

(2) मुद्रण स्थान के मामले में भी आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले मुख्यतया आदि-वासी पाठकों के लिए अभिप्रेत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को छूट अनुज्ञेय है ।

(3) 2,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सनदी लेखाकार, आदि से प्रसार संख्या का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट है ।

(4) विज्ञापन दरों को नियत करने के मामले में दरों की समानता है अर्थात् अंग्रेजी समाचार-पत्रों तथा भाषायी समाचारपत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता । तथापि, 10,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले भाषायी पत्र/पत्रिकाओं को अंग्रेजी की इसी प्रकार के पत्र/पत्रिकाओं से उच्च बुनियादी दर मिलती है । विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल बड़ी संख्या में लघु पत्र/पत्रिकायें इस श्रेणी में आती हैं ।

पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

समाचार रूप

लघु और मझौले समाचारपत्रों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने की अपनी नीति के अनुसरण में, पत्र सूचना कार्यालय उन्हें अनेक विशेष सुविधायें प्रदान करता है । समाचार रिलीजों और लेखों जैसी अपनी सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, यह अन्य प्रकार की समाचार सेवाएं यथा साइंस डाइजेस्ट, कृषि न्यूज लैटर (कृषि पत्रिका), इबोनोइड ब्लाक, चर्चा (केवल उर्दू पत्रों के लिए) और फोटो सप्लाई करता रहा है ।

समाचार सेवाएं

अपेक्षाकृत लघु समाचारपत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक सेवाएं चालू की गई हैं विज्ञान, आर्थिक विषयत, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास को कवर करते हुए सरल और कैप्सूल रूप में लिखी गई गहन कहानियां तैयार करके उन्हें, देश की सभी मुख्य भाषाओं में सप्लाई किया जाता है ।

मुख्यत: लघु समाचारपत्रों के लिए अभिप्रेत एक साप्ताहिक समाचार डाइजेस्ट नामी पत्र सेवा 1977 में हिन्दी में आरम्भ की गई थी ।

फोटो सेवाएं

पत्र सूचना कार्यालय लघु समाचारपत्रों को सचित्र फोटो सेवा और इबोनाइड ब्लाक भी सप्लाई करता है। चर्बा सेवाएं, जिसमें, उर्दू लिथो प्रिंट में उपयोग के लिए जिंक ब्लाक होते हैं, बहुत लोकप्रिय हो गई हैं।

विशिष्ट सेवा सैल

पत्र सूचना कार्यालय ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रतिनिधित्व के साथ मुख्यालय में एक विशिष्ट सेवा सैल स्थापित किया है। इस सैल को क्षेत्र आधारित विकास कहानियां तैयार करने तथा उन्हें भाषायी समाचारपत्रों को उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है। स्थानीय संगत फोटो, मानचित्र और इबोनाईड ब्लाक उपलब्ध करने पर अधिक जोर दिया जाता है।

प्रेस दल

प्रेस के प्रतिनिधियों को देश के विभिन्न भागों में चल रही विकासीय गतिविधियों की प्रारम्भिक जानकारी कराने के विचार से प्रेस दलों को केन्द्रीय सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में ले जाना पत्र सूचना कार्यालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार के विशिष्ट अध्ययन के लिए जल्दी-जल्दी चुनींदा परियोजनाओं पर ले जाया जाता है। मझौले और लघु समाचारपत्रों को इन प्रायोजित दौरों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

प्रत्यायन

लघु और मझौले समाचारपत्रों को अधिक सुविधायें देने के लिए प्रत्यायन नियमों में ढील दी गई है। नियमों के अनुसार केवल 5000 से अधिक प्रतियों की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्र प्रत्यायन के लिए पात्र हैं। यथाग्, लघु समाचारपत्रों की सहायता करने के लिए इस शर्त में ढील दी गई है और अब दो या अधिक लघु समाचारपत्र मिलकर सांझे संवाददाता के प्रत्यायन की मांग कर सकते हैं नियमों में यह भी व्यवस्था है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित समाचारपत्रों तथा पहाड़ी या पिछड़े क्षेत्रों या सूचना और संचार की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए। पत्र सूचना कार्यालय की वितरण सूची में अब बड़ी संख्या में लघु और मझौले समाचारपत्रों के नाम तथा उनकी ओर से प्रत्यायित संवाददाताओं के नाम शामिल हैं।

औद्योगिक रुग्णता

3564. श्री उत्तम राठौड़ :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में इंडस्ट्रीयल सिकनेस ऑन दी राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, जून, 1987 के अन्त में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों तथा गैर लघु औद्योगिक एककों की संख्या क्रमश: 158226 तथा 1057 है।

(घ) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए भारत सरकार की सम्पूर्ण देश के लिए समान नीति है जिसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं :—

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985" बनाया है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं से कारगर रूप से निपटने के लिए इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) नामक एक अर्ध न्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने मानीटरिंग प्रणाली सुदृढ़ करने तथा प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिससे कि समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) जीव्य-क्षम एककों को पुन: जीवित करने के वास्ते पुन: स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को निदेश दिए गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं रुग्ण एककों को पुन: जीवित करने के लिए पुन: स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिनमें उन मानदण्डों का उल्लेख किया गया है जिनके अधीन बैंक बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण एककों की पुन: स्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से पूछे बिना ही राहतों व रियायतों की मंजूरी दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक सीमांत धन योजना (मार्जीनल मनी स्कीम) शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुन: स्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दिया गया है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन कर्मचारियों की पदोन्नति

3565. श्री राज कुमार राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी/दूरदर्शन के कुछ श्रेणियों के पदों को स्टाफ आर्टिस्ट से नियमित सिविल पदों में परिवर्तित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के लिए आकाशवाणी दूरदर्शन के नियमित सिविल विभागों में समान पदों के वेतनमान नियत किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी कर्मचारियों को नयी योजना के अन्तर्गत पदोन्नति आदि दी जाती है;

(घ) आकाशवाणी/दूरदर्शन के कितने कर्मचारियों ने इस योजना के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया है; और

(ङ) इस समय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्चतम न्यायालय में कुल कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पूर्ववर्ती स्टाफ कलाकारों में से पदोन्नतियां, कोटा आधार पर भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है।

(घ) और (ङ) कुल मिलाकर, योजना के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित 18 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 13 मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं।

किसी कम्पनी में चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के पदों पर एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य करना

[हिन्दी]

3566. **श्री शांति धारीवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिनमें एक ही व्यक्ति चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के पदों पर कार्य रहा है तथा वह अन्य कम्पनियों में भी ऐसे पदों पर कार्य रहा है;

(ख) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 में इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 316 की उपधारा (2) में निर्धारित है कि कोई पब्लिक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी जो कि पब्लिक कम्पनी की समनुषंगी है, अपने प्रबन्ध निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति को उस दशा में नियुक्त कर सकती है अगर वह एक, न कि एक से अधिक दूसरी कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक है बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति बोर्ड की उस बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों

की सम्मति से तथा जिस बैठक की और उसमें प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प की विनिर्दिष्ट सूचना उस समय भारत में उपस्थित सब निदेशकों को दे दी गई है, पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित की गई है। कम्पनी अधिनियम में कम्पनियों के ब्यौरों के पंजीकरण के लिए ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिनमें एक ही व्यक्ति अध्यक्ष और कार्यवाहक प्रबन्ध निदेशक के पद धारित किए हुए हैं तथा यह अन्य कम्पनियों में भी ऐसे पद धारित कर रहा है और इसलिए, ऐसे ब्यौरे केन्द्र में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

केरल में बिजली की कमी

[अनुवाद]

3567. प्रो० के० वी० थामस : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में बिजली की कितनी कमी रही;

(ख) केरल को केन्द्रीय ग्रिड से कितनी मात्रा में बिजली की सप्लाई की गई; और

(ग) केन्द्रीय ग्रिड से सप्लाई की गई बिजली के लिए प्रति यूनिट कितना प्रभार लिया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और अप्रैल, 1988-फरवरी, 1989 के दौरान केरल में विद्युत की कमी क्रमशः 7.6%, 15.3% और 12.3 प्रतिशत थी।

(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 और अप्रैल, 1988-फरवरी 1989 के दौरान केन्द्रीय ग्रिड से केरल को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की मात्रा क्रमशः 472.4 मि० यू०, 1082.2 मि० यू० और 1180.80 मि० यू० थी।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान केन्द्रीय केन्द्रों से केरल को सप्लाई की जाने वाली बिजली के प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार हैं :—

1. रामागुण्डम	...	43 पैसे + ईंधन मूल्य समायोजन प्रभार
2. नवेली	...	52 पैसे
3. कलपक्कम	...	44.61 पैसे

पंजाब में रुग्ण एककों को रियायतें

3568. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री वी० तुलसीराम :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पंजाब में रुग्ण एककों को रियायतें देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी रुग्ण एककों को यही रियायतें दी जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस समय पंजाब सहित देश के सभी रुग्ण एककों को एक समान रियायतें दी जाती हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न हीं नहीं उठते।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की लागत

3569. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1987, 1988 और 1989 को भारतीय पत्तनों पर कच्चे तेल की प्रति मीट्रिक टन उतराई लागत क्या थी;

(ख) उपर्युक्त तारीखों को घरेलू कच्चे तेल की प्रति मीट्रिक टन औसत उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त तारीखों को विभिन्न राज्यों में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और विमान ईंधन का निर्धारित प्रति मीट्रिक टन मूल्य और प्रति लीटर फुटकर मूल्य कितना-कितना था; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इनके निर्धारित मूल्य में कितनी बार संशोधन किया गया तथा इनके मूल्यों में वृद्धि किए जाने के क्या औचित्य थे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1987, 1988 और 1989 के जनवरी माह में आयातित कच्चे तेल की देश में पहुंचने की भारित औसत लागत इस प्रकार है :—

जनवरी, 1987	—	1799.90/- रुपये प्रति टन
जनवरी, 1988	—	1733.50/- रुपये प्रति टन
जनवरी, 1989	—	1612.20/- रुपये प्रति टन

(ख) 1987-88 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड के द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन की औसत लागत क्रमशः 1215 रुपये और 1226 रुपये प्रति टन (सांविधिक शुल्कों सहित) थी।

(ग) और (घ) 1-1-1987 को पेट्रोल, डीजल, केरोसीन (घरेलू प्रयोग के लिए) और विमानन ईंधन की भण्डारण पाइन्ट पर कीमतें इस प्रकार हैं :—

पेट्रोल (एम० एस०-87)	9445.33/- रुपये प्रति टन
डीजल	3745.62/- रुपये प्रति टन

केरोसीन (घरेलू उपयोग के लिए)	2514.66/- रुपये प्रति टन
ए० टी० एफ०	6748.93/- रुपये प्रति टन

पेट्रोल को छोड़कर इन उत्पादों की कीमतों में 1 जनवरी, 1987 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, 9-1-1988 से पेट्रोल की कीमत को बढ़ाकर 10856.33/-रुपये प्रति टन किया गया। इसकी खपत में तेजी से वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा की बचत को देखते हुए यह वृद्धि की गयी।

सम्बन्धित राज्यों की राजधानियों में एम० एस०-87, हाई स्पीड डीजल और एस० के० ओ० (औद्योगिक प्रयोग को छोड़कर) की खुदरा बिक्री कीमतें संलग्न विवरण-1 में दी गयीं हैं। चार महानगरों अर्थात् बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में प्रति लिटर ए० टी० एफ० की खुदरा बिक्री कीमतें (अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को छोड़कर) संलग्न विवरण-2 में दी गयी हैं।

विवरण

1-1-1987, 1-1-1988 और 1-1-1989 को राज्यों की राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्रों में एम० एस०-87, हाई स्पीड और एस० के० ओ० (औद्योगिक प्रयोग को छोड़कर) की खुदरा बिक्री कीमतें

(रुपये/प्रति लि०)

क्रम सं०	राज्य	स्थान	1-1-1987 को			1-1-1988 को			1-1-1989		
			एम० एस०-87	हाई स्पीड डीजल	एस० के० ओ० (औद्योगिक प्रयोग को छोड़कर)	एम० एस०-87	हाई स्पीड डीजल	एस० के० ओ० (औद्योगिक प्रयोग को छोड़कर)	एम० एस०-87	हाई स्पीड डीजल	एस० के० ओ० (औद्योगिक प्रयोग को छोड़कर)
1.	2	3	4	5	o	7	8	9	10	11	12
1.	महाराष्ट्र	बम्बई	7.99	3.63	2.17	7.99	3.63	2.17	9.30	3.69	2.17
2.	पं० बंगाल	कलकत्ता	7.60	3.59	2.27	7.60	3.59	2.27	8.70	3.59	2.27
3.	दिल्ली	दिल्ली	7.43	3.50	2.25	7.43	3.50	2.25	8.50	3.50	2.25
4.	तमिलनाडु	मद्रास	7.84	3.64	2.25	7.84	3.64	2.25	8.98	3.64	2.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	गुजरात	अहमदाबाद	8.06	3.65	2.20	8.16	3.80	2.20	9.90	3.95	2.20
6.	मध्य प्रदेश	भोपाल	8.12	3.89	3.25	8.18	3.01	2.34	9.34	3.91	2.34
7.	गोवा	पणजी	7.74	3.62	2.26	7.74	3.62	2.17	8.86	3.62	2.17
8.	बिहार	पटना	7.58	3.74	2.36	7.58	3.74	2.37	8.68	3.74	2.37
9.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	7.80	3.82	2.56	7.82	3.84	2.56	9.02	3.88	2.60
10.	मिजोरम	आईजोल	7.24	3.37	2.15	6.99	3.27	2.15	7.99	3.27	2.30
11.	मणिपुर	इम्फाल	7.20	3.45	2.10	7.22	3.47	2.10	8.22	3.47	2.07
12.	नागालैण्ड	कोहिमा	7.35	3.39	2.13	7.27	3.41	2.13	8.00	3.29	2.07
13.	मेघालय	शिलांग	7.37	3.44	2.15	7.40	3.46	2.15	8.50	3.46	2.07
14.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	7.17	3.32	2.13	7.19	3.34	2.13	8.23	3.34	2.07
15.	त्रिपुरा	अगरतल्ला	7.45	3.35	2.18	7.47	3.38	2.18	8.55	3.38	2.15
16.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	7.18	3.35	2.21	7.18	3.35	2.21	8.21	3.35	2.21
17.	असम	गुवाहटी	7.51	3.46	2.09	7.53	3.52	2.09	8.63	3.52	2.04
18.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	7.70	3.95	2.59	7.76	4.01	2·65	2.79	4.01	2.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	पंजाब/हरियाणा	चंडीगढ़	7.43	3.56	2.42	7.43	3.56	2.42	8.47	3.56	2.42
20.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	7.80	3.89	2.55	7.87	3.87	2.52	8.97	3.88	2.55
21.	राजस्थान	जयपुर	8.15	3.77	2.36	8.26	3.85	2.40	9.44	3.85	2.42
22.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	7.50	3.57	2.54	7.50	3.58	2.54	8.56	3.58	2.29
23.	कर्नाटक	बंगलौर	8.41	3.89	2.35	8.56	4.00	2.35	9.62	4.00	2.40
24.	केरल	त्रिवेन्द्रम	8.25	4.11	2.34	8.25	4.11	2.34	9.49	4.16	2.35
25.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	8.31	3.98	2.45	9.00	4.01	2.45	10.34	4.06	2.48
26.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	7.75	3.63	2.22	7.75	3.63	2.22	8.87	3.63	2.22

(ग) जब कोई धा
देखते हैं।

विवरण-2

बिक्री कीमतें (अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को छोड़कर)

शहर का	रुपये/लि०
बम्बई	5.26
दिल्ली	5.26
कलकत्ता	5.26
मद्रास	5.26

टिप्पणी : (1) उपर्युक्त कीमतें हवाई अड्डों पर हैं, इसमें कर और स्थानीय शुल्क शामिल नहीं हैं।

(2) 1 जनवरी, 1987, 1988 और 1989 को कीमतें एक समान थीं।

सामाजिक कार्यक्रमों हेतु खाना पकाने की गैस के सिलिंडरों की सप्लाई

3570. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शादियों तथा अन्य सामाजिक कार्मक्रमों के लिए खाना पकाने की गैस के वाणिज्यिक सिलिंडर आबंटित करने और उनकी सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में एल० पी० जी० की सीमित उपलब्धता और सुरक्षा की दृष्टि से विवाह या अन्य सामाजिक उत्सवों के लिए सामान्यतः एल० पी० जी० सिलिंडरों की सप्लाई नहीं की जाती है।

बम्बई हाई में तेल का उत्पादन

[हिन्दी]

3571. प्रो० **चन्द्रभानु देवी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में तेल का कितना उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) बम्बई हाई क्षेत्र से वर्ष 1987-88 के दौरान 18.48 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ।

(ख) उत्पादन को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले उपायों में कृत्रिम उठान, इनफिल कूओं की खुदाई, वैल सिमुलेशन, जल अन्तः क्षेपण आदि शामिल होता है।

आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में केकालूर और केजा में ड्रिलिंग कार्य

[अनुवाद]

3572. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कैकालूर, केजा और अन्य स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए ड्रिलिंग कार्य के क्या परिणाम रहे; और

(ख) क्या सरकार का विजयवाड़ा, सिटी, मचलीपत्तनम, गुड़ीवाड़ा, नगर-पालिकाओं और पामारु व्ययूरू कजकीपाडु जैसी बड़ी पंचायतों को जोड़ते हुए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के इन कुओं से जहां पर गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है उपभोक्ताओं के लाभार्थ गैस पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के काजा, कायकालूर और वन्तुमिल्ली क्षेत्रों में तेल और गैस मिली है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में तलीपाका से नरसापुर तक और नरसापुर से टनुकु और कोव्वूर को जोड़ने वाली एक पाइपलाइन पहले ही बिछायी है।

टी० वी० सीरियल "रामायण" का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण

3573. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन्** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० वी० सीरियल "रामायण" को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो टी० बी० सीरियल को सभी क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों से वहां की स्थानीय भाषाओं में कब तक प्रसारित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कोई धारावाहिक राष्ट्रीय नेटवर्क पर चलता है तो इसे देश में सभी दर्शक देखते हैं।

लघु तथा बड़े पैमाने के औद्योगिक रुग्ण एककों को पुनः अर्थक्षम बनाना

3574. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार छोटे पैमाने के तथा बड़े पैमाने के कितने उद्योग हैं;

(ख) देश में लघु तथा बड़े पैमाने के रुग्ण औद्योगिक एकक कितने-कितने हैं और उनमें से 31 जनवरी, 1989 तक कितने औद्योगिक एककों को पुनः अर्थक्षम बना दिया गया है; और

(ग) इन औद्योगिक एककों को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए कुल कितना बैंक ऋण दिया गया है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी आकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार जून, 1987 के अन्त में लघु उद्योग तथा गैर-लघु उद्योग वर्गों के अधीन रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

गैर-लघु उद्योग और लघु उद्योग रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में जीव्यता स्थिति एवं बकाया राशि इस प्रकार है :—

(जून, 1987 के अन्त में)

	गैर लघु उद्योग रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपए)	लघु उद्योग एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
1. संभावित जीव्य	341	1180.27	12062	342.74
2. गैर-जीव्य	521	999.29	139346	1059.91
3. जिन एककों की जीव्यता के बारे में निर्णय नहीं हुआ है	195	500.87	6818	139.60
4. जिन एककों को उपचार कार्य-क्रम के अन्तर्गत रखा गया है	233	847.55	4980	232.96

विवरण

जून 1987 के अन्त में रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े
(स्रोत—भारतीय रिज़र्व बैंक)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1987	
	गैर-लघु उद्योग रुग्ण एककों की संख्या	लघु उद्योग रुग्ण एककों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	66	14064
असम	6	3542
बिहार	26	7870
गुजरात	115	5211
हरियाणा	41	1819
हिमाचल प्रदेश	7	665
जम्मू एवं कश्मीर	—	2290
कर्नाटक	62	5105
केरल	27	11805
महाराष्ट्र	238	14457
मध्य प्रदेश	30	11053
उड़ीसा	10	7229
पंजाब	30	1834
राजस्थान	36	8657
तमिलनाडु	105	25146
उत्तर प्रदेश	67	16287
पश्चिम बंगाल	146	18129
गोआ दमन और दीव	16	1264
नागालैंड	—	14

1	2	3
दादरा और नगर हवेली	1	5
अरुणाचल प्रदेश	—	22
चण्डीगढ़	3	204
दिल्ली	19	2577
मणिपुर	—	932
मेघालय	1	122
मिजोरम	—	—
पांडिचेरी	4	366
त्रिपुरा	1	556
सिक्किम	—	1
योग :	1057	158226

राज्यों को गैस की सप्लाई

3575. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान और अगले वर्ष के दौरान हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन और अन्य स्रोतों से प्रत्येक राज्य को अनुमानित कितनी मात्रा में गैस की सप्लाई किए जाने का अनुमान है;

(ख) राज्यों को विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर विद्युत उत्पादन के गिए गैस की सप्लाई करने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात की किन-किन विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस सप्लाई करने का निर्णय किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में गुजरात की अन्य मांगें क्या हैं और इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) विभिन्न राज्यों में अवस्थित निजी राज्यीय और केन्द्रीय क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए गैस की सप्लाई की जाती है । अब तक विभिन्न राज्यों को दिए गए वचन इस प्रकार हैं :—

राज्य	मिलियन घनमीटर प्रतिदिन
1	2
असम	5.70
त्रिपुरा	1.06

1	2
तमिलनाडु	0.10
आन्ध्र प्रदेश	0.60
महाराष्ट्र	12.50
गुजरात	8.20
राजस्थान	3.40
उत्तर प्रदेश	11.85
मध्य प्रदेश	1.65
दिल्ली	1.00

उपभोक्ताओं द्वारा गैस लिए जाने के आधार पर वास्तविक सप्लाई अलग-अलग होगी।

(ख) बिजली, उर्वरक, स्पंज आयरन तथा अन्य परियोजनाओं के लिए गैस की सप्लाई के वास्ते विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) वर्ष 1988 में गुजरात की विभिन्न बिजली परियोजनाओं के लिए 1.5 मिलियन घन मीटर गैस प्रतिदिन (एम० एम० सी० एम० डी०) देने के वचन दिए गये थे, इसमें उतरन और धुवारन में गुजरात बिजली बोर्ड की परियोजनाओं के लिए 0.7 एम० एम० सी० एम० डी० तथा जी० आई० पी० सी० की बिजली परियोजना के लिये 0.8 एम० एम० सी० एम० डी० शामिल है।

गैस पर आधारित विभिन्न बिजली परियोजनाओं जिनमें पगुथन और पीपावव में एक-एक परियोजक शामिल है के लिए गुजरात सरकार से अनेक अन्य अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं के लिए गैस की सप्लाई गैस की उपलब्धता और अन्य प्रयोक्ताओं की मांग पर निर्भर करेगी।

कीटनाशकों का निर्यात

3576. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड और संयुक्त राष्ट्रसंघ औद्योगिक विकास संगठन ने वर्ष 1987-88 में कीटनाशकों पर एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रायोजन किया था;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इसमें भाग लेने वाले देशों को बेहतर कीटनाशकों का निर्यात हो रहा है;

(ग) क्या भारत ने इस कार्यशाला में भाग लेने वाले किसी देश में कीटनाशकों की फैक्टरी स्थापित की है/करने का विचार है, अथवा करने में सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) रीजनल नैटवर्क फार प्रोडक्शन, मार्केटिंग

एण्ड कण्ट्रोल आफ पेस्टिसाइड्स एशिया एण्ड दि पेसिफिक (आर० ई० एन० पी० ए० पी०) के तत्वावधान में यूनिडो/यू० एन० डी० पी० एवं एफ० ए० ओ० के सहयोग से विश्व बैंक के पैस्ट-नियंत्रण कार्यक्रम के भाग के रूप में पेस्टिसाइड सूत्रयोगों में गुणवत्ता नियंत्रण पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला भारत में अक्तूबर/नवम्बर, 1987 में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम की पेशकश भारत द्वारा समन्वित की जा रही क्षेत्रीय नेटवर्क परियोजना के दायित्वों के एक भाग के रूप में की गयी थी। इस परियोजना का कोई सीधा वाणिज्यिक सम्बन्ध नहीं है और इस कारण कोई अतिरिक्त निर्यात नहीं किया गया है। अभी तक किसी सदस्य देश से पेस्टिसाइड फैक्ट्री स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यदि अनुरोध किया जाता है तो भारत ने पेस्टिसाइड फैक्ट्रियां स्थापित करने की क्षमताएं विकसित कर ली हैं।

कागज मिलों में क्षमता

3577. **श्री एस० बी० सिदनाल :**
श्री वी० एस० बासवराजू :
डा० कृपा सिंधु भोई :
श्री हरिहर सोरन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्र की अनेक कागज मिलें अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग सरकार का कागज उद्योग को क्या सहायता देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1988 के दौरान देश में कागज उद्योग की क्षमता का कुल उपयोग 60% होने का अनुमान है।

(ख) कागज उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता को कम उपयोग होने के मुख्य कारण हैं :—

सेलुलोसिक कच्चे माल की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकी का अप्रचलन, बिजली व कोयले की कमी, निविष्टियों की लागत में वृद्धि, वित्तीय एवं प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याएं आदि ।

(ग) सरकार द्वारा कागज उद्योग को सामान्यतः अपनी क्षमता के उपयोग व वित्तीय जीव्यता में सुधार करने में समर्थ करने के लिए अनेक राहतें व रियायतें दी गयी हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

1. कागज उद्योग को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रद्दी कागज तथा लकड़ी के लट्ठों, टुकड़ों व लुगदी का आयात करने की सुविधा दे दी गयी है।

2. कागज उद्योग को गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल करने के लिए कई राज-कोषीय रियायतें मंजूर की गयी हैं।

3. कृषि अवशेषों, रद्दी तथा खोई से लिखाई, छपाई और लपेटने का कागज बनाने के मामले में औद्योगिक लाइसेंस लेने की अपेक्षा समाप्त कर दी गयी है।

4. सम्पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर गत्ते/स्ट्रा बोर्ड सहित सभी प्रकार का कागज और कागज ग्रेड की लुगदी बनाने के लिए इस उद्योग को इसमें परिवर्तन करने की अनुमति दे दी गयी है।

5. न्यूनतम आर्थिक क्षमता योजना कच्चे माल के रूप में कृषि अवशेषों पर आधारित कागज और गत्ता उद्योग (विशिष्टता के कागज सहित) पर लागू कर दी गयी है और न्यूनतम आर्थिक क्षमता 33,000 मी० टन प्रति वर्ष निर्धारित कर दी गयी है।

6. विद्यमान औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, पूंजीगत उपकरणों, तकनीकी जानकारी, डिजाइन व रेखा चित्रों, परामर्शीय सेवाओं आदि का आयात करने के लिए प्रति वर्ष प्रति एकक 2 करोड़ रु० की कुल सीमा के अन्दर तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

7. उपकरण के प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण तथा नवीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त क्षमता को मान्यता देने के लिए सरलीकृत प्रक्रिया अपनायी जाती है।

8. संस्थाएं तथा बैंक अलग-अलग मामले में आवश्यकता पर आधारित राहतें व रियायतें देते रहे हैं तथा आधुनिकीकरण के प्रति उदार नीति अपनाते रहे हैं।

9. छपाई के सफेद कागज के उत्पादन, मूल्य व वितरण पर लगे कानूनी नियन्त्रण को जनवरी, 1987 से हटा दिया गया है।

10. कागज और गत्ते के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 में संशोधन

3578. **श्री अजय विश्वास :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये सुझाव सरकार को कब भेजे गये थे; और

(ग) इन संशोधनों के लिए संसद में विधेयक लाने में क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की 15 धाराओं में संशोधन करने के बारे में सुझाव देते हुए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का पहला प्रस्ताव 15 जुलाई, 1986 को प्राप्त

दुबारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 5 धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव किया ।

(ग) उनमें से एक संशोधन को दुबारा लिखने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग से कहा गया है।

गुजरात के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें

3579. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना अवधि के दौरान गुजरात के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या योजना तैयार की गई थी और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और अब तक कितना लक्ष्य पूरा हो गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : सातवीं योजना के दौरान गुजरात के ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से, स्विचन क्षमता में 12000 लाइनें जोड़ने और 460 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है ।

जहां तक इस क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का सम्बन्ध है, 9425 एक्सचेंज लाइनें और 402 सार्वजनिक टेलीफोन पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से निधियों का आवंटन नहीं किया जाता । इनका खर्च सर्किल को दिए गए एकमुश्त अनुदान में से ही पूरा किया जाता है ।

आनन्दपुर साहिब पनबिजली परियोजना, यू० बी० डी० सी०, चरण दो तथा शाहपुर कांडी पनबिजली परियोजना की बिजली में हिस्सा

3580. श्री विष्णु मोदी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मई, 1984 को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, पंजाब के राज्यपाल तथा हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए समझौते के अनुसार आनन्दपुर साहिब पन बिजली परियोजना, यू० बी० डी० सी० चरण-दो तथा शाहपुर कांडी पनबिजली परियोजना में उत्पन्न की जाने वाली बिजली में हिस्से की मात्रा के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की राय मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त हो गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त समझौते के अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले को उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन होने को ध्यान में रखते हुए पहले से प्रारम्भ की जा चुकी परियोजनाओं की लागत और लाभों का तदर्थ आधार पर बंटवारा करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) इस मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के विचार जानने के लिए जब कभी भी उस मामले को उसको भेजा जाएगा तो ऐसा करने के लिए इन परियोजनाओं में लागतों और लाभों के सम्बन्ध में पहले लागू किए गए आबंटन के बारे में प्रतीक्षा किया जाना आवश्यक होगा।

वर्ष 1989-90 के दौरान इलेक्ट्रानिक रिमोट लाइन एक्सचेंजों की स्थापना

3581. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विभिन्न महानगरों में कितने इलेक्ट्रानिक रिपोट लाइन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ और रिमोट लाइन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने एक्सचेंस स्थापित करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) विभिन्न महानगरों में 28 इलेक्ट्रानिक रिमोट लाइन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं :—

दिल्ली	—	13
बम्बई	—	8
मद्रास	—	4
कलकत्ता	—	3

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली में वर्ष 1989-90 के दौरान आठ इलेक्ट्रानिक रिमोट लाइन एक्सचेंजों (मुख्य/विस्तार) को संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन समाचारों में संसद सदस्यों से सम्बन्धित समाचारों का उल्लेख

3582. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा प्रसारित क्षेत्रीय समाचारों में संसद सदस्यों से सम्बन्धित समाचारों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) आकाशवाणी/दूरदर्शन को प्रत्येक समाचार कहानी का चयन, सख्ती से इसके समाचारित महत्व

के आधार पर करने की सलाह दी जाती है। पिछले तीन वर्षों में, आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में संसद सदस्यों को दिए गए कवरेज की सूचना राज्य-वार समेकित रूप में केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जा रही है।

मशीनी औजारों की प्रौद्योगिकी का विकास

3583. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई प्रदर्शनी में भारतीय मशीनी औजारों का प्रदर्शन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या अधिकांश देशों ने मशीनी औजारों की प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति की है;

(घ) क्या सरकार का देश में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) बम्बई में 2 से 13 फरवरी, 1989 तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मशीनी औजारों की प्रदर्शनी (इमटेक्स-89) आयोजित की गई थी।

(ख) इसमें 19 देशों को 210 अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों सहित 810 प्रदर्शकों ने सी० एन० सी०, सी० ए० ओ०/सी० ए० एम० लेसर कटिंग, औद्योगिक राबेट और अन्य नई जेनरेशन मेटल फार्मिंग और मेटल कटिंग मशीनों जैसे समकालीन मशीनी औजारों तथा सम्बद्ध उत्पादों के सम्पूर्ण रैंज प्रदर्शित किए थे।

(ग) से (ङ) सरकार की नीति का यह मुख्य पहलू है कि हमारे मशीनी औजार उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा दिया जाए ताकि इसे शेष विश्व के समकक्ष बनाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए हैं और उचित विदेशी सहयोगों के माध्यम से विदेशों की नवीनतम प्रोद्योगिकी को अपनाने में भी सहायता की है। सरकार द्वारा सितम्बर, 1987 में आरम्भ की गई प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना में मशीनी औजार उद्योग को भी शामिल किया गया है। इस योजना की शर्तों में, वित्तीय सहायता के अलावा, मशीनी औजारों के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरणों की निर्दिष्ट वस्तुओं को 35 प्रतिशत रियायती आयात शुल्क की दर पर आयात करने की अनुमति दी जाती है। 1989-90 के बजट में, इस योजना के कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया गया है और इसमें वाणिज्यिक औजार कक्षों तथा कटिंग औजार उद्योग को भी शामिल कर लिया गया है। इससे मशीनी औजार एवं सम्बद्ध उद्योगों को आधुनिक बनाने तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन में मदद मिलेगी।

(च) प्रश्न नहीं उठाता।

ट्रैक्टरों का निर्माण और आयात

3584. **श्री गुरुदास कामत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितने ट्रैक्टरों का निर्माण हुआ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने ट्रैक्टर आयात किये गये ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के वर्षों के दौरान कृषि ट्रैक्टरों का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1986-87	80,476
1987-88	91,427
1988-89 (दिसम्बर 1988 तक)	80,849
1989-90	लागू नहीं होता ।

(ख) भारत में ट्रैक्टर उद्योग सम्बन्धी ट्रैक्टर निर्माता संघ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ट्रैक्टरों का कोई आयात नहीं किया गया है ।

सिक्किम में विभागीय तारघर खोलने हेतु मानदंड

3585. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय तारघर खोलने हेतु मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का इन मानदंडों के अनुसार सिक्किम में तारघरों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) विभागीय तारघर स्थापित करने के लिए प्रतिदिन 500 तार आने-जाने चाहिएं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) गांगतोक में एक विभागीय तारघर है तथा सिक्किम में 25 संयुक्त डाक-तारघर हैं । सिक्किम में कोई भी ऐसा संयुक्त डाक-तारघर नहीं है जो मानदण्डों के अनुसार विभागीय तारघर में बदले जाने का औचित्य रखता हो ।

त्रिचूर (केरल) में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

3586. श्री पी० पी० एंटनी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; और

(ख) त्रिचूर जिले में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इस समय केरल में 10 स्थानीय इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) त्रिचूर जिले में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाने के सम्बन्ध में हुई प्रगति निम्नलिखित है :

(1) आठवीं योजना अवधि के दौरान 25000 लाइनों के ई-10बी प्रकार के स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता जोड़ने की योजना है;

(2) दो 128 पोर्ट सी-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित कर दिए गए हैं;

(3) वर्ष 1988-89 की शेष अवधि के दौरान दो, 128 पोर्ट सी-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित करने की सम्भावना है; और

(4) वर्ष 1989-90 के दौरान छः ई० एस० ए० एक्स०-पी० ए० एम० प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित करने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र में खाना पकाने की गैस की मांग

3587. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है कि गत तीन वर्षों में वर्षवार महाराष्ट्र में खाना पकाने की गैस की मांग जिलेवार कितनी रहीं;

(ख) वर्षवार कितनी मांग पूरी नहीं की जा सकी;

(ग) प्रत्येक वर्ष में अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में गैस की कितनी सप्लाई बढ़ाई गई थी; और

(घ) महाराष्ट्र के नगरों में खाना पकाने की गैस की कुल मांग को पूरा करने की क्या योजना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। बाजार में पहले ही विद्यमान एल० पी० जी० उपभोक्ताओं की संख्या तथा वर्ष के दौरान प्रस्तावित नामांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष तेल कम्पनियों के लिए एल० पी० जी० की मांग का अनुमान बाजार वार लगाती है। महाराष्ट्र में एल० पी० जी० के उपभोक्ताओं की मांग को आमतौर पर उत्पादों की पर्याप्त सप्लाई के द्वारा पूरा किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों के बाटलिंग संयंत्रों से महाराष्ट्र को की गई सप्लाई का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1985-86	1765 मीट्रिक टन
1986-87	4877 " "
1987-88	6440 " "

(घ) महाराष्ट्र सहित देश में एल० पी० जी० की मांग को पर्याप्त रूप में पूरा करने के लिए देश में एल० पी० जी० के उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और सम्भव सीमा तक आयात के द्वारा भी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है।

आकाशवाणी पणजी में पद-रिक्तियां

3588. श्री शान्ता राम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी पणजी में रिक्तियों के बारे में 16 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2864 के उत्तर के सम्बन्धी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने रिक्त पद भरे गए हैं;

(ख) इस समय रिक्त पड़े पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ग) शेष रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) किसी स्टेशन के रिक्त पदों पर भर्ती करना एक सतत् प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से समय-समय पर नयी रिक्तियां भी हो जाती हैं। आज की स्थिति के अनुसार, 179 पदों की कुल संख्या की तुलना में 29 पद रिक्त पड़े हैं। ये पद हैं—प्रसारण पालक-9; यंत्र वादक-4; वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक, इन्जीनियरिंग सहायक, सुरक्षा गार्ड और मोटर ड्राइवर-2 प्रत्येक; स्टेशन इंजीनियर, साइंस अधिकारी; विस्तार अधिकारी, सम्पादक (स्क्रिप्ट), हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ लाइब्रेरियन, फील्ड रिपोर्टर और चपरासी—प्रत्येक का एक-एक पद।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

तापीय विद्युत संयंत्र के लिए केरल में सोवियत दल का दौरा

3589. श्री सुरेश कुरुप : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों के चयन हेतु सोवियत संघ के विशेषज्ञों के एक दल ने हाल ही में राज्य का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 20 नवम्बर, 1988 को भारत और सोवियत संघ के बीच हुए समझौते के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में एक सोवियत प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी, 1989 में केरल में प्रस्तावित क्यामकुलम विद्युत परियोजना स्थल का दौरा किया जिसके अनुसार सोवियत संघ भारत को क्यामकुलम ताप विद्युत परियोजना (420 मेगावाट) सहित 5 विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में सहायता देगा।

राज्य बिजली बोर्डों के बारे में विशेषज्ञों के निष्कर्ष

3590. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन और सुधार के सम्बन्ध में विश्व बैंक सहित के विशेषज्ञों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य बिजली बोर्डों के घाटे पर नियन्त्रण रखने के लिए विशेषज्ञों के इन निष्कर्षों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सरकारों के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन स्वायत्तशासी निकाय हैं। राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन और इनमें सुधार के सम्बन्ध में हाल में किसी समिति ने कोई सिफारिशें नहीं दी हैं। तथापि, दिनांक 27-2-1988 को हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु किए जाने वाले उपाय सुझाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

बिहार में गोपालगंज में एस० टी० डी० सुविधा

[हिन्दी]

3591. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गोपालगंज जिला मुख्यालय में वर्ष 1987 में एक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी;

(ख) क्या गोपालगंज के सीमावर्ती जिलों सिवान, छपरा बेतिया और मोतीहारी, आदि में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो अभी तक वहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) गोपालगंज में एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जाएगी; और

(ङ) गोपालगंज इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) गोपालगंज एक्सचेंज को अभी स्वचालित नहीं किया गया है। उपस्कर उपलब्ध होने पर मार्च, 1990 तक एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना है। एक्सचेंज को स्वचालित करने के बाद एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी।

तेल शोधन की क्षमता और कच्चे तेल का उत्पादन

[अनुवाद]

3592. श्री सोमनाथ रथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ और तेल शोधक क्षमता कितनी थी;

(ख) अगले पांच वर्षों में कच्चे तेल के उत्पादन में तथा तेल शोधन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार का कच्चे तेल की मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) सातवीं योजना के दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन और शोधन क्षमता इस प्रकार है :—

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन (मिलियन टन प्रति वर्ष)	शोधन क्षमता (मिलियन टन प्रति वर्ष)
1985-86	30.17	47.55)
1986-87	30.50	47.55) एच० पी० सी०
1987-87	30.36	48.70) एल०, बम्बई में
1988-89	32.18	48.70) उपलब्ध 2 मिलियन) टन प्रति वर्ष की) स्विंग क्षमता सहित।
(पूर्वानुमानित)		
1989-90 (पूर्वानुमानित)	34.51	51.60

8वीं योजना के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड की कच्चे तेल की उत्पादन योजना तथा आवश्यक अतिरिक्त शोधन क्षमता के सृजन को उक्त पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप देने के साथ में अन्तिम रूप दिया जाएगा।

मलयालम कार्यक्रम का प्रसारण

3593. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या केरल में सभी आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को मलयालम कार्यक्रम के प्रसारण की सुविधा देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन केरल में तीन नये रेडियो स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं और उन सभी से मुख्यतः मलयालम के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

जहां तक दूरदर्शन का प्रश्न है, दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में बने तथा वहां से प्रसारित किए गए मलयालम कार्यक्रम कोचीन तथा कालीकट के टी० वी० ट्रांसमीटरों से रिले किए जाते हैं, जो माइक्रोवेव द्वारा दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से जोड़े गए हैं। परन्तु, सातवीं योजना में कार्यक्रमों को रिले करने के लिए केरल में शेष टी० वी० केन्द्रों को दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिण भारत में तेल के भंडारों की खोज

3594. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दक्षिणी भाग में नए तेल भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान केरल में तेल की खोज सम्बन्धी कार्य किए जाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1988 से निम्नलिखित स्थानों पर तेल मिला है :—

भंडार का नाम	बेसिन का नाम
नानीलम	कावेरी तट वर्ती
पीवाई—3	कावेरी अपतट
बेंटूमिल्ली	कृष्णा-गोदावरी अपतट

(ग) और (घ) इस वर्ष के दौरान केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज की कोई योजना नहीं है। तथापि, केरल-कोकण अपतट में सी० एस० पी०-1 नामक एक कुआं खोदा जा रहा है और विदेशी तेल कम्पनी अर्थात् मैसर्स बी० एच० पी० एवं शैल ने प्रोसेसिंग के लिए भूकम्पीय आंकड़े प्राप्त किए हैं तथा इनका विवेचन किया जा रहा है।

उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का प्रबन्ध

3595. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कम्पनियों और/अथवा उनकी सहायक कम्पनियों के निदेशक बोर्डों के सदस्यों के नाम, अभिदत्त पूंजी, चेयरमैन व प्रबन्ध निदेशकों सहित निदेशकों के कार्यकाल के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कौनसी कम्पनियां घाटे में चल रही हैं और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) प्रबन्ध ढांचे का दर्जा बढ़ाने तथा इनका संचालन लाभप्रद बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के उपकरणों का निर्माण करने वाले उद्योगों को कर से छूट देना

3596. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर कुकर, बायोगैस-संयंत्र, सौर ऊष्मा संयन्त्र, फोटो-वोल्टाइम पैनल, पवन चक्की और इसी प्रकार के पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के उपकरणों का निर्माण करने वाले उद्योगों को कर में कोई छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे उद्योगों को जो इस प्रकार के किसी भी उपकरण का निर्माण करता है कोई राजसहायता देती है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) जी, हां। उद्योगों को अब तक दिए गए प्रोत्साहनों/कर छूट में, आयकर के अन्तर्गत 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत कुछ मामलों में रियायतें, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अनुसार इस क्षेत्रों में उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली समाप्त करना, कुछ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रौद्योगिकियों को उदार शर्तों आदि पर बैंक ऋणों के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में मानना आदि शामिल है। सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं को उदार शर्तों पर ऋण देने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था, सीमित (इरेडा) की स्थापना की है। ऐसी युक्तियों के उपयोगकर्ताओं को केन्द्र के साथ-साथ कुछ राज्य सरकारों द्वारा कुछ मामलों में विभिन्न दरों पर आर्थिक सहायता दी जा रही है।

कर्नाटक में एस० टी० डी० सुविधा

3597. श्री एच० बी० पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कर्नाटक में किन-किन शहरों को एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध करायी गयी;

(ख) कर्नाटक के उन शहरों के नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 1989-90 के दौरान एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) कर्नाटक में एस० टी० डी० सेवाओं की निगरानी के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे वे ठीक प्रकार से कार्य करें ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान कर्नाटक के जिन-जिन शहरों में एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कर्नाटक में जिन शहरों में वर्ष 1989-90 के दौरान एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, उनके नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) कर्नाटक में एस० टी० डी० सेवाओं के कार्यकरण को सही ढंग से मॉनीटर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण-1

कर्नाटक के उन शहरों की सूची जिनमें सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराई गई है

1. बंटवाल
2. गुलबर्गा
3. बीदर
4. बीजापुर
5. सिरसी
6. निप्पनी
7. कोलार
8. व्हाइटफील्ड
9. कृष्णमुर
10. चिकमंगलूर
11. चिकबल्लापुर
12. कित्तूर
13. हॉसपेट
14. कुन्दापुर
15. बाजपे
16. कोप्पल
17. नंजानगुंड
18. बेलवाडी
19. गुलदगुड
20. हावेरी
21. हीरीयुर
22. चन्नापटना
23. बंगारपेट
24. कोलार गोल्ड फील्ड
25. हुब्बागुडी
26. रामानगरम
27. विराजपेट
28. गोम्मीकोपल
29. भटकल

विवरण-2

कर्नाटक के उन शहरों के नाम जिनमें वर्ष 1989-90 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है

1. मंड्या
2. होसकोटे
3. शृंगेरी
4. कुमता
5. गंगावती
6. काम्पली
7. गौरी बिदनूर
8. तिपपुर
9. अरसीकेरे
10. सकलेशपुर
11. कोनाजे
12. जामखंडी
13. रबकवि

विवरण-3

कर्नाटक में एस० टी० डी० सेवाओं के कार्यकरण को सही ढंग से मॉनीटर करने के लिए किए जा रहे उपाय

1. एस० टी० डी० कार्यनिष्पादन स्तर को मॉनीटर करने के लिए नियमित रूप से सेवा गुणवत्ता परीक्षण किए जाते हैं।
2. ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों (टी० ए० एक्स०) के कार्य-निष्पादन को नियन्त्रित करने वाले पैरामीटरों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है।
3. अवरोध को कम करने के लिए सर्किटों की पर्याप्तता की नियमित रूप से जांच की जाती है। अनेक ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों को जोड़ने वाले उपयुक्त सर्किट भी प्रदान किए गए हैं।
4. पुराने किस्म के इलेक्ट्रो-मेकेनिकल ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों के स्थान पर आधुनिक किस्म के इलेक्ट्रॉनिक ऑटो एक्सचेंज (डिजीटल टाइप) लगाए जा रहे हैं।
5. सभी एस० टी० डी० जंक्शनों की उच्च उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन तथा समय-समय पर जांच की जा रही है।
6. माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित ट्रैफिक रिकॉर्डरों के माध्यम से एस० टी० डी० जंक्शनों के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है।

पंजाब में बिजली की कमी

3598. **श्री कमल चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 और 1988 के दौरान पंजाब में बिजली कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान कितनी बार बिजली की सप्लाई में कटौती की गई;

(ग) क्या किसानों को खेती और घरेलू उपयोग हेतु बिजली की सप्लाई नियत समयावधि के लिये की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो पंजाब में कृषि और घरेलू उपयोग हेतु पर्याप्त बिजली की सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पंजाब में 1987 और 1988 के दौरान क्रमशः 6.0 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत विद्युत की कमी था। कुल मिलाकर उपलब्ध विद्युत के अनुरूप मांग को सीमित रखने के लिए राज्य को विद्युत की कटौती/प्रतिबंध का सहारा लेना पड़ा।

(ग) पंजाब में इस समय कृषि सम्बन्धी प्रयोजन के लिए प्रतिदिन 10 घण्टे विद्युत सप्लाई की जा रही है।

(घ) पंजाब में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, अतिरिक्त क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना, ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबन्ध सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना, पड़ोसी प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना आदि। उपरोक्त उपायों के कारण कृषि तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की उपलब्धता में और सुधार हो जाने की आशा है।

पंजाब में उद्योगों की स्थापना

3599. **श्री कमल चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पंजाब में मझोले और बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष-वार कितने औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किए गए;

(ख) ये उद्योग किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए; और

(ग) अब तक कितने उद्योगों में व्यापारिक उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पंजाब में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 1985-86 से 1988-89 (जनवरी, 89 तक के बीच स्वीकृत किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1985-86	50	69
1986-87	39	30
1987-88	36	18
1988-89 (जनवरी तक)	43	15

(ख) जारी किए गए सभी आशय पत्रों के ब्यौरे जैसे कि उपक्रम का नाम व पता, एकक का स्थापना स्थल, उत्पादन की वस्तु(ओं) तथा क्षमता आदि का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मंथली न्यूजलेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

(ग) अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1989 के दौरान पंजाब के लिए स्वीकृत किए गए कुल 132 औद्योगिक लाइसेंसों में से 69 लाइसेंस "कारोबार जारी रखने" के वास्ते थे। चूंकि सामान्यतया एक औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में चार से पांच वर्ष तक का समय लगता है इसलिए ये औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्मों का निर्माण

3600. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया; और

(ख) इनमें से कितनी फिल्मे अभी तक प्रदर्शित नहीं की गई हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम चार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत फिल्मों का निर्माण/वित्तपोषण करता है जो इस प्रकार हैं :—

(1) 100 प्रतिशत वित्तपोषण स्कीम;

(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम—दूरदर्शन सह-निर्माण स्कीम;

(3) विदेशी सह-निर्माण स्कीम; और

(4) फिल्म निर्माताओं को ऋण देना।

उपर्युक्त स्कीमों के सम्बन्ध में स्वीकृत/निर्माणाधीन/पूरी की गई/प्रदर्शित की गई फिल्मों की वर्षवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की बार विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत/निर्माणाधीन/पूरी की गई/प्रदर्शित इत्यादि फिल्मों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	100% वित्तीय सहायता			दूरदर्शन के साथ सह-निर्माण				विदेशी सह-निर्माण			फिल्म निर्माताओं को ऋण				
	स्वीकृत फिल्मों की संख्या	निर्माणाधीन फिल्मों की संख्या	पूरी की गई और प्रदर्शित फिल्मों की संख्या	स्वीकृत फिल्मों की संख्या	निर्माणाधीन फिल्मों की संख्या	पूरी की गई फिल्मों की संख्या	प्रदर्शित फिल्मों की संख्या	स्वीकृत फिल्मों की संख्या	निर्माणाधीन फिल्मों की संख्या	पूरी की गई और प्रदर्शित फिल्मों की संख्या	स्वीकृत फिल्मों की संख्या	निर्माणाधीन फिल्मों की संख्या	पूरी की गई फिल्मों की संख्या	ऋण, जिसका भुगतान किया जाना है	प्रदर्शित फिल्मों का सख्या की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1986-87	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	10	2	6	2	—
1987-88	1	—	1	4	2	2	—	1	—	1	8	5	—	3	—
1988-89	6	6*	—	2	2	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—

*दो फिल्मों सहित, जिनका को अभी निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है।

उस्मानाबाद में कम शक्ति का टी० वी० रिले केन्द्र

3601. श्री मुरलीधर माने : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानाबाद में कम शक्ति का टी० वी० रिले केन्द्र चालू किए जाने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक तैयार है और इसे चालू किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) उस्मानाबाद में कम शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर को 25 फरवरी, 1989 से नियमित सेवा के लिए पहले ही चालू कर दिया गया है।

प्राकृतिक गैस से चलने वाली कारों का निर्माण

3602. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार में कॉमप्रैस प्राकृतिक गैस से चलने वाली कारों के निर्माण के लिए किसी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस सिलेण्डर भरने की क्षमता

3603. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान रसोई गैस के सिलेण्डरों को भरने की क्षमता बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान रसोई गैस सिलेण्डरों को भरने की क्षमता और बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का केरल में रसोई गैस सिलेण्डरों को भरने वाले अथवा ऐसे सिलेण्डरों का निर्माण करने वाले एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था अथवा है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1988-89 के दौरान देश की कुल बाटलिंग क्षमता में लगभग 3,20,000 टन की वृद्धि की गई है। आगामी वर्ष के दौरान इसमें लगभग 2,40,000 टन और वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) जी, हां। केरल में बाटलिंग क्षमता को लगभग 60,000 टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

अवैध कोयला खानों का अधिग्रहण

3604. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ कोयला खानों से अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों की संख्या कितनी है और वे किन-किन राज्यों में स्थित हैं;

(ग) क्या इन खानों में प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं; और

(घ) इन खानों का अधिग्रहण करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) चूंकि कोयला क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए चोरी के रूप में कोयले की गैर-कानूनी रूप से छुटपुट निकासी किए जाने के मामले होते हैं। किन्तु कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में 1976 से संशोधन किए जाने के बाद अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कोयला खनन की कार्रवाई भारत में निषेधात्मक है और उक्त अधिनियम में यह व्यवस्था है कि गैर-कानूनी रूप से किया गया खनन कार्य एक प्रज्ञाता अपराध होगा, जिसके अन्तर्गत तीन वर्ष की जेल तथा 20,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। कोयले के गैर-कानूनी रूप से किए जाने वाले खनन-कार्य पर काफी हद तक रोक लगा दी गई है। ऐसे गैर-कानूनी क्रियाकलापों पर सतर्कता राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों तथा राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है। ऐसे क्रियाकलापों के लिए निश्चित स्थान तथा दुर्घटना की दर को वर्णित नहीं किया जा सकता चूंकि ये दुर्घटनाएं चोरी स्वरूप की होती हैं और इन्हें काफी समय के बाद भी सिद्ध किया जाना कठिन है। चूंकि कोयले की निकासी किए जाने की छुटपुट घटनाएं गैर-कानूनी हैं, अतः निकासी को अपने कब्जे में लेने का सवाल ही नहीं उठता, ऐसे मामले जब भी कोयला कम्पनियों तथा राज्य सरकारों के नोटिस में आते हैं तो इन मामलों में दंडनीय कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 1988 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन

[हिन्दी]

3605. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा के कच्चे तेल का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कच्चे तेल के उत्पादन के लिए किन्हीं विदेशी कम्पनियों से सहायता प्राप्त की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क). कैलेन्डर वर्ष 1988 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 31.580 मिलियन टन था।

(ख) और (ग) उत्पादन सम्बद्ध कार्यों के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों को ठेके दिए जा रहे हैं।

टायर तथा ट्यूबों का उत्पादन

[अनुवाद]

3606. **श्री एम॰ डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रक, कार वैन इत्यादि के उपयोग के लिए टायर तथा ट्यूबों का निर्माण करने वाली प्रमुख कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये कम्पनियां अपने उत्पादों का निर्यात भी कर रहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) ट्रक, कार, वैन इत्यादि के प्रयोग के लिए टायर तथा ट्यूबों का निर्माण करने वाली प्रमुख कम्पनियां निम्नलिखित हैं :—

1. अपोलो टायर्स लि॰।
2. बॉम्बे टायर्स इंटरनैशनल लि॰।
3. सीएट टायर्स ऑफ इण्डिया लि॰।
4. डनलप इण्डिया लि॰।
5. गुडईयर इण्डिया लि॰।
6. जे॰ के॰ इण्डस्ट्रीज लि॰।
7. एम॰ आर॰ एफ॰ लि॰।
8. मोदी रबर लि॰।
9. प्रीमीयर टायर्स लि॰।
10. विक्रांत टायर्स लि॰।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑटो टायरों तथा ट्यूबों सम्बन्धी निर्यात आंकड़े निम्न

प्रकार हैं :—

वर्ष	निर्यात (एफ० ओ० बी० मूल्य रु० करोड़ में)
1985-86	47.00
1986-87	59.50
1987-88	58.30

मद्रास टी० वी० केन्द्र में कलाकारों की नियुक्ति

3607. **श्री एन० डेनिस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या मद्रास दूरदर्शन केन्द्र में कुछ विशेष कलाकार ही कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नए कलाकारों की नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा श्रेणीकृत किए गए कलाकारों को क्रमावर्तन के आधार पर दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास द्वारा बुक किया जाता है।

(ख) नयी प्रतिभाओं को खोजने का दूरदर्शन का हमेशा प्रयास रहा है। इसके लिए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में स्वर-परीक्षा आयोजित की जाती है।

दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए पटकथाओं का चयन

3608. **श्री एन० डेनिस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास में प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए पटकथाओं के चयन के लिए क्या मानदंड और प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्य दूरदर्शन केन्द्रों पर क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) प्रायोजित कार्यक्रम के चयन/अनुमोदन के लिए मानदण्ड और प्रक्रिया सभी केन्द्रों के लिए समान है। ये निम्नवत हैं :—

मानदण्ड : कार्यक्रमों के चयन के लिए लागू होने वाले मुख्य मानदण्ड यह हैं कि कार्यक्रमों से सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि हो जैसे—मानव एकता तथा मैत्री सभी धर्मों के लिए एक समान सम्मान हिंसा, सांप्रदायिक प्रतिद्वन्द्विता और तनाव का त्याग, अन्धविश्वासों तथा पूर्वधारणाओं से मुक्ति आदि। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि धारावाहिक परिवार के साथ देखने योग्य हो और इसके साथ-साथ यह मनोरंजक, शिक्षाप्रद/सूचनाप्रद भी हों।

प्रक्रिया : प्रारम्भ में संकल्पना अनुमोदन के लिए सभी प्रस्तावों की सम्बन्धित केन्द्रों द्वारा जांच की जाती है और तब प्रस्तावों को चयन समिति में प्रस्तुत किया जाता है।

प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा सहित संकल्पनाओं और एक कड़ी की पूरी स्क्रिप्ट का अनुमोदन हो जाने के बाद निर्माताओं से "पाइलट" प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जाता है तथा पायलटों की संवीक्षा और अनुमोदन होने पर ही कोई प्रायोजित कार्यक्रम या धारा-वाहिक स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद निर्माताओं से चार कड़ियां प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद ही कार्यक्रम की समय-स्लाटिंग की जाती है। एक बार धारावाहिक शुरू होने पर निर्माता से यह अपेक्षा होती है कि वे दिए गए समय पर दूरदर्शन को चार कड़ियां उपलब्ध करायें। इन कार्यक्रमों का सावधानीपूर्वक पूर्वावलोकन किया जाता है और यदि कोई सुधार/परिवर्तन या संशोधन करने की आवश्यकता हो तो उनको वास्तविक टेली-कास्ट होने से पहले सम्बन्धित निर्माता से करा लिया जाता है।

मद्रास दूरदर्शन के लिए सलाहकार बोर्ड

3609. **श्री एन० डेनिस :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास दूरदर्शन केन्द्र के लिए सलाहकार बोर्ड गठित किए गए हैं;

(ख) इन बोर्डों के सदस्य किस आधार पर मनोनीय किए जाते हैं और उनका कार्यक्रम कितना होता है; और

(ग) क्या इन बोर्डों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत किया जाता है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) मद्रास दूरदर्शन केन्द्र में कार्यक्रम सलाहकार समिति, ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समिति तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सलाहकार समिति कार्य कर रही हैं।

(ख) केन्द्र तथा दूरदर्शन मुख्यालयों की सिफारिशों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्यों का नामांकन करता है। नृत्य, नाटक, संगीत, महिला तथा बाल कल्याण, खेल जैसे विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों के 15 गैर-सरकारी सदस्यों का चयन तथा नामांकन; राज्य में स्थित दूरदर्शन केन्द्र के कवरेज क्षेत्र के अन्तर्गत, समिति में किया जाता है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का है। केन्द्र के निदेशक कार्यक्रम सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। अन्य दो समितियों का गठन केन्द्रों द्वारा स्वयं ही किया जाता है तथा इनमें अधिकतर सरकारी सदस्य होते हैं।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का वहां कोई नियत प्रतिनिधित्व नहीं है। परन्तु यदि वे निर्धारित विशिष्ट क्षेत्र की किसी भी श्रेणी में आते हैं तो उन्हें भी नामित किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में कैनिंग में लम्बी दूरी तक टेलीफोन सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3610. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में लम्बी दूरी तक टेलीफोन सुविधा वाले और रेडियो उपकरण (मल्टी एसेस रूरल रेडियो सिस्टम) युक्त सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र जिनका बेस-स्टेशन कैनिंग में होगा, स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस केन्द्र की स्थापना में क्या अड़चन सामने आई हैं और उन्हें किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कैनिंग स्थित बेस स्टेशन के साथ 5 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन की स्कीम को एम० ए० आर० आर० प्रणाली के साथ, मार्च, 1989 तक चालू किए जाने की आशा है। तदुपरांत, शेष स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाएंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्पनी अधिनियम की धारा 630 लागू करना

3611. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री कम्पनी अधिनियम की धारा 630 लागू करने के बारे में 29 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक अपेक्षित सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड को पिछले वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई एवं दिल्ली से कुछ और सूचना मंगाई गई है तथा उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

पश्चिमी अपतट समन्वित विकास योजना

3612. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का वर्तमान समुद्रगत तेल और गैस की पाइप लाइनों को आपातकाल में सुचारू रूप से कार्यक्रम बनाये रखने के लिए पश्चिमी अपतट के समन्वित विकास हेतु 900 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना की सैनिक दृष्टिकोण से जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो उन पर सैनिक विशेषज्ञों की क्या राय है; और

(घ) इस योजना की विस्तृत रूप रेखा क्या है और इस समय यह किस स्थिति में है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने पश्चिमी अपतट में समन्वित विकास से सम्बन्धित गैस आयोग के प्रस्ताव के सभी पहलुओं के अध्ययन के लिये एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

दुपहिया स्कूटरों का निर्माण

3613. श्री मोहन भाई पटेल :
श्री शांति धारीवाल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुपहिया स्कूटर बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी की निर्माण क्षमता क्या है;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान प्रत्येक कम्पनी ने कितने-कितने दुपहिया स्कूटर तैयार किए;

(ग) इस समय दुपहिया स्कूटरों की कितनी मांग है;

(घ) क्या इनकी मांग दिन-प्रतिदिन घट रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस उद्योग को बचाने हेतु दुपहिया स्कूटरों के निर्यात के लिए विदेशी बाजार का पता लगाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) मोटरगाड़ी और सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद ने वर्ष 1989-90 के लिए 17.48 लाख सभी के प्रकार के दुपहिया स्कूटरों के उत्पादन की परिकल्पना की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दुपहिया स्कूटरों के कुछ निर्माता पहले से ही अपने वाहनों का निर्यात कर रहे हैं। निर्माता अपने वाहनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

विवरण

स्कूटरों के प्रमुख निर्माताओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

निर्माता का नाम	दुपहिया और तिपहिया ब्राड बैंडेड और लाइसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन* 1988 (नगों में)
1	2	3
1. मैसर्स बजाज आटो लि०	5.70 लाख नं०	361871

1	2	3
2. मैसर्स एल० एम० एल० लि०	2 लाख नं०	139609
3. मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स	2 लाख न०	92211
4. मैसर्स कायनेटिक होन्डा	2 लाख नं०	34940

* उत्पादन के आंकड़े एसोसिएशन आफ इण्डियन आटोमोबील मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

महाराष्ट्र में बिजली का उत्पादन

3614. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में बिजली की कुल कितनी मांग है और कितना उत्पादन होता है; और

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) महाराष्ट्र में अप्रैल, 1988—फरवरी, 1989 के दौरान ऊर्जा की कुल आवश्यकता 29365 मिलियन यूनिट थी। उक्त अवधि के दौरान राज्य के अपने विद्युत उत्पादन को मिलाकर समग्र रूप से 28486 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध थी।

(ख) सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र के लिए 3048.87 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रारक्षित रखा गया है।

पन बिजली और ताप विद्युत परियोजनाओं से लिए द्विपक्षीय सहायता

3615. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने पन बिजली और ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए द्विपक्षीय सहायता की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी गई है और भविष्य में प्राप्त होने वाली सहायता का देशवार तथा परियोजनावार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राप्त हुई सहायता के बारे में देश-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	विदेशी सहायता का स्रोत	सहायता की राशि
1	2	3	4
1.	विंध्याचल सु० त० वि० केन्द्र चरण-एक	सोवियत संघ	लगभग 384 मिलियन रूबल
2.	कहलगांव ता० वि० केन्द्र	सोवियत संघ	224.24 मिलियन रूबल
3.	टिहरी विद्युत परियोजना	सोवियत संघ	1000 मिलियन रूबल
4.	विंध्याचल सु० ता० वि० केन्द्र चरण-दो	सोवियत संघ	400 मिलियन रूबल
5.	चमेरा	कनाडा	सी० आई० डी० ए० से 217 मिलियन डालर का ऋण + ई० डी० सी० से 403 मिलियन कनाडा डालर
6.	रिहन्द सु० ता० वि० केन्द्र चरण-एक	ग्रेट ब्रिटेन	344 मिलियन डालर का ऋण + 117 मिलियन पौंड की सहायता
7.	कोरबा चरण-दो	एफ० आर० जी०	190 मिलियन डी० एम० (सह-वित्तपोषण)
8.	रामागुण्डम चरण-दो	एफ० आर० जी०	140 मिलियन डी० एम० (सह-वित्तपोषण)
9.	सिंगरौली चरण-दो	एफ० आर० जी०	240 मिलियन डी० एम० (सह-वित्तपोषण)
10.	लोअर मैसूर ज० वि० परियोजना	ओ० ई० सी० एफ०	7.6 बिलियन जापानी येन
11.	माइक्रो ज० विद्युत त० बि० बोर्ड	ओ० ई० सी० एफ०	2.0 बिलियन जापानी येन
12.	पूर्वी गंडक परियोजना	ओ० ई० सी० एफ०	1.63 बिलियन जापानी येन

1	2	3	4
13.	हीराकुंड ज० वि० परियोजना	ओ० ई० सी० एफ०	1.5 बिलियन जापानी येन
14.	पश्चिमी यमुनानहर	ओ० ई० सी० एफ०	4.0 बिलियन जापानी येन
15.	अनपारा "बी" ता० वि० केन्द्र	ओ० ई० सी० एफ०	24. +14.295 बिलियन जापानी येन
16.	कठलगुड़ी गैस टर्बाइन और पारेषण लाईन निर्माण	ओ० ई० सी० एफ०	43.52 बिलियन जापानी येन
17.	तिस्ता नहर ज० वि० परियोजना	ओ० ई० सी० एफ०	8.025 बिलियन जापानी येन
18.	लोअर बारपानी जल विद्युत परियोजना	ओ० ई० सी० एफ०	1.7 बिलियन जापानी येन
19.	उज्जैनी ज० वि० परियोजना	ओ० ई० सी० एफ०	1.5 बिलि० जापानी येन
20.	श्रीसैलम ज० वि० परियोजना	ओ० ई० सी० एफ०	26.101 बिलि०जापानी येन
21.	रायचुर ता० वि० केन्द्र	ओ० ई० सी० एफ०	23.142 बिली० जापानी येन
22.	घाटघर पैम्प स्टोरेज स्कीम	ओ० ई० सी० एफ०	11.414 बिलियन जापानी येन

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

3616. श्री विजय एन० पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदार विदेशी पूंजी निवेश नीति के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने अधिक पूंजी निवेश किया है;

(ग) क्या इस वर्ष रुपये के अवमूल्यन का विदेशी पूंजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों के लिए विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जिन देशों ने अपेक्षाकृत अधिक निवेश किए हैं, वे हैं अमरीका, जर्मन संघ गणराज्य, इटली, जापान, ब्रिटेन तथा फ्रांस।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1988 के दौरान विदेशी निवेश के आंकड़ों से ऐसा संकेत नहीं मिलता है।

(घ) वर्ष 1988 में जिन मुख्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी है वे हैं :—

इलेक्ट्रिकल उपकरण, औद्योगिक मशीनें, रसायन (उर्वरकों के अलावा) औद्योगिक औजार मशीनी औजार तथा धातुकर्मी उद्योग आदि ।

विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता

3617. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार देश की पन और ताप विद्युत परियोजनाओं की पृथक-पृथक राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी; और

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान अब तक किन-किन राज्यों कि अधिष्ठापित विद्युत क्षमता बढ़ाई गई है और कितनी-कितनी बढ़ाई गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं ।

विवरण-1

31-12-1988 की स्थिति के अनुसार राज्य/प्रणालीवार ताप, न्यूक्लीय और/ जल विद्युत उत्पादन क्षमता

राज्य/प्रणाली	ताप (मेगावाट)	न्यूक्लीय (मेगावाट)	जल विद्युत (मेगावाट)	जोड़ (मेगावाट)
1	2	3	4	5
बी० बी० एम० बी०	—	—	2705.0	2705.0
दिल्ली	1196.5	—	—	1196.5
हरियाणा	635.0	—	32.0	667.0
हिमाचल प्रदेश	—	—	322.9	322.9
जम्मू व कश्मीर	22.5	—	523.0	545.5
पंजाब	1070.0	—	364.0	1434.0
राजस्थान	430.0	440.0	330.0	1200.0
उत्तर प्रदेश	6192.5	—	1422.4	7614.9
गुजरात	3633.0	—	305.0	3938.0

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	4872.5	—	205.0	5077.5
महाराष्ट्र	5765.0	320.0	1637.0	7722.0
आन्ध्र प्रदेश	2325.5	—	2468.7	4794.2
कर्नाटक	420.0	—	2095.4	2515.4
केरल	—	—	1476.5	1476.5
तमिलनाडु	2730.0	470.0	1799.0	4999.0
बिहार	1425.0	—	150.0	1575.0
दा० घा० निगम	1655.0	—	104.0	1759.0
उड़ीसा	470.0	—	890.0	1360.0
प० बंगाल	2706.0	—	41.3	2747.3
डी० पी० एल०	390.0	—	—	390.0
सिक्किम	—	—	12.0	12.0
असम	484.5	—	—	484.5
मणिपुर	—	—	105.0	105.0
मेघालय	—	—	275.2	275.2
त्रिपुरा	10.0	—	15.0	25.0

विवरण-2

सातवीं योजना के प्रारम्भ के तीन वर्ष में प्रतिष्ठापित क्षमता में अभिवृद्धि

क्र० सं०	एजेन्सी	1985-86			1986-87			1987-88		
		जल विद्युत	ताप विद्युत	जोड़	जल विद्युत	ताप विद्युत	जोड़	जल विद्युत	ताप विद्युत	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राज्य बिजली बोर्डों के नाम									
1.	आन्ध्र प्रदेश	210.0	—	210.0	229.0	—	229.0	19.8	—	19.8
2.	आसाम	—	—	—	—	75.0	75.0	—	—	—
3.	बिहार	—	220.0	220.0	—	—	—	—	—	—
4.	गुजरात	—	210.0	210.0	—	210.0	210.0	5.0	330.0	335.0
5.	हरियाणा	8.0	110.0	118.0	8.0	110.0	118.0	16.0	—	16.0
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	1.0	—	1.0	18.0	—	18.0
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	2.0	—	2.0	2.0	—	2.0
8.	कर्नाटक	100.0	210.0	310.0	—	—	—	—	—	—

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. केरल	297.5	—	297.5	167.5	—	167.5	—	—	—
10. मध्य प्रदेश	—	210.0	210.0	—	—	—	45.0	—	45.0
11. महाराष्ट्र	90.0	852.0	942.0	180.0	—	180.0	51.5	210.0	261.5
12. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. उड़ीसा	100.0	—	100.0	—	—	—	160.0	—	160.0
14. पंजाब	134.0	—	134.0	—	—	—	1.5	210.0	211.5
15. राजस्थान	50.0	—	50.0	—	—	—	9.0	—	9.0
16. तमिलनाडु	20.0	—	20.0	115.0	210.0	325.0	295.0	210.0	505.0
17. उत्तर प्रदेश	—	210.0	210.0	—	210.0	210.0	1.2	320.0	321.2
18. पश्चिमी बंगाल	—	210.0	210.0	—	—	—	—	—	—
राज्य विद्युत बोर्डों का जोड़ :	1009.5	2232.0	3241.5	702.5	815.0	1517.5	624.0	1280.0	1904.0
2. विद्युत विभाग									
1. डी० पी० एल०	—	110.0	110.0	—	—	—	—	—	—
2. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	—	—	—	—	180.0	180.0	—	—	—
3. मणिपुर	1.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—
4. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1
5. त्रिपुरा	—	5.0	5.0	1.0	5.0	6.0	—	—	—
6. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.3
विद्युत विभाग जोड़ :	1.5	115.0	116.5	1.0	185.0	186.0	0.3	2.1	2.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	केन्द्रीय क्षेत्र									
1.	एन०टी०पी०सी०	—	210.0	210.0	—	710.0	710.0	—	2420.0	2420.0
2.	नेवेली	—	210.0	210.0	—	210.0	210.0	—	210.0	210.0
3.	डी० वी० सी०	—	210.0	210.0	—	—	—	—	—	—
4.	डी० ए० इ०	—	235.0	235.0	—	—	—	—	—	—
5.	एन० एच० पी० सी०	—	—	—	—	—	—	345.0	—	345.0
6.	नीपको (एन० इ० सी०	—	—	—	—	—	—	100.0	—	100.0
	केन्द्रीय क्षेत्र जोड़ :	—	865.0	865.0	—	920.0	920.0	445.0	2630.0	3075.0
4.	उत्तरी/पूर्वी/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मिनी/माइक्रो जल विद्युत	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—
	कुल जोड़ :	1011.0	3212.0	4223.0	704.5	1920.0	2624.5	1069.3	3912.1	4981.4

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना

3618. श्री के० प्रधानी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए निम्नलिखित सीमा तक मंजूरी जारी की गई है :—

जिला	शाखा डाकघर	उप-डाकघर
बालासोर	10	—
बोलनगीर	4	—
कालाहांडी	2	—
क्योंझर	3	—
कोरापुट	17	—
मयूरभंज	1	—
फूलबनी	1	—
पुरी	1	—
सम्बलपुर	5	2
सुन्दरगढ़	1	—
जोड़ :	45	2

इसके अतिरिक्त 125 अन्य डाकघरों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में आकाशवाणी केन्द्र

3619. श्री के० प्रधानी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) नये आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के लिए मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में क्योंझर में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी, कटक के ट्रांसमीटर की शक्ति को 1974 में 20 किलोवाट मी० वेव से बढ़ाकर 100 कि० वा० मी० वे० किया गया था।

(ख) आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने में जिन मानदण्डों का अनुसरण किया जा रहा है उनमें विभिन्न तथ्य शामिल हैं, जैसे उन क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करना जहां किसी अन्य वर्तमान स्टेशनों से सिगनल द्वारा कवर नहीं किया गया है, पहाड़ी, पिछड़े, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सेवाओं की व्यवस्था करना, तकनीकी व्यवहार्यता, ग्रामीण और शहरी जनता को परिणामी कवरेज का विस्तार करना, कार्यक्रम निर्माण और लिंकेज सुविधाओं की उपलब्धता, भाषायी और सांस्कृतिक आवश्यकताएं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना स्कीमों के अनुसार, 105 नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र शहरों में स्थापित किए जाएंगे परन्तु इसका व्यापक लाभ ग्रामीण जनता को मिलेगा।

(घ) क्योंझर स्थानीय रेडियो केन्द्र 29-11-88 को चालू किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी यथानुपात लाभों का भुगतान

3620. श्री शांति लाल पटेल :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री एस० एम० गुरड्डी :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और केन्द्रीय स्वशासी निकाय में जिन सरकारी कर्मचारियों को स्थायी रूप से खपाया गया है, उनके लिए सेवानिवृत्ति सम्बन्धी यथानुपात लाभों के भुगतान के मामले में समानता लाई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 और वर्ष 1983 की अवधि के बीच जिन कुछ सिविल कर्मचारियों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में खपाया गया है, उन्हें यथानुपात पेंशन सम्बन्धी लाभ न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें यथानुपात पेंशन सम्बन्धी लाभ देने के लिए क्या निदानात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) समानता लाने से सम्बन्धित भारत सरकार के आदेश अपने जारी होने की तिथि अर्थात्

31-3-1987 से प्रभावी हैं। इस कारण, 28 सितम्बर, 1972 और 31 दिसम्बर, 1983 के मध्य ग्राम विद्युतीकरण निगम में खपाए गए कर्मचारी उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत लाई गई समानता के पात्र नहीं हो सकते।

(ग) (ख) की स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की "बूटचेर द्वीप टैंकेज परियोजना"

3621. **श्री शांति लाल पटेल :**
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री सी० एस० बासवराजू :
श्री गुरुदास कामत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की "बूटचेर द्वीप टैंकेज परियोजना" में कुछ अनियमितताएं बरते जाने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जैसाकि 18 जनवरी, 1989 को "फ्री प्रेस जर्नल" में "रुपीज 2 करोड़ वेस्टेड इन पी० पी० सी० एल० इंस्टालेशन" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सरकार ने 18 जनवरी, 1989 के फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट देखी है। बूचर द्वीप में टैंकेज परियोजना के निष्पादन के लिए मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने प्रक्रियात्मक मानदण्ड अपनाए हैं और कोई अनियमितता नजर में नहीं आई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कोयला गैस का प्रयोग

3622. **श्री वाई० एस० महाजन : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक एककों में कोयला गैस का प्रयोग कोयला और भट्ठी तेल जलाने की तुलना में सस्ता है तथा इससे कम प्रदूषण होता है; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक एककों को कोयला गैस का प्रयोग करने के लिए सहमत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) लघु तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक एककों में कोयले गैस का प्रयोग भट्ठी तेल जलाने के मुकाबले में सस्ता होने की सम्भावना है। कोयले को सीधे जलाने की तुलना में कोयला गैस प्रयोग में लाए जाने की

किफायत इस बात पर निर्भर करती है कि कोयला गैस अथवा कोयले को किस विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाना है।

कोयला गैस का प्रयोग भट्ठी तेल तथा कोयले की परोक्ष ज्वलनशीलता दोनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है।

(ख) लघु तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक एककों में कोयला गैस के प्रयोग करने के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाएं सलाह दे रही हैं। कोल इण्डिया लि० द्वारा स्थापित दनकुनी कोयला काम्प्लेक्स औद्योगिक तथा कलकत्ता महानगरीय क्षेत्रों के अन्य उप-भोक्ताओं को 176 मिलियन सामान्य क्यूबिक मीटर कोयला गैस प्रतिवर्ष सप्लाई करेगी।

दूर-संचार सेवाओं में बेहतर कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु दोषी कर्मचारियों को सेवा मुक्त करना

3623. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन, टेलेक्स तथा टेलीग्राफ सेवाओं में बेहतर कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी निरन्तर दोषी दूर-संचार कर्मचारियों को सेवामुक्त करने हेतु अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार का दूर-संचार सेवा के कार्य में सुधार लाने के लिए क्या और कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से मिशन : बेहतर संचार अभियान के अन्तर्गत अनेक कार्य शुरू किए गए हैं। इनमें से कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

(एक) उन इलेक्ट्रो-मेकेनिकल उपस्करों को बदलना जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है;

(दो) खराब टेलीफोनों के स्थान पर नए टेलीफोन लगाना;

(तीन) सारी ऊपरी संरेखण के स्थान पर भूमिगत केबिलें बिछाना;

(चार) दोषप्रवरण भूमिगत केबिलों को बदलना;

(पांच) इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की व्यवस्था; और

(छः) स्टाफ को ग्राहकोन्मुखी प्रशिक्षण देना।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के कर्मचारियों की हड़ताल से हुई हानि

[हिन्दी]

3624. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन आयल कारपोरेशन के कर्मचारियों की हाल की हड़ताल से कितनी हानि हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के कर्मचारियों ने हाल ही में कोई हड़ताल नहीं की। तथापि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के कुछ कर्मचारियों ने फरवरी, 1989 के पहले सप्ताह के दौरान "नियमानुसार काम" करने का तरीका अपनाया जिसके कारण कुछ बाटलिंग संयंत्रों को कुछ दिनों के लिए बन्द करना पड़ा। इससे रिफिलों की सप्लाई में अस्थायी रूप से विघ्न पड़ा। इन संयंत्रों में फरवरी, 1989 के दौरान योजनारूप बाटलिंग की तुलना में रिफिलों की भराई लगभग 19.5 प्रतिशत कम हुई।

रूदौली टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

3625. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रूदौली टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य को आठवीं योजना के दौरान पूरा कर दिए जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्वालियर व्यापार मेले में मारुति कारों की बिक्री

3626. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले में कारों की बिक्री पर कुछ रियायत दी गयी थी और इस सम्बन्ध में गड़बड़ी किए जाने की कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या उनके नाम और वे किन-किन पदों पर हैं जिन्होंने यह लाभ उठाया है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दैनिक समाचारपत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन

3627. **श्री निर्मल खत्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक समाचारपत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन देने की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक "जनमोर्चा" को भी दिए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन, सरकार की विज्ञापन नीति, प्रचार अपेक्षाएं और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर विभिन्न समाचार-पत्रों को जारी किए जाते हैं। इसलिए, सभी समाचार-पत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन नहीं दिए जा सकते।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्ध के लिए नीति

3628. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या क्या थी;

(ख) इनमें से ऐसे उद्यमों की संख्या कितनी है जो पिछले पांच अथवा अधिक वर्षों से कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी क्षमता का 85 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया है;

(ग) ऐसे उद्यमों की संख्या कितनी है, जिन्होंने अपनी क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन नहीं किया है;

(घ) क्या सरकार का इन उद्यमों के प्रबन्ध में मौलिक परिवर्तन करने के लिए कोई नई नीति अपनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 31-3-88 को, जिस तारीख तक की जानकारी उपलब्ध है, सरकारी क्षेत्र के 233 उद्यम थे।

(ख) गत पांच अथवा उससे अधिक वर्षों से कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के 79 उत्पादन एककों ने वर्ष 1987-88 के दौरान अपनी क्षमता का 85% अथवा उससे अधिक का उपयोग किया है।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान 13 उत्पादन एककों ने कभी भी अपनी क्षमता का 50% तक उपयोग नहीं किया है।

(घ) से (च) फिलहाल, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में मौलिक परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उत्पादन एककों की क्षमता के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में—समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना, निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्र की व्यवस्था करना, उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण करना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, अनुसंधान तथा विकास, सुधरा हुआ अनुरक्षण प्रबन्ध, आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन, प्रबन्ध विकास, संगठनात्मक पुनर्गठन आदि शामिल हैं।

भारतीय प्रेस परिषद के सेवा नियमों का उल्लंघन

3629. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद के नियमों के अन्तर्गत कर्मचारियों के परिषद की सेवा में बने रहने के लिए अवधि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई ऐसे भी अधिकारी हैं, जिन्हें निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी परिषद की सेवा में बने रहने दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद नियमावली, 1979 के नियम 8क(2) में यह व्यवस्था है कि किसी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु हो जाने पर परिषद की सेवा से निवृत्त किया जायेगा परन्तु विशेष मामलों में परिषद लिखित रूप में रिकार्ड किए गए कारणों पर और केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से अधिवार्षिकी की आयु को 60 वर्ष तक बढ़ा सकती है।

(ग) और (घ) भारतीय प्रेस परिषद् ने कहा है कि इस सम्बन्ध में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। सरकार इसकी विस्तृत जांच कर रही है क्योंकि यह विषय वस्तु लेखा परीक्षा पैरा की है जिसका अभी निराकरण किया जाना है।

भारतीय प्रेस परिषद् में कर्मचारियों को अधिक वेतन का भुगतान किया जाना

3630. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद में अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वेतन दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इनके वेतन सरकार द्वारा की गई सिफारिशों से अधिक हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अधिकारियों और कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान की प्रभावी ढंग से वसूली करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अनुच्छेद 26(ख) के अनुसरण में परिषद केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही अपने कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए विनियम बना सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रेस परिषद नियमावली, 1979 के नियम 8क(1) में यह उल्लेख है कि जहां अधिकतम वेतनमान 4500 रुपए प्रतिमाह से अधिक हो ऐसे मामलों में वेतनमान और भत्ते स्वीकार करने, वेतनमान, भत्तों में संशोधन करने और उनकी पुनरीक्षा सहित परिलब्धि से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव केवल केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से ही निपटाए जाएंगे। अक्तूबर, 1984 में, ऊपर उल्लिखित अनुच्छेद 26(ख) के अनुसरण में सरकार ने परिषद द्वारा प्रस्तावित पदों के वेतनमानों की संशोधित अनुसूची का सुझाव दिया था। इस मामले पर अभी निर्णय लिया जाना है। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि यह मामला लेखा परीक्षा पैरा का भी विषय है जिस पर सरकार ध्यान दे रही है।

(घ) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

असम में गैस ग्रिड की स्थापना

3631. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने असम में अतिरिक्त गैस के उत्पादन का पूरा उपयोग करने की दृष्टि से वहां गैस ग्रिड स्थापित करने हेतु एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार को यह योजना पहली बार कब प्रस्तुत की गई थी; और

(च) इस योजना पर सरकार कब तक अन्तिम निर्णय लेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (च) गेल ने 1987 में सुझाव दिया था कि आयल इण्डिया और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के गैस क्षेत्रों को जोड़ दिया जाए और एक ट्रंक पाइपलाइन के द्वारा इस प्रकार एकत्र की गई गैस को प्रवाहित किया जाए। इस ट्रंक पाइपलाइन को अब आमगुड़ी तक बिछाने का प्रस्ताव है, जहां कि असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एक बिजलीघर बनाना प्रस्तावित है। यह परियोजना सप्लाई के मुख्य स्रोत के रूप में है। मुख्यत: आयल इण्डिया के मुक्त गैस क्षेत्रों पर निर्भर करती है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए आयल इण्डिया से संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इस ग्रिड के बारे में अन्तिम निर्णय सम्बद्ध गैस के उत्पादन और खपत परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

गुजरात में दूरदर्शन रिले केन्द्र

[अनुवाद]

3632. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 में गुजरात में किन नये स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इनमें से कोई दूरदर्शन केन्द्र 1 किलोवाट शक्ति का होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) बलसाद, पोरबन्दर और जूनागढ़ में पहले ही चालू किए गए अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के अलावा, गुजरात के जामनगर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर और काकरापार में एक अति अल्प शक्ति (2 × 10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के 1989 के दौरान चालू होने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन की अनुमोदित सातवीं योजना में गुजरात में 1 किलोवाट दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, भुज में 10 किलोवाट ट्रांसमीटर की स्थापना की परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

एल० पी० जी० सिलेंडरों के लिए जमा धनराशि पर ब्याज

3633. **डा० दिग्विजय सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल० पी० जी० एजेंसियां गैस-सिलेंडरों के लिए जमा धनराशि पर कोई ब्याज देती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए गैस डीलरों को निर्देश जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपभोक्ताओं से जमा की गई सिक्योरिटी की राशि का प्रयोग सिलिंडरों को बदलने तथा एल० पी० जी० सुविधाओं को संतोषजनक स्तर पर चलाने और उनके अनुसरण के लिए किया जाता है। उपभोक्ताओं को दिए गए प्रत्येक सिलिंडर और रेगुलेटर के लिए तेल उद्योग को 1.6 सिलिंडर तथा 1.1 रेगुलेटर की सप्लाई तैयार रखनी पड़ती है इसलिए सिक्योरिटी की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

विद्युत उपयोग के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश

3634. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिलासिता प्रयोजनों के लिए कितनी बिजली इस्तेमाल की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने देश में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए बिजली विलासिता हेतु बिजली के इस्तेमाल से बचने के लिए कोई मार्गनिर्देश तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र नहीं की जा रही है। अनुत्पादक/बिलासिता प्रयोजन के लिए विद्युत के अत्यधिक उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु अधिकतर राज्यों और संघ शासित ने टैरिफ का श्रेणीकृत ढांचा अपनाया है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए जापान द्वारा सहायता

3635. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए जापान के "ओवरसीज इकानोमिक कारपोरेशन फंड" से वर्ष 1989-90 के दौरान सहायता लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी राशि की सहायता का अनुरोध करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित ब्यौरे वाली 6 विद्युत परियोजनाओं को वर्ष 1989-90 के दौरान

जापान के ओवरसीज इकोनोमिक फण्ड से सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	जहां स्थित है ।
1.	लारजी ज० वि० परियोजना	3×42 मे० वा०	हिमाचल प्रदेश
2.	उहल ज० वि० परियोजना	4×17.5 मे० वा०	हिमाचल प्रदेश
3.	विष्ण प्रयाग ज० वि० परियोजना	4×120 मे० वा०	उत्तर प्रदेश
4.	बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन विद्युत परियोजना	4×30 मे० वा०	तमिलनाडु
5.	भवानी कट्टालाई ज० वि० परियोजना	6×15 मे० वा०	तमिलनाडु
6.	गंधार गैस-आधारित केन्द्र	600 मे० वा०	गुजरात

इन परियोजनाओं हेतु प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित सहायता राशि विदेशी मुद्रा अवयव और स्थानीय कीमतों से सम्बन्धित होगी ।

आंध्र प्रदेश को सिंगरेनी कोयला खानों से कोयले का आबंटन

3636. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोयला खानों से निकाले जाने वाले कोयले की वार्षिक मात्रा कितनी है तथा इसमें से आंध्र प्रदेश को कितनी मात्रा का आबंटन किया गया है; और

(ख) इस हेतु क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड ने 16.40 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जिसमें से 10.59 मिलियन टन कोयला आंध्र प्रदेश के विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं को आबंटित किया गया ।

(ख) भारत सरकार की स्थायी संयोजन समिति की सिफारिश पर सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित कुल कोयले का लगभग 85% कोयला महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को आबंटित किया जाता है । इस कम्पनी द्वारा गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कोयले का आबंटन कम्पनी के निर्धारित तकनीकी तथा वैज्ञानिक मानदण्डों के आधार पर तथा सम्बन्धित राज्यों के उद्योग विभाग के परामर्श पर किया जाता है ।

पेट्रोल और खाना पकाने की गैस का आयात

3637. श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पेट्रोल और खाना पकाने की गैस का अनुमानतः कितना उत्पादन होता है तथा इनकी खपत कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इस मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान पेट्रोल और खाना बनाने की गैस का और अधिक मात्रा में आयात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) देश में पेट्रोल और एल० पी० जी० की अनुमानित उत्पादन और खपत इस प्रकार है ;—

(मात्रा "000" टन)

	1988-89	
उत्पाद	उत्पादन	खपत
पेट्रोल	3136	3055
एल० पी० जी०	1750	1963

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान 300,000 टन एल० पी० जी० के आयात करने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त अवधि के दौरान पेट्रोल का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अगरबत्ती उद्योग

3638. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय अगरबत्ती निर्माता संघ ने कच्चे माल की अनुपलब्धता सम्बन्धी समस्याओं के बारे में शिकायत की है जिसके फलस्वरूप अगरबत्ती तैयार करने वाले सैकड़ों एकक बन्द हो सकते हैं; जैसाकि 31 जनवरी, 1989 के "डकन हेरेल्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उद्योग को बचाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। आल इण्डिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से इस बारे में अभ्यावेदन मिले हैं कि उन्हें कच्चा माल मुख्यतया जिगत, एक वन आधारित उत्पाद नहीं उपलब्ध हो रहा है।

(ख) कर्नाटक में अगरबत्ती उत्पादकों को अन्य राज्यों से जिगत लाने की अनुमति दे दी गयी है जिससे कि यह आसानी से मिल सके। कर्नाटक सरकार भी जिगत की दीर्घावधि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गैर-वन क्षेत्रों में मैचिलस मकरन्थ के पेड़ लगाने को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है।

दूरसंचार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3639. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सेवाओं में अपनाई जा रही नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ गति को बनाए रखने के लिए दूरसंचार कर्मचारियों के लिए योजनाबद्ध प्रशिक्षण और दर्जा बढ़ाने का कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के ज्ञान और कार्यकुशलता को अद्यतन बनाने के लिए विभाग में पहले से ही एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध है। विभाग में शुरू की जा रही सभी नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों को इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग होने से पहले ही प्रशिक्षित कर दिया जाता है।

(ख) स्टाफ के प्रशिक्षण से सम्बन्धित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	1987 में	1988 में
—प्रारम्भ की गई नई प्रणालियों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	520	607
	1991 तक	**1992—95 के बीच**
—प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या	4000	10500

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतनमान

3640. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन सरकारी उपक्रमों ने जनवरी, 1987 से अपने कार्यकारी अधिकारियों के वेतनमान संशोधित किये हैं, इनके पुराने और नये वेतनमान क्या हैं, किस तारीख से संशोधन किया गया है और अब उनका पुराना और नया महंगाई भत्ता क्या है;

(ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, इंडियन आयल कारपोरेशन, इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन, आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड और नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोशन में 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 6000 रुपये तक प्रति माह के मूल वेतन वाले वर्ग के कार्यकारी अधिकारियों को इस समय कितना-कितना महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी भी सरकारी उद्यम ने 1987 से अपने कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन नहीं किया है।

(ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, भारतीय तेल निगम, इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन,

भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० जैसे सरकारी उद्यमों में औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र के अन्तर्गत कार्यपालकों को 1-1-1989 से 1059.45 रुपये की दर से महंगाई भत्ता अदा किया जा रहा है। नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के कार्यपालक तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग महंगाई भत्ता सूत्र के अन्तर्गत महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं।

उत्तर प्रदेश के हल्द्वानी कस्बे में टेलीफोन सेवा

[हिन्दी]

3641. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हल्द्वानी कस्बे में टेलीफोन सेवा बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो इस कस्बे में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के हल्द्वानी शहर में टेलीफोन सेवा सामान्यतः संतोषजनक है। तथापि, सेवा में और सुधार लाने के लिए वर्ष 1992-93 हेतु 1500 लाइनों के एक इलेक्ट्रॉनिक सी-डॉट किस्म के एक्सचेंज का आबंटन कर दिया गया है।

(ग) प्रस्तावित सी-डॉट किस्म के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को आठवीं योजना अवधि के अन्त तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है।

धार-चूला और मुनस्यारी नगरों में एस० टी० डी० सुविधा

3642. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो सीमावर्ती नगरों धारचूला और मुनस्यारी और जिला मुख्यालयों के बीच एस० टी० डी० सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धारचूला और मुनस्यारी में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए भू-केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस पर आठवीं योजना के दौरान विचार किया जाएगा।

गुजरात के पत्तनों पर पोतों को ईंधन सप्लाई की व्यवस्था

[अनुवाद]

3643. श्री हरीश रावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल कम्पनियों ने गुजरात के पत्तनों पर पोतों को ईंधन की सप्लाई की व्यवस्था की है और कितने प्रतिशत पोत गुजरात के पत्तनों से होकर जाते हैं और वहां ईंधन लेते हैं;

(ख) गुजरात के पत्तनों में पोतों में ईंधन भरने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होती है;

(ग) गुजरात से खाड़ी और लाल सागर के पत्तनों को जाने वाले पोतों में ईंधन भरने की योजनायें और लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) क्या गुजरात के पत्तनों से खाड़ी और लाल सागर के पत्तनों के बीच चलने वाले भारत में पंजीकृत टैंकर इन सुविधाओं का उपयोग कर के विदेशी मुद्रा की बचत करते हैं और यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) गुजरात राज्य में कांडला और ओखा बन्दरगाहों पर बंकरिंग सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं। फरवरी, 1989 से बेदी, जामनगर, सलाया, और वाडिनार में बंकरों की सप्लाई के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी स्थापित की की गई हैं।

(ख) वर्ष 1988 में लगभग 1.55 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचायी गई।

(ग) काण्डला और ओखा में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त फरवरी, 1989 से बेदी, जामनगर, सलाया और वाडिनार में बंकरिंग सुविधाओं की स्थापना से गल्फ और रेडसी के पत्तनों से आने वाले जहाजों को भी इन बन्दरगाहों पर खड़ा किया जा सकता है।

(घ) भारतीय पंजीकृत टैंकर भी पहले से ही काण्डला और ओखा में बंकरिंग सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। सभी जहाजी कम्पनियों को बेदी, जामनगर, सलाया और वाडिनार में सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में बता दिया गया है। उन बन्दरगाहों पर हाल ही में सुविधाएं प्रदान की गयी हैं वहां इस समय विदेशी मुद्रा की बचत की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

कोल इण्डिया द्वारा इक्विटी में वृद्धि का प्रस्ताव

3644. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० का इक्विटी में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या कोल इंडिया लि० के लिए इक्विटी में वृद्धि इसलिये आवश्यक है ताकि वह आगामी वर्षों में और अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) इस समय कोल इंडिया लि० की प्राधिकृत पूंजी 6,000 करोड़ रुपया है, जिसे कोल इण्डिया लि० के वर्तमान प्रचालन तथा विकासात्मक जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

भूकम्प सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कम्प्यूटरों का आयात

3645. **श्री भद्रेश्वर तांती** : **क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और गैस क्षेत्रों से तेल और गैस निकालते समय प्राप्त भूकम्प सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक भूभौतिकीय कम्प्यूटरों का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने कम्प्यूटरों का आयात किया गया और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस कार्य के लिए लगभग 36.29 करोड़ रुपए की लागत पर 5 कम्प्यूटरों का आयात किया है।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा डीलरों की नियुक्ति

3646. **श्री भद्रेश्वर तांती** : **क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा गत दो वर्षों के दौरान देश में विभिन्न भागों में कुछ डीलर नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो डीलरों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) डीलरों की नियुक्ति के लिए अपनाए गए मुख्य मापदण्ड में पार्टी की योग्यताएं :

(1) मारुति नीतियों के अनुसार एक स्टैण्डर्ड ग्राहक सेवा प्रदान करना;

(2) विपणन शेयर को अधिकतम करना; और

(3) कम्पनी की छवि को अधिकतम सम्भव रूप में प्रस्तुत करना और विकसित करना।

डीलरों की नियुक्ति मारुति उद्योग लिमिटेड के बोर्ड द्वारा खुले विज्ञापन द्वारा मंगाए गए आवेदनों के आधार पर की जाती है जिनकी योग्यताओं का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है।

विमानों के लिए ईंधन का आयात

3647. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों के लिये ईंधन का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी;

(ग) भारत में विमानों के उतरने का कितना प्रभार दिया जाता है; और

(घ) क्या उक्त ईंधन के आयात पर निर्भर न रहने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान आयात किये गये ए० टी० एफ० का मूल्य लगभग 16.76 करोड़ रुपये था।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) रिफाइनरी में काम बंदी या संभारतंत्र सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न आवधिक कमी को पूरा करने के लिए मामूली मात्रा में वैमानिक ईंधन का आयात किया जाता है।

विवरण

(ग) भारत में देशीय हवाई अड्डों/सिविल एंकलेवों की लैंडिंग प्रभार दरें इस प्रकार हैं :—

1. **अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें** :

100,00 कि०ग्रा० से अनधिक	31.00 रुपये प्रति 1,000 कि० ग्रा०
10,000 कि० ग्रा० से अधिक परन्तु 20,000 कि० ग्रा० से अनधिक	310,00 रुपये और 10,000 कि०ग्रा० से अधिक होने पर 46.00 रुपये प्रति 1,000 कि० ग्रा०
20,000 कि० ग्रा० से अधिक परन्तु 50,000 कि० ग्रा० से अनधिक	770.00 रुपये और 20,000 कि० ग्रा० से अधिक होने पर 92.00 रुपये प्रति 1,000 कि० ग्रा०
50,000 कि० ग्रा० से अधिक परन्तु 1,00,000 कि० ग्रा० से अनधिक	3,530.00 रुपये और 50,000 कि०ग्रा० से अधिक होने पर 107.00 रुपये प्रति 1,000 कि० ग्रा०
1,000,000 कि० ग्रा० से अधिक	8,880.00 रुपये और 1,00,000 कि० ग्रा० से अधिक होने पर 122.00 रुपये प्रति 1,000 कि० ग्रा०

2. अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के अलावा अन्य उड़ानें :

10,000 कि० ग्रा० से अनधिक	17.00 रुपये प्रति 1,000 कि० ग्रा०
10,000 कि० ग्रा० से अधिक परन्तु 20,000 कि० ग्रा० से अनधिक	170.00 रुपये और 10,000 कि० ग्रा० से अधिक होने पर 30.00 रुपये प्रति 1000 कि० ग्रा
20,000 कि० ग्रा० से अधिक	470.00 रुपये और 20,000 कि० ग्रा० से अधिक होने पर 60.00 रुपये प्रति 1,000 कि० ग्रा०

3. बम्बई/कलकत्ता/दिल्ली/मद्रास में टर्मिनल नेवीगेशन का लैंडिंग प्रभार :

	रुपयों में	अमरीकी डालरों में
10,000 कि० ग्रा० से अधिक	250	19
10,000 कि० ग्रा० से अनधिक	1350	204

उड़ीसा में तालचेर ताप विद्युत केन्द्र का नवीकरण

3648. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में तालचेर ताप विद्युत केन्द्र का नवीकरण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो नवीकरण कार्य कब से शुरू किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा नवीकरण कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नवीकरण का कार्य 1984-85 में शुरू किया गया था। जनवरी, 1989 तक 19.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है, कार्यकरण का भाग लगभग 57% पूरा हो चुका है और शेष भाग कार्यान्वयन के विभिन्न अवस्थाओं में है।

फर्नीचर निर्माण में प्लास्टिक का प्रयोग

3649. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्नीचर निर्माण में जहां सम्भव हो लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक का प्रयोग करने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय मानक ब्यूरों में प्लास्टिक फर्नीचर के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानदण्डों का निर्धारण कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा फर्नीचर में लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक प्रयोग करने के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) भारत सरकार सरकारी कार्यालयों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्लास्टिक के फर्नीचर का प्रयोग आरम्भ करने पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) ब्यूरो आफ इण्डियन स्टेण्डर्स (बी० आई० एस०) को आफिस प्लास्टिक फर्नीचर को मानकीकृत करने को लिए कहा गया है।

(घ) इस मामले में रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा गठित कार्यदल ने वित्तीय शुल्कों के युक्तिकरण, सभी विभागों एवं सरकारी क्षेत्र के एककों को प्लास्टिक के फर्नीचर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निदेश जारी करने, प्रौद्योगिकी के स्तर को उन्नत बनाने, उत्पाद विकास, आदि और उद्योग द्वारा किसी वित्तीय कदम के लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने, आदि के लिए सुझाव दिए थे।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में घाटा

3650. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लगभग कितना घाटा हुआ; और

(ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में 1975-76 से 1984-85 तक के वर्षों में लाभ होता रहा जबकि 1977-78 तथा 1978-79 के वर्षों में कम्पनी को घाटा हुआ। इस कम्पनी में 1985-86 से बाद की अवधि में घाटा होना शुरू हो गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में हुए घाटे को नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	हुआ घाटा
1985-86	83.24
1986-87	68.67
1987-88	90.43

टिप्पणी—दिनांक 1-4-1986 से सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की कुछ कोयला खानों को दो नई कोयला कम्पनियों, अर्थात् नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० तथा साउथ ईस्टन कोलफील्ड्स लि० के अधिकार में दे दिया गया।

(ग) कोल इण्डिया लि० तथा उसकी सहायक कम्पनियां, जिसमें सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० भी शामिल है, की कार्य-क्षमता में सुधार लाये जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जोकि संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार है :—

(1) भूमिगत खानों पर विशेष बल देते हुए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि।

(2) उपयुक्त कार्यशाला सम्बन्धी समर्थन, विकसित स्पेयर प्रबन्ध व्यवस्था और उपकरणों की समय से पुन स्थापना कराते हुए उपकरणों की उपलब्धता और उपयोगिता में सुधार।

(3) सुधरी श्रम शक्ति आयोजन, जिसमें अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती और गैर-उत्पादकता वाली श्रेणियों में नये रोजगार पर प्रतिबन्ध शामिल है।

(4) शक्ति उत्पादक कारकों की विस्फोट क्षमता और सुधरी सामग्री नियन्त्रण की व्यवस्था में सुधार करके अतिरिक्त पुर्जों तथा विभिन्न अन्य आगतों की खपत में मितव्ययिता।

(5) लागत में कमी लाने वाले उपायों का विकसित प्रबोधन।

(6) राज्य विद्युत बोर्डों जैसे उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में कुल वसूली योग्य बकाया राशि को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) परिचालन की कार्यक्षमता में सुधार लाए जाने के लिए कई प्रणालियों में सुधार तथा प्रबन्धीय उपायों को अंगीकार किया गया है।

(8) उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विद्यमान खानों को पुर्नगठित करने सम्बन्धी प्रयास।

बंगलौर में केवल नान-डोमेस्टिक इंडेन खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के वितरक

3651. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में इंडेन के वितरकों द्वारा सप्लाई किए जा रहे नान-डोमेस्टिक, सिलेंडरों की संख्या कितनी है;

(ख) बंगलौर में केवल "नान-डोमेस्टिक", (ब्यू बैंड) इन्डेन सिलेण्डरों के वितरकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या बंगलौर में केवल "नान-डोमेस्टिक" सिलेण्डरों के वितरक दोनों तरह के अर्थात् रसोई गैस और "नान-डोमेस्टिक" गैस सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) बंगलौर में इण्डेन के वितरकों द्वारा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 22,400 रिफिल प्रतिमाह सप्लाई किए जा रहे हैं।

(ख) शून्य।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर द्वारा नये एककों की स्थापना

3652. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज बंगलौर द्वारा ई० एस० एस०, III एवं IV एकक स्थापित किए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। सी-डॉट प्रौद्योगिकी, जिसका अभी विकास किया जा रहा है, का देश में उत्पादन करने के लिए अभी हाल में ई० एस० एस० II कारखाना स्थापित किया गया है। इनकी मांग तथा देश में उपलब्धता के बीच किए गए मूल्यांकन अंतर के आधार पर दूसरी ई० एस० एस०-III यूनिट औचित्य का प्रस्ताव किया गया है।

बंगलौर शहर में रसोई गैस की कम मात्रा में सप्लाई

3653. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 से बंगलौर शहर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत गैस के रसोई गैस सिलेन्डरों की कम मात्रा में सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो एक उपभोक्ता को सिलेण्डर प्राप्त करने के लिए कितने दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा वहां पर रसोई गैस सिलेन्डरों की नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) आवागमन, औद्योगिक सम्बन्धों तथा परिचालन सम्बन्धी अन्य समस्याओं के अतिरिक्त एल० पी० जी० की कमी मात्रा में उपलब्धता में कमी आने के परिणामस्वरूप हाल में बंगलौर शहर सहित देश के अनेक भागों में अस्थायी रूप से एल० पी० जी० की रिफिलों की सप्लाई में बैकलॉग उत्पन्न हुआ। पहले से ही उठाए गए कदमों के फलस्वरूप स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश में एल० पी० जी० के अधिकतम उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवहार्य सीमा तक आयात के द्वारा भी सप्लाई को

बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तेल उद्योग स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

बंगलौर नगर में घरेलू और वाणिज्यिक रसोई गैस डीलर

3654. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर नगर में इन्डेन गैस के कितने डीलर घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग हेतु रसोई गैस की सप्लाई करते हैं;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान कितने नए डीलरों को नियुक्त किया;

(ग) बंगलौर नगर में उन रसोई गैस डीलरों के नाम क्या हैं जो घरेलू और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के उपयोग के लिए गैस कनेक्शन देते हैं; और

(घ) क्या घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग हेतु इंडेन रसोई गैस की डीलरशिप अलग-अलग देने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1-3-1989 को बंगलौर में शहर में कुल 47 एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों में से 20 वितरण केन्द्र इंडियन ऑयल कारपोरेशन के थे। इनमें से 18 वितरण केन्द्र घरेलू और गैर घरेलू दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को सप्लाई करते हैं तथा 2 वितरण केन्द्र केवल घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई करते हैं।

(ख) कैलेन्डर वर्ष 1988 के दौरान बंगलौर शहर में एक नया वितरक नियुक्त किया गया है।

(ग) तेल उद्योग के उन एल० पी० जी० वितरकों के नाम नीचे दिए गए हैं जो घरेलू और गैर-घरेलू दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को सप्लाई करते हैं :—

1. अनुग्रह एजेंसी
2. गणपतिराजा एंटरप्राइजिज
3. हर्ष एंटरप्राइजिज
4. रोहन गैस डिस्ट्रीब्यूटरस
5. बी० जी० के० एजेंसी
6. महालक्ष्मी एंटरप्राइजिज
7. अशीर्वाद एंटरप्राइजिज
8. अक्षय गैसस
9. अविनाश गैस एजेंसी

10. बंगलौर गैस कम्पनी
11. जी० एस० मुरथी एण्ड संस
12. आइडल एंटरप्राइजिज
13. कार्थिक एजेंसी
14. कनिष्का गैस एजेंसी
15. राम एजेंसी
16. रवि एंटरप्राइजिज
17. मंजू डिस्ट्रीब्यूटर
18. मुरली एंटरप्राइजिज
19. मनरथ एंटरप्राइजिज
20. महेश्वरी एजेंसी
21. शक्ति एंटरप्राइजिज
22. शक्ति गैस डिस्ट्रीब्यूटर
23. विनय एंटरप्राइजिज
24. श्री वेंकटेश्वर एंटरप्राइजिज
25. इंदू गैस एजेंसी
26. कृष्णा गैस एजेंसी
27. ललिता गैस एजेंसी
28. बी० बी० एस० एंटरप्राइजिज
29. हिमू डिस्ट्रीब्यूटरस
30. मोहन गैस सर्विस
31. राजा एंटरप्राइजिज
32. कविता एंटरप्राइजिज
33. राघवेन्द्रा एंटरप्राइजिज
34. विश्म्बरा एंटरप्राइजिज
35. कावेरी इंडेन गैस एजेंसीज
36. वसंत एंटरप्राइजिज
37. अनाथ गैस
38. श्री गिरिधर एजेंसी

39. मधु एजेंसी

40. डी० के० एजेंसी

41. श्री विनायक एजेंसी

42. शीला एजेंसी

43. सरसहाना एंटरप्राइजिज

44. गोपी एजेंसी

45. इंडिया गैरेज

(घ) बंगलूर शहर में केवल गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1987-88 की विपणन योजना में इंडेन का एक वितरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक नीति को उदार बनाना

3655. **श्री मुरलीधर माने** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति को कुछ और उदार बनाये जाने का विचार है ताकि उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उदारीकरण सम्बन्धी उपायों का मुख्य उद्देश्य जहां एक तरफ औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है, वहां दूसरी तरफ हमारे उद्योग की कार्यकुशलता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है। इन उपायों से रचनात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रतिस्पर्धा के दबावों के कारण आधुनिकीकरण और प्रोद्योगिकी उन्नयन, लागत में कमी, गुणवत्ता में सुधार और उपभोक्ता की संतुष्टि की ओर उद्योग का अधिकाधिक ध्यान आकृष्ट हो रहा है। इन उद्देश्यों के संवर्धन के लिए औद्योगिक नीति तथा कार्य-विधियों को उदार बनाना एक सतत प्रक्रिया है और बदलती हुई आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार विशेष उपाय किए जाते हैं।

तेल के भंडारों का समाप्त होना

3656. **श्री मुरलीधर माने** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के तेल के भंडारों से यदि वर्तमान दर से तेल निकाला जाता रहा तो ये भण्डार अगले बीस वर्षों में समाप्त हो जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) 1 जनवरी, 1988 को कच्चे तेल के शेष प्राप्य भंडार लगभग 6.40 मिलियन टन के थे। जबकि 1 जनवरी, 1985 को ये भण्डार लगभग 500 मिलियन टन के थे। भण्डारों में लगातार परिवर्तन होता रहता है और ये नए भण्डारों और समाप्त भण्डारों पर निर्भर करता है। नये भंडारों की खोज के लिए लगातार खोज प्रयास किए जा रहे हैं, जब तक भंडारों को बढ़ाने की दर भंडारों के समाप्त होने के दर से अधिक रहेगी तब तक तेल के भंडार खत्म होने का कोई प्रश्न नहीं है।

उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में विदेशों की भागीदारी

3657. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में विदेशों की भागीदारी को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) उपभोक्ता वस्तुओ का निर्माण करने वाले संगठित क्षेत्र में अनुमानतः कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) इसमें विदेशों द्वारा अनुमानतः कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(घ) लाभ तथा लाभांश रायल्टी और डिजाइनकार का शुल्क इत्यादि के रूप में अनुमानतः प्रतिवर्ष कितनी धनराशि बाहर जाती है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार की नीति यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए विदेशी सहयोग, वित्तीय अथवा तकनीकी, प्रायः आवश्यक नहीं है। तथापि, निहित प्रौद्योगिकी के स्वरूप, स्वदेशी प्रौद्योगकी की उपलब्धता, निर्यात आय की संभाव्यता तथा इसी प्रकार के कारकों को ध्यान में रखते हुए यदि सहयोग करना न्यायोचित पाया जाता है तो उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए विदेशी सहयोग करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-85 के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ए० एस० आई०) के अनुसार उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले बुनियादी एककों में पूंजीगत निवेश 15060 करोड़ रुपए था। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में कुल निवेश में विदेशी निवेश की सीमा से सम्बन्धित सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) भुगतान के रूप में दी गयी राशि से सम्बन्धित सूचना एकत्र नहीं की जाती है। वर्ष 1985-86 और 1986-87 में लाभ, डिविडेन्ड, रायल्टी, तकनीकी जानकारी और ब्याज के कारण विदेशी कम्पनियों को दी गई राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में लाभ डिविडेंड, रायल्टी, तकनीकी जानकारी तथा ब्याज के कारण विदेशी कम्पनियों को दी गयी राशि

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लाभ	डिविडेंड	रायल्टी	तकनीकी जानकारी	विदेशी मुद्रा में निजी क्षेत्र द्वारा ब्याज	योग
1985-86	11.80	75.20	23.50	367.90	218.70	697.70
1986-87	10.60	85.50	40.10	358.40	318.90	813.50

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

3658. डा० ए० के पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व संसद सदस्यों, भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व राज्यपालों के साथ-साथ केन्द्र/राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों पर 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन बिलों की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक धनराशि कब से बकाया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

"इण्डियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन" से अभ्यावेदन

3659. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को "इण्डियन ड्रग्स मैन्यूफैक्चरर्स" एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) लाइसेंस देने, आयात, निर्यात और मूल्य निर्धारण नीतियों आदि विषयों पर आई० डी० एम० ए० सहित उद्योग से अनेक अभ्यावेदन बारंबार प्राप्त होते हैं। जब भी अपेक्षित हो, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

फिल्मों के प्रसारण समय में परिवर्तन

3661. श्री श्रीहरि राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के फिल्म उद्योग ने शनिवार और रविवार को दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली फीचर फिल्मों के प्रसारण समय में परिवर्तन किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश फिल्म चैम्बर ऑफ कामर्स ने एक ज्ञापन में यह सुझाव दिया है कि रविवार अपराह्न को राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट क्षेत्रीय फीचर फिल्मों को शनिवार रात्रि 9.50 बजे से टेलीकास्ट किया जाए। विदेशी फीचर फिल्मों, पुरानी क्लासिक फिल्मों, टेली-फिल्मों और टेली-नाटकों के टेलीकास्ट के लिए दूरदर्शन पहले ही शनिवार 9.50 बजे रात्रि के स्लॉट का उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा शनिवार की सायं को क्षेत्रीय भाषा की फीचर फिल्मों को भी टेलीकास्ट किया जाता है। इन कारणों से आंध्र फिल्म चैम्बर आफ कामर्स के सुझाव को मानना सम्भव नहीं है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल खोज कार्यक्रम का शुरू किया जाना

3662. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने किन-किन राज्यों में तेल खोज कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का उड़ीसा में महानदी बेसिन के तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में तेल खोज कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने निम्नलिखित राज्यों में हाइड्रोकार्बनों की खोज का कार्य अपने हाथ में लिया है :—

—असम	—उत्तर प्रदेश	—आंध्र प्रदेश एंड
—नागालैण्ड	—हिमाचल प्रदेश	—वेस्ट कास्ट
—मिजोरम	—हरियाणा	—ईस्ट कास्ट
—मणिपुर	—जम्मू और कश्मीर	
—मेघालय	—मध्य प्रदेश	
—त्रिपुरा	—राजस्थान	
—बंगाल	—गुजरात	
—बिहार	—तमिलनाडु	

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशों में तेल की खोज

3663. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने "विदेशों में तेल खोज सम्बन्धी कार्यक्रम" के अन्तर्गत कुछ देशों में तेल-खोज कार्य के ठेके लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने किन-किन देशों में तेल खोज कार्यक्रम शुरू किया है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल-खोज कार्य के लिए मलेशिया से भी करार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस देश से तेल खोज-कार्य के लिए कुल कितनी राशि का ठेका मिला है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड ने वियेतनाम के निर्दिष्ट अपतटीय क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए वियेतनाम समाजवादी गणराज्य की राष्ट्रीय तेल कम्पनी पेट्रो वियेतनाम के साथ 19 मई, 1988 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप में "प्लास्टिक रा मैटिरियल बैंक" की स्थापना

3664. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर उड़ीसा में, प्लास्टिक के कच्चे माल की कमी है;

(ख) क्या प्लास्टिक और अन्य पेट्रो-रसायन उद्योगों की कच्चे माल की मांग को पूरा करने हेतु उड़ीसा में पारादीप में "प्लास्टिक रा मेटिरियल बैंक" की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है और इसकी स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) इस समय प्लास्टिक के कच्चे माल की सकल स्वदेशी उपलब्धता उड़ीसा सहित देश में प्लास्टिक प्रोसेसिंग एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) और (ग) पारादीप बन्दरगाह पर पेट्रो रसायन मध्यवर्तियों के भण्डारण एवं उतारने-चढ़ाने के लिए सुविधाएं स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है।

आकाशवाणी, नई दिल्ली में आग लगना

[हिन्दी]

3665. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :
श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 में आकाशवाणी केन्द्र, नई दिल्ली के जनरेटरकक्ष में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप प्रसारण पर भी प्रभाव पड़ा था; और

(घ) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) आकाशवाणी, नई दिल्ली के प्रसारण भवन के दोनों फीडरों को बिजली की आपूर्ति दिनांक 8-1-89 को सायं 6 बजकर 33 मिनट पर बन्द हो गई थी। सहायक डीजल जैनरेटर को तत्काल चालू कर दिया गया था। 10 मिनट तक डीजल जैनरेटर चलने के बाद, जैनरेटर के कमरे से काफी अधिक धुंआ निकलता देखा गया। डीजल जैनरेटर को सायं 6 बजकर 43 मिनट पर बन्द कर दिया गया था और आग को स्थानीय अग्नि-शामकों द्वारा बुझा दिया गया था। निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि डीजल जैनरेटर सैट की निकास-पाइप पर लिपटी हुई रस्सी ने आग पकड़ ली थी। इसे हटाया गया और डीजल जैनरेटर की जांच की गई तथा यह पाया गया कि वह कार्य करने की ठीक स्थिति में है।

आकाशवाणी, दिल्ली से प्रसारण सेवा सायं 6 बजकर 43 मिनट से 6 बजकर 47 मिनट तक, 6 बजकर 48 मिनट से 7 बजकर 5 मिनट तक तथा 7 बजकर 15 मिनट से 7 बजकर 21 मिनट तक भंग रही।

टेलीफिल्मों का सिनेमा पर प्रभाव

3666. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफिल्मों का सिनेमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का सिनेमा के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है जिससे कोई इस प्रकार का प्रमाणित निष्कर्ष निकलता हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत आबंटन

[अनुवाद]

3667. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओद्योगिक कृषि और घरेलू क्षेत्रों के लिए देश में उत्पादित कुल बिजली का कितने-कितने प्रतिशत आबंटन किया गया है; और

(ख) क्या कृषि क्षेत्र को अपर्याप्त बिजली सप्लाई की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी आई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

श्रेणी	1986-87 के दौरान खपत की प्रतिशतता
औद्योगिक	52.5
कृषि	20.7
घरेलू	14.2
वाणिज्यिक	5.9
अन्य	6.7
जोड़ :	100.0

(ख) कृषि उत्पादन कई पहलुओं पर निर्भर करता है, बिजली की सप्लाई उनमें से केवल एक है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की आपूर्ति का निर्णय कुल बिजली की मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस समय कृषि उपभोक्ताओं को कम से कम 8 घण्टे प्रतिदिन बिजली सप्लाई की जा रही है।

तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदन-पत्र

3668. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिला-वार कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) दक्षिण अर्कोट जिला, उत्तर अर्कोट जिला, सलेम और तंजौर जिलों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ग) लम्बित आवेदन पत्रों को कब तक निपटाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में, राजस्व जिला-वार नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	राजस्व जिला	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	चंगलपट्टू	1417
2.	कोयम्बटूर	17429
3.	चिदम्बरलार	809
4.	धरमपुरी	1165
5.	अन्ना	939
6.	नीलगिरि	1060
7.	तंजावूर	2461
8.	त्रिची	3920
9.	पुडुकोट्टई	521
10.	साउथ अर्कोट	1332
11.	नार्थ अर्कोट	2720
12.	रामनाथपुरम्	457
13.	कामराजार	1420
14.	कन्याकुमारी	1451
15.	मदुरई	5007
16.	नेल्लाई कटाभोम्मन	954
17.	परसुपन मुपरमालिंगम	395
18.	पेरियार	4267
19.	पांडिचेरी	2211
20.	सलेम	3503

(ख) जिला-वार लम्बित आवेदनों की संख्या :—

1. साउथ अर्कोट	1332
2. नार्थ अर्कोट	2720
3. सलेम	3503
4. तंजावूर	2461

(ग) औसतन 1-4-87 तक (एम० ए० एक्स-1 एक्सचेंजों के लिए) 1-4-88 तक (एम० ए० एक्स-II एक्सचेंजों के लिए) और 1-4-90 तक (एम० ए० एक्स-III एक्सचेंजों के लिए) पंजीकृत आवेदकों की प्रतीक्षा सूची को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तथा शेष को आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में निपटा दिए जाने की सम्भावना है।

तमिलनाडु में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

3669. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आधुनिक बनाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मद्रास में मोटर कलपुर्जे विकास केन्द्र

3670. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मद्रास में मोटर कलपुर्जे विकास केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को कब भेजा गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1987 में तमिलनाडु सरकार द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें परिकल्पना की गई थी कि परियोजना की कुल लागत 431.84 लाख रुपए होगी जिसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का अंशदान क्रमश: 60 लाख और 371.84 लाख रुपए होगा।

(ग) आर्थिक तथा अन्य कारणों से सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मूल्य निर्धारण नीति का अध्ययन

[हिन्दी]

3671. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपनी मूल्य निर्धारण नीति का अध्ययन किया है और अपने सुझाव सरकार को भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि करने के सम्बन्ध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3672. **श्री शांति धारीवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की स्वीकृति देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज की स्वीकृति देने के लिए कम से कम कितने टेलीफोन प्रयोक्ताओं की आवश्यकता है;

(ग) सरकार को न्यूनतम अपेक्षित आवेदकों से टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने के लिए राज्य-वार कितने आवेदन-प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) टेलीफोन एक्सचेंज निम्नानुसार न्यूनतम रजिस्टर्ड मांग के आधार पर मंजूर किए जाते हैं :—

क्रम सं०	न्यूनतम रजिस्टर्ड मांग	एक्सचेंज की क्षमता
1.	5	9
2.	10	25
3.	23	50
4.	46	100

(ग) और (घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	न्यूनतम मांग के मानदण्ड को पूरा करते हुए नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या	अब तक खोले गए एक्सचेंजों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	20	14
2.	बिहार	13	13
3.	गुजरात	57	28
4.	जम्मू एवं कश्मीर	12	3
5.	कर्नाटक	166	66
6.	केरल	8	1
7.	मध्य प्रदेश	70	50
8.	महाराष्ट्र	183	21
9.	उत्तर-पूर्व	शून्य	शून्य
10.	असम	7	1
11.	हरियाणा	20	14
12.	हिमाचल प्रदेश	27	16
13.	पंजाब	86	10
14.	उड़ीसा	25	15
15.	राजस्थान	110	25
16.	तमिलनाडु	12	4
17.	उत्तर प्रदेश	30	25
18.	पश्चिम बंगाल	37	4

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में क्षमता का उपयोग

[अनुवाद]

3673. प्रो० के० वी० थामस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के सभी एककों में पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन एककों की क्षमता के उपयोग में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) एच० एम० टी० के विभिन्न व्यापारिक समूह के वर्ष 1988-89 के लिए फरवरी, 1989 के अन्त तक क्षमता उपयोग निम्नलिखित है :—

1. मशीन टूल्स	86%
2. घड़ियां	97%
3. ट्रैक्टर	100%
4. डेरी मशीनरी	53%
5. लैम्प	69%

(ख) क्षमता के कम उपयोग के लिए, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन, कच्चे माल की कमी, विपणन नियंत्रण, जबरदस्त स्पर्धा और बिजली की कमी जैसे कारण हैं।

(ग) क्षमता उपयोग में सुधार के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें कच्चे माल की सप्लाई और बाजार से और आर्डर प्राप्त करने के लिए निकट से मानीटरी करना है।

दिल्ली में अधिक राशि के टेलीफोन बिल

3674. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को टेलीफोन बिलों में अधिक राशि होने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) अब तक कितनी शिकायतें निपटाई गई हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली में वर्ष 1988-89 के दौरान 31-1-1989 तक अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या 1995250 बिलों की तुलना में 19332 है जोकि केवल 0.97 प्रतिशत बैठती है।

(ख) कुल 19332 शिकायतों में से 16791 शिकायतों को इसी अवधि के दौरान निपटा दिया गया था। इनमें से 13,511 मामलों में छूट देने के लिए कोई औचित्य नहीं पाया गया था।

अनिवासी भारतीयों द्वारा केरल में उद्योगों की स्थापना

3675. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने केरल में उद्योग स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार प्राप्त किए गए ऐसे आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नवम्बर, 1983 में विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) का गठन होने के बाद से अब तक केरल में एककों की स्थापना करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के लिए अनिवासी भारतीयों से कुल 8 आवेदन प्राप्त हुए।

टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना

3676. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री बी० तुलसीराम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदला गया है;

(ख) उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जो अभी भी पुराने उपकरणों के आधार पर चल रहे हैं; और

(ग) देश में कब तक सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 235 एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) एक्सचेंज बदलने का कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है और यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

राज्य का नाम	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले गए एक्सचेंजों की संख्या
1	2
मिजोरम	1
आंध्र प्रदेश	26
असम	6

1	2
बिहार	7
गुजरात	12
कर्नाटक	19
नागालैण्ड	1
केरल	12
अरुणाचल प्रदेश	1
महाराष्ट्र	17
दिल्ली (संघ राज्य)	14
मणिपुर	1
पंजाब	5
उत्तर-प्रदेश	28
हरियाणा	2
राजस्थान	14
तमिलनाडु	19
अण्डमान और निकोबार (संघ राज्य)	1
पाण्डिचेरी (संघ राज्य)	2
पश्चिम बंगाल	9
हिमाचल प्रदेश	6
जम्मू और कश्मीर	3
लक्षद्वीप (संघ राज्य)	1
मध्य प्रदेश	21
उड़ीसा	7
जोड़ :	235

गैस कनेक्शनों का हस्तांतरण

3677. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को, उनके विवाह होने अथवा लम्बे

अन्तराल के लिए उनके दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में उनके गैस कनेक्शन को उनके सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सामान्यत: एल० पी० जी० कनैक्शनों का अन्तरण नहीं किया जाता है। हालांकि हेराफेरी से प्राप्त किए गए कनैक्शनों को नियमित करने का कोई प्रश्न नहीं है फिर भी उपभोक्ता की मृत्यु पर उसके वारिस/उत्तराधिकारी को या कनैक्शन रखने और धारक से प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इससे सम्बन्धित कागजात और भावी अन्तरिती द्वारा उक्त समय पर विद्यमान दर पर सिक्योरिटी जमा कराने पर अन्तरित किए जाने की सुविधा है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग

3678. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अथवा इसके सीमा क्षेत्र में शामिल किए गए अनुसूचित उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जो 1 जनवरी, 1985 से उक्त अनुसूची से निकाल दिए गए हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1985 से विनियमन सम्बन्धी ढांचे और उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 में किए गए अन्य परिवर्तन क्या हैं; और

(घ) उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किए जाने की प्रक्रिया और इसके परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों से, योजना के अन्तर्गत दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार निदेशों के अनुपालन और वांछित क्षेत्रों में औद्योगिक पूंजी निवेश की राशि बढ़ाने और एक स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायता मिली है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1 जनवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार आई० डी० आर० अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन आने वाले उद्योगों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जनवरी, 1985 से, आई० डी० आर० अधिनियम की प्रथम अनुसूची से किसी उद्योग को नहीं निकाला गया है।

(ग) अनावश्यक विनियमकारी नियंत्रणों को कम करने तथा औद्योगिक स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

1. गैर-एम० आर० टी० पी०/गैर-फेरा कम्पनियों हेतु 50 करोड़ रुपए की निवेश सीमा तक के उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना।
2. गैर-एम० आर० टी० पी०/गैर-फेरा तथा एम० आर० टी० पी०/फेरा दोनों कम्पनियों के लिए विशिष्ट उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना।
3. उद्योगों का विशद वर्गीकरण (ब्रांड बैंडिंग)।
4. न्यूनतम आर्थिक माप क्षमता की स्वतः स्वीकृति।
5. विनिर्माण सम्बन्धी विद्यमान सुविधाओं के द्वारा उत्पादन को अधिकाधिक करना तथा इस प्रकार प्राप्त हुई अधिकतम क्षमता का स्वतः पुनः पृष्ठांकन।
6. अतीत में क्षमता के 80 प्रतिशत उपयोग के आधार पर क्षमता का पुनः पृष्ठांकन।
7. आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के आधार पर क्षमता का पुनः पृष्ठांकन।
8. तकनीकी विकास निधि योजना (टी० डी० एफ०) का उदारीकरण।
9. प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टी० यू० एस०) आरम्भ करना।
10. एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 22(क) के अधीन उद्योगों को छूट।
11. आशय पत्रों की प्रारम्भिक वैधता अवधि को 3 वर्ष तक बढ़ाने सहित औद्योगिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया का सरलीकरण।
12. विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत माल की स्वीकृति से सम्बन्धित प्रक्रिया का सरलीकरण।

(घ) सरकार द्वारा किए गए उपायों से रचनात्मक परिणाम मिलने आरम्भ हो गए हैं। 1984 से, निरन्तर औद्योगिक विकास 8% प्रति वर्ष के आसपास रहा है। प्रतियोगी दबावों के अन्तर्गत उद्योग लागत कम करने, गुणवत्ता सुधार तथा प्रौद्योगिकी विकास पर अधिक ध्यान दे रहा है। विदेशी बाजारों में प्रचलित प्रतियोगिता का सामना करने के लिए भी इसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर, यह प्रक्रिया एक कुशल और आत्मावलम्बी औद्योगिक आधार की व्यवस्था में योगदान कर रही है।

विवरण

प्रथम अनुसूची

निम्नलिखित प्रत्येक शीर्षक या उप-शीर्षक के अन्तर्गत दी गई किसी वस्तु का उत्पादन अथवा विनिर्माण करने वाले कोई उद्योग, जैसे :—

1. धातुकर्मीय उद्योग :

(क) फेरस :

(1) लौह एवं स्टील (धातु)।

(2) फेरो-मिश्रधातु।

(3) लौह एवं स्टील कास्टिंग तथा फॉजिंग।

(4) लौह एवं स्टील संरचनाएं।

(5) लौह एवं स्टील पाइप।

(6) विशिष्ट स्टील।

(7) लौह एवं स्टील के अन्य उत्पाद।

(ख) नॉन-फेरस :

(1) सोना और चांदी तथा उनकी मिश्र-धातुओं सहित बहुमूल्य धातुयें।

(1क) अन्य नॉन-फेरस धातुयें तथा उनकी मिश्र धातुयें।

(2) अर्ध विनिर्माण तथा विनिर्माण।

2. इंधन :

(1) कोयला, लिग्नाइट, कोक और उनके युत्पन्न।

(2) सिंथेटिक इंधनों चिकनाई वाले तेलों और इसी प्रकार के अन्य तेलों सहित खनिज तेल (क्रूड आयल), मोटर तथा उड्डयन स्प्रिट डीजल आयल, मिट्टी का तेल, इंधन का तेल, डाइवर्स हाइड्रोकार्बन तेल तथा उनके मिश्रण।

(3) इंधन गैसें—(कोयला गैस, प्राकृतिक गैस तथा इसी प्रकार की अन्य गैसें)।

3. बॉयलर तथा स्टीम उत्पन्न करने वाले संयंत्र :

बॉयलर तथा स्टीम उत्पन्न करने वाले संयंत्र

4. विद्युत जनित्रों (जनरेटरों) के अतिरिक्त प्राइम मूवर्स :

(1) भाप इंजन तथा टरबाइन।

(2) आंतरिक दहन इंजन।

5. विद्युत उपकरण :

(1) ट्रांसफार्मरों सहित विद्युत के उत्पादन, संचरण तथा वितरण के लिए उपकरण।

(2) विद्युत मोटरें।

(3) बिजली के पंखे।

(4) बिजली के लैम्प।

(5) बिजली की भट्टियां।

(6) बिजली के केबिल तथा तार।

(7) एक्स-रे उपकरण।

(8) इलेक्ट्रानिक उपकरण।

(9) बिजली की इस्त्री, हीटर तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण जैसे घरेलू उपकरण ।

(10) स्टोरेज बैटरियां ।

(11) सूखे सेल ।

6. दूर संचार :

(1) टेलीफोन ।

(2) टेलीग्राफ उपकरण ।

(3) बेतार संचार उपकरण ।

(4) एम्पलिफाइंग तथा सार्वजनिक सम्बोधन उपकरण सहित रेडियो रिसीवर ।

(5) टेलीविजन सेट ।

(6) टेलीप्रिंटर ।

7. ट्रांसपोर्टेशन :

(1) वायुयान ।

(2) ऊर्जा द्वारा चालित जहाज तथा अन्य नौकाएं ।

(3) रेलवे लोकोमोटिव ।

(4) रेलवे रॉलिंग स्टॉक ।

(5) ऑटोमोबाइल (मोटर कार, बसें, ट्रक, मोटर साइकिलें, स्कूटर तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण) ।

(6) साइकिलें ।

(7) अन्य जैसे फॉर्क लिफ्ट ट्रक तथा समानुरूप ।

8. औद्योगिक मशीनरी :

(क) विशिष्ट उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले विशेष उपकरण की मुख्य वस्तुएं :

(1) कपड़ा सहायक उद्योग सहित (जैसे कताई फ्रेम, कॉर्डिंग मशीनें, पावर लूम तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण) कपड़ा मशीनरी ।

(2) जूट मशीनरी ।

(3) रेयॉन मशीनरी ।

(4) शुगर मशीनरी ।

(5) चाय की मशीनरी ।

(6) खनन मशीनरी ।

(7) धातुकर्मीय मशीनरी ।

(8) सीमेंट मशीनरी ।

(9) रसायन मशीनरी ।

(10) फार्मेस्यूटिकल मशीनरी ।

(11) पेपर मशीनरी ।

(ख) विभिन्न उद्योगों में काम आने वाली मशीनों की आम वस्तुएं जैसे कि विभिन्न "एकक प्रक्रियाओं" हेतु आवश्यक उपकरण :

(1) आकार छोटा करने के उपकरण—क्रशर्स, बाल मिलें और ऐसी ही अन्य मशीनें ।

(2) संवाहक उपकरण—बकेट एलिवेटर्स, स्किप हॉइस्ट, क्रेनों, डैरिक तथा इसी प्रकार की अन्य मशीनें ।

(3) आकार अलग करने की इकाइयां—स्क्रीनें, क्लासिफायर्स और इसी प्रकार की अन्य मशीनें ।

(4) मिक्सर और रिएक्टर नीडिंग मिलें, टर्बो मिक्सर्स तथा इसी प्रकार की अन्य मशीनें ।

(5) छानने के उपकरण, फिल्टर प्रेसें, रोटरी फिल्टर्स और इसी प्रकार की अन्य मशीनें ।

(6) सेन्ट्रीफ्यूगल मशीनें ।

(7) वाष्पीकरण मशीनें ।

(8) आसवन उपकरण ।

(9) क्रिस्टल बनाने के उपकरण ।

(10) सुखाने के उपकरण ।

(11) बिजली चालित पम्प—रेसिप्रोकेटिंग, सेन्ट्रिफ्यूगल और इसी प्रकार के अन्य उपकरण ।

(12) वायु और गैस कम्प्रेसर तथा वैक्यूम पाइप (बिजली की भट्टियों को छोड़कर) ।

(13) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रशीतक संयंत्र ।

(14) फायर इंजन सहित आग बुझाने के उपकरण और सामान ।

(ग) औद्योगिक मशीनों की अन्य वस्तुएं :

(1) बाल, रोलर और टेपर्ड बियरिंग ।

(2) गति कम करने के एकक ।

(3) चक्की के पाट तथा एब्रेसिव ।

9. मशीनी औजार :

(1) मशीनी औजार ।

10. कृषि मशीनें :

(1) ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण।

(2) कृषि उपकरण।

11. मिट्टी हटाने की मशीनें :

(1) बुलडोजर्स, डम्पर्स, स्क्रेपर्स, लोडर्स, शॉवेल्स, ड्रैग लाइनें, बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स, रोड रोलर तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण।

12. विविध मैकेनिकल और इन्जीनियरी उद्योग :

(1) प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं।
(2) हाथ के औजार, छोटे औजार और इसी प्रकार के अन्य उपकरण।
(3) रेजर ब्लेड
(4) प्रेशर कुकर
(5) छुरी, कांटे-चम्मच इत्यादि
(6) स्टील फर्नीचर।

) 30-12-1978 से उद्योग (विकास एवं (विनियमन) संशोधन अधिनियम 1979 (1979 का (i) के द्वारा परिवर्धित

13. वाणिज्यक, कार्यालय सम्बन्धी तथा घरेलू उपकरण :

(1) टाइपराइटर।

(2) संगणक मशीनें।

(3) एयर कंडीशनर और रेफ्रिजेरटर।

(4) वैक्यूम क्लीनर्स।

(5) सिलाई और बुनाई की मशीनें।

(6) हरिकेन लालटेनें (हण्डे)।

14. मेडिकल एवं शल्यक्रिया उपकरण :

(1) शल्यक्रिया उपकरण स्टेरिलाइजर्स, इन्क्यूबेटर्स और इसी प्रकार के अन्य उपकरण।

15. औद्योगिक उपकरण :

(1) वाटर मीटर, स्टीम मीटर, बिजली की मोटरें तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण।

(2) दाब, ताप, प्रवाह की दर, भार, स्तर तथा इसी प्रकार की अन्य नापों के लिए संकेत अभिलेख तथा विनियमनकारी विधियां।

(3) भार तौलने की मशीनें।

16. वैज्ञानिक उपकरण :

(1) वैज्ञानिक उपकरण।

17. गणित, सर्वेक्षण तथा ड्राइंग से सम्बन्धित उपकरण :

(1) गणित, सर्वेक्षण तथा ड्राइंग से सम्बन्धित उपकरण

18. उर्वरक :

(1) अकार्बनिक उर्वरक

(2) कार्बनिक उर्वरक

(3) मिश्रित उर्वरक

19. रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त) :

(1) अकार्बनिक भारी रसायन

(2) कार्बनिक भारी रसायन

(3) फोटोग्राफिक रसायनों सहित फाइन कैमिकल्स

(4) सिंथेटिक रेजिन तथा प्लास्टिक।

(5) पेन्ट्स, वार्निश तथा इनेमल्स

(6) सिंथेटिक रबर

(7) उत्पादित सेल्यूलोज—रेयॉन, नायलोन तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्री सहित हस्त-निर्मित रेशे

(8) कोयला भट्टी उप-उत्पाद

(9) नेहृथालीन, एन्थ्रासीन की तरह कोलतार आसवन उत्पाद तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पाद

(10) बारूद तथा सुरक्षा फ्यूजों सहित विस्फोटक सामग्री

(11) कीटनाशी, कवकनाशी, खरपतवार नाशी इत्यादि।

(12) वस्त्र सहायक उद्योग

(13) स्टार्च सहित साइज बनाने वाली सामग्री

(14) विविध रसायन

20. फोटोग्राफी रा फिल्म और पेपर :

(1) सिनेमा फिल्म

(2) फोटोग्राफी एम्योचेर फिल्म

(3) फोटोग्राफी प्रिंटिंग पेपर

21. रंगाई का सामान :

(1) रंगाई का सामान

22. औषध और भेषज :

(1) औषध और भेषज

23. वस्त्र (रंगे हुए, छपे हुए या अन्यथा प्रसंस्कृत) :

(1) सूती धागे, होजरी और रस्सी सहित पूर्णतः अथवा अंशतः रूई से बने

(2) पटसन, ट्वाइन और रस्सी सहित पूर्णतः या अंशतः पटसन से बने

(3) वूल टापस ऊनी धागे, होजरी, कार्पेट और ड्रगेट्स सहित पूर्णतः या अंशतः ऊन से बने

(4) रेशमी धागे और होजरी सहित पूर्णतः या अंशतः रेशम से बने

(5) पूर्णतः या अंशतः सिंथेटिक से बने, कृत्रिम (मानव निर्मित) रेशे, धागे और इसी प्रकार के रेशे की होजरी सहित ।

24. कागज उत्पादों सहित कागज और लुग्दी :

(1) लिखाई, छपाई और लपेटने का कागज

(2) अखबारी कागज

(3) गत्ता और स्ट्राबोर्ड

(4) पैकिंग के लिए कागज (कोरूगेटेड कागज, क्राफ्ट कागज, पेपर बैग, पेपर कन्टेनर्स इत्यादि)

(5) घुलनशील लुगदी सहित लुगदी लकड़ी, यांत्रिक, रसायन

25. चीनी :

(1) चीनी

26. फर्मेन्टेशन उद्योग :

(1) एल्कोहल

(2) फर्मेन्टेशन उद्योग के अन्य उत्पाद

27. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग :

(1) डिब्बा बन्द फल और फल उत्पाद

(2) मिल्क फूड

(3) माल्टेड फूड

(4) आटा

(5) अन्य तैयार खाद्य

28. वनस्पति तेल और वनस्पति :

(1) सॉल्वेन्ट एक्सट्रेक्टड तेलों सहित वनस्पति तेल

(2) वनस्पति

29. साबुन, शृंगार और प्रसाधन सामग्री :

(1) साबुन

(2) ग्लिसरीन

(3) शृंगार सामग्री

(4) इत्र

(5) प्रसाधन सामग्री

30. रबड़ की वस्तुएं :

(1) टायर और ट्यूब

(2) प्रोफिलेक्टिस सहित शल्य और चिकित्सा उत्पाद

(3) पादुकाएं

(4) रबड़ की अन्य वस्तुएं

31. चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स

(1) चमड़े का सामान और पिकर्स

32. ग्लू और जिलाटिन :

(1) ग्लू और जिलाटीन

33. कांच :

(1) खोखली वस्तुएं

(2) शीट और प्लेट ग्लास

(3) चश्मे का कांच

(4) ग्लास वूल

(5) प्रयोगशाला की वस्तुएं

(6) विभिन्न वस्तुयें

34. सिरेमिक्स :

(1) फॉयर ब्रिक्स

(2) रिफरैक्टरियां

(3) फर्नेस लाइनिंग ब्रिक्स एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल

(4) चीनी मिट्टी का सामान और बर्तन

(5) सैनिटरी का सामान

(6) इन्सूलेटर

(7) टाइलें

(8) ग्रेफाइट सिरेमिक्स (31-12-70 से संशोधित अधिनियम, 1979 का 17)

35. सीमेंट और जिप्सम उत्पाद :

(1) पोर्टलैंड सीमेंट

(2) एसबैस्टस सीमेंट

(3) इन्सूलेटिंग बोर्ड

(4) जिप्सम बोर्ड वालबोर्ड इत्यादि

36. टिम्बर उत्पाद :

(1) प्लाईवुड

(2) फाइबर बोर्ड जिप बोर्ड इत्यादि सहित हार्डबोर्ड

(3) माचिसें

(4) विविध (फर्नीचर के हिस्से, बाबिने शटलें इत्यादि)

37. रक्षा उद्योग :

(1) गोला बारूद

38. विविध उद्योग :

(1) सिगरेट)
(2) लिनोलियम, फेल्ट अथवा जूट)
पर आधारित) 31-12-78 से 1979 की 17
(3) जिप फास्नर्स) तारीख तक
(4) तेल के स्टोव)
(5) लिथो छपाई उद्योग सहित छपाई)

स्पष्टीकरण 1. शीर्षक संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 13 के अधीन निर्दिष्ट वस्तुओं में उनके हिस्से पुर्जे और सहायक सामान भी सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण 2. शीर्षक संख्या 18, 19, 21, और 22 के अधीन निर्दिष्ट वस्तुओं में उनके निर्माण के लिए सहायक सामान शामिल हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश

3679. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1986, 1987 तथा 1988 में भारत में (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत परिभाषित) कितनी विदेशी कम्पनियां कार्य कर रही थी;

(ख) मार्च 1986, 1987 तथा 1988 में इन कम्पनियों ने भारत में निगमित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में (ॠण सहित) कितनी विदेशी पूंजी निवेश की थी;

(ग) इन कम्पनियों ने विभिन्न वर्गों के उद्योगों में कितना-कितना पूंजी निवेश किया;

(घ) इग कम्पनियों ने उक्त अवधि में लाभ/लाभांश रायल्टी, तकनीकी जानकारी तथा ब्याज के माध्यम से मुख्य कार्यालय और प्रशासनिक खर्चे के कारण विदेशों को कुल कितनी धनराशि भेजी है; और

(ङ) भारत में इन कम्पनियों को चलाने के लिए मार्च, 1986 से इन्हें यदि कोई छूट दी गई हो तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जिन विदेशी कम्पनियों ने भारत से ही व्यापार स्थापित कर लिया है तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 592 में उल्लिखित दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु उन्हें कम्पनी रजिस्ट्रार को भेज दिया है, उनकी संख्या निम्नानुसार थी :—

31-3-86 को	335
31-3-87 को	371
31-3-88 को	401

(ख) से (घ) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) कम्पनी अधिनियम की धारा 594(1) से उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा विदेशी कम्पनियों को भारतीय व्यापार लेखे दायर करने या ऐसे लेखाओं के कुछ संशोधन के साथ दायर करने के लिए दी गई छूटों की संख्या निम्नानुसार है—

वर्ष	अधिनियम की धारा 594 के अन्तर्गत अनुमोदित मामलों की संख्या
1986-87	18
1987-88	21

कार और जीपों का उत्पादन

3680. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम्बेसडर (पेट्रोल और डीजल) प्रीमियर 118-एन० ई०, स्टेंडर्ड का, मारुति कार तथा तीपसीज (जीपों) और महेन्द्रा जीपों (पेट्रोल और डीजल) का वर्ष 1887 और 1988 में प्रतिमाह कितना उत्पादन किया गया तथा वर्ष 1989 और वर्ष 1990 में इनका कितना-कितना उत्पादन किया जायेगा;

(ख) प्रत्येक एकक की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है तथा उत्पादन क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है;

(ग) इसी अवधि के दौरान चार महानगरों तथा विभिन्न राज्यों में उपर्युक्त कितनी कारों और वाहनों की बिक्री की गई तथा किस मूल्य पर इनकी बिक्री की गई;

(घ) वर्ष 1990 से पेसेंजर कारों/जीपों की कितनी मांग होने का अनुमान है; और

(ङ) इन मांगों को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तेल और गैस के लिए सर्वेक्षण

3681. **श्री चिन्तामणि जेना** :

श्री मोहन भाई पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल की खोज के लिए किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया;

(ख) उसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या उसके लिए कोई विदेशी सहायता ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित तलछटी बेसिनों और सब-बेसिनों में सर्वेक्षण कराये गये हैं—

अपर असम

असम अराकन

मणिपुर

अरुणाचल प्रदेश

उड़ीसा

अण्डमान

मिजोरम

मेघालय

बंगाल

गंगा घाटी और हिमालय की तराई

विंध्य

कैम्बे

राजस्थान

कृष्णा-गोदावरी/ईस्ट और वैस्ट कास्ट कावेरी

(ख) अधिकांश सर्वेक्षणों के परिणाम का इनके निर्वचन/निर्धारण के पश्चात् ही पता चल पाएगा। फिर भी कुछ अति सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां ।

राष्ट्रीय तेल कम्पनियों यथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लिमिटेड के तेल अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिए भारत के नौ अपतटीय ब्लाकों में तेल की खोज के लिए उत्पादन साझेदारी संविदाओं पर विदेशी तेल कम्पनियों के साथ हस्ताक्षर किये गये। ब्यौरे निम्नलिखित रूप में हैं—

कम्पनी का नाम	ब्लाक का नाम	बेसिन/सब बेसिन
शेवरान-टैकसको	के० जी०-ओ० एस०-I	कृष्णा-गोदावरी
	के० जी०-ओ० एस०-I/II	-वही-
	पी०-ओ० एस०-II	पालार
	एम० एन०-ओ० एस०-I	महानदी
बी० एच० पी०	के० के०-ओ० एस०-VI	केरल-कोंकण
शैल	के० के०-ओ० एस०-II	-वही-
	के० के०-ओ० एस०-IV	-वही-
आई० पी० सी०	के० जी०-ओ० एस०-IV	कृष्णा-गोदावरी
अमोको	के० जी०-ओ० एस०-V	-वही-

नागपुर में दूरदर्शन स्टूडियो

3682. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में एक दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) नागपुर में पहले ही एक "कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र" मौजूद है। इसे एक सुसज्जित दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र में उन्नत करना दूरदर्शन की आठवीं योजना के अन्तर्गत निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करना

3683. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में शक्तिशाली इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर डिजिटल इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंजों की तुलना में डिजिटल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कितनी अधिक अच्छी सेवा प्रदान करेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) दूरसंचार सेवाओं में सुधार की दृष्टि से दिल्ली टेलीफोन के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे स्ट्रोजर टेलीफोन एक्सचेंजों को डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के माध्यम से कार्य कर रही रिमोट लाइन यूनिटों को पहले ही बदल दिया गया है।

(ग) डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जा रही दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता (क्वालिटी) में यह पर्याप्त सुधार है।

डाक सेवाओं में सुधार

3684. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग को डाक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय योजना में अति निम्न प्राथमिकता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप डाक सेवाओं के स्तर में कितनी कमी आई है; और

(ग) डाक सेवाओं में कौन से प्रौद्योगिकीय सुधार करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं। मात्र इस बात से कि भारत में 31-3-1951 की स्थिति के अनुसार डाकघरों की संख्या 26,106 थी जो कि मार्च, 1989 में बढ़कर 1,46,92 हो गई है, इस वक्तव्य की पुष्टि नहीं होती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सुधार इस प्रकार है :—

(1) प्रारम्भ में बम्बई में उच्चगति के छंटाई उपस्करों की संस्थापना तथा बाद में अन्य शहरों में इनका संस्थापना।

(2) बड़े डाकघरों में उच्चगति की फ्रैंकिंग मशीन लगाना।

(3) बड़े शहरों में स्थित डाकघरों के काउन्टरों पर बहु-उद्देशीय डाक मशीनों की संस्थापना।

(4) डाक प्रचालन कार्यों जैसे—मनीआर्डर, प्रेषरिंग, जीवन बीमा निगम व्यापार और बचत बैंक खातों का कम्प्यूटरीकरण।

(5) पालीमर जैसे नए मैटीरियल से बनी अच्छे स्तर की मोहरों और सीलों की शुरुआत करना।

दूरदर्शन, नई दिल्ली में चोरी

3685. **श्री पी० एम० सईद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1988 में दूरदर्शन कार्यालय, नई दिल्ली में 45000 रुपये की चोरी/गबन का मामला प्रकाश में आया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है यदि हां, तो किस स्तर पर और उसका क्या निष्कर्ष निकला तथा इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या इस क्षति को पूरा करने के लिए कुछ कर्मचारियों के वेतन से माहवार अनौपचारिक रूप से कुछ राशि की कटौती की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सितम्बर, 1988 के महीने में दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में खजांची की अलमारी से 34,168 रुपए की राशि गायब पाई गई थी।

(ग) 5 सितम्बर, 1988 को पुलिस प्राधिकारी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

केरल में डाकघरों का खोला जाना

3686. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के प्रत्येक जिले में कुल कितने डाकघर हैं;

(ख) जिलों की जनसंख्या की तुलना में प्रत्येक जिले में डाकघरों की क्रमशः संख्या कितनी है;

(ग) क्या कन्नानोर, वायनाड और कासरगोड जिलों में और अधिक डाकघर खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का वर्ष 1989 के दौरान केरल में और अधिक डाकघर खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी हां ।

(ङ) केरल में 1989 के दौरान अब तक स्वीकृत नए डाकघरों की जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है :

जिला	डाकघरों की संख्या
कासरगोड	4
कन्नानौर	9
कालीकट	8
मालापुरम	6
वायनाड	4
पालघाट	1
त्रिचूर	2
एर्नाकुलम	8
इदुक्की	16
कोट्टायम	3
एलेप्पी	4
पथानमथिट्टा	6
क्विलोन	2
त्रिवेन्द्रम	7
कुल जोड़ :	80

देश में बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना

3687. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान क्रमशः देश में कितने बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए गए;

(ख) दक्षिणी राज्यों में बहुत कम शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं और कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1989 के दौरान केरल में बहुत कम शक्ति वाले नये ट्रांसमीटर अथवा अन्य ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो जहां वे स्थापित किए जाएंगे उन स्थानों का और ट्रांसमीटरों की प्रस्तावित क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या वर्ष 1989 के दौराम केरल के कन्नानौर जिले और व्यानाड जिले के सभी क्षेत्रों को टी० वी० नेटवर्क का लाभ प्राप्त हो सकेगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान देश में स्थापित अति अल्प शक्ति (2 × 10 वाट) ट्रांसमीटरों की संख्या क्रमशः सात और अठारह है।

(ख) देश के दक्षिणी क्षेत्र में अब तक स्थापित अति अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पांडेचेरी में स्थित हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। 1989 के दौरान केरल में इडुक्की और पटनमथिट्टा में एक-एक दो अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का कार्यक्रम है।

(ङ) मौजूदा अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर को बदलकर सातवीं योजना के अंश के रूप में कालीकट में कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति (10 कि० वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा के लिए चालू हो जाने पर, कन्नानोर और वायनाड सहित केरल के अनेकों जिलों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सेवा उपलब्ध हो जाने की आशा है।

बिहार में रसोई गैस की कमी

[हिन्दी]

3688. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के प्रत्येक शहर में रसोई गैस की कमी है और उपभोक्ताओं को गैस की समय पर सप्लाई प्राप्त नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) आवागमन, औद्योगिक सम्बन्धों तथा परिचालन सम्बन्धी अन्य समस्याओं के अतिरिक्त एल० पी० जी० की बड़ी मात्रा में उपलब्धता में कमी आने के परिणामस्वरूप हाल में बिहार सहित देश के अनेक भागों में अस्थायी रूप से एल० पी० जी० रिफिलों की सप्लाई में बैकलाग उत्पन्न हुआ। पहले से ही उठाए गए कदमों के फलस्वरूप स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश में एल० पी० जी० के अधिकतम उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवहार्य सीमा तक आयात के द्वारा भी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तेल उद्योग स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

कम्प्यूटर तथा दूरसंचार की नई प्रौद्योगिकी

[अनुवाद]

3689. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने उन्नत देशों में कम्प्यूटर तथा दूरसंचार के क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार में भारतीय दूरसंचार इंजीनियरों द्वारा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या निकट भविष्य में इस नई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

एनालॉग और डिजीटल संरचना के अनेक कम्प्यूटर नियन्त्रित स्थानीय, टेन्डम और टेलेक्स एक्सचेंजों जिनमें स्टोर किए हुए कार्यक्रमों और उपभोक्ता सम्बन्धित आंकड़े होते हैं। पिछले पांच वर्षों से देश में काम में लाये जा रहे हैं। तार नेटवर्क में स्टोर और फारवर्ड मैसेज स्विचें चालू की गई हैं। इन उपायों से स्थानीय टेलीफोन स्विचिंग, एस० टी० डी० काल स्विचिंग, टेलेक्स कालों और सार्वजनिक तार नेटवर्क की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। एक सुदूरवर्ती क्षेत्र प्रयोक्ता नेटवर्क, जिसमें इन्सेट 1 सी और पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, शीघ्र ही आरम्भ की जा रही है। बड़े-बड़े संस्थापनाओं में डायरेक्टरी पूछताछ, टेलीफोन के बिल बनाने और हिसाब रखने, टेलीफोन दोष मरम्मत जैसी सेवाओं का भी कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

दूरसंचार हेतु लाइन सामग्री का निर्माण

3690. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा लाइन सामग्री के निर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में कच्चे लोहे की सप्लाई न किए जाने के फलस्वरूप इसका देश में दूरसंचार सुविधाओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माताओं को कितनी मात्रा में कच्चे लोहे की कम सप्लाई की गई;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा इस विषय पर इस्पात और खान मंत्रालय से बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। दूरसंचार सेवाओं के विकास पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है।

(ख) वर्ष 88-89 के लिए कुल मांग 37,500 मीट्रिक टन थी, इसकी तुलना स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने 21,000 मीट्रिक टन का ही आबंटन किया। फिर भी, जनवरी, 89 तक कुल 5421 मीट्रिक टन की ही सप्लाई की गई।

(ग) जी हां।

(घ) इस मामले पर इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव से बातचीत की गई। इस मामले को कलकत्ता में हुई ज्वाइंट प्लांट कमेटी की बैठक में भी उठाया गया। ज्वाइंट प्लांट कमेटी की बैठक में, दूरसंचार विभाग को की जाने वाली पिछली सप्लाई को मार्च, 1989 तक पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3691. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1989 तक देश में प्रत्येक दूरसंचार सर्किल/जिले (महानगर वाले बड़े और छोटे) में श्रेणी-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज थे;

(ख) क्या ऐसे राज्यों में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने पर विशेष ध्यान देने का विचार है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक स्थानों में दस से अधिक पार्टियों से एक वर्ष से अधिक समय से पूर्व ही पूर्ण भुगतान कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का क्या कार्यक्रम और ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पंचायत डाक सेवाएं

3692. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू की गयी पंचायत डाक सेवक योजना का विभागीय यूनियनों द्वारा विरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस पर डाक विभाग की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) डाक कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशन ने 13-2-1989 को प्रस्तुत किए अपने मांग-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ पंचायत डाक सेवक प्रणाली को लागू न करने के लिए भी कहा है।

(ख) कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। तथापि, संयुक्त सलाहकार तंत्र की विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष को विभाग ने पहले ही आश्वासन दिया है कि इस योजना को लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के हितों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों को एस० टी० डी० सुविधा

3693. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों में 1000 लाइनों से अधिक की अधिष्ठापित क्षमता है;

(ख) क्या सातवीं योजना में 1000 लाइनों से अधिक की अधिष्ठापित क्षमता वाले सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है;

(ग) क्या केरल में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन स्थानों में अभी एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करानी है और उनको कब तक एस० टी० डी० की सुविधा से जोड़ा जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केरल में इस श्रेणी के अन्तर्गत कासरगोड ही एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां एस० टी० डी० सुविधा अभी दी जानी है। यहां यह सुविधा मार्च, 1990 तक दे देने की योजना है।

विवरण

केरल में 1000 लाइनों से अधिक की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम
1	2
1.	एलेपी
2.	कायाकुलम
3.	बडागरा
4.	कालीकट
5.	कन्नर
6.	तेल्लीचेरी
7.	अलवाई
8.	एर्नाकुलम-कोचीन
9.	एर्नाकुलम-I
10.	एर्नाकुलम-II
11.	एर्नाकुलम-कलानासेरी
12.	एर्नाकुलम-त्रिपुनीतुरा
13.	एर्नाकुलम-पलारीवट्टन
14.	एर्नाकुलम-द्वीप
15.	पेरम्बवूर
16.	थोडुपुझा
17.	कासरगोड
18.	चंगनचेरी
19.	कांजीकुझी
20.	कोट्टयम यूनिट-I
21.	कोट्टयम यूनिट-II
22.	पालघाट

1	2
23.	तिरुवल्ला
24.	क्विलोन
25.	क्विलोन (चन्कडा)
26.	इरिन्जलकुडा
27.	कुन्नमकुलम
28.	त्रिचूर
29.	त्रिवेन्द्रम-कैठामुक्क
30.	त्रिवेन्द्रम-श्रीकारियम
31.	त्रिवेन्द्रम

केरल में कानीचुकुलंगारा स्थित डाकघर का दर्जा बढ़ाना

3694. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अलेप्पी जिले के कानीचुकुलंगारा स्थित डाकघर का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या डाकघर के लिए कुछ समय पहले एक विभागीय भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था और फिर रोक दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त भवन का निर्माण कार्य पुनः कब शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। विभाग ने ऐसा कोई निर्माण नहीं करवाया।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

एस० टी० डी० कालों के शुल्क की पुनरीक्षा

3695. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देर रात के दौरान देश के भीतर की जाने वाली एस० डी० डी० कालों के शुल्क में और कमी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित शुल्क की दर कब तक लागू किये जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय एस० टी० डी० कालों सम्बन्धी प्रभार को 2200 बजे से 0600 की अवधि के दौरान सामान्य प्रभार के लगभग 50 प्रतिशत से घटाकर सामान्य प्रभार के लगभग 25% तक कर दिया जाएगा।

(ग) संशोधित प्रभार 1-4-89 से लागू होगा।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

3696. **श्री कमल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान निर्यात की गई भारतीय फिल्मों के क्या नाम हैं और वे किन-किन देशों को निर्यात की गईं तथा उनसे कितनी आय हुई; और

(ख) निर्यात के लिए फिल्मों का चयन किए जाने में क्या प्रणाली मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वर्ष 1988-89 (फरवरी, 1989 तक) के दौरान निर्यात की गई भारतीय फीचर फिल्मों के नाम, देशों के नाम तथा इनसे हुई आय संलग्न विवरण में दी गई है। निगम द्वारा निर्यात सम्बन्धी दस्तावेज वित्त-वर्षवार रखे जाते हैं।

(ख) निर्यात के लिए फिल्मों का चयन क्रेता की पसन्द के आधार पर होता है।

विवरण

वर्ष 1988-89 (फरवरी, 1989 तक) के लिए कैनलाइजेशन के अन्तर्गत फीचर फिल्मों के निर्यात किए गए शिपिंग बिलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	शीर्षक	भाषा	प्रिंटों की संख्या	ट्रायलों की संख्या	मूल्य (रुपये)
1	2	3	4	5	6
अफगानिस्तान					
1.	आग ही आग	हिन्दी	1	—	43,681.75

1 2	3	4	5	6
2. राज तिलक	हिन्दी	1	3	63,604.00
3. [illegible]	हिन्दी	1	2	62,000.00
		3	5	1,69,285.75

आस्ट्रेलिया

1. जलजला	हिन्दी	1	1	62,500.00
2. चरणों की सौगंध	हिन्दी	1	2	42,500.00
3. शेरनी	हिन्दी	1	1	42,500.00
4. पाप को जलाकर राख कर दूंगा	हिन्दी	1	1	50,000.00
5. इन्तकाम	हिन्दी	1	2	55,000.00
6. जन्म जन्म	हिन्दी	1	1	46,000.00
7. [illegible]	हिन्दी	1	1	50,000.00
8. [illegible]	हिन्दी	1	1	39,000.00
9. आवारा बाप	हिन्दी	1	1	20,000.00
10. रामा-ओ-[illegible]	हिन्दी	1	1	50,000.00
11. कयामत से कयामत तक	हिन्दी	1	2	47,500.00
12. एक नया रिश्ता	हिन्दी	1	1	43,000.00
13. दोस्त गरीबों का	हिन्दी	1	1	60,514.00
14. कसम सुहाग की	हिन्दी	1	1	67,000.00
15. बीस साल बाद	हिन्दी	1	2	65,000.00
16. खुफिया	हिन्दी	1	1	41,000.00
17. यतीम	हिन्दी	1	1	55,000.00
18. अंजाम खुदा जाने	हिन्दी	1	1	47,000.00
19. स्वामी	हिन्दी	1	—	58,232.23
20. सूर्या	हिन्दी	1	2	40,480.00
		20	24	9,82,226.23

1	2	3	4	5	6
बारबडोस					
1.	हीरो हीरालाल	हिन्दी	1	2	45,000.00
2.	मिल गई मंजिल मुझे	हिन्दी	1	2	55,000.00
			2	4	1,00,000.00
बर्मा					
1.	सत्यमेव जयते	हिन्दी	4	8	2,27,850.00
2.	सुहाग	हिन्दी	4	8	2,42,457.00
			8	16	4,70,307.00.
चीन					
1.	नाम	हिन्दी	1	—	1,37,000.00
2.	जलवा	हिन्दी	1	—	1,41,406.00
3.	मिस्टर इण्डिया	हिन्दी	1	—	3,21,104.25
4.	खाकी	हिन्दी	1	—	1,76,413.00
5.	सामरी	हिन्दी	1	—	1,50,103.00
6.	शहनशाह	हिन्दी	1	2	2,19,158.00
			6	2	11,45,185.05
दुबई					
1.	अंजुमन	हिन्दी	1	—	60,000.00
2.	कसम	हिन्दी	3	—	1,06,206.00
3.	बे-लगाम	हिन्दी	1	2	53,500.00
4.	वारिस	हिन्दी	1	2	70,000.00
5.	कयामत से कयामत तक	हिन्दी	1	2	75,000.00
6.	मोहब्बत के दुश्मन	हिन्दी	3	4	3,44,324.00

1	2	3	4	5	6
7.	इंसाफ की मंजिल	हिन्दी	1	1	40,000.00
8.	वीराना	हिन्दी	1	2	75,000.00
9.	जलजला	हिन्दी	3	6	3,00,000.00
10.	शेरनी	हिन्दी	3	2	2,42,000.00
11.	आज के अंगारे	हिन्दी	2	4	80,000.00
12.	कब्जा	हिन्दी	3	5	2,52,088.00
13.	राम अवतार	हिन्दी	3	4	3,26,000.00
14.	खतरों के खिलाड़ी	हिन्दी	2	4	2,50,000.00
15.	प्यार मोहब्बत	हिन्दी	2	4	1,45,000.00
16.	शूर वीर	हिन्दी	1	2	85,000.00
17.	हत्या	हिन्दी	2	4	1,50,000.00
18.	आखरी अदालत	हिन्दी	4	8	1,40,000.00
19.	जुल्म को जला दूंगा	हिन्दी	1	2	91,000.00
20.	रुखसत	हिन्दी	1	2	1,10.000.00
21.	कमांडो	हिन्दी	2	4	1,75,000.00
22.	घर घर की कहानी	हिन्दी	1	2	1,10,000.00
23.	सूरमा भोपाली	हिन्दी	1	2	55,000.00
24.	हमारा खानदान	हिन्दी	1	2	55,000.00
25.	महावीर	हिन्दी	2	4	2,20,000.00
26.	साजिश	हिन्दी	3	6	2,50,000.00
27.	तोफा मोहब्बत का	हिन्दी	2	4	1,10,000.00
28.	हलाल की कमाई	हिन्दी	2	1	1,05,000.00
29.	अन्धा युद्ध	हिन्दी	1	2	45,000.00
30.	विजय	हिन्दी	4	8	5,90,000.00
31.	मर्दानगी	हिन्दी	1	2	50,000.00
32.	सोने पे सुहाग	हिन्दी	3	6	2,75,000.00
33.	जख्मी औरत	हिन्दी	1	1	55,000.00

1	2	3	4	5	6
34.	गुनाहों का फैसला	हिन्दी	2	--	1,70,000.00
35.	सागर संगम	हिन्दी	1	2	1,00,000.00
36.	सोम मंगल शनि	हिन्दी	1	—	75,000.00
37.	मेरा फर्ज	हिन्दी	1	2	50,000.00
38.	7 बिजलियां	हिन्दी	1	2	65,000.00
39.	वासना की आग	हिन्दी	1	2	45,000.00
40.	मेरा शिकार	हिन्दी	2	4	1,25,000.00
41.	आग के शोले	हिन्दी	1	2	40,000.00
42.	पाप को जलाकर राख कर दूंगा	हिन्दी	2	4	2,10,000.00
43.	यह प्यार नहीं	हिन्दी	1	1	40,000.00
44.	आकर्षण	हिन्दी	—	—	80,000.00
45.	हीरो हीरालाल	हिन्दी	1	3	3,66,280.00
46.	बयाबान	हिन्दी	8	—	7,70,000.00
47.	कब्रस्तान	हिन्दी	1	2	40,000.00
48.	मर मिटेंगे	हिन्दी	2	4	1,70,000.00
49.	तेजाब	हिन्दी	3	6	1,75,000.00
50.	इन्तकाम	हिन्दी	3	6	1,75,000.00
51.	अग्नि	हिन्दी	2	2	1,47,000.00
52.	मार धाड़	हिन्दी	1	2	40,000.00
53.	मालामाल	हिन्दी	1	1	44,250.00
54.	जन्म जन्म	हिन्दी	1	2	45,000.00
55.	शुक्रिया	हिन्दी	1	2	50.000.00
56.	रामा-ओ-रामा	हिन्दी	1	2	60.000.00
57.	जवानी की लहरें	हिन्दी	1	1	40,000.00
58.	कातिल	हिन्दी	1	2	50,000.00
59.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	7	14	10,35,000.00
60.	वर्दी	हिन्दी	1	6	1,75,000.00

1	2	3	4	5	6
61.	मेरी जबान	हिन्दी	2	4	1,30,000.00
62.	मिल गई मंजिल मुझे	हिन्दी	1	2	65,000.00
63.	घराना	हिन्दी	1	2	70,000.00
64.	दाव पेच	हिन्दी	2	4	1,35,000.00
65.	रामलखन	हिन्दी	3	6	4,10,000.00
66.	कसम सुहाग की	हिन्दी	2	4	1,70,000.00
67.	बीस साल बाद	हिन्दी	2	4	1,75,000.00
68.	जोशीले	हिन्दी	3	6	2,50,000.00
69.	सच्चे का बोल बाला	हिन्दी	2	4	1,10,000.00
70.	आखरी मुकाबला	हिन्दी	1	1	55,000.00
71.	ईश्वर	हिन्दी	1	1	50,000.00
72.	गुरू	हिन्दी	2	4	1,45,000.00
73.	अपराधी मेरा नाम	हिन्दी	—	2	2,000.00
74.	दीवार	हिन्दी	—	2	23,000.00
75.	यतीम	हिन्दी	1	—	95,000.00
76.	जीते हैं शान से	हिन्दी	3	—	1,80,000.00
77.	कब तक चुप रहूंगी	हिन्दी	1	1	60,000.00
78.	कानून की हथकड़ी	हिन्दी	1	—	40,000.00
79.	गुरू शिष्यन	तमिल	1	—	45,000.00
80.	कुटुम्बा पुरणाम	मलयालम	1	—	75,000.00
81.	चरणों की सौगंध	हिन्दी	2	—	1,50,000.00
82.	मनिशदा	मलयालम	1	—	30,000.00
83.	इथा ओरू पेनकुट्टयी	मलयालम	1	—	50,000.00
84.	ओरफा पुरायु	मलयालम	1	—	1,12,075.00
85.	अबकारी	मलयालम	1	—	1,11,245.00
86.	आवलुडे कथा	मलयालम	1	—	50,000.00
87.	इम्नालेयूडे बाकी	मलयालम	1	—	50,000.00
88.	वक्त की आवाज	हिन्दी	2	4	2,00,000.00

1	2	3	4	5	6
89.	संचम	मलयालम	1	—	1,50,000.00
90.	अारन	मलयालम	1	—	65,000.00
91.	पट्टिया प्रावेशम	मलयालम	1	—	1,35,000.00
92.	अनुरागी	मलयालम	1	—	1,30,000.00
93.	वर्ई खिल्ली	मलयालम	1	—	29,000.00
94.	अर्जुनदेव डेन्निस	मलयालम	1	—	80,000.00
95.	कमाक्काल	हिन्दी	2	2	1,50,000.00
96.	अग्नि नटचित्रम	तमिल	1	—	75,000.00
97.	खून भरी मांग	हिन्दी	2	4	1,25,000.00
98.	ओनम ओनम पथिनोनु	मलयालम	1	—	55,000.00
99.	पेरिस पेरिस	मलयालम	1	—	50,000.00
100.	चाराव्मलयाम	मलयालम	1	—	50,000.00
101.	ईथा नाम्मु एलु	तमिल	1	—	40,000.00
102.	माट्टोराल	मलयालम	1	—	1,20,000.00
103.	सूरा समहारम	तमिल	1	—	40,000.00
104.	वैशाली	मलयालम	1	—	1,52,000.00
105.	इंकुलाबिटे पुथरी	मलयालम	1	—	50,000.00
106.	जीवा	तमिल	1	—	40,000.00
107.	थांधरम्	मलयालम	1	—	1,25,000.00
108.	इशाबेल्ला	मलयालम	1	—	75,000.00
109.	रागासियाम परमा रागासियाम	मलयालम	1	—	60,000.00
110.	1921	मलयालम	1	—	2,27,500.00
111.	नजनुम नियुम	मलयालम	1	—	35,000.00
112.	अगस्त-1	मलयालम	1	—	90,400.00
113.	गंगा तेरे देश में	हिन्दी	4	—	2,99,441.00
114.	मनु अंकल	मलयालम	1	—	90,000.00
115.	आर्यन	मलयालम	1	—	1,08,950.00

1	2	3	4	5	6
116.	उन्नल मुदियम थम्बी	तमिल	1	—	40,000.00
117.	धर्मयुद्ध	हिन्दी	2	—	1,55,0C0.00
118.	कलियुगम	तमिल	1	—	45,000.00
119.	पोनमुट्टायिदुन्ना थारवु	मलयालम	1	—	1,10,000.00
120.	मूनम पक्षाम	मलयालम	1	—	1,00,000.00
121.	ओरू विवदा विषयम	मलयालम	1	—	75,000.00
122.	साइमन पीटर निनाक्कुवेन्दी	मलयालम	1	—	44,862.00
123.	अन्धाधरम्	मलयालम	1	—	58,230.00
124.	पादामुद्रा	मलयालम	1	—	65,000.00
125.	नई दिल्ली	हिन्दी	2	—	1,90,000.00
126.	पुराउरूषम	मलयालम	1	—	45,360.00
127.	मुक्ति	मलयालम	1	—	95,000.00
128.	आईथम	मलयालम	1	—	80,000.00
129.	मूनम मुरा	मलयालम	1	—	1,10,000.00
130.	युद्धवजी भूमि	तेलुगु	1	—	4,50,000.00
131.	कंदामुम कट्टामुम	मलयालम	1	—	1,10,000.00
132.	चित्रम	मलयालम	1	—	1,70,000.00
133.	महाराजु	मलयालम	1	—	60,000.00
134.	मैं तेरा दुश्मन	हिन्दी	3	3	1,75,000.00
135.	सुर्या	हिन्दी	3	3	3,96,140.00
136.	अन्धा पापम्	मलयालम	1	—	60,000.00
137.	चरित्रम्	मलयालम	1	—	1,00,000.00
138.	मुद्रा	मलयालम	1	—	1,10,000.00
139.	आसमान से ऊंचा	हिन्दी	2	—	3,05,895.00
			218	241	1,82,77,046.00

1 2	3	4	5	6
बिजूटि				
1. इन्साफ कौन करेगा	हिन्दी	1	2	70,000.00
2. एडवेंचर आफ टारजन	हिन्दी	1	2	40,000.00
3. परम धर्म	हिन्दी	1	2	50,000.00
4. आग ही आग	हिन्दी	1	2	50,000.00
		4	8	2,10,000.00
मिस्र				
1. नास्तिक	हिन्दी	1	2	95,000.00
2. गिरफ्तार	हिन्दी	1	1	39,318.00
3. दीवार	हिन्दी	2	2	83,358.53
4. गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	2	—	2,88,809.00
		6	5	5,06,485.55
जामबिया				
1. हीरो हीरालाल	हिन्दी	1	2	45,000.00
2. हवालात	हिन्दी	एक रील		2,750.00
3. वक्त की आवाज	हिन्दी	1	2	47,500.00
		2	4	95,250.00
गुयाना				
1. लव 86	हिन्दी	1	2	40,000.00
2. हिरासत	हिन्दी	1	2	32,365.00
		2	4	72,365.00

1	2	3	4	5	6
हांगकांग					
1.	कब्जा	हिन्दी	1	1	45,000.00
2.	राम अवतार	हिन्दी	1	1	50,000.00
3.	मोहब्बत के दुश्मन	हिन्दी	1	—	50,000.00
4.	खतरों के खिलाड़ी	हिन्दी	1	1	62,500.00
5.	हत्या	हिन्दी	1	1	42,500.00
6.	आखरी अदालत	हिन्दी	1	2	35,000.00
7.	जुल्म को जला दूंगा	हिन्दी	1	1	40,000.00
8.	रुकसत	हिन्दी	1	1	42,500.00
9.	कमांडो	हिन्दी	1	1	62,500.00
10.	घर घर की कहानी	हिन्दी	1	1	45,000.00
11.	वक्त की अवाज	हिन्दी	1	1	45,000.00
12.	महावीरा	हिन्दी	1	1	56,500.00
13.	शहंशाह	हिन्दी	1	1	45,000.00
14.	तोफा मोहब्बत का	हिन्दी	1	1	45,000.00
15.	खून भरी मांग	हिन्दी	1	1	45,000.00
16.	गुनाहों का फैसला	हिन्दी	1	—	47,500.00
17.	सागर संगम	हिन्दी	1	1	45,000.00
18.	मर मिटेंगे	हिन्दी	2	1	94,000.00
19.	दयावान	हिन्दी	1	—	67,500.00
20.	तेजाब	हिन्दी	1	1	47,500.00
21.	मालामाल	हिन्दी	1	1	38,000.00
22.	कातिल	हिन्दी	1	1	40,000.00
23.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	1	—	1,60,000.00
24.	वर्दी	हिन्दी	1	1	52,500.00
25.	मेरी जुबान	हिन्दी	1	1	50,000.00
26.	मिल गई मंजिल मुझे	हिन्दी	1	2	50,000.00

1	2	3	4	5	6
27.	घराना	हिन्दी	1	1	50,000.00
28.	दाव पेच	हिन्दी	1	1	52,500.00
29.	काल चक्र	हिन्दी	1	2	40,000.00
30.	मैं तेरा दुश्मन	हिन्दी	1	1	60,000.00
31.	जोशिले	हिन्दी	1	1	60,000.00
32.	सच्चे का बोल बाला	हिन्दी	1	1	47,500.00
33.	ईश्वर	हिन्दी	1	1	45,000.00
34.	गुरु	हिन्दी	1	1	55,000.00
35.	आजादी की ओर	हिन्दी	1	1	1,14,287.68
36.	नई दिल्ली	हिन्दी	1	—	12,750.00
			37	34	19,60,537.68

इन्डोनेशिया

1.	जीते हैं शान से	हिन्दी	9	42	3,60,853.00
2.	खतरों के खिलाड़ी	हिन्दी	9	42	3,60,000.00
3.	कमांडो	हिन्दी	9	42	3,45,000.00
4.	हत्या	हिन्दी	8	37	2,90,000.00
5.	उत्तर दक्षिण	हिन्दी	दो रील		4,100.00
6.	अभिशा	हिन्दी	9	42	3,75,000.00
7.	परिवार	हिन्दी	1	2	38,000.00
8.	वक्त की आवाज	हिन्दी	9	42	3,75,000.00
9.	खून भरी मांग	हिन्दी	8	37	3,10,000.00
10.	मरते दम तक	हिन्दी	1	2	40,723.00
11.	प्यार का मंदिर	हिन्दी	9	42	3,89,000.00
12.	हवालात	हिन्दी	9	42	3,58,000.00
13.	मर मिटेंगे	हिन्दी	9	42	3,83,000.00
14.	मेरी जबान	हिन्दी	9	42	3,67,000.00

1	2	3	4	5	6
15.	पाप को जलाकर राख कर दूंगा	हिन्दी	8	37	3,45,000.00
			107	493	43,40,676.00
	ईराक				
1.	शहनशाह	हिन्दी	1	2	98,940.00
2.	गिरफ्तार	हिन्दी	1	2	1,20,141.00
3.	कालिया	हिन्दी	1	2	1,01,083.00
4.	खतरों के खिलाड़ी	हिन्दी	1	2	72,202.00
5.	एक और सिकंदर	हिन्दी	1	2	57,762.00
6.	ड्यूटी	हिन्दी	1	2	57,762.00
7.	आग ही आग	हिन्दी	1	2	57,762.00
8.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	2	4	2,16,607.00
9.	अमर अकबर एंथनी	हिन्दी	1	2	47,748.00
			10	20	8,30,007.00
	इटली				
1.	चक्र	हिन्दी	—	—	1,38,474.00
2.	कुली	हिन्दी	—	—	47,875.00
3.	पार	हिन्दी	2	—	3,31,209.00
			2	—	5,17,558.00
	जापान				
1.	पार	हिन्दी	लोन प्रिंट		1,96,650.00
2.	गौतम दि बुद्धा	अंग्रेजी	1	—	67,329.00
3.	रविन्द्र नाथ टैगोर	अंग्रेजी	1	—	44,028.00
			2	—	3,08,007.00

1	2	3	4	5	6
जोर्डन					
1.	नास्तिक	हिन्दी	1	2	1,20,627.00
2.	जीते हैं शान से	हिन्दी	1	2	36,686.00
3.	कमांडो	हिन्दी	1	2	70,671.00
4.	हत्या	हिन्दी	1	2	56,537.00
5.	खतरों के खिलाड़ी	हिन्दी	1	2	70,671.00
6.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	1	2	1,80,505.00
7.	वर्दी	हिन्दी	1	2	64,982.00
8.	रुखसत	हिन्दी	1	2	41,356.00
			8	16	6,42,035.00
केन्या					
1.	मेरा लहू	हिन्दी	1	1	45,000.00
2.	प्यार कर के देखो	हिन्दी	1	1	45,000.00
3.	जीते हैं शान से	हिन्दी	1	1	60,000.00
4.	कसम	हिन्दी	1	2	50,000.00
5.	हिफाजत	हिन्दी	1	2	40,000.00
6.	प्यार का मंदिर	हिन्दी	1	2	50,000.00
7.	इंसाफ कौन करेगा	हिन्दी	1	1	50,000.00
8.	पाप की दुनिया	हिन्दी	1	1	55,000.00
9.	परिवार	हिन्दी	1	1	47,500.00
10.	शीला	हिन्दी	1	1	40,000.00
11.	सत्यमेव जयते	हिन्दी	1	1	47,500.00
12.	शेरनी	हिन्दी	1	1	47,500.00
13.	खतरों के खिलाड़ी	हिन्दी	1	1	60,000.00
14.	हुकूमत	हिन्दी	1	1	50,000.00
15.	सिन्दूर	हिन्दी	1	1	50,000.00

1	2	3	4	5	6
16.	कुदरत का कानून	हिन्दी	1	1	50,000.00
17.	खुदगर्ज	हिन्दी	1	1	50,000.00
18.	मरते दम तक	हिन्दी	1	2	50,000.00
19.	हत्या	हिन्दी	1	1	47,500.00
20.	कमांडो	हिन्दी	1	1	60,000.00
21.	जलजला	हिन्दी	1	1	60,000,00
22.	मोहब्बत के दुश्मन	हिन्दी	1	2	50,000.00
23.	बखस्त	हिन्दी	1	2	50,000.00
24.	राम अवतार	हिन्दी	1	2	50,000.00
25.	कब्जा	हिन्दी	1	2	50,000.00
26.	मर मिटेंगे	हिन्दी	2	2	1,10,000.00
27.	दयावान	हिन्दी	1	—	70,000.00
28.	महावीरा	हिन्दी	1	2	50,000.00
29.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	1	—	86,643.00
			30	36	15,71,643.00
	[illegible]				
1.	दीवार	हिन्दी	1	2	42,446.89
			1	2	42,446.89
	सिलोची				
1.	जलजला	हिन्दी	1	1	52,425.00
			1	1	52,425.00
	नारियाल				
1.	जीते हैं शान से	हिन्दी	1	1	45,000.00
2.	कसम	हिन्दी	1	1	40,000.00

1	2	3	4	5	6
3.	जलजला	हिन्दी	1	1	55,000.00
4.	कब्जा	हिन्दी	1	2	36,456.00
5.	राम अवतार	हिन्दी	1	2	37,000.00
6.	मोहब्बत के दुश्मन	हिन्दी	1	2	37,088.00
7.	वकालत	हिन्दी	1	2	62,327.00
8.	महावीरा	हिन्दी	1	2	60,000.00
9.	दयावान	हिन्दी	1	—	72,202.00
10.	मर मिटेंगे	हिन्दी	1	2	56,500.00
11.	तेजाब	हिन्दी	1	1	64,982.00
12.	अग्नि	हिन्दी	1	1	57,762.00
13.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	1	1	1,66,065.00
14.	वर्दी	हिन्दी	1	1	64,982.00
15.	मेरी जुबान	हिन्दी	1	2	56,500.00
16.	दोस्त गरीबों का	हिन्दी	1	2	45,386.00
17.	घराना	हिन्दी	1	2	60,514.00
18.	दाव पेंच	हिन्दी	1	1	50,000.00
19.	मैं तेरा दुश्मन	हिन्दी	1	1	64,297.00
			19	26	11,32,061.00
	मौरक्कों				
1.	सीतापुर की गीता	हिन्दी	1	2	50,000.00
2.	हवालात	हिन्दी	1	2	65,000.00
3.	औलाद	हिन्दी	1	2	50,000.00
4.	कांच की दीवार	हिन्दी	1	2	40,000.00
5.	पाप की दुनिया	हिन्दी	1	2	70,000.00
6.	नसीहत	हिन्दी	1	2	45,000.00
7.	देश प्रेमी	हिन्दी	1	1	48,000.00

1	2	3	4	5	6
8.	अवाम	हिन्दी	1	2	50,000.00
9.	हिम्मत और मेहनत	हिन्दी	1	2	45,000.00
10.	इंसाफ की पुकार	हिन्दी	1	2	65,000.00
11.	खतरों के खिलाड़ी	हिन्दी	1	2	80,000.00
12.	शहंशाह	हिन्दी	अतिरिक्त रील		5,000.00
13.	कमांडो	हिन्दी	1	2	80,000.00
14.	कसम	हिन्दी	1	2	60,000.00
15.	प्यार का मंदिर	हिन्दी	1	2	50,000.00
16.	मेरा यार मेरा दुश्मन	हिन्दी	1	2	45,000.00
17.	हत्या	हिन्दी	1	2	70,000.00
18.	मर्द की जबान	हिन्दी	1	2	28,500.00
19.	दि ग्रेट गैम्बलर	हिन्दी	1	2	50,000.00
20.	दहलीज	हिन्दी	1	2	50,000.00
21.	रात के अंधेरे में	हिन्दी	1	2	40,000.00
22.	खून पसीना	हिन्दी	1	2	50,000.00
23.	हेराफेरी	हिन्दी	1	2	50,000.00
24.	अंधा युद्ध	हिन्दी	1	2	55,000.00
25.	जख्मी औरत	हिन्दी	1	—	50,000.00
26.	मां की सौगंध	हिन्दी	1	2	48,760.00
27.	दिल जला	हिन्दी	1	2	45,000.00
28.	वक्त की आवाज	हिन्दी	1	2	60,000.00
29.	चरणों की सौगंध	हिन्दी	1	2	55,000.00
30.	कनवर लाल	हिन्दी	1	2	50,000.00
31.	गुनाहों का फैसला	हिन्दी	1	2	70,000.00
32.	मेरा फर्ज	हिन्दी	1	2	45,000.00
33.	मेरा शिकार	हिन्दी	1	2	45,000.00
34.	तेजाब	हिन्दी	1	2	65,000.00

1	2	3	4	5	6
35.	मर मिटेंगे	हिन्दी	1	2	65,000.00
36.	वारिस	हिन्दी	1	2	50,000.00
37.	राम बलराम	हिन्दी	1	2	46,225.00
38.	मरते दम तक	हिन्दी	1	2	55,000.00
39.	दिल तुझको दिया	हिन्दी	1	3	28,000.00
40.	जान हथेली पे	हिन्दी	1	3	31,000.00
41.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	1	2	40,000.00
42.	सागर संगम	हिन्दी	1	2	55,000.00
43.	कयामत से कयामत तक	हिन्दी	1	2	50,000.00
44.	पाप को जलाकर राख कर दूंगा	हिन्दी	1	2	65,000.00
45.	दयावान	हिन्दी	1	2	80,000.00
46.	वर्दी	हिन्दी	1	2	70,000.00
47.	राम अवतार	हिन्दी	—	2	31,440.00
48.	मोहब्बत की कसम	हिन्दी	1	2	50,000.00
49.	मुकद्दर का सिकन्दर	हिन्दी	1	2	55,000.00
50.	दो कौड़ी	हिन्दी	1	2	50,000.00
			48	97	25,96,925.00
	मलेशिया				
1.	जाल	हिन्दी	1	—	22,000.00
2.	हीरो	हिन्दी	1	—	25,000.00
3.	मेरी जंग	हिन्दी	1	—	25,000.00
4.	शहनशाह	हिन्दी	1	2	62,500.00
5.	वारिस	हिन्दी	1	—	24,021.00
6.	कौन जीता कौन हारा	हिन्दी	1	—	21,250.00
7.	ऐसा प्यार कहां	हिन्दी	1	—	22,000.00
8.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	1	2	61,000.00

1	2	3	4	5	6
9.	गुरु शिष्यन	तमिल	1	—	45,000.00
10.	आईराम निलावे वा	तमिल	1	—	22,280.00
11.	गंगा कौर्टर आवारखले	तमिल	1	—	60,000.00
12.	पार्वालि पासु	तमिल	1	—	20,000.00
13.	इन जीवन पाड्वा	तमिल	1	—	32,500.00
14.	मनाशुक्कुल मथाप्पु	तमिल	1	—	25,000.00
15.	काई नाट्टु	तमिल	1	—	78,500.00
16.	सत्यिलायालु	तेलुगु	1	—	20,000.00
17.	माप्पिलाई सर	तमिल	1	—	25,000.00
18.	आग्निकैथा मूठी	तमिल	1	—	1,10,000.00
19.	इन तमिल इन मक्काल	तमिल	1	—	42,250.00
20.	वेदु मार्नेवी मक्काल	तमिल	1	—	28,000.00
21.	ईधु थआन आराम्बम	तमिल	1	—	35,000.00
22.	चिन्ना थाम्बी पेरिया थाम्बी	तमिल	1	—	30,000.00
23.	थेन पोंडी सीमायिले	तमिल	1	—	45,000.00
24.	इधु इंगल नीधि	तमिल	1	—	45,000.00
25.	कलियुगम	तमिल	1	—	45,000.00
26.	पूविजी राजा	तमिल	1	—	45,000.00
27.	आमलू (दूरदर्शन धारावाहिक)	तमिल	दो वी० एच० एस० कास०		16,465.42
28.	कूषु पुजुहक्काल	तमिल	1	—	25,000.00
29.	जाल्ली कट्टु	तमिल	1	—	28,000.00
30.	पुथिया यानम	तमिल	1	—	1,21,241.00
31.	इन वाजी थांज वाजी	तमिल	1	—	30,000.00
32.	सन सिमित्तुम नेरम	तमिल	1	—	30,000.00
33.	रासवेय उनै नाम्बी	तमिल	1	—	30,000.00

1	2	3	4	5	6
34.	ओरू वारिसु उरूवागिरापु	तमिल	1	—	22,500.00
35.	थोत्ताल सुडुम	तमिल	1	—	22,500.00
			34	4	13,42,007.42
मालदीव					
1.	जीते हैं शान से	हिन्दी	1	2	1,29,942.00
2.	कसम	हिन्दी	1	2	36,654.00
3.	वीरता	हिन्दी	1	2	45,872.00
4.	शेरनी	हिन्दी	1	2	52,440.00
5.	जलजला	हिन्दी	1	1	50,000.00
6.	राम अवतार	हिन्दी	1	2	37,000.00
7.	मोहब्बत के दुश्मन	हिन्दी	1	2	37,088.00
8.	कब्जा	हिन्दी	1	2	36,456.00
9.	खतरों की खिलाड़ी	हिन्दी	1	2	49,148.00
10.	हत्या	हिन्दी	1	2	49,148.00
11.	प्यार मोहब्बत	हिन्दी	1	1	45,872.00
12.	आखरी अदालत	हिन्दी	1	2	35,000.00
13.	रुखसत	हिन्दी	1	1	32,673.00
14.	अम्मानवो	हिन्दी	1	2	52,425.00
15.	वक्त की आवाज	हिन्दी	1	1	52,425.00
16.	महावीर	हिन्दी	1	2	65,000.00
17.	साजिश	हिन्दी	1	1	50,000.00
18.	कनवरलाल	हिन्दी	1	1	50,000.00
19.	हलाल की कमाई	हिन्दी	1	1	50,000.00
20.	तोफा मोहब्बत का	हिन्दी	1	1	55,000.00
21.	खून भरी मांग	हिन्दी	1	1	55,000.00
22.	गुनाहों का फैसला	हिन्दी	1	—	56,537.00

1	2	3	4	5	6
23.	सागर संगम	हिन्दी	1	1	55,000.00
24.	जख्मी औरत	हिन्दी	1	—	50,000.00
25.	पाप को जलाकर राख कर दूंगा	हिन्दी	1	2	65,000.00
26.	मेरा शिकार	हिन्दी	1	2	53,004.00
27.	मर मिटेंगे	हिन्दी	1	2	60,000.00
28.	तेजाब	हिन्दी	1	2	54,152.00
29.	अग्नि	हिन्दी	1	1	50,000.00
30.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	1	—	38,000.00
31.	वर्दी	हिन्दी	1	2	54,152.00
32.	मेरी जबान	हिन्दी	1	2	55,000.00
33.	घराना	हिन्दी	1	2	55,000.00
34.	दाव पेंच	हिन्दी	1	2	56,732.00
35.	दोस्त गरीबों का	हिन्दी	1	2	55,000.00
36.	दो कैदी	हिन्दी	1	2	55,000.00
			36	55	18,79,720.00
	नाइजीरिया				
1.	महावीर	हिन्दी	1	2	54,626.00
2.	महागुरु	हिन्दी	1	2	49,469.96
3.	वफादार	हिन्दी	1	2	49,469.96
4.	तमाशा	हिन्दी	1	2	49,469.96
5.	मर मिटेंगे	हिन्दी	1	2	55,095.00
6.	7 बिजलियां	हिन्दी	1	2	50,541.52
7.	शिव शक्ति	हिन्दी	1	2	23,510.00
8.	करिश्मा कुदरत का	हिन्दी	1	2	23,510.00

1	2	3	4	5	6
9.	दोस्त गरीबों का	हिन्दी	1	2	52,950.00
10.	रुखसत	हिन्दी	1	2	46,356.00
			10	20	4,82,029.99
	न्यूजीलैंड				
1.	जीते हैं शान से	हिन्दी	1	1	47,500.00
2.	कसम	हिन्दी	1	1	42,500.00
			2	2	90,000.00
	सूडान				
1.	जंगली	हिन्दी	1	2	42,595.00
2.	समुन्द्र	हिन्दी	—	1	950.00
3.	दुनिया मेरी जेब में	हिन्दी	एक रील		2,750.00
4.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	—	2	2,000.00
5.	भूखा शेर	हिन्दी	1	2	41,604.00
			2	7	89,899.00
	सिंगापुर				
1.	रामायण	हिन्दी	उमाटिक		6,65,000.00
2.	अंधी गली	हिन्दी	लोन प्रिंट		20,320.00
3.	सुसमान	हिन्दी	लोन प्रिंट		22,942.50
4.	पार	हिन्दी	लोन प्रिंट	23	23,104.00
5.	ये वो मंजिल तो नहीं	हिन्दी	लोन प्रिंट		20,216.00
6.	अमरपाली	हिन्दी	1	2	47,500.00
7.	मालगुडी डेज (टी० वी० सीरियल)	अंग्रेजी	1	—	58,634.02

1	2	3	4	5	6
8.	पेनमनी अबाल काममनी	तमिल	1	—	50,000.00
9.	मूंडरू देवनाल	तमिल	1	—	20,000.00
10.	पलैवाना राजाक्काल	तमिल	1	—	21,000.00
11.	पुनघोट्टा कवाल करन	तमिल	1	—	88,000.00
12.	अग्नि नटचित्रिम	तमिल	1	—	60,000.00
13.	इधु नम्मा ओलु	तमिल	1	—	70,000.00
14.	थाये नीये थुनाई	तमिल	2	—	26,000.00
15.	सूरा समहारम	तमिल	1	—	72,000.00
16.	उन्नाल मुडियुम थाम्बी	तमिल	2	—	1,18,000.00
17.	नल्लावन	तमिल	1	—	87,000.00
18.	पट्टी सोलाई थाट्राथेय	तमिल	1	—	50,000.00
19.	उजहीयु वजावेंडुम	तमिल	1	—	60,000.00
20.	पआदाथा तेनिक्काल	तमिल	1	—	60,000.00
21.	मानमांगले वा	तमिल	1	—	56,000.00
22.	ओरू इनिया उदयम	तमिल	1	—	21,000.00
23.	कुनावल्ली	तमिल	1	—	50,000.00
24.	धरमाथिन थालैवान	तमिल	1	—	35,000.00
25.	इन बोम्माकुत्ती अन्नावयज्जी	तमिल	1	—	30,000.00
26.	थाई नाडु	तमिल	1	—	50,000.00
27.	वाई कोजहुप्पु	तमिल	1	—	40,000.00
28.	पहली औरत पहला मर्द	हिन्दी	1	—	42,500.00
			24	2	19,64,216.52

सेनेगल

1.	दिल तुझको दिया	हिन्दी	1	2	53,000.00
2.	मर्दान्गी	हिन्दी	1	2	45,000.00

1 2	3	4	5	6
3. सोने पे सुहाग	हिन्दी	1	2	75,000.00
4. जाग उठा इंसान	हिन्दी	1	2	45,000.00
5. यादों की बरात	हिन्दी	1	2	43,000.00
6. सोम मंगल शनि	हिन्दी	1	2	58,000.00
		6	12	3,19,000.00
साम्बा				
1. इंसाफ की पुकार	हिन्दी	1	2	52,424.64
2. जीते हैं शान से	हिन्दी	1	2	52,424.64
3. वक्त की आवाज	हिन्दी	1	2	52,424.64
4. सोने पे सुहाग	हिन्दी	1	2	57,761.73
5. मर मिटेंगे	हिन्दी	1	2	50,541.52
6. मेरी जबान	हिन्दी	1	2	52,950.08
7. गुरु	हिन्दी	1	2	52,950.07
		7	14	3,71,477.32
तंजानिया				
1. घर घर की कहानी	हिन्दी	1	1	50,000.00
2. जान बाज	हिन्दी	1	2	40,587.00
3. दीवाना तेरे नाम का	हिन्दी	1	2	45,922.50
4. मेरा यार मेरा दुश्मन	हिन्दी	1	2	38,151.00
5. गुरु	हिन्दी	1	2	55,000.·0
		5	9	2,29,660.50
थाईलैंड				
1. रामायण (टी० वी० सिरियल)	हिन्दी		उमाटिक	बी० सी० पी०

1	2	3	4	5	6
त्रीनिदाद					
1.	इंसाफ कौन करेगा	हिन्दी	1	2	63,604.00
2.	जीते हैं शान से	हिन्दी	—	1	1,156.00
			1	3	64,760.00
ताईवान					
1.	मौसी साहिब	हिन्दी	1	—	42,390.00
यू० के०					
1.	मौसी साहिब	हिन्दी	16 एम० एम०		2,41,200.00
2.	बहादुर शाह जफर	हिन्दी	74 उमाटिक		1,57,000.00
3.	रामायण (टी० वी० सीरियल)	हिन्दी	10 उमाटिक		38,000.00
4.	कब्जा	हिन्दी	1	1	50,000.00
5.	राम अवतार	हिन्दी	1	2	50,000.00
6.	मोहब्बत के दुश्मन	हिन्दी	1	2	50,000.00
7.	खतरों की खिलाड़ी	हिन्दी	1	2	60,000.00
8.	मिर्च मसाला	हिन्दी	1	—	71,820.00
9.	हत्या	हिन्दी	1	2	60,000.00
10	आखरी अदालत	हिन्दी	1	2	2,60,000.00
11.	कामांडो	हिन्दी	1	2	60,000.00
12.	द परफेक्ट मर्डर	अंग्रेजी	2	3	5,20,245.00
13.	वक्त की आवाज	हिन्दी	1	2	50,000.00
14.	पीछा करो	हिन्दी	1	2	45,000.00
15.	साजिश	हिन्दी	1	2	50,000.00
16.	कनवरलाल	हिन्दी	1	2	50,000.00
17.	खरी खरी (टी० वी० सीरियल)	हिन्दी	उमाटिक		60,000.00
18.	गुनाहों का फैसला	हिन्दी	1	—	60,000.00

1	2	3	4	5	6
19.	आजाद	हिन्दी	1	—	2,01,103.00
20.	दोस्ती	हिन्दी	एक क्लीप		5,582.10
21.	हम दोनों	हिन्दी	एक क्लीप		5,436.48
22.	बाजी	हिन्दी	दो क्लीप		10,800.15
23.	बैजू बावरा	हिन्दी	एक क्लीप		6,091.77
24.	अनारकली	हिन्दी	एक क्लीप		5,557.83
25.	नागिन	हिन्दी	एक क्लीप		6,043.23
26.	समाधि	हिन्दी	एक क्लीप		5,435.48
27.	अछूत कन्या	हिन्दी	एक क्लीप		5,193.78
28.	मेरा शिकार	हिन्दी	1	2	60,000.00
29.	श्रीकांत	हिन्दी	उमाटिक		70,000.00
30.	मनमौजी	हिन्दी	एक क्लीप		6,018.96
31.	अमर अकबर एन्थनी	हिन्दी	एक क्लीप		17,858.40
32.	पेयिंग गेस्ट	हिन्दी	दो क्लीप		13,702.00
33.	मिर्जा गालिब	हिन्दी	तीन क्लीप		22,088.28
34.	तेजाब	हिन्दी	1	1	60,000.00
35.	कागज के फूल	हिन्दी	1	—	2,37,416.00
36.	अन्दाज	हिन्दी	1	—	2,79,290.00
37.	गंगा जमुना सरस्वती	हिन्दी	3	—	1,14,000.00
38.	नाम	हिन्दी	एक क्लीप		7,720.00
39.	वर्दी	हिन्दी	1	1	60,000.00
40.	मेरी जबान	हिन्दी	1	2	50,000.00
41.	सौदागर	हिन्दी	1	—	60,000.00
42.	दोस्त गरीबों का	हिन्दी	1	1	50,000.00
43.	घराना	हिन्दी	1	2	50,000.00
44.	कारवां	हिन्दी	एक क्लीप		8,850.00
45.	बाज	हिन्दी	दो क्लीप		10,769.00

1	2	3	4	5	6
46.	अन्तरयाली यात्रा	बंगला	1	—	3,65,642.00
47.	अभिमान	हिन्दी	एक क्लीप		8,441.00
48.	तमस	हिन्दी	1	—	7,78,761.00
49.	धर्माथिन तालैवान	तमिल	1	—	50,000.00
50.	इन पुरुषांथान इंक्कु मतुनाथन	तमिल	1	—	52,500.00
(कलकत्ता)					
51.	कुकुलिवाला	बंगला	1	—	67,000.00
			33	33	46,84,566.46
यू० एस० ए०					
1.	मिर्च मसाला	हिन्दी	—	—	3,27,750.00
2.	महाभारत (टी० वी० सीरियल)	हिन्दी	उमाटिक		3,00,000.00
			—	—	10,27,750.00
यू० एस० एस० आर०					
1.	सुबह	हिन्दी	1	—	1,39,350.00
2.	काश	हिन्दी	1	—	6,50,000.00
3.	परिवार	हिन्दी	1	—	6,50,000.00
4.	प्यार करके देखो	हिन्दी	1	—	6,50,000.00
5.	अन्तरयाली यात्रा	बंगला	1	—	6,00,000.00
6.	डांस डांस	हिन्दी	1	—	8,50,000.00
7.	कदालोरा कवितागल	तमिल	1	—	6,00,000.00
8.	औलाद	हिन्दी	1	—	6,50,000.00
9.	मिस्टर इण्डिया	हिन्दी	1	—	6,75,000.00
10.	पुष्पक	हिन्दी	1	—	6,50,000.00
11.	हादसा हादसा	हिन्दी	1	—	6,50,000.00

1	2	3	4	5	6
12.	सितारा	तेलुगु	1	—	6,60,000.00
13.	स्वयं करूशि	तेलुगु	1	—	6,60,000.00
14.	अनान्तरम	मलयालम	1	—	6,00,000.00
15.	वो दिन आयेगा	हिन्दी	1	—	6,75,000.00
			15	—	93,59,350.00
	वियतनाम				
1.	अर्ध सत्य	हिन्दी	1	—	57,760.00
2.	मासूम	हिन्दी	1	—	57,760.00
			2	—	1,15,520.00
	डेनमार्क				
1.	स्वामी	हिन्दी	1	—	61,538.46
	फ्रांस				
1.	मालगुडी डेज	अंग्रेजी	1	—	64,087.75
	ईरान				
1.	मालगुडी डेज	अंग्रेजी	उमाटिक		42,360.00
	युगोस्लाविया (मद्रास)				
1.	मालगुडी डेज	हिन्दी	1	—	50,541.51
	कलकत्ता				
2.	आज का रोबिनहूड	हिन्दी	उमाटिक		22,321.00
			1	—	72,862.51

1	2	3	4	5	6
फिनलैंड (कलकत्ता)					
1.	व्हाइट एलीफेंट	हिन्दी	लान प्रिंट		19,763.75
श्रीलंका (मद्रास)					
1.	कुंकुमाम	तमिल	1	—	7,915.00
2.	मनाम ओरू कुरंगु	तमिल	1	—	7,915.00
3.	मंगाम्मा सबातम	तमिल	4	—	1,62,699.00
4.	मारूमंगल	तमिल	4	—	1,75,206.40
5.	सोलवादेलाम उनमाल	तमिल	2	—	1,00,314.00
6.	ग्रामथू मिन्नाल	तमिल	1	—	53,000.00
7.	कादल परिसू	तमिल	4	—	1,78,533.00
8.	ओरु ईनिया उदायम	तमिल	2	—	98,534.00
9.	अन्नाई एव देविय्यम	तमिल	2	—	1,02,468.00
10.	मंधिरा पुन्नागई	तमिल	2	—	1,03,238.00
11.	मालगुडी डेज	अंग्रेजी	1	—	27,177.70
12.	पुन्नागई मन्नन	तमिल	3	—	1,48,925.00
13.	वेलाईकारन	तमिल	3	—	1,48,959.05
14.	केली बंगल एडवेंचर	अंग्रेज़ी	1	—	30,100.00
15.	पट्टीसोल्लाई थट्टाथे	तमिल	2	—	1,03,952.60
16.	अग्नि नटचाटीरम	तमिल	3	—	1,25,661.00
17.	धर्माथिन थालाईवन	तमिल	2	—	1,26,250.00
18.	सूरा समहरम	तमिल	1	—	92.500.00
19.	चिन्ना थाम्बी पेरिया थाम्बी	तमिल	2	—	1,03,016.05
20.	गुरु शिष्यन	तमिल	2	—	1,27,935.00
21.	ओरु कैदीन डायरी	तमिल	2	—	1,27,935.00
22.	काक्की चटाई	तमिल	3	—	1,47,234.09
			48	—	22,99,449.89

हैदराबाद में दूरदर्शन का दूसरा चैनल

3697. **श्री टी० बाल गौड** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में स्थापित किए गए नये दूरदर्शन स्टूडियो को ध्यान में रखते हुए वहां पर दूरदर्शन का दूसरा चैनल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) योजना के तहत अनुमोदित स्कीम के अनुसार, केवल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों में दूसरे चैनल की सेवा आरम्भ करने की योजना थी। अतः सातवीं योजना के तहत किसी अन्य नगर में ऐसी सेवा आरम्भ करने के लिए किसी निधि का आबंटन नहीं किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कम शक्ति के ट्रांसमीटर

3698. **श्री टी० बाल गौड** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) और आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों (1990-93) के दौरान कितने कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे;

(ख) इन केन्द्रों की प्रसारण सुविधा कितने प्रतिशत क्षेत्र और जनसंख्या को प्राप्त होगी; और

(ग) आठवीं योजना के अन्त तक कितने प्रतिशत क्षेत्र और जनसंख्या प्रसारण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और दो दूरदर्शन ट्रांसपोजर स्थापित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा, सातवीं योजना के अन्तर्गत राज्य में स्थापित किए जाने वाले एक और उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के 1990-91 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। इन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन कवरेज मौजूदा 49.7% क्षेत्र तथा 65.7 प्रतिशत जनसंख्या की तुलना में करीब 66% क्षेत्र और 77 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध होने की उम्मीद है।

दूरदर्शन के आठवीं योजना प्रस्तावों के बारे में इस समय ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

कलकत्ता स्थित दूर-संचार फैक्ट्री में कार्यभार

3699. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण कलकत्ता स्थित दूरसंचार फैक्ट्री के कार्यभार में काफी गिरावट आई है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप फैक्ट्री के कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं अथवा फालतू हो गए हैं; और

(ग) फैक्ट्री में शीघ्र ही कार्यभार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण कार्यभार में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दूरसंचार फैक्ट्री, कलकत्ता में कुछ नए उत्पादों जैसे पे-फोन, सी० डी० कैबिनेट आदि का विनिर्माण किया जाना है।

कीटनाशकों का उत्पादन

3700. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर निर्यात के कारण कीटनाशकों की कमी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कीटनाशकों का कितना उत्पादन हुआ तथा कितना निर्यात किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कीटनाशकों का उत्पादन और निर्यात निम्न प्रकार है :—

उत्पादन	**मात्रा टनों में**
1985-86	54.92
1986-87	56.30
1987-88	55.92

निर्यात	**मूल्य करोड़ रुपए में**
1985-86	39.77
1986-87	34.92
1987-88	40.38

अखबारी कागज वितरण सम्बन्धी नीति

3701. **श्री अजय विश्वास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखबारी कागज वितरण सम्बन्धी एक नई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में भवानी पटना के लिए एस० टी० डी० सुविधा

3702. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भवानी पटना को एस० टी० डी० सुविधा द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल, भवानी पटना में एक आपातकालीन भू-केन्द्र सुलभ करवा दिया गया है जिसके जरिए एक ऑपरेटर ट्रंक डायलिंग (ओ० टी० डी०) सर्किट प्रदान किया गया है। एक नियमित भू-केन्द्र प्रदान कर दिया जाएगा और मार्च, 1990 तक एस० टी० डी० सुविधा दे दी जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली के कनेक्शन

3703. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं उनके समक्ष बिजली सप्लाई में बार-बार रुकावट आने, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, खराबी ठीक न किए जाने और कनेक्शन दिए जाने में विलम्ब आदि जैसी आने वाली प्रमुख कठिनाइयों के बारे में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) हाल ही में योजना आयोग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में स्थापित उद्योग

3704. **श्री कमल चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में कुल कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ग) क्या चालू योजना की शेष अवधि के दौरान पंजाब में कोई नया उद्योग स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत 1986 से 1988 के दौरान पंजाब को 75 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे। जिसमें से 20 औद्योगिक लाइसेंस "कार्य जारी रखने" के लिए थे। सामान्यतः एक औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में चार से पांच वर्ष का समय लगता है। तथापि, कार्यान्वयन अवधि प्रत्येक उद्योग में भिन्न-भिन्न होती है। इस प्रकार उपर्युक्त औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

(ख) जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी राज्य सरकार तथा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। नियुक्त किए गए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या सम्बन्धी सूचना, केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग मंत्रालय औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, हां। 1988 तथा जनवरी 1989 के दौरान पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए 47 आशय-पत्र जारी किए किए।

(घ) जारी किए गए सभी आशयपत्रों के सम्बन्ध में, उपक्रम का नाम तथा पता, एकक का स्थापना स्थल, विनिर्माण की वस्तु (वस्तुएं) तथा क्षमता इत्यादि जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा नियमित रूप से (मंथली न्यूजलैटर में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप में संसद पुस्तकालय को भेजी जा रही है।

मोटर साइकिलों का निर्यात

3705. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों ने भारत से मोटर साइकिलों का आयात करने की रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) वर्ष 1988 के दौरान मोटरसाइकिल/मोपेड के प्रमुख निर्माताओं द्वारा निम्नलिखित निर्यात

सूचना दी गई :

निर्माता का नाम	मात्रा
1. मै० एन्फील्ड इण्डिया लि०, (50 सी० सी० तथा 350 सी० सी० मोटर साइकिलें)	911
2. मै० एस्कार्टस लि०, (राजदूत मोटर साइकिलें)	14
3. मै० टी० वी० एस० सुजुकी लि० (मोपेड्स)	5000
4. मै० एटलस आटो इन्डस्ट्रीज लि० (मोपेड्स)	400
5. मै० हीरो हौंडा मोटर्स लि० (मोटरसाइकिल)	10

इन वाहनों का निर्यात यू० के०, जापान लक्समबर्ग, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, नेपाल, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया, हंगरी, टांगो, टुनिशिया, मिस्र, श्रीलंका को किया गया है।

आकाशवाणी, बडोदरा के संगीत प्रभाग में रिक्त पद

3706. **श्री रंजीत सिंह गायकवाड** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1970, 31 दिसम्बर, 1980 और 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार आकाशवाणी बडोदरा के संगीत प्रभाग में स्वीकृत पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और ये रिक्तियां कब से हैं;

(ग) क्या संगीत प्रभाग में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है और संगीत कर्मचारियों की कमी के कारण बडोदरा के लिए निर्धारित कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं; और

(घ) आकाशवाणी बडोदरा में कलाकारों की वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) आकाशवाणी, बडोदरा के संगीत अनुभाग में स्वीकृत पदों और मौजूदा रिक्तियों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

विवरण

(क) आकाशवाणी, बड़ोदरा के संगीत अनुभाग में स्वीकृत पदों का ब्यौरा :

आज की स्थिति के अनुसार	स्वीकृत पद
31-12-1970	1. प्रोड्यूसर-1 2. कम्पोजर-1 3. इन्सट्रूमेंटलिस्ट-16
31-12-1980	1. प्रोड्यूसर-1 2. कम्पोजर-1 3. इन्सट्रूमेंटलिस्ट-15
31-12-1988	1. कार्यक्रम कार्यपालक-1 संगीत (निर्माता के पद से बदलकर) 2. कम्पोजर-1 3. इंसट्रूमेंटलिस्ट-10

(ख) मौजूदा रिक्तियों का ब्यौरा जब से यह रिक्तियां खाली पड़ी हैं :

पद का नाम	पदों की संख्या	जब से खाली है
कम्पोजर	1	26-11-1987
कार्यक्रम कार्यपालक	1	1-1-1987
इन्सट्रूमेंटलिस्ट	5	(i) 21-6-1984 (ii) 26-1-1986 (iii) 27-3-1987 (iv) 4-8-1987 (v) 16-1-1989

विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव

3707. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान विदेशी सहयोग सम्बन्धी कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई;

(ख) इनमें विदेशी पूंजी निवेश वाले कितने प्रस्ताव सम्मिलित हैं;

(ग) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो 1 जनवरी, 1989 से चालू हो गये हैं;

(घ) क्या अधिकांश प्रस्तावों में अमरीका और जापान के अतिरिक्त यूरोपीय देशों, जैसे जर्मन संघ गणराज्य, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड और ब्रिटेन के साथ सहयोग करने की परिकल्पना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इनमें प्रत्येक देश का वर्षवार प्रतिशत क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) वर्ष 1988 के दौरान, सरकार द्वारा 926 विदेशी सहयोग के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे। इनमें से 282 में विदेशी पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

(ग) 1986, 1987 और 1988 के दौरान स्वीकृत विदेशी सहयोगों की कुल संख्या क्रमशः 957, 853 और 926 है। स्वीकृतियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा इनके कार्यान्वयन की निगरानी करना प्रशासनिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। 1 जनवरी, 1989 से चालू हो गए विदेशी सहयोगों के बारे में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) 1986-1988 की अवधि के दौरान जर्मन संघ गणराज्य, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका तथा जापान के बारे में विदेशी सहयोग स्वीकृतियों तथा प्रत्येक के अंश के देश-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1986-1988 की अवधि के दौरान जारी की गई विदेशी सहयोग स्वीकृतियों के देश-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की कुल संख्या	प्रत्येक देश को दी गई विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की कुल संख्या और प्रत्येक देश का प्रतिशत (लगभग)						
		जर्मन संघ गणराज्य	फ्रांस	इटली	स्विटजरलैंड	ब्रिटेन	अमेरिका	जापान
1986	957	183 (19%)	39 (4%)	58 (6%)	32 (3%)	130 (14%)	189 (20%)	111 (12%)
1987	853	149 (17%)	44 (5%)	50 (6%)	31 (4%)	122 (14%)	196 (23%)	71 (8%)
1988	926	178 (19%)	42 (5%)	53 (6%)	41 (4%)	134 (14%)	191 (21%)	95 (10%)

स्मारक डाक टिकटें जारी करना

3708. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन महान व्यक्तियों/घटनाओं/संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिनकी स्मृति में वर्ष 1988 में विशेष स्मारक डाक टिकटें जारी करने के प्रस्ताव किए गए थे लेकिन कार्यक्रम में उनको सम्मिलित नहीं किया गया; और

(ख) वर्ष 1989 के दौरान इस प्रकार के डाक टिकट जारी करने के बारे में तय किया गया कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1989 के दौरान अब तक जितने स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं; उनसे सम्बन्धित जानकारी संलग्न विवरण 1 में दी गई है। 1989 के दौरान अभी तक निर्णय के अनुसार ऐसे डाक टिकटों को जारी करने का अस्थायी कार्यक्रम संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण-1

1989 के दौरान अभी तक जारी किए गए स्मारक/विशेष डाक टिकट

1.	2-1-89	हरे कृष्ण मेहताब
2.	2-1-89	मन्नत पद्मानाभन्
3.	10-1-89	लोक सभा सचिवालय
4.	11-1-89	राज्य संग्रहालय लखनऊ
5.	17-1-89	बलदेव रामजी मिर्धा
6-9.	20-1-89	भारत-89 (विश्व फिलैटली प्रदर्शनी)
10.	31-1-89	डॉन बास्को
11.	8-2-89	तीसरी कैलवरी
12.	13-2-89	दरगाह शरीफ, अजमेर
13.	15-2-89	राष्ट्रपति द्वारा नौसैनिक बेड़े का पुनरीक्षण
14.	8-3-89	बी० जी० खेर

विवरण-2

1989 की शेष अवधि के लिए डाक टिकट जारी करने का अस्थायी कार्यक्रम]

क्रम सं०	नाम	जारी करने की अस्थायी तिथि
1	2	3
		मार्च
1.	लक्ष्मण नायक	29
2.	खड़वा के राव गोपाल सिंह	30
		अप्रैल
3.	राज कुमारी अमृत कौर	13
4.	एस० डी० किचल्यू	13
5.	इलाहाबाद बैंक	24
6.	विष्णु राम मेधी	24
7.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	निर्धारित की जानी है।
8.	सिडेनम महाविद्यालय, बम्बई	निर्धारित की जानी है।
		मई
9.	शंकराचार्य	9
10.	आसफ अली	11
11.	मिलिट्री फार्म्स	निर्धारित की जानी है।
		जून
12.	डी० ए० वी० आन्दोलन	1
13.	किर्लोस्कर ग्रुप ऑव इंडस्ट्रीज	20
14.	दक्षिण गंगोत्री डाकघर	21
15.	भारतीय सिनेमा	निर्धारित की जानी है।
16.	सयाजी राव गायकवाड-III	निर्धारित की जानी है।
		जुलाई
17.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	निर्धारित की जानी है।

1	2	3
		अगस्त
18.	मोहन बागान एथलैटिक क्लब/फुटबाल	18
19.	नामक्कल कविगनार	24
		सितम्बर
20.	डॉ० एस० राधाकृष्णन	5
		अक्तूबर
21.	श्यामजी कृष्ण वर्मा	4
22.	वाइल्ड लाइफ	6
23.	आचार्य नरेन्द्र देवजी	31
24.	एपिलेप्सी कांफ्रेंस	निर्धारित की जानी है।
		नवम्बर
25.	आचार्य कृपलानी	11
26-27.	पं० जवाहर लाल नेहरू	14
28.	सर गुरुनाथ बोतूर	20
29.	बालचन्द हीराचन्द	23
		दिसम्बर
30.	बालकृष्ण नवीन	8
31.	सुन्दर लाल शर्मा	20/21
32.	कमल अतातुर्क	निर्धारित की जानी है।
33-34.	लोक/आदिवासी नृत्य/भारतीय कला	निर्धारित की जानी है।

राजस्थान में जैसलमेर स्थित गांवों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

3709. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में जैसलमेर जिले के कितने गांवों का अब तक विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में गांवों के विद्युतीकरण के लिए

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गए कितने प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं;

(ग) क्या जैसलमेर जिले के मुख्यालय को 132 किलोवाट विद्युत लाइन से नहीं जोड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौनसी योजनाएं तैयार की गई है और क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) जैसलमेर को 132 किलोवाट लाइन से कब तक जोड़ा जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राजस्थान के जैसलमेर जिले में फरवरी, 1989 के अन्त तक 83 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है।

(ग) से (ङ) राजस्थान की 132 के० वी० पारेषण प्रणाली के साथ अभी तक जैसलमेर को नहीं जोड़ा गया है और 33 के० वी० लाइनों के जरिए जैसलमेर को विद्युत सप्लाई की जाती है। जैसलमेर में 1 × 6 एम० वी० ए०, 132/33 के० वी० उपकेन्द्र की स्थापना तथा 132 के० वी० पोखरन-जैसलमेर सिंगल सर्किट लाइन के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव को, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पारेषण और ट्रांसफार्मेशन कार्यों के लिए अपनी सातवीं योजना परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 912 लाख रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया है। बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई पारस्परिक प्राथमिकता तथा उनके पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हुए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 132 के० वी० लाइनों से सम्बन्धित कार्य सोपानबद्ध रूप से हाथ में लिए जाएंगे।

सिंगरोली से अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन

[अनुवाद]

3710. **श्री विष्णु मोदी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरौली विद्युत केन्द्र जब अपनी पूर्ण प्रतिस्थापित क्षमता पर काम करता है तो सिंगरौली से वर्तमान ट्रांसमिशन लाइनें बिजली सप्लाई के लिए अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय बिजली घरों से राजस्थान को बिजली का आबंटन

3711. **श्री विष्णु मोदी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को केन्द्रीय बिजली घरों से बिजली के आबंटन में काफी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय बिजली घरों से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बिजली के आबंटन हेतु क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राजस्थान को केन्द्रीय बिजली घरों से राजस्थान के बिजली आबंटन में कोई कमी नहीं की गई है। क्षेत्र के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बिजली की स्थिति को देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक आबंटित भाग से राजस्थान को बिजली आपूर्ति लगभग 7% से 20% की गई।

केन्द्रीय बिजली घरों से बिजली के आबंटन में अपनाए गए मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाएं

(1) केन्द्र की व्यवस्था के आधार पर 15% बिजली को समय-समय पर क्षेत्र के अलग-अलग राज्यों को महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनाबंटित रखी जाती है।

(2) 10% बिजली उन "गृह-राज्यों" को आबंटित की जाती है जिनमें बिजली केन्द्र स्थापित होता है।

(3) शेष 15 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के गृह राज्य सहित लाभभोगी राज्यों में आबंटित की जाती है। यह आबंटन उनकी ऊर्जा खपत एवं गत 5 वर्षों के दौरान उनको मिली केन्द्रीय योजना सहायता को दृष्टिगत करके किया जाता है। संघ शासित क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति भी सूचित आबंटन के द्वारा की जाती है।

केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाएं

(1) केन्द्र सरकार की व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता का 15 प्रतिशत भाग क्षेत्र में अथवा बाहर के क्षेत्र में वितरित करने के लिए अनाबंटित रखी जाती है, यह वितरण उनकी कुल आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

(2) बिजली केन्द्रों से उत्पादित बिजली में से 12 प्रतिशत बिजली "गृह-राज्य" अथवा उस राज्य जिसमें परियोजना लगाई गई है, को मुफ्त में दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए उत्पादित विद्युत ऊर्जा का हिसाब बस-बार स्तर लगाया जाता है अर्थात अनुषंगी खपतों को निकाल कर परन्तु पारेषण हानियों को बिना सम्मिलित किए; और

(3) शेष 13 प्रतिशत बिजली ("गृह-राज्य" सहित) क्षेत्र के राज्यों के बीच संवितरित कर

दी जाती है; संवितरण के दो आधार हैं : पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षेत्र के राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता और गत 5 वर्षों के दौरान क्षेत्र के राज्यों में बिजली की खपत; संवितरण में दोनों पहलुओं को समान महत्व दिया जाता है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जापानी पूंजी बाजार से धनराशि जुटाना

3712. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जापानी पूंजी बाजार से कुल कितनी धनराशि जुटाई;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जापानी पूंजी बाजार से और अधिक धनराशि जुटाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में वर्ष 1989-90 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने जापानी पूंजी बाजार में विभिन्न ऋणों के रूप में लगभग 74 बिलियन येन एकत्र किए। एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा शीघ्र ही दूसरे समुदई बाण्ड जारी करने का भी प्रस्ताव है। 1989-90 के लिए पूर्वानुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में पेट्रोलियम क्षेत्र का विस्तार

3713. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में पेट्रोलियम क्षेत्र के विस्तार के लिए तैयार की गयी विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास के लिए स्कीमों के विवरण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में निवेश

3714. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र पर अधिक बल देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजनावधि के दौरान इस क्षेत्र में कुल कितना पूंजी निवेश करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जानी है।

सातवीं योजना में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3715. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का सातवीं योजना में दूरसंचार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना की शेष अवधि में, राज्यवार, कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में लगभग 2267 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान जिन एक्सचेंजों को स्थापित करने की योजना है, उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन एक्सचेंजों की संख्या जहां विभिन्न राज्यों में 1989-90 के दौरान एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है

1. आंध्र प्रदेश	60
2. बिहार	20
3. गुजरात	80
4. जम्मू व कश्मीर	10
5. कर्नाटक	170
6. केरल	शून्य
7. मध्य प्रदेश	45
8. महाराष्ट्र	152
9. उत्तर पूर्वी राज्य (मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश)	15
10. असम	30
11. हरियाणा	60
12. हिमाचल प्रदेश	25
13. पंजाब	45

14. उड़ीसा	40
15. राजस्थान	75
16. तमिलनाडु	53
17. उत्तर प्रदेश	75
18. पश्चिम बंगाल	25
19. दिल्ली	6

सोवियत संघ के सहयोग से उड़ीसा में टायर और ट्यूब उद्योग स्थापित करना

3716. **श्री हरिहर सोरन :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ के सहयोग से उड़ीसा में टायर और ट्यूब उद्योग स्थापित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान का चयन किया गया है;

(ग) संयंत्र पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) इसमें वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार को सोवियत संघ के सहयोग से उड़ीसा में टायर और ट्यूब उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना

[हिन्दी]

3717. **श्री महेन्द्र सिंह** : **क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में कोई सरकारी क्षेत्र का उपक्रम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सातवीं योजना अवधि की शेष अवधि में मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम स्थापित करने प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स की स्थापना

3718. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बाम्बे हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित एक पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स की राज्य में स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे मामलों पर निर्णय तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर लिया जाता है।

पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में तामलुक खाना पकाने की गैस की एजेंसी आबंटित करना

[अनुवाद]

3719. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में तामलुक में खाना पकाने की गैस की एजेन्सी के बारे में 6 अप्रैल, 1988 अतारांकित प्रश्न संख्या 5684 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वहां खाना पकाने की गैस के लिए कोई डीलर नियमित रूप से नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) वहां खाना पकाने के गैस के लिए नियमित डीलर कब तक नियुक्त किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ग) इस वितरण केन्द्र के लिए 28 दिसम्बर, 1988 को आशय-पत्र जारी किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में सतारा जिले में स्थानीय कालों के लिए ऑटो डायलिंग सुविधा

3720. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले में वाई क्षेत्र के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को स्थानीय कालों के लिए भी टेलीफोन एक्सचेंज पर निर्भर करना पड़ता है जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को सतारा जिले के टेलीफोन प्रयोक्ताओं से उन्हें स्थानीय कालों के लिए ऑटो डायलिंग सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां । वाई एक मैनुअल एक्सचेंज होने के कारण किसी भी अन्य मैनुअल एक्सचेंज की भांति, स्थानीय कॉलें टेलीफोन एक्सचेंज आपरेटरों द्वारा मिलाई जाती हैं ।

(ख) इस बारे में कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) महाराष्ट्र सर्किल में वाई एक्सचेंज से अधिक क्षमता वाले अनेक मैनुअल एक्सचेंज हैं जिन्हें अभी भी ऑटोमेटिक बनाया जाना है । सतारा जिले में 6- मैनुअल एक्सचेंजों को ऑटोमेटिक बनाया जाना है । इन एक्सचेंजों को आठवीं योजना अवधि के दौरान उनकी बारी आने पर ऑटोमेटिक बनाया जाएगा ।

महाराष्ट्र में भूइंज में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3721. **श्री प्रताप राव बी० भोसले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के भूइंज क्षेत्र और सतारा जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) यदि हां, तो 15 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूइंज में टेलीफोन एक्सचेंज की विद्यमान क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का उक्त प्रतीक्षा सूची का किस प्रकार निपटान करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 15-3-89 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के सतारा जिले के अन्तर्गत भूइंज में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में 66 आवेदकों के नाम दर्ज हैं । ये सभी आवेदन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) 45 लाइनों वाले मौजूदा एक्सचेंज वर्ष 1989-90 के दौरान 45 लाइनें और जोड़ने का प्रस्ताव है । इससे प्रतीक्षा सूची में दर्ज 40 आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जा सकेंगे । शेष आवेदकों का आठवीं योजना अवधि के आरम्भिक वर्षों में इस एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि करने के बाद टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा सकेंगे ।

गांवों में डाकघर खोलना

3722. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान देश के सभी भागों में डाक और दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा 1000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में डाकघर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 1000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले उन गांवों का ब्यौरा क्या है जहां पर डाकघर सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं; और

(घ) इन गांवों में डाकघर खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) छठी योजना (1980-85) में शामिल है—(i) 8000 नए डाकघर खोलना (ii) सामान्य क्षेत्रों में 5000 तथा पर्वतीय/पिछड़े क्षेत्रों में 2500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों में व्यवहार्य रूप में दूरसंचार सुविधाओं का प्रावधान जोकि व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा ।

(ख) 85.25 प्रतिशत डाक के लक्ष्य और 93 प्रतिशत दूरसंचार के लक्ष्य प्राप्त किए गए । ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 और पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 1500 की संयुक्त जनसंख्या वाले समूह के लिए डाकघर खोला जाता है बशर्ते कि नजदीकी डाकघर से उसकी दूरी 3 कि० मी० से अधिक हो । डाकघर खोलने के लिए 1000 की जनसंख्या वाले अकेले ग्राम को स्वयं में एक यूनिट नहीं माना जाएगा ।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली में विभागीय एस० टी० डी० टेलीफोन केन्द्र

3723. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ विभागीय एस० टी० डी० टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में दिल्ली में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

शिक्षा और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर दूरदर्शन धारावाहिकों को पुरस्कार

3724. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन धारावाहिकों को उनमें निहित शिक्षा और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर उत्कृष्ट धाराहिक शील्ड से पुरस्कृत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन दूरदर्शन धारावाहिकों के निर्माताओं को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) दूरदर्शन में पहले ही एक योजना विद्यमान है जिसमें अन्तर्गत दूरदर्शन द्वारा शैक्षिक और सांस्कृतिक विषयों पर निर्मित कार्यक्रमों सहित विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों को पुरस्कार (नकद पुरस्कार तथा रनिंग शील्डें) प्रदान किए जाते हैं। निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रमों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाये जाने का कार्यक्रम है।

पत्र-पत्रिकाओं के नामों का पंजीकरण

3725. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986, 1 जनवरी, 1987 और 1 जनवरी, 1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय समाचारपत्र पंजीयक के पास पत्र-पत्रिकाओं के नाम पंजीकरण कराने के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित थे;

(ख) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान कितने नये आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया गया; और

(घ) वर्ष 1986, 1937 और 1988 के दौरान कितने नये पत्र-पत्रिकाओं के नामों का पंजीकरण किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :

	1986	1987	1988
(क)	शून्य*	654	657
(ख)	15,008*	14,659	15,283
(ग)	14,354	14,656	15,229
(घ)	6,246	7,511	7,625

*यद्यपि 1-1-1986 को "शीर्षक सैल" के पास कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं पड़ा था, परन्तु, कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त होने वाले थे वे "शीर्षक सैल" में 31 दिसम्बर, 1985 के बाद प्राप्त हुए और उन्हें वर्ष 1986 के लिए नई आवतियां माना गया।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में दुर्घटनाएं

3726. **श्री रेणुपद दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में, विशेषकर ईस्ट बेरामनिया कोलरी में, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे हैं;

(ख) कितने मामलों में मृतकों के आश्रितों को रोजगार दिया गया और कितने मामलों में रोजगार नहीं दिया गया; और

(ग) उन्हें रोजगार न देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) राष्ट्रीयकरण के बाद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में दुर्घटनाओं के कारण कुल 829 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इनमें से 6 व्यक्ति वर्ष 1973 से अब तक की अवधि के बीच ईस्ट बासुरिया कोलियरी में मारे गए।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में नीति के अनुसार कोयला कम्पनियां दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को रोजगार तथा अन्य पुनर्वास सहायता प्रदान करती है। कम्पनियां ऐसे मामलों में तत्काल रोजगार प्रदान नहीं कर पाती जिनमें उत्तराधिकार के विवाद अथवा आश्रित अवयस्क का मामला अन्तर्ग्रस्त होता है। ऐसे मामलों में भी जब विवाद निपट जाता है और अवयस्क आश्रित वयस्क हो जाता है तो उन्हें उपयुक्त समय पर रोजगार प्रदान कर दिया जाता है। ईस्ट बसुरिया कोलियरी के मामले में 4 मामलों में रोजगार दिया गया; एक मामले में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई भी दावेदार व्यक्ति नहीं आया। छठे मामले में, जोकि 1973 की दुर्घटना से सम्बन्धित था, दुर्घटना के समय मृतक कर्मचारी के आश्रित की आयु केवल 5 वर्ष थी। इस समय यह आश्रित व्यक्ति व्यस्क हो गया है और उसको रोजगार दिए जाने के मामले में कम्पनी द्वारा कारंवाई की जा रही है।

डी० एम० टी०/पी० टी० ए० के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

3727. **श्री दिनेश गोस्वामी** :
श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डिमिथेइल टेरेपथेल" (डी० एम० टी०) और "न्यूटीफिकल टेरेपथेल एसिड" (पी० टी० ए०) मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण पालिस्टर स्टेपल फाइबर और धागा उद्योग पर वित्तीय भार बढ़ा है;

(ख) क्या इन वस्तुओं के मूल्यों में गत कुछ महीनों पूर्व हुई वृद्धि के कारण पालिस्टर स्टेपल फाइबर उद्योग को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा;

(ग) क्या सरकार का इस कच्चे माल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने हेतु कुछ प्रभावशाली कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) डी० एम० टी० और पी० टी० ए० विनिर्माताओं ने अगस्त, 1988 से फरवरी, 1989 के बीच अपने बिक्री मूल्यों में एक से अधिक बार वृद्धि कर दी। जिसके परिणामस्वरूप पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, पालिएस्टर फिलामेंट यार्न आदि की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) दिनांक 1 मार्च, 1989 से पैराजाइलीन पर आयात शुल्क में कमी कर दी है जिसके परिणामस्वरूप डी० एम० टी० और पी० टी० ए० विनिर्माताओं ने हाल ही में अपने बिक्री मूल्यों को कुछ हद तक कम कर दिया है।

जिंक सल्फेट उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी

[अनुवाद]

3728. श्री विष्णु मोदी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिंक सल्फेट उद्योग को जिंक ऐश जैसे कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को उचित दरों पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। जिंक ऐश की कमी के बारे में रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत जिंक ऐश, जोकि जिंक सल्फेट उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल है, का आयात करने की अनुमति दे दी गयी है। जिंक ऐश पर सीमा शुल्क भी कम कर दिया गया है।

पीयरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी द्वारा कार्य में विविधता लाना

3729. कुमारी ममता बनर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्धमंडल अल्प बचत के अपने मुख्य तथा मूल कार्य को बन्द करने और विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी किस क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश कर रही है;

(ग) क्या कम्पमी ने इस सम्बन्ध में सरकार से अनुमति मांगी है और क्या अनुमति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

12.05 म०प०

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम चुप हैं। मेहरबानी करके पहले आप सभा में शान्ति कायम कीजिए फिर हम प्रक्रियात्मक मुद्दा उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप चुप हैं, दूसरे लोग तो नहीं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम चुप हैं। एक-एक करके बुलाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपना मुंह तभी खोलूंगा जब आप मुझे बुलायेंगे। मेहरबानी करके सभा को शांत कीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे करूं ? आप सभी चिल्ला रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वे सत्तापक्ष के लोग हैं। सभा की कार्यवाही चलाने के लिए उनका कोई दायित्व नहीं है ? संसदीय मामलों के मंत्री क्या कर रहे हैं ? क्या सभा की कार्यवाही चलाने में आपकी सहायता करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सभा की कार्यवाही चलाने में अध्यक्ष की मदद करने की संसदीय मामलों के मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : आप हमारे संरक्षक नहीं हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक विपक्षी सदस्यों का सम्बन्ध है उनकी ओर से सभा में शान्ति कायम करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सत्तापक्ष की जिम्मेदारी संसदीय मामलों के मंत्री को लेने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। एक-एक करके···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या तमाशा है, हे भगवान !

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब मुझे सभा को स्थगित कर देनी चाहिए। यदि आप काम करना नहीं चाहते तो क्या मैं बैठक स्थगित कर दूं? यहां कोई भी काम करना नहीं चाहता।

श्री वसुदेव आचार्य : हम काम करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिना किसी तुक अथवा कारण के यहां हर समय व्यवस्था या अव्यवस्था के प्रश्न उठते रहते हैं। मैं नियमों की सीमा में किसी भी मामले को सुलझा सकता हूं। मैं यही कर सकता हूं। यदि आप नियमों को बदल दें और कहें कि सभी मनमानी करने को स्वतन्त्र हैं, तो यह आपके लिए ठीक हो सकता है। परन्तु मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि तमिलनाडु या अन्यत्र क्या होने जा रहा है; मैं केवल यह जानता हूं कि यहां संसद में क्या होने जा रहा है। यह मेरा दायित्व है। और साधारण सी बात यह है कि कोई भी व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न या कोई भी और बात किसी भी तरफ से नियमों की सीमा में रह कर ही की जा सकती है। परन्तु यदि आप नहीं सुनते हैं और आप चिल्लाना चाहते हैं और यह सोचते हैं कि जो कुछ आप कहते हैं, वह ठीक है तो यह आप तक है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम आपसे सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सहमत नहीं हैं, आप अपनी आवश्यकतानुसार ही सहमत होते हैं ठीक है, अब बैठ जाइए।

अब आइये देखते हैं कि मामला क्या है। यदि अन्य सदस्य किसी को बोलने दें तो मैं उसे बोलने के लिए कहूं कि वह क्या चाहते हैं और वह किस नियम अथवा धारा के अन्तर्गत अपनी बात कहना चाहते हैं? यदि नियमों के तहत इसकी अनुमति है तो मैं इसकी अनुमति दूंगा अन्यथा मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह साधारण सी बात है। परन्तु यदि आप चिल्लाते रहे तो मेरे पास सभा की बैठक स्थगित करके अपने कक्ष में जाने के सिवाय कोई चारा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक बोलने के लिए किसी से नहीं कहा है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, नियमों के अन्तर्गत मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?

कुमारी ममता बनर्जी : नियम 193 के अन्तर्गत।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हंस क्यों रहे हैं ? आप हर बात का मजाक बना देते हैं। नियम 193 में कहा गया है :

"अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाए जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर महासचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा......"

मुझे वह सूचना दीजिए। यदि नियमों के तहत वह ग्राह्य हुई तो मैं अनुमति दे दूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने नोटिस दिया है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। इस तरह नहीं; यहां यह स्पष्टीकरण नहीं है। मैं इस पर विचार करूंगा; यदि नियमों के तहत इसकी अनुमति होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं पहले ही नोटिस दे चुकी हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

अब प्रो० दण्डवते।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जैसाकि आपने ठीक ही कहा है, शान्ति से हमारी बात सुनते हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा ही कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर नहीं करें, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक दफा उन्होंने सुन लिया, उनको भी एक दफा सुन लें...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही शोर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने नोटिस दिया है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना काम करिए। मैं आदत से मजबूर हूं, रूल्स से बंधा हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने नियम 222 तथा 223 के अन्तर्गत नोटिस दिया है··· (व्यवधान) मैं उन्हें इतना ही बता देता हूं कि ये दण्ड प्रक्रिया संहिता के नम्बर नहीं हैं बल्कि ये लोक सभा के नियम हैं···(व्यवधान)

नियम 222 तथा 223 के अन्तर्गत मैंने नोटिस दिया है। कल आपने हमें कृपया यह बताया था कि सभी प्रस्तुत दस्तावेज सभा पटल पर रख दिए जाएंगे। यही बात माननीय मंत्री ने भी कही थी। वास्तव में मेरे पास अन्तरिम रिपोर्ट है और उसके पृष्ठ 7, 1.8.3 पर उन्होंने कहा है कि आयोग···

एक माननीय सदस्य : किस नियम के तहत वह निवेदन कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 222 और 223 के अन्तर्गत···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनें, मैं यही कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। मैं इसे अस्वीकार कर दूंगा या स्वीकार कर लूंगा।

प्रो० साहेब, उनके साथ बहस मत कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अन्तरिम रिपोर्ट के पृष्ठ 7, 1.8.3 में···

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिल गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिल गया है। साधारण-सा प्रश्न यह है···

प्रो० मधु दण्डवते : अन्तरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने 4 खण्ड दिए हैं परन्तु हमें केवल दो खण्ड ही मिले हैं। इसका अर्थ है कि दो खण्ड सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं। यह विशेषाधिकार हनन है। मैंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मेरी बात सुनिए। मुझे आपका नोटिस मिला है मैं इस पर कार्यवाही शुरू कर चुका हूं। और मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर निर्णय नहीं लेना है। निर्णय लेना मेरा काम है। आप बिना तुक या कारण के क्यों चिल्लाते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या कष्ट है ?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय मैंने आपको एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जयपाल रेड्डी जी, किसी भी नियम के तहत पत्राचार सभापटल पर नहीं रखा जा सकता। मैंने आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, महोदय...

अध्यक्ष महोदय : अब मेरे साथ बहस मत करिये। मैंने सुना है और इसे अस्वीकृत कर दिया है। बस ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रो० दण्डवते ने अन्तरिम रिपोर्ट का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने मेरी बात नहीं सुनी है।

श्री अमल दत्ता (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, सभा को गुमराह करने के लिए क्या आप श्री बूटासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन की कार्यवाही शुरू करेंगे ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनको जवाब दे दिया है। आप जरा इन्हें भी समझा दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय का कथन कार्यवाही वृतान्त में है। अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि मेरे विशेषाधिकार नोटिस पर वह कार्यवाही शुरू कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है। सामान्यतया, सभी कुछ कर दिया जायेगा ।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से दखलअन्दाजी क्यों कर रहे हैं ? अब आप अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं निर्णय लूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संसद इस सरकार की दया पर निर्भर करती है। हम सम्पूर्ण रिपोर्ट चाहते हैं......

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। रद्द किया जाता है। कुछ नहीं। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने वायदा किया था प्रोफैसर साहब, प्रोफैसर साहब···प्रोफैसर दंडवते···

[अनुवाद]

आपने मुझसे यह वायदा किया है कि आप उन्हें व्यवस्था में रखेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, रिपोर्ट पूर्ण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह बात कह चुका हूं मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा० भोई को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी तो आप कह रहे थे। मैं एक आदमी की बात सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा० भोई को अनुमति दी है। अन्य माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनको समझा दो जरा, मेहरबानी करके, थोड़ा मेरी मदद करने के लिए···

श्री वसुदेव आचार्य : हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कहां करना चाहते हैं, श्रीमन्। आप तो हमेशा ही उल्टा काम करते हो।

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैंने नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। (व्यवधान) संविधान के अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद के संयुक्त उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है और खंड (4) में शपथ की गोपनीय का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लंघन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक संवैधानिक उपबन्ध है। उसमें सदन के किसी विशेषाधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है।

डा० कृपासिंधु भोई : आपने नियम 184 के अन्तर्गत मुझे अनुमति दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वे कहते हैं कि उन्हें रिपोर्ट की प्रतिलिपि नहीं मिली है। मैं उनकी शिकायत का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका डर तो मुझे लगता नहीं है। जो रूल हैं और कानून में संभव है...

[अनुवाद]

जो नियम के अन्तर्गत है उसे सभा में रखा जायेगा और जो नियम में नहीं है उसे सभा में नहीं रखा जायेगा।

[हिन्दी]

आपके समझाने से तो मैं अपनी रूलिंग चेंज नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ नियम बताइए और मैं वैसा ही करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : आप पहले हमारी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपकी बात सुन चुका हूं। आप सदैव अनावश्यक रूप से चिल्लाते रहते हैं। श्री आचार्य आपको एक प्रोफैसर समझा जाता है परन्तु आप सदन में सबसे कम पढ़ते हैं और बिना किसी कारण के सबसे अधिक शोर मचाते हैं। मुझे इससे बहुत आघात पहुंचा है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम चाहते हैं कि आप पहले हमारी बात सुनें और फिर विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपकी बात सुन चुका हूं और मैं केवल तर्कसंगत बात ही सुन सकता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, हमें रिपोर्ट की प्रतियां नहीं मिली हैं। यह कैसी संसद है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे धमका नहीं सकते...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके धमकाने से क्या होगा ?

[अनुवाद]

आपके साथ क्या गलत हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम उन दोनों खंडों की प्रतियां चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कृपया इस बारे में मंत्री महोदय से पूछिए। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : हमें अभी तक रिपोर्ट की प्रतियां नहीं मिली हैं। मन्त्री महोदय ने हमें बताया है कि प्रतियां उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रतियां कहां हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बूटासिंह जी, आपने कापियां देनी हैं तो दे दीजिए।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैंने कल इस सम्मानीय सदन को यह आश्वासन दिया था कि हमने आवश्यकता से अधिक प्रतियां प्रस्तुत कर दी हैं···**(व्यवधान)** कृपया मुजे अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : दस छुट्टियां थीं। प्रतियां तैयार क्यों नहीं हुई···**(व्यवधान)**

सरदार बूटा सिंह : मैं महासचिव महोदय से यह पता लगाऊंगा कि कितनी और प्रतियों की आवश्यकता है। मैं जल्दी ही उन्हें प्राप्त कर लूंगा। मैं कल सुबह तक उन्हें दे दूंगा। इस बारे में कोई समस्या नहीं होगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल सबको कापी मिल जाएंगी।

श्री बसुदेव आचार्य : हमको आज मिलनी चाहिएं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

हमें कापियां आज मिलनी चाहिएं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भई, कल दे देंगे सारों को, कौनसा तूफान उठ रहा है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं उस पर मैं शर्मिंदा हूं।

(व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : दो दिन बीत गए हैं और हमें अभी तक कापियां नहीं मिली हैं। सरकार के लिए यह शर्म की बात है···**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि सम्पूर्ण रिपोर्ट को सदन में रखा जायेगा···

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस बारे में कार्यवाही आरम्भ कर चुका हूं। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि प्रतियों को आज ही सप्लाई किया जायेगा···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल दे देंगे सारों को, कौनसा तूफान उठ रहा है?

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : वह रिपोर्ट पूर्ण होनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल दे देंगे, कम्पलीटली जो रिपोर्ट होती है, वह दे देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आपकी व्याख्या से तो मिलती नहीं। जितनी मिल गई, मिल गई।

[अनुवाद]

नियमों और कानून के अन्तर्गत जो कुछ आता है उसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके हिसाब से हाउस नहीं चला सकता। अगर आपकी मर्जी से हाउस चलना है, तो आप चलाइए, मैं चलता हूं। आप में से कौनसा हाउस चलाना चाहता है, आइए।

श्री वसुदेव आचार्य : आपको ही चलाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप तो चलने देते नहीं हैं, मैं क्या करूं?

[अनुवाद]

आप कानून अपने हाथों में लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सभा 10 दिन के लिए स्थगित हुई थी।

[अनुवाद]

तब वे लोग क्या कर रहे थे?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या बात करते हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक रूलिंग दे रहा हूं, सुननी है तो···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मिल जाएंगी कापी, तूफान उठ रहा है ? कल मिल जाएंगी ।

[अनुवाद]

आप उसे पढ़ेंगे भी नहीं ।

[हिन्दी]

आप पढ़ेंगे भी नहीं, मुझे पता है ।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : शोर शराबे के कारण मैं यह नहीं समझ सकता कि सदन में क्या हो रहा है। हो सकता है, कल मैंने आपकी बात को गलत समझा हो। मैं यह नहीं जानता। आपने इस सुझाव का समर्थन किया था कि यदि सभी सदस्यों को नहीं तो कम से कम विभिन्न दलों के नेताओं को इन दस्तावेजों की एक-एक प्रति दी जाएगी, क्योंकि आपने यह कहा था कि सम्भवत: आप सभी सदस्यों को प्रति देने में समर्थ नहीं होंगे। परन्तु विभिन्न दलों के नेताओं को तो प्रतियां दी ही जानी चाहिएं। हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे कल तक इन्हें दे देंगे ।

सरदार बूटा सिंह : जैसाकि अपने मुझसे पूछा है मैंने इसकी जांच की है। कल मैं विरोधी दलों के नेताओं को प्रतियां उपलब्ध करा दूंगा। (**व्यवधान**)

महोदय रिपोर्ट छप रही है, और इसमें कुछ समय लगेगा। कल तक महासचिव महोदय, मुझे यह बतायेंगे कि कितनी प्रतियों की आवश्यकता होगी और मैं उन्हें दे दूंगा। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात तो सुन लीजिए कि वह क्या कह रहे हैं ।

[अनुवाद]

मैंने इस प्रकार का व्यवहार कभी नहीं देखा है ।

(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : आपको प्रत्येक सदस्य को प्रतियां देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित रूप में मुझे यह दीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पढ़ेगा।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने 10 दिन ले लिए हैं। परन्तु वे हमें प्रतियां सप्लाई नहीं कर सके। (व्यवधान) आप केवल नेताओं को ही नहीं अपितु प्रत्येक सदस्य को रिपोर्ट की कापी दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक बात यह समझ में नहीं आती है कि एक छोटी सी बात के लिए वक्त क्यों बरबाद कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह वास्तव में बचपना है इससे अधिक कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं। मुझे दो मुद्दों के बारे में बोलना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप तो एक घण्टे से बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : रिपोर्ट का एक प्रमुख भाग सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पहले ही मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आप उनको समझा दो।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : यह सुनिश्चित करने के लिए अपने क्या कार्यवाही की है कि बाकी दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे जाएंगे? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, बात यह है कि जो मुझे दिया है वह मैं आपको दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। आप इस सदन की गरिमा के रक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत जो कुछ सभा पटल पर रखा जा सकता है उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यही तो हम कहना चाहते हैं क्योंकि सम्पूर्ण रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखा गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं केवल यही कह सकता हूं कि नियमों के अन्तर्गत जो कुछ भी किया जा सकता है उसे किया जायेगा। बस, यही बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, आप की टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। आपने कहा है कि जो कुछ भी नियमों के अन्तर्गत अनुमेय है वह सभा पटल पर रखा जाएगा। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जो उन्होंने सभा पटल पर नहीं रखा है उसे नियमों के अन्तर्गत सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं है। कृपया ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए जिनसे आपको हमसे रिपोर्ट छुपाने में सहायता मिलेगी। आपने कहा है कि जो कुछ भी नियमों के अधीन अनुमेय है वह सभा पटल पर रख रहे हैं। इसका अर्थ यह कि जो कुछ उन्होंने छुपाया है, वह तो वे नियमों के अधीन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उन्होंने आपकी अनुमति के बिना जो कुछ कहा है वह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। हम भी चिल्ला सकते हैं। हम यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप से सुरक्षा की मांग करते हैं। आपसे स्पष्टीकरण मांगते हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पडरौना) : आप इन सब बातों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति मत दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : ओलावृष्टि और वर्षा से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, आपसे निवेदन है कि आप सरकार से कहें कि उसमें पूरा मुआवजा उनको दिलाया जाए···

अध्यक्ष महोदय : कोई नोटिस देकर किया जाता है, ऐसे ही थोड़े होता है।

श्री मानवेन्द्र सिंह : और हाउस में इस पर डिस्कशन कराया जाए······

अध्यक्ष महोदय : तो लिखकर दो न।

श्री मानवेन्द्र सिंह : ओलावृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, आप सरकार से कहें·········

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिए, महामना। ऐसे कैसे होगा, लिखकर दो न। अजीब आदमी है।

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : आप इस सदन के अभिरक्षक हैं। आप पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करते हैं। आप इस सदन की अध्यक्षता करते हैं······

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लगता तो नहीं आजकल।

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं आप से सलाह लेना चाहता हूं। भारतीय महिलाओं की शालीनता पर तमिलनाडु के सदन में खुले आम आक्रमण किया जा रहा है। क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ कह रहे हैं ? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इनसे बात कर लीजिए।

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आपके बारे में क्या करें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप इस सदन के अभिरक्षक हैं। आप पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप तनिक भी इस समय की कार्यवाही को जारी रखने के मूड में नहीं हैं। आप व्यर्थ ही जनता के राजकोष का धन नष्ट कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं 2 बजे म० प० तक सभा स्थगित करता हूं।

11.32 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.03 म० प०

लोक सभा 2.03 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जब, अध्यक्ष ने गृह मंत्री तथा विपक्ष के नेताओं के साथ

इस बात पर चर्चा की है कि क्या ठक्कर आयोग की पूरी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई है। इस बात पर मतभेद था कि आयोग की पूरी रिपोर्ट में क्या था। अतः अध्यक्ष ने इस मामले में महान्यायवादी की सलाह लेने का और इसके पश्चात् अपना अन्तिम विनिर्णय देने निश्चय किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष ने पहले ही अपना विनिर्णय दिया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप विनिर्णय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप पीठासीन हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष से मिल सकते हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जाकर अध्यक्ष से मिल सकते हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जे० वेंगल राव।

2.04 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय टायर निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-88 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एक) भारतीय टायर निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय टायर निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7592/89]

ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7593/89]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा इसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं, श्री ब्रह्म दत्त की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा उसकी सहायक कम्पनी, अर्थात, हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे-परीक्षित लेखे।

(2) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा इसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7594/89]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं श्री कल्पनाथ राय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7595/89]

(क) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7596/89]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7596/89]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, सेन्ट्रल मशीन टूल इंस्टिट्यूट बंगलौर के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण, कम्पनी अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और क्यर बोर्ड कोचीन के 1 अप्रैल, 1988 से 30 सितम्बर, 1988 तक की अवधि के लिए अर्धवार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2)

के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 324(अ), जो मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि 31 मार्च, 1989 तक बढ़ाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 325(अ), जो 30 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, शिवरामपुर के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि 31 मार्च, 1989 तक बढ़ाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7597/89]

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (चेयरमैन तथा सदस्यों की सेवा-शर्तें) (संशोधन) नियम, 1989, जो 7 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 86(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7598/89]

(4) (एक) सेन्ट्रल मशीन टूल इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मशीन टूल इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7599/89]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत कम्पनियों के कार्यकरण और प्रशासन के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7600/89]

(6) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत कयर बोर्ड कोचीन के 1 अप्रैल, 1988 से 30 सितम्बर, 1988 तक की अवधि के लिए अर्धवार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7601/89]

2.05 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) "उद्योग विहीन जिलों" में उद्योग लगाए जाने के लिए दी गई केन्द्रीय राजसहायता वापस लिए जाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए निदेश पर पुनर्विचार किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में अविकसित जनपदों में जो उद्योग विहीन हैं, शासन द्वारा 25 प्रतिशत केन्द्रीय सबसीडी देने का प्रावधान था जिसके अन्तर्गत ऐसे जिलों में लघु उद्यमियों ने सैकड़ों उद्योग लगाए परन्तु अब वित्त मंत्रालय द्वारा एक शासकीय आदेश राज्य सरकारों को भेजकर लगभग 2 दर्जन प्रकार के उद्योगों को सबसीडी पाने से निरस्त कर दिया। आदेश में यह भी है कि यदि सबसीडी स्वीकृत हो गई हो परन्तु उसका डिसबर्समेंट न हुआ हो तो भी उसे निरस्त किया जाए। इस प्रकार के शासनादेश से उद्योग विहीन जिलों के सैकड़ों उद्योग प्रभावित हो गए हैं और अब वह बन्द होने की स्थिति में हैं।

सरकार से अनुरोध है कि तत्काल इस शासनादेश को रद्द करा कर साथ ही साथ स्वीकृत सबसीडी तक के मामलों में पुनर्विचार कर आर्थिक संकट में फंस गए उद्योगों को राहत दिलायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों पर व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष से मिलिए। यह अध्यक्ष का विनिर्णय है। मैं इस मामले को पुनः आरम्भ नहीं कर सकता हूं।

(दो) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सी तथा स्कूटर-रिक्शा चालकों द्वारा जनता को परेशान किए जाने की रोकथाम किए जाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुभव किया गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के परिसर में यातायात की व्यवस्था कदापि संतोषजनक नहीं है। स्टेशन से बाहर निकलते ही यात्रियों की कठिनाइयों और सुविधाओं का तांता लग जाता है। क्योंकि वहां पर खड़ी हुई टैक्सी कारें

तथा स्वचालित रिक्शों के चालक यात्रियों को काफी तंग करते हैं। वे थोड़ी दूरी तक यात्रियों को ले जाने के लिए कदापि नहीं तैयार होते हैं। जिन कष्टों का रात्रिकाल में उतरने वाले यात्रियों को सामना करना पड़ता है, वह वर्णन से परे है। वहां पर नियुक्त ट्रैफिक पुलिस भी काफी नहीं है और जो कुछ भी है, उसकी आज्ञा का पालन करने में उक्त वाहनों के चालक आनाकानी करते हैं और वे यात्रियों की यातनामय वेदन तथा असुविधा को मूक-दर्शक की भांति देखते रह जाते हैं। इन वाहनों के चालकों का व्यवहार जनता के प्रति नितान्त आपत्तिजनक है जो असहनीय है। यदाकदा इन वाहनों के चालक ट्रैफिक पुलिस के कहने पर सवारी ले भी जाते हैं, तो रास्ते में वाहन खराब हो जाने के बहाने ऐसी जगह छोड़ देते हैं, जहां से उन्हें और कोई साधन अपने घर पहुंचने के लिए नहीं मिल पाता और वे निरीह होकर मानसिक यंत्रणा को भोगते हैं। यह स्थिति किसी प्रशासन के लिए लज्जाजनक है। जितना कुप्रबन्ध इस दिशा में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, इतना शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। यह नितान्त खेद का विषय है कि जन-प्रतिनिधियों के बार-बार कहने पर भी प्रशासन के कान पर अभी तक जूं नहीं रेंगी है। अगर यही स्थिति रही, तो जन-साधारण में जो आक्रोश तथा असंतोष भड़केगा उस पर काबू पाना प्रशासन के ताकत के बाहर होगा। अतः इस विषय को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए भारत सरकार का गृह मंत्रालय तथा भूतल परिवहन मंत्रालय अविलम्ब ही प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करे।

(तीन) राजस्थान के बीकानेर शहर को ख-2 श्रेणी का शहर घोषित किए जाने की मांग

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बीकानेर की आबादी 81-82 में 4,49,870 जिला सांख्यिकी रूपरेखा के आधार पर थी और मिड सैंसस के अनुसार 10% प्रति वर्ष वृद्धि से बीकानेर शहर की आबादी आज 5.50 लाख की होती है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय की विज्ञप्ति के अनुसार जो महंगा शहर हो, औद्योगिक क्षेत्र में विकसित हो, पर्यटकों का आना जाना अधिक हो, धार्मिक तीर्थ स्थल हो, उसे अपग्रेड किया जा सकता है। वर्तमान में जामनगर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित किया गया है। इसी तरह मिड सैंसस के अनुसार ग्वालियर, जामनगर, नासिक, विजयवाड़ा, अजमेर आदि शहरों को बी-2 श्रेणी में घोषित किया गया है।

अतः धार्मिक और औद्योगिक दृष्टि से बीकानेर को भी बी-2 श्रेणी शहर घोषित किया जाना चाहिए।

(चार) राजस्थान सरकार को राज्य के हाड़ोती क्षेत्र में भू-कटाव से प्रभावित तंग घाटियों के स्वदेशीय पौधों की हवाई बुआई कराए जाने के लिए निदेश दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : देश में राजस्थान राज्य को वनों के संरक्षण तथा विस्तार की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह रेगिस्तानी राज्य है और इसका 11 प्रतिशत से कम भाग वन विभाग के अन्तर्गत है तथा 1.75 प्रतिशत भू-भाग में ही वास्तविक वन हैं इसीलिए और अधिक वन लगाने की विद्यमान गति में तेजी लाने की आवश्यकता है।

राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी भागों में पहाड़ियां तथा अनेक नदी नाले हैं जिसके कारण सारे क्षेत्र में अत्यधिक भू-कटाव होता है। हाड़ोती क्षेत्र भू-कटाव से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां राज्य के कुल प्रभावित क्षेत्र का 60 प्रतिशत क्षेत्र है और वन क्षेत्रों के समाप्त होने तथा भूमि के गलत उपयोग की नीति के फलस्वरूप इस क्षेत्र में भू-कटाव की वार्षिक दर बढ़ रही है। वनरोपण कार्यक्रम बहुत धीमा, महंगा और अनुपयोगी है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए मैं माननीय वन तथा पर्यावरण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार से कहें कि मध्य प्रदेश की तरह हाड़ोती क्षेत्र की तंग घाटियों में नदियों के साथ-साथ बड़े स्तर पर देशी पौधों की विमान से बुआई करें। देशी किस्म के पैलेटाइज्ड बीजों की विमान से बुआई से मध्य प्रदेश में पैदावार के अच्छे परिणाम रहे हैं और ऐसा राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है।

(पांच) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के लिए लाभ की सीमा निर्धारित किए जाने की मांग

श्री पी० पेंचालैया (नेल्लोर) : भारत विश्व के उन थोड़े से देशों में से एक है जो अभ्रक का काफी अधिक मात्रा में उत्पादन तथा निर्यात करते हैं। देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु निर्यात करने के लिए अनेक मजदूर, संसाधनकर्त्ता तथा डीलर अभ्रक का उत्पादन करने के लिए रात दिन कार्य करते हैं।

दुर्भाग्य से, इस उद्योग में लगे सभी लोगों की मदद के लिए तथा अभ्रक के निर्यात को बढ़ावा देने के गठित किया मुख्य व्यापार संघ भारतीय अभ्रक व्यापार निगम धीरे-धीरे अपने संजोए लक्ष्य से हटता जा रहा है। यद्यपि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम 100 प्रतिशत से भी अधिक लाभ अर्जित कर रहा है लेकिन मजदूरों और छोटे व्यापारियों को अनेक कठिनाईयां उठानी पड़ती हैं। इसके लाभ का बड़ा भाग इसके कर्मचारियों पर खर्च हो रहा है और वास्तविक उत्पादक और संसाधनकर्ता इससे वंचित रह जाते हैं। भारतीय अभ्रक व्यापार निगम की सेवाओं के लिए 20 प्रतिशत का लाभ तो उचित कहा जा सकता है लेकिन इससे अधिक गलत और अनुचित है और यह छोटे उत्पादकों और संसाधनकर्ता के हितों पर कुठाराघात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी व्यापारी भारतीय अभ्रक व्यापार निगम द्वारा दिए गए मूल्य से अधिक मूल्य देते हैं जिससे भारतीय अभ्रक व्यापार निगम स्पर्धा से बाहर हो जाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और ऐसी नीति निर्धारित करे कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को निर्यात के योग्य तैयार माल की कीमत का कितना प्रतिशत देना उचित है। नीति सम्बन्धी इस घोषणा से सभी सम्बन्धित पक्षों को न्याय मिलेगा और अभ्रक उद्योग को कुल मिलाकर बढ़ावा मिलेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल 377 के अधीन मामले ही सुन रहा हूं। नियम 377 के अधीन मामलों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(छः) **पूरे देश में एक समान और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली लागू किए जाने की मांग**

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के ढांचे को बदलने के लिए शिक्षा की एक अग्रणी भूमिका रहती है जो आज हमारे देश के लिए अति-आवश्यक है। आज हमारे देश में शिक्षा की एकरूपता नहीं होने के कारण जनता में असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है। ग्रामों में रहने वाले गरीब लोगों के बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, वह रोजगारोन्मुखी नहीं है, जिससे नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसका दूसरा रूप आज आतंकवाद, उग्रवाद तथा अराजकता के रूप में विकसित हो रही है, जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ गई है। देश के अन्दर एक भाषा न होने के कारण भाषा विवाद भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर देश में बराबर दंगे होते रहते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षा की एकरूपता तथा भाषा की एकरूपता लागू की जाये, जिससे देश की एकता, अखंडता बरकरार रहे तथा देश लगातार तरक्की की ओर बढ़ता रहे।

(सात) **इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किए जाने तथा रिक्त पदों को भरे जाने की मांग**

[अनुवाद]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उत्तर प्रदेश में विचारीधीन पड़े मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकार का लाखों मुकदमेबाजों को तेजी से सस्ता न्याय देने का उद्देश्य समाप्त होता लगता है। विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए कोई उचित तथा ठोस प्रयास नहीं किया गया है। सरकार ने राज्यों की जनसंख्या के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई विशेष फार्मूला नहीं बनाया है। यह आश्चर्यजनक है कि 2 करोड़ की जनसंख्या वाले केरल में उच्च न्यायालय में 19 न्यायाधीश हैं जबकि 13 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में केवल 62 न्यायाधीश हैं।

इसलिए मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाए और यथा शीघ्र रिक्तियों को भरा जाए ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिल सके।

(आठ) **अफगानिस्तान की जनता तथा पाकिस्तान आवामी नेशनल पार्टी के नेता वली खां के साम्राज्यवादी और कट्टरपंथी ताकतों के विरुद्ध साहसपूर्ण संघर्ष में उनका समर्थन किए जाने की मांग**

श्री अजीत कुरेशी (सतना) : महोदय पाकिस्तान आवामी नेशनल पार्टी के नेता वली खां ने अफगानिस्तान में खूनखराबा रोकने के लिए और अफगानों में परस्पर वार्ता के माध्यम से एक व्यापक आधार वाली सरकार बनाने में मदद देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है।

वली खां सीमान्त गांधी बादशाह खान के नेतृत्व में साहसिक स्वतन्त्रता संघर्ष की महान परम्परा को दर्शाते हैं। यद्यपि बादशाह खान के एक संयुक्त भारत का स्वप्न टूट गया लेकिन वली खां अपने पिता के द्वारा प्रतिपादित आदर्शों के लिए वीरतापूर्ण संघर्ष जारी रखे हुए हैं। हम उनमें 'रैड शर्ट मूवमैंट' (खुदाई खिदमतगार) देखते हैं जो अफगानिस्तान सहित उस क्षेत्र के लोगों के लिए नई सामाजिक व्यवस्था के लिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि साम्राज्यवादी ताकतें अत्यधिक मात्रा में शस्त्र सप्लाई करके उनके देश को तोड़ना चाहती हैं जबकि पीड़ित अफगानिस्तान को खाद्य पदार्थ, दवाओं, दूध और कपड़ों की अत्यधिक आवश्यकता है।

मैं साम्राज्यवादी और कट्टरपंथी ताकतों द्वारा इस प्रकार के हस्तक्षेप की निन्दा करते हुए इस सभा के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल कार्यवाही शुरू करे और पतन और तबाही की ताकतों के विरुद्ध वली खां और उनके लोगों के साहसिक संघर्ष में उन्हें यथा संभव समर्थन दे और इस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम ऊंचा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री सी० जंगा रेड्डी...

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हमें रिपोर्ट के दोनों खण्डों की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। हमें ये कब मिलेंगी ? (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : यह सभा की सम्पत्ति है। यह आपका दायित्व है......

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें यह कब मिलेगी ?...(व्यवधान)। इसके के लिए सरकार से कहना आपका दायित्व है। आपका क्या दायित्व है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में कार्यवाही पहले की जा रही है......

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह हमें कब मिलेगी, हम जानना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सदस्य के रूप में यह हमारा अधिकार है कि हमें इसकी प्रतियां मिलें (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मैंने श्री सी० जंगा रेड्डी को बुलाया है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके अनुरोध पर कार्यवाही करूंगा...

(व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमें प्रतियां कब मिलेंगी ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अब प्रतियां उपलब्ध कराना आपका दायित्व है···(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, हमें प्रतियां दिलाने का दायित्व अब आपका है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रतियां उपलब्ध कराएंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप कब उपलब्ध कराएंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम निश्चित रूप से प्रतियां उपलब्ध कराएंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : निश्चित रूप से कैसे ? इसका क्या तात्पर्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें ये छपवानी हैं और फिर आपको देनी हैं···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या ये हमें आज शाम तक मिल जायेंगी ?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इन्हें आपको उपलब्ध कराने का दायित्व लेते हैं···

(व्यवधान)

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब माननीय अध्यक्ष महोदय और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि विपक्ष के माननीय नेताओं को रिपोर्ट की प्रतियां दी जाएं···(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं······(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मुझे अपनी बात पूरी करने दें। महोदय, मैं जो कह रहा हूं वह तथ्य है, सभा का कार्यवाही वृत्तान्त···(व्यवधान)।

महोदय, यदि वे मुझे अनुमति दें तो मैं अपनी बात समाप्त करके उनके मुद्दे को पूरा कर सकता हूं। बैठक में ही मैंने आज सुबह स्वयं विपक्ष के माननीय नेताओं को प्रतियां दीं···(व्यवधान)। मुझे बात पूरी करने दें। महोदय सुबह जब श्री आरिफ मोहम्मद खां सभा में आए तो उनके हाथ में रिपोर्ट थी और अब वह पूरे जोर से चिल्ला रहे हैं कि उनके पास प्रति नहीं है···(व्यवधान)। जैसाकि मैंने सभा को सुबह आश्वासन दिया था कि कल तक मैं चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों को प्रतियां उपलब्ध करा दूंगा। प्रतियां छप रही हैं। जैसे ही छपी हुई प्रतियां उपलब्ध होंगी वे चर्चा में भाग लेने के इच्छुक लगभग सभी सदस्यों को दे दी जाएंगी···(व्यवधान)। मैं उन्हें महासचिव के पास रखूंगा चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्य इसे प्राप्त कर सकते हैं।

परन्तु महोदय मैं यह कहूंगा कि यह सरकार के विरुद्ध उनका अनुचित अभियान बराबर जारी है प्रतियां उनके हाथों में हैं। श्री आरिफ मोहम्मद खां के हाथों में प्रति है परन्तु वह चिल्ला रहे हैं कि उनके पास प्रति नहीं है। सभा इसकी स्वीकृति नहीं दे सकती। (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैंने यह प्रति ग्रंथालय से ली है। क्या मैं इसे फोटोस्टेट कापी कराने के लिए ले जा सकता हूं। क्या गृह मंत्री ग्रंथालय के अधिकारियों से कहेंगे ? मैंने इसे

ग्रंथालय से लिया है और मुझे यह ग्रंथालय को वापस करनी पड़ेगी। परन्तु मुझे एक प्रति की जरूरत है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : मैं आपको एक प्रति दिला सकता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : तब तो ठीक है। आपका धन्यवाद। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय जैसाकि मैंने कल कहा था कि यदि न्यायसंगत बात कही जायेगी तो हम उसकी जांच कर सकते हैं। आज श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उचित बात कही है इसलिए मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली। मुझे आश्चर्य है कि मैं किसकी बात सुनूं? प्रत्येक दल के अलग-अलग मुद्दे हैं और अलग-अलग विचार हैं। मैंने विपक्ष के नेताओं को प्रतियां पहले ही उपलब्ध करा दी हैं। परन्तु इस प्रकार की बुनियादी बातों से कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, कुछ सप्ताह पहले विपक्षी सदस्यों को यह मुद्दा उठाने के कारण सभा से निलम्बित कर दिया गया था। उन्हें तीन दिनों तक निलम्बित रखा गया। अब आप सदस्यों को रिपोर्ट की जीरोक्स प्रतियां क्यों नहीं देते हैं? यदि ऑफिस में मशीन है तो आप रिपोर्ट की प्रतियां क्यों नहीं करा लेते? (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा० रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, एक बार इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जा चुका है इसलिए यह इस सभा की सम्पत्ति है। सदस्यों को रिपोर्ट की प्रतियां देना लोक सभा की जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री तम्पन्न थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मैंने गृह मंत्री के विरुद्ध एक प्रस्ताव रखा है। उनके खिलाफ प्रस्ताव लंम्बित है। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, आप उनसे पूछिये कि वे सभा की कार्यवाही चलने देना चाहते हैं या नहीं। प्रोफेसर साहब, आप नहीं चाहते कि यह सभा कार्य करे। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आप इस सभा के संरक्षक हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, वह कहते हैं कि माननीय सदस्यों को प्रतियां उपलब्ध करा दी जायेंगी। परन्तु हम लोक सभा सचिवालय से रिपोर्ट की प्रतियां लेना चाहते हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आप सब बैठ जाइये। तब मैं बारी-बारी से आपकी बात सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी जगह पर जाइये। कृपया मेरी बात सुनिये। मंत्री महोदय पहले ही जवाब दे चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। वे पर्याप्त संख्या में प्रतियां कल देंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने उन्हें इस तरह से कहने की अनुमति क्यों दी ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वे कल प्रतियां देंगे।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रतियां कल देंगे। आप और क्या आश्वासन चाहते हैं ?

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कल प्रतियां मिल जायेंगी आप और क्या आश्वासन चाहते हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या कल प्रत्येक सदस्य को प्रति मिल जाएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रति मिल जाएगी। कृपया बैठ जाइये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : केवल मुझे ही नहीं बल्कि प्रत्येक सदस्य को मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अन्य सदस्यों को भी प्रतियां देंगे। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये। श्री जंगा रेड्डी।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तम्पन्न थामस, हम आपको प्रतियां देंगे। अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आपको प्रतियां मिल जायेंगी।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको प्रतियां मिल जाएंगी।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपको प्रतियां देंगे।

(**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : हमें जनता ने इस सभा के लिए चुना है। सभा सर्वोच्च है। क्या आप हमारे द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न को महान्यायवादी को भेजना चाहते हैं ? यह उचित नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आप क्या कहना चाहते हैं ?

(**व्यवधान**)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक बात कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, आपने मुझसे एक बात कहने के लिए कहा है । अभी मंत्री महोदय और आपने कहा था कि नेतागण अध्यक्ष के कक्ष में मिले और कुछ विचार-विमर्श किया । मुझे यह नहीं मालूम कि नेताओं और अध्यक्ष के बीच क्या बात हुई । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि इसे दोबारा पढ़ा जाए ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : **महोदय, मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं**··· (**व्यवधान**) श्री चार्ल्स सहित इन सदस्यों को दल बदल न करने के लिए धन्यवाद देता हूं । दल बदल करने के कारण हमारे दल की मान्यता नहीं दी गयी है । इसलिए कक्ष में मेरे दल के किसी सदस्य को नहीं बुलाया गया । सत्तारूढ़ दल छोड़ने के कारण वे हमें असम्बद्ध सदस्य समझते हैं । (**व्यवधान**) इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि रिपोर्ट एक बार सभा पटल पर रखी जा चुकी है इसलिए यह पता करना आपकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक सदस्य को प्रति मिल गयी है । मेरे विचार से गृह मंत्री को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है । अब यह सभा की सम्पत्ति है ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, जैसाकि आज सुबह भी मैंने कहा कि प्रत्येक सदस्य को इसकी प्रति मिल जायेगी । यह छप रही है । ज्यों ही प्रतियां उपलब्ध हो जाएंगी हम उन्हें दे देंगे । मेरी समझ में नहीं आता कि इस बात को क्यों दोहराया जा रहा है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपकी समझ में क्या नहीं आता ? (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : आज सुबह मैंने बता दिया । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, व्यवस्था बनाए रखिए ।

(**व्यवधान**)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मेरी अगली बात यह है कि जब यह रिपोर्ट सरकार के हाथ में थी अथवा गृहमंत्री सभा पटल पर रखने से पहले महान्यायवादी के पास भेज सकते थे परन्तु सभा पटल पर रखने के बाद अब यह सभा की सम्पत्ति हो गयी है । इसलिए आप महान्यायवादी को सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दे सकते (**व्यवधान**) आप सभा की गरिमा को कम नहीं कर सकते मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, उसके बारे में आपका क्या विनिर्णय है ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन बातो पर चर्चा आरम्भ नहीं कर रहा हूं । अब श्री जंगा रेड्डी बोलें ।

2.29 म० प०

आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1989 को प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो यह अध्यादेश जारी किया है··· ···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे विशेषाधिकार महान्यायवादी की कृपा पर नहीं हो सकते। सांविधिक संकल्प पर विचार-विमर्श करने से पहले मैं इसके बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं। क्या इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार महान्यायवादी की कृपा पर हो सकते हैं? कृपया, इसके बारे में विनिर्णय दीजिए। हमें इस सभा के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : महान्यायवादी की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरा यह विनिर्णय है। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया। कृपया, बैठ जाइये।

श्री तम्पन थामस : महान्यायवादी मेरे विशेषाधिकार का निर्धारण नहीं कर सकते। मैं जनता की इच्छा से यहां हूं। सरकार महान्यायवादी को नियुक्त करती है। एक सरकारी नौकर मेरे विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में आदेश नहीं दे सकता। सरकारी नौकर इन्हें निर्धारित नहीं कर सकता। मैं इसके बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है। महान्यायवादी की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। यह मेरा विनिर्णय है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : इस सभा की गरिमा के साथ समझौता किया जा रहा है। इस सभा के अधिकारों के साथ समझौता किया जा रहा है।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महान्यायवादी के सम्बन्ध में कही गयी इन सब बातों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इसे स्पष्ट कर दें। व्यवस्था अध्यक्ष महोदय देंगे। व्यवस्था अध्यक्ष महोदय की ही व्यवस्था होगी। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है कि क्या वे महान्यायवादी की सलाह स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह व्यवस्था देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था सुनना चाहते हैं ?

श्री तम्पन थामस : हां, मैं सुनना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कौल और शकधर द्वारा लिखित पुस्तक संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार में इस प्रकार उल्लेख किया गया है।

> "लोक सभा और अध्यक्ष को सभा के सामने विधान संबंधी प्रस्तावों का निर्णय करने में सहायता देने के लिए महान्यायवादी ने कभी-कभी अध्यक्ष या सभा के कहने पर सभा में भाषण दिया है और सभा के विचाराधीन मामले के कानूनी तथा संवैधानिक पहलुओं के सम्बन्ध में अपनी राय दी है।"

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : यह विधान सम्बन्धी मामला नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : यह विधान संबंधी विषय नहीं है।

श्री तम्पन थामस : यह इस सदन का उच्चतम अधिकार और इस सदन की प्रतिष्ठा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझे आगे बोलने दें।

> "....सदन द्वारा पारित प्रस्ताव या यदि अध्यक्ष सभा के समक्ष किसी मामले पर उसका भाषण कराना चाहे तो अध्यक्ष के अनुरोध पर महान्यायवादी सभा में आ सकता है।"

इसमें गलत क्या है ? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सभा के समक्ष किसी भी मामले पर अध्यक्ष महान्यायवादी की राय ले सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था को चुनौती न दें। मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं। उसी व्यवस्था पर औचित्य का प्रश्न न उठाएं।

(व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : मैंने आपकी व्यवस्था पर औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया है। किसी सदस्य के लिए विशेषाधिकार का अधिकार उपयुक्त ही है। यही तो वह अधिकार है जो उसे विशेषाधिकार के रूप में मिला है। सभा के समक्ष यह कोई विधायी मामला नहीं है। सभा में लम्बित पड़े किसी विधायी मामले पर आप महान्यायवादी की राय जान सकते हैं। किन्तु ऐसा मामला जो कि अधिकार हो, सदस्य होने के नाते जन्मगत अधिकार हो, उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती और इस पर

महान्यायवादी से राय नहीं ली जा सकती। इसलिए यह खण्ड यहां लागू नहीं होताहै। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी व्यवस्था पर बहस नहीं कर सकते। मैंने व्यवस्था दी है। श्री सी० जंगा रेड्डी भाषण दें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। मैंने इसकी आज्ञा नहीं दी है। मैंने व्यवस्था दी है।

(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नम्र निवेदन करने की अनुमति दें। आज सुबह जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन के स्थगित किया था तब उनके चैम्बर में एक बैठक हुई थी जिसमें विपक्षी नेता, स्वयं मैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री सभी एक साथ चर्चा कर रहे थे और हम सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंचे थे, जिसे आपने सदन में प्रवेश करने के बाद पढ़ा था। मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्या हम इस ढंग से इस देश और संसद को चला पाएंगे। निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : सर्वसम्मति से क्या निर्णय लिया गया था?

सरदार बूटा सिंह : मैं आपके सामने और सदन के सामने यह कह रहा हूं कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। विपक्ष के माननीय नेता यहां बैठे हैं। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको यह सूचना देकर जिसे आपने सदन में पढ़ा है, मामला समाप्त कर दिया था।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस मामले पर सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं लिया गया था। हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

सरदार बूटा सिंह : यदि उनकी समझ यही है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने तो समझा था कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और मैं यह बात दोहराता हूं कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था जिसमें श्री बसुदेव आचार्य, प्रो० मधु दण्डवते, श्री इन्द्रजीत गुप्त आदि सभी वहां उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि यह मामला समाप्त हुआ और वह महान्यायवादी से बात करने के बाद सदन में आएंगे। अब, मुझे यह नहीं पता कि सदन क्यों निष्क्रिय किया जा रहा है और इसके कार्य में बाधा क्यों डाली जा रही है? मैं आपसे विपक्ष को राजी करने का अनुरोध करूंगा। यदि यही ढंग रहा तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते और इसके लिए देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सुबह की बैठक में मैंने भी भाग लिया था। अब माननीय गृह मंत्री ने इसके बारे में कुछ कहा। उन्हें पहले बोलना चाहिए था। मैं इसकी प्रतीक्षा में था। चाहे जैसे हो, यदि कोई गलतफहमी हो तो मैं इसे दूर करता हूं कि उस बैठक में क्या हुआ था ? विपक्षी सदस्यों और सरकार के बीच मतभेद था। (**व्यवधान**) 'रिपोर्ट' से क्या तात्पर्य है, के सम्बन्ध में मतभेद था। सदन के सभा पटल पर रिपोर्ट रखी गई, जैसा कि सदस्यों ने यहां कहा है, और रिपोर्ट में ही इसके खण्डों की संख्या जिसमें बहुत सारे पृष्ठ हैं आदि के बारे में हवाला दिया गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें क्या है क्योंकि मुझे अभी तक उस रिपोर्ट को देखने का अवसर नहीं मिला है। महोदय, इसके बाद माननीय गृह मंत्री ने इसका स्पष्टीकरण दिया जैसा कि उन्होंने अभी भी स्पष्ट किया। मैंने उस समय भी उनसे यही अनुरोध किया था कि वह इसे सदन में भी बताएं। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद एस० आई० टी० की जांच के आधार पर कुछ लोगों के विरुद्ध नया मामला चल रहा था। इसके परिणामस्वरूप, उनके अनुसार, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पीछे व्यापक षडयंत्र होने के कारणों के लिए नया मामला शुरू करने के लिए कुछ सबूत मिले हैं और कुछ लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसलिए सरकार यह समझती है कि यदि रिपोर्ट के कुछ निश्चित भागों को जनता में लाया गया तो इससे उन कार्यवाहियों पर असर पड़ेगा जिन्हें वे शुरू कर रहे हैं। अब, हमें नहीं पता कि ये चीजें क्या हैं ? तब हम इस बात पर जोर रहे थे, जैसा कि सदस्य यहां जोर दे रहे हैं, कि अब यह निर्णय लिया गया है कि रिपोर्ट को पटल पर रखा जाए तो सम्पूर्ण रिपोर्ट जनता को बतायी जानी चाहिए। किन्तु सरकार और माननीय गृह मंत्री इस बात पर जोर देते रहे कि अब शुरू होने वाले कुछ मामलों की कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिए कुछ मामलों को गोपनीय रखा जाए। यही मतभेद था जिसका समाधान नहीं हो सका था। मैं भी अपने साथी माननीय सदस्यों से एक बात पूछना चाहता हूं। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय यह निर्णय लेते हैं कि वह इस मुद्दे पर महान्यायवादी की राय जानना चाहते हैं कि यदि वह वे कार्यवाहियां और कागजात उन्हें दिखाना चाहते हैं और उनसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी राय में ये बातें प्रकट नहीं की जा सकतीं, क्योंकि इससे भविष्य में की जाने वाली कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह नया पवाइंट है जिसे सदन के समक्ष लाया गया है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह नयी बात उठाई गई है कि क्या किया जाना है। मान लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय यह महसूस करें कि उन्हें महान्यायवादी से परामर्श करना चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं ? हम उन्हें नहीं रोक सकते। इसलिए, वह महान्यायवादी की राय स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे यह माननीय अध्यक्ष का परमाधिकार है और यह अधिकार हमारा नहीं है। अन्ततोगत्वा, महान्यायवादी निर्णय नहीं ले सकते और सदन में अपना निर्णय नहीं सुना सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय को ही अपनी व्यवस्था देनी होगी। (**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : विशेषाधिकार हनन का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। विशेषाधिकार हनन का मामला संकट में डालने से भिन्न है। यह तो बिल्कुल भिन्न बात है। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि यह विशेषाधिकार हनन का मामला है जो कि बनता भी है तो कोई भी यह कह सकता है कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है। मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय

भी इसके लिए सचेत होंगे। अन्यथा वह व्यवस्था दे देंगे जो हमारे विशेषाधिकार हनन के बराबर होगी।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसमें और अधिक गड़बड़ी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने किसी विशेष आधार पर यह निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय लिया है कि वह पहले महान्यायवादी से परामर्श किए बिना और उनकी राय लिए बिना सरकार और विपक्ष के बीच आए इस मतभेद को दूर नहीं कर सकते। (**व्यवधान**) महान्यायवादी द्वारा इस सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम उस निर्णय के लिए कोई पार्टी नहीं हैं। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महान्यायवादी जो भी राय देना चाहें इसे स्वीकार करना या न करना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। अध्यक्ष को सदन में आकर अपनी व्यवस्था देनी होगी। (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के वक्तव्य में कुछ नहीं जोड़ना चाहता। यह उनके अनुसार है। यह श्री इन्द्रजीत गुप्त का रूपान्तरण है। किन्तु मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह कहा था कि रिपोर्ट में जो कुछ है वह सदन के समक्ष रख दिया गया है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

सरदार बूटा सिंह : कोई भाग छोड़ा नहीं गया है। और माननीय अध्यक्ष महान्यायवादी से परामर्श करना चाहते थे और उस समय श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य'' ''''(**व्यवधान**)। जब माननीय अध्यक्ष मुझे आज्ञा देंगे तब मैं सदन को बताऊंगा। हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं श्री आचार्य की बात को अस्वीकार करता हूं। उचित समय पर जब अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे, तब मैं सदन में आऊंगा। (**व्यवधान**) किन्तु महोदय, मैं सम्माननीय सदन में यह कहने का प्रयास कर रहा था कि यदि विपक्षी नेता, माननीय अध्यक्ष और सरकार इकट्ठे बैठकर एक आम राय तय कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि सम्माननीय सदन का समय बरबाद करना चाहिए और बात को जारी रखना चाहिए। (**व्यवधान**) यह आम राय है, इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इसके बारे में अध्यक्ष ने आपको सूचना भेज दी। मैं अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से बहस नहीं कर सकता। इस आम राय पर माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में सहमति हुई थी। सदस्यों को इसे पढ़कर सुना दिया गया था और उन्होंने इसमें मौखिक शुद्धियां करके सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। मेरा यही निवेदन है (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इसी तरह बोलते रहे तो मुझे सभा स्थगित करनी पड़ेगी। मैं इस तरह नहीं बैठ सकता।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा स्थगित करता हूं। सभा कल 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित की जाती है।

2.46 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 मार्च, 1989/8 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी स्टील स्लेट मैन्यु० कं० (प्रैस विभाग) अजमेरी गेट, दिल्ली-6